राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चवालीसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार,

10 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्री हरिसिंह रावत।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये। जनता परेशान हो रही है, फोन नहीं है। समस्या हो रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको किसने कहा था कि आप टेबल करें?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का कुछ अंकित नहीं होगा।

राजसमन्द जिले के राजकीय महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

241. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) (श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) के स्थान पर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कितने जिला मुख्यालयों पर स्नातकोत्तर (पी.जी.) महाविद्यालय नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि राजसमन्द का राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मानदण्ड पूरे करता है? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त जिला मुख्यालय पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री हरिसिंह रावत)

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय में भूगोल विषय के अध्ययन की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिला मुख्यालय पर कोई भी व्यावसायिक शिक्षा (अभियांत्रिकी, चिकित्सा प्रबन्धन) की व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर व्यावसायिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर (पी.जी.) महाविद्यालय राज्य के सिर्फ जिला मुख्यालय राजसमन्द पर संचालित नहीं है।

(2) जी हां। नाथद्वारा, जो राजसमन्द से मात्र 16-17 किलोमीटर दूरी पर है, में राजकीय स्नातकोत्तर (पी.जी.) महाविद्यालय संचालित है। फिर भी वर्ष 2012-13 में पांच स्नातक (यू.जी.) महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर (पी.जी.) महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु निर्णय लेते समय राजसमन्द को सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां। निजी क्षेत्र में राजसमन्द मुख्यालय पर संचालित तीन महाविद्यालयों में स्नातक (यू.जी.) स्तर पर भूगोल विषय संचालित है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द में भूगोल विषय वर्तमान में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी नहीं। जिला मुख्यालय राजसमन्द पर तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत सत्र 2005-2006 से राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के मध्यनजर जिला मुख्यालय राजसमन्द पर व्यावसायिक शिक्षा अभियांत्रिकी, चिकित्सा प्रबन्धन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, इन्होंने नम्बर (1) में बताया है कि ''सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय राज्य के सिर्फ जिला मुख्यालय राजसमन्द पर संचालित नहीं है'', तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मंशा रखते हैं कि राजसमन्द में भी हमारे यहां पी.जी. कालेज की व्यवस्था की जाये क्योंकि राजसमन्द जिला मुख्यालय है? अगर मुख्यालय, हैडक्वार्टर पर नहीं हो और नाथद्वारा वहां से

(श्री हरिसिंह रावत)

12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं पूछना चाहता हूं कि राजसमन्द में क्यों नहीं संचालित करना चाहते?

नम्बर (2) में आपने लिखा है कि "नाथद्वारा, जो राजसमन्द से मात्र 16-17 किलोमीटर दूर है...", अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द जिला मुख्यालय है तो जिला मुख्यालय के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि वहां राजकीय महाविद्यालय खुले। दूसरा, जो वहां पर प्राइवेट कालेज हैं, जैसे दत्तात्रेय महाविद्यालय है जिसमें करीबन 920 बच्चे पढ़ रहे हैं, द्वारकेश महाविद्यालय है जिसमें करीबन 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और बी.एन. कन्या महाविद्यालय है जिसमें 820 बच्चियां पढ़ रही हैं, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्यों नहीं वहां हमारे राजसमन्द में ही यह कालेज खोला जाये? जो वहां पर करीबन 1,970 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और यू.जी. होने के बाद में अगर वहां पी.जी. करना चाहते हैं तो यह 1,970 बच्चे कहां जायेंगे? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्यों नहीं ये 1,970 बच्चे यहां कंटीन्यू पढ़ें? जो इसमें विशेष तौर पर बच्चियां हैं, इन बच्चियों को, कोई भी परिवार का अभिभावक अपनी बच्चियों को अकेला पढ़ाने के लिए मुनासिब नहीं समझते हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय पी.जी. कालेज हमारे वहां पर राजसमन्द में खोला जाये क्योंकि वहां से भीम भी दूरी पर है, भीम जिले का लास्ट मुख्यालय है जो वहां से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बच्चे-बच्चियां कम से कम वहां पढ़ें, हमारे जिला मुख्यालय पर, तो मेरा निवेदन है कि पी.जी. कालेज वहां खोला जाये। इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड (2) में इस बात को स्वीकार कर चुका हूं, "फिर भी वर्ष 2012-13 में पांच स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु निर्णय लेते समय राजसमन्द को सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।"

श्री हरिसिंह रावत (भीम): नहीं, विचार ही किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज चौथा बजट हो गया है।

श्री अध्यक्ष: और क्या कहें?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मात्र जिला है राजस्थान का जिसमें पी.जी. कालेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विचार किया जायेगा, यह कह रहे हैं। और क्या कहेंगे?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह चौथा बजट पूरा हो गया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मात्र जिला है, एक मात्र जिला है। 32 जिलों में पी.जी. कालेज हैं और इस एक जिले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है जिला वह। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। आपका विषय ही नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा, मेरा एक और सवाल है। इसमें यह लिखा है, "क्या यह सही है कि उक्त जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय में भूगोल विषय के अध्ययन की सुविधा नहीं है?", आपने लिखा है, "जी हां, निजी क्षेत्र में राजसमन्द मुख्यालय पर संचालित तीन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय संचालित है।" मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, राजकीय कालेज राजसमन्द में ही क्यों नहीं खोला जाये?

श्री अध्यक्ष: वह कह रहे हैं कि विचार किया जायेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...जबकि इसका खर्चा भी नहीं आता। इसका 'हां' या 'ना' में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विचार किया जायेगा, इसका क्या मतलब होता है? (व्यवधान) चलिये, अगला प्रश्न। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाले से खराब हुई फसलों की गिरदावरी

242. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाला पड़ने से जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में सरसों, गेहूं व चने की फसल का अत्यधिक नुकसान हुआ है? क्या सरकार प्रभावितों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीगंगानगर जिले में पाले से हुई फसलों

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

की क्षति की गिरदावरी कराई गई है? यदि हां, तो गिरदावरी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ की गिरदावरी रिपोर्ट रबी फसल संवत् 2067 की प्रति जिसमें फसल खराबे की स्थिति दर्शाई गई है, परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है, जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) उक्त बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि मंत्रीजी कैसे जवाब दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को जारी किया गया राहत पैकेज गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के साथ धोखा है। जिला कलक्टर को जानबूझकर गिरदावरी गलत करने के आदेश दिये गये हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, विजयनगर, सूरतगढ़, सादुलशहर में 3,059 गांवों में पाले से फसलों को...

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, आपदा का है ना। इसमें नुकसान हुआ है सरसों का और...

श्री अध्यक्ष: तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...सरसों का, चने का जो नुकसान हुआ है, इसमें यह बता रहे हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत वालों को हम मुआवजा देंगे। लेकिन वहां तो 20 प्रतिशत भी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लो, गिरदावरी आप गलत करा लोगे तो किसान तो खतम हो जायेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में यह पोजिशन है। मैं खुद एक काश्तकार हूं और मेरे खुद के, मान लो...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। क्या है प्रश्न?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने यह जो मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की नीति बताई है, इस नीति का तो मेरे पास जवाब भी आ गया है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा है? आपकी जो रिपोर्ट है, मैं आपके ऊपर एक इल्जाम लगा रहा हूं कि रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और बिलकुल गलत है। उस रिपोर्ट के हिसाब से कहीं तो एक बीघा में एक क्विंटल हुआ है और कहीं पर 25 किलो हुआ है, कहीं दो क्विंटल और कहीं तीन क्विंटल हुआ है। और आप यह बता रहे हैं कि नुकसान ही नहीं हुआ है!

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तो अध्यक्षजी के माध्यम से निवेदन है, कृपा करके या तो पुनः इसका सर्वे करायें, गिरदावरी करवाइये और यह जो गलत आंकड़े आपके पास आये हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आप मन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मुआवजा देने का आपका मन है या नहीं है? या गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला, आपके इसमें नक्शे में है या नहीं है? जब भी गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। तो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके यह कहिये कि मैं दुबारा इसकी गिरदावरी करवाऊंगा और सही गिरदावरी हो। लोगों के, बेचारे किसानों के धरने हो रहे हैं, वहां बंद हो रहे हैं लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...हालत यह है कि गरीब मारा-मारा फिर रहा है। मजे की बात यह है कि 40 क्विंटल ट्रोली में सरसों आती है, जिसमें 10 क्विंटल घास-फूस निकलती है। तो इसका मतलब और इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए? आपका विभाग बता रहा है, आपका विभाग कह रहा है कि चालीस क्विंटल में दस क्विंटल चूरा है; गन्ना है, उसमें कूड़ा है। तो उसके हिसाब से आपने कैसे मापदण्ड यह तय किये गंगानगर,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हनुमानगढ़ जिले में? और इसमें कितनी मंडियां हैं, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया, गंगानगर, करणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, विजय नगर, सूरतगढ़, सादुलशहर के 3,059 गांवों में पाले को आपने जो रिपोर्ट किया, पाले से पचास प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे बीकानेर जिले में भी...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और इसी तरह हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, टीबी, रावतसर, नोहर, भादरा के 1,914 गांवों में...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। मंत्रीजी, जवाब दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): गिरदावरी सही नहीं कराई गई है, अध्यक्ष महोदय। बीकानेर जिले में भी यही स्थिति है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुन लीजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महादेय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): यह, अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री अध्यक्ष: आपके समझ में नहीं आ रही है बात। इनको जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पूरे राज्य का मामला है। समझ में कैसे नहीं आ रहा है?

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बीकानेर जिले में भी खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, अभी काश्तकार आये थे, सत्तर काश्तकार जेदोसर से...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी पूरी तरह कराई गई है, राजस्व विभाग ने

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

गिरदावरी कराई है और हम पचास परसेंट या उससे अधिक खराबा होता है, तब विभाग इसमें...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): गलत गिरदावरी करवाई है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): सहायता प्रदान करता है। जो पैकेज जारी किया गया है, वह उसी के अनुरूप किया गया है।

माननीय सदस्य ने कहा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर कहीं स्थान रखते हैं या नहीं; हमारे प्रदेश में बहुत ऊंचा स्थान हनुमानगढ़ और गंगानगर का है। आपने कहा कि अब सर्वे करायेंगे क्या; गिरदावरी हो गई एक से, एक फरवरी से पांच मार्च तक; गिरदावरी के समय आपको कोई दिक्कत थी तो आप वहां के जन-प्रतिनिधि हैं, आप कलक्टर को लिखते, आप एस डी ओ को लिखते, आप हमें लिखते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये, जवाब सुनिये। जवाब सुनिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): विभाग के पास, अध्यक्ष महोदय, पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक खराबा आता है, उसी की सूचना आती है और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में किसी भी तहसील और किसी भी गांव में पचास प्रतिशत से अधिक खराबा गिरदावरी में आया नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्री महोदय, आप एक किसान हैं और शीशराम ओला के सुपुत्र हैं, यह गलत बोल रहे हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय सदस्य को अवसर दिया है। (व्यवधान) मैंने माननीय सदस्य को अवसर दिया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कौन सी मशीन काम में ली? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ में एक पैसा नहीं दिया। ऐसी कौनसी मशीन लगी हुई है जो बता सकती है? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सूरजगढ़ में एक पैसा नहीं दिया। (व्यवधान) यह रिपोर्ट सरकार केवल अपनी मनमर्जी से मंगाती है और कौन करता है, हमें बताता है क्या... (व्यवधान) कि आपके यहां यह गिरदावरी पटवारी...(व्यवधान) हमारे सूरजगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़ में एक पैसा नहीं दिया है। (व्यवधान) एक पैसा नहीं दिया है सूरजगढ़ में। केवल झुंझुनूं में दिया है। (व्यवधान) बीमा का पैसा केवल झुंझुनूं में दिया है, झुंझुनूं कांस्टिट्यूएंसी में दिया है। खेतड़ी में नहीं दिया, सूरजगढ़ में नहीं दिया, नवलगढ़ में नहीं दिया है। ऐसी कौनसी मशीन बनी है जो बता सकती है? ऐसी मशीन कहां बनी है? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको अवसर दिया है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी और माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) किसी अन्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राधेश्यामजी, आपने बहुत निवेदन कर दिया है। राधेश्यामजी, आपका निवेदन एक घंटा हो गया, बैठ जाओ एक बार।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका एक घंटा निवेदन चला, सुना है क्या सदन को? आप नौकरी करते रहोगे? ऐसा मैंने....

श्री अध्यक्ष: आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्रश्न मेरा यह है, माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि आपदा का कितना बजट जो बीमा योजना से स्वीकृत किया है, वह खेतड़ी में नहीं किया, सूरजगढ़ में नहीं किया, नवलगढ़ में नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: गंगानगर, हनुमानगढ़ का प्रश्न है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गंगानगर, यह राजस्थान का मंत्री है, न कि गंगानगर का मंत्री। अभी इस सदन में बैठे हैं...(व्यवधान) यह पूरा सदन राजस्थान का है। कोई एक-एक आदमी का है क्या? यह हमारी पीड़ा है...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सदन हनुमानगढ़ का है? कोई कांस्टिट्यूएंसी का है? यह सदन राजस्थान का पवित्र सदन है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को...(व्यवधान) और यह सरकार की ड्यूटी बनती है...(व्यवधान) हमारी समस्याओं का समाधान करे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने संरक्षण दे दिया है...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं, मैंने संरक्षण दे दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण हमें दिलाओ। झुंझुनूं जिले में केवल झुंझुनूं को ही पैसा मिला है। खेतड़ी को और नवलगढ़ को, उदयपुर को कहीं भी, सूरतगढ़ में नहीं मिला है। यह पैसा दिलाने की कृपा करें। क्या झुंझुनूं में....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा । (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय तिवाड़ीजी। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले से सम्बन्धित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी हां। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, क्या यह सही है कि गिरदावरी करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है? (व्यवधान) कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है, वह यह है कि टोटल फसल जो उत्पन्न होती है... और यह सही है कि राजस्थान में जितना सरसों, चना पैदा होना चाहिए था, उनका सिर्फ तीस या चालीस प्रतिशत पैदा हुआ है। गेहूं को छोड़कर बाकी सब और सब जगह पाले का असर हुआ है। गिरदावरी की रिपोर्ट गलत है। इसलिए राज्य सरकार पैकेज में संशोधन करके प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करती है या नहीं, यह प्रश्न है मेरा। इसका जवाब दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां गिरदावरी की बात पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गिरदावरी सौ साल पहले का कानून है, मंत्रीजी। रोज किसानों के साथ अन्याय करते हो आप।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये। जवाब तो सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काश्तकारी बना रखी है, वह पटवारी जाकर लिख लाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप जवाब दीजिये कि जो कुल फसल पैदा हुई है राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष: आप जवाब चाहते हैं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, जवाब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिये तो। आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दे दीजिये जवाब।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कल्याणकारी सरकार किसी भी अधिकारी को यह निर्देश नहीं दे सकती कि गिरदावरी गलत की जाय। आप इस तरफ बैठते थे, तब आप पर भी आरोप लगे होंगे कि गिरदावरी गलत हुई। पर कोई भी कल्याणकारी सरकार यह नहीं कह सकती कि गिरदावरी गलत की जाय। सौ साल से चल रही है, तो आप भी पन्द्रह साल तक रहे हो। उसका आप....

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये, जवाब। अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप चाहते ही नहीं हैं जवाब। खड़े हुए थे मंत्रीजी, आपने व्यवधान करके बैठा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल हनुमानगढ़, गंगानगर की चर्चा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह तो कृषि मण्डी के मंत्रीजी बता पाएंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको किसने परमिशन दी? आपका एक भी शब्द अंकित नहीं हुआ है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका एक भी शब्द अंकित नहीं हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रश्न संख्या-243

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर में महिला हाकी अकादमी की स्थापना

244. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में स्टेडियम विकास के तहत दो सम्भाग, चार जिलों और एक तहसील में कार्य कराया गया तथा क्या उक्त कार्यो को जान-बूझकर आज तक लम्बित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2008 व 2009 के लिए उक्त प्रयोजनार्थ दस करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया था? यदि हां, तो उक्त दस करोड़ को कहां, कब/कैसे व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 25 फरवरी, 2008 को बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में अजमेर में महिला हाकी अकादमी प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त अकादमी की स्थापना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप एक बात का ध्यान आकर्षित कर दें...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ले लिया है मैंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात का ध्यान आकर्षित कर दें, सभापति के पद पर विराजमान होने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हम प्रतिपक्ष की बातों का जवाब देना चाहते हैं। उनको यह पता नहीं है कि प्रश्न काल में मंत्री जवाब देते हैं, बहस में सदस्य जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष: वह कुछ अंकित नहीं हुआ है। दोनों की ही बच गई। आपकी भी और उनकी भी, दोनों की ही बच गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन की भी बच गई, +++ तो आसन की भी बच गई।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, 243 नम्बर मैंने बोला है।

श्री अध्यक्ष: आपने नहीं बोला है, चलिए आगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, +++ यह तो एक्सपंज कराइए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल(श्री मांगीलाल गरासिया): (1) जी नहीं। वर्ष 2008-09 में स्टेडियम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सात सम्भागों के 17 जिला मुख्यालयों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, टोंक, करौली, पाली, झुन्झुनूं, सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चूरू, बारां एवं बाड़मेर व 6 उपखण्ड मुख्यालयों उनियारा (टोंक), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), हिण्डौली (बूंदी), डीडवाना (नागौर), शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं कामां (भरतपुर) पर कार्य कराया गया। इन स्टेडियम निर्माण कार्यों में से झालावाड़, बीकानेर, नागौर, टोंक, सीकर, झुन्झुनूं, चूरू, बाड़मेर, उनियारा (टोंक), हिण्डौली (बूंदी), शाहपुरा (भीलवाड़ा), डीडवाना (नागौर), कामां (भरतपुर), करौली, पाली एवं निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा प्रगतिरत निर्माण कार्यों हेतु जोधपुर को रुपए 13.60 लाख, भरतपुर को रुपए 15.00 लाख, बांसवाड़ा को रुपए 10.00 लाख, डूंगरपुर को रुपए 10.00 लाख, प्रतापगढ़ को रुपए 10.00 लाख, सोजत (पाली) को रुपए 10.00 लाख एवं बारां स्टेडियम को 21.00 लाख रुपए वर्ष 2011-12 में जारी किए गए हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 में स्टेडियम विकास हेतु क्रमशः 5.00 करोड़ रुपए तथा 10.00 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 15.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था। उक्त 15.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के क्रम में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जारी की गई स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-क पर तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा इसके प्रत्युत्तर में जारी की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में महिला हाकी अकादमी, अजमेर में खोलने की घोषणा की गई थी। यह अकादमी वर्ष 2008 में अजमेर में प्रारम्भ की गई। अजमेर में हाकी एस्ट्रो टर्फ के निर्माणाधीन होने के कारण वर्ष 2010 से यह जयपुर में संचालित की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी, मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड-2 में यह लिखा है कि 15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान 2007-08 और 2008-09 में किया गया और इस हेतु राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को डेट भी आपने दी है, स्टेडियम डवलपमेंट के लिए। जो आपने परिशिष्ट-क मुझे उपलब्ध कराया है, उसके संख्या-6 पर 27.3.08 को 4 करोड़ 56 लाख रुपए और नम्बर-7 पर 28.6.2008 को 2 करोड़ 50 लाख रुपए और स्टेडियम डवलपमेंट के लिए नम्बर-13 पर 30.3.2009 को 1 करोड़ 60 लाख 95 हजार रुपए की आपने स्वीकृति जारी की है। मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को जब वर्ष 2008-09 में कुल 8 करोड़ 66 लाख 95 हजार की स्वीकृति आपने जारी कर दी थी, तब यह जिला कलक्टर्स को किन तारीख को डिस्ट्रिब्यूट किए गए ये चैक? तारीख बता दें आप। नागौर स्टेडियम को किस दिन दिया? इसके अतिरिक्त, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स को आपने दस, बीस, पचास लाख रुपए दिए हैं, उनकी क्या तारीखें हैं? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने यह पैसा कब दिया डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स को?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछ रही हूं कि आपने घोषणा की थी राजस्थान हाकी एस्ट्रोटर्फ के निर्माण के लिए, वर्ष 2010-11 में मुख्य मंत्री द्वारा कि दो करोड़ रुपये अजमेर में एस्ट्रो टर्फ के निर्माण पर लगाये जाएंगे। यह वर्ष 2010 -11 की घोषणा है। वे दो करोड़ रुपये किस तारीख को जारी हुए? क्योंकि वर्ष 2012-13 चल रहा है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि महिला हाकी अकादमी खोलने की घोषणा वर्ष 2008-09 में की गई थी। ये हाकी अकादमी कब से अजमेर में प्रारम्भ की गई? इसके लिए जो पच्चीस लाख रुपये जारी किये गये थे, क्या उसके कार्य पूर्ण हो चुके हैं? या प्रारम्भ ही नहीं हुए अभी तक? इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न है कि कलक्टर को कब जारी करने के लिए कहा; माननीय अध्यक्ष महोदय, 21.05.2008 को स्टेडियम निर्माण हेतु और एस्ट्रो टर्फ के लिए जब लिखा गया, उसके दरमियान में तोपदड़ा के लिए भी लिख दिया गया। ये दोनों ही बातें उस रूप में की गई और वहां तोपदड़ा में स्टेडियम निर्माण के लिए भी पैसा जारी करने का काम कर दिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने तोपदड़ा का तो पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिये पहले। पूरक प्रश्न का आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): नंबर-3 जो आपने महिला अकादमी की बात की, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं निवेदन करूंगा कि 30.07.2008 को खेल विभाग ने हाकी अकादमी के लिए अजमेर को पच्चीस लाख रुपये की स्वीकृति जारी की। इसमें खंड-3 और खंड-2 में हमने आपको स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है और मैं कहना चाहूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर वहां पर शुरू भी कर दिया, तोपदड़ा के लिए। जहां तक हाकी अकादमी का प्रश्न आता है, एस्ट्रो टर्फ का वहां पर संचालन नहीं होने की वजह से हमने हाकी अकादमी जयपुर में चालू करने का काम किया है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): देखिये, अध्यक्ष महोदय, अब आप। हाकी अकादमी अजमेर में खुलेगी, इसकी घोषणा बजट में होती है और तीन साल से चल रही है जयपुर में। पच्चीस लाख की स्वीकृति 2008 में जारी होती है और तीन साल में अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक अजमेर में प्रारम्भ नहीं हुई। तो प्रदेश के लोग और हम कैसे इस बजट पर विश्वास कर सकते हैं? आप बताइये हमें। फिर मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि पच्चीस लाख रुपये के निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारम्भ कर दिये जाएंगे, अजमेर में किस दिनांक से हाकी अकादमी की स्थापना कर दी जाएगी, उसका संचालन अजमेर में कब से प्रारम्भ हो जाएगा। ये ही बता दीजिये मुझे।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्या ने जो बात कही, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाकी एस्ट्रो टर्फ वहां पर निर्माणाधीन था और निर्माणाधीन होने के कारण वहां पर संचालन सही ढंग से करने में दुविधा आ रही थी। इसलिए यहां पर कर दिया। अब हमारा हाकी एस्ट्रो टर्फ अजमेर में पूर्ण हो गया है, इसलिए यथा शीघ्र वहां पर संचालन करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यथा शीघ्र आप प्रारम्भ कर देंगे, मैं आपकी इस बात पर विश्वास करती हूं और प्रदेश के सब लोग विश्वास कर लेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक प्रश्न जो मैंने स्पष्ट पूछा था कि दो करोड़ रुपये की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की हाकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ के निर्माण के लिए। ये 2010-11 के बजट की घोषणा है, यह किताब मैं टेबल कर सकती हूं। स्पष्ट रूप से मैंने इसमें पैरा नं. भी उल्लेखित किया है, 147 पैरा नं. पर। मेरा निवेदन इतना सा है कि 2 साल बीतने के बाद भी दो करोड़ में से एक पाई भी जारी की क्या आपने? यह बता दें मुझे तो, कितना पैसा जारी किया आपने?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर घोषणा की बात आयी है, उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 53 लाख 50 हजार रुपये की वहां पर घोषणा के अनुरूप स्वीकृति कर दी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, ये 53 लाख रुपये तो 2008 में जारी हो गये थे। 53 लाख रुपये 2008 में जारी हुए। आपके मुख्य मंत्री महोदय ने 2010 में घोषणा की है। मैं पहले की घोषणाओं के रिपीटेशन की बात नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं 2010 में जब आपने घोषणा की, उसके बाद कितना पैसा जारी किया आपने? यह बताइये मुझे। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कार्य प्रगति पर होता है...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): फिर बजट 2010 में क्यों लिखा आपने? आपने क्यों 2010 के बजट में लिखा कि हम 2 करोड़ रुपये देंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये पूरा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 2010 के बजट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे।

श्री अध्यक्ष: पूरा जवाब तो सुनिये आप। आपका जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। आप जवाब सुनिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ...(व्यवधान) 2008 के पैसे को ये 2010 की घोषणा के अनुरूप बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा सुन तो लीजिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस्ट्रो टर्फ की क्रियान्विति का जहां तक प्रश्न है, तो वहां पर कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है और पूर्ण होने के बाद में ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पूछ ही नहीं रही कि पूर्ण हो गया कि नहीं हुआ, मैं तो यह पूछ रही हूं कि आपने कितना पैसा जारी किया? यह बताइये मुझे तो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) जो माननीय सदस्या पूछ रही हैं, वह बताओ आप तो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...(व्यवधान) कितना पैसा दिया? दो साल में एस्ट्रो टर्फ के लिए कितना पैसा दिया? यह बतायें माननीय सदस्या को।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पूर्ण हो गया, अधूरा है, कार्य नहीं हुआ, ये बिलकुल नहीं पूछ रही हूं। मेरा प्रश्न यह है कि 2 करोड़ में से आपने 2010 के बाद में कितना पैसा जारी किया? यह बता दीजिये। मेरा स्पष्ट प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि एक कैबिनेट मंत्री को आकर सलाह देनी पड़ रही है?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते। आप जवाब नहीं सुनना चाहते। मंत्रीजी, स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिये, 2010 के बाद में कितना पैसा खर्च हुआ। वह बताइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के ऊपर से निकल रहा है प्रश्न और जवाब इनको समझ नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपके भी नीचे से निकल रहा है, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे तो नहीं निकलता लेकिन इनकी हालत खराब है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह असंसदीय भाषा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) ये तो नहीं, साहब।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस्ट्रो टर्फ का प्रश्न यह आया था कि कितना पैसा लगना था...

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक सवाल का केवल एक जवाब दे दीजिये कि 2010 में घोषणा की, उसका कितना पैसा खर्च हुआ।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पैसा लगना था, वहां 383 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये, 335 लाख रुपये का वहां पर काम पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के बाद में अब वहां पर संचालन करने के लिए कार्यवाही करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गयी बात। पैसा खर्च हो गया, काम हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक भी पैसा जारी नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं कि खर्च हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): या तो मैं यह समझूं कि जितना भी नगर सुधार न्यास और नगर परिषदें अपना बजट बनाती हैं, वह बजट भी मुख्य मंत्री हर वर्ष इस राज्य सरकार के बजट में लिख दें, उनको भी, तो हम समझ जाएंगे। ये दो करोड़ रुपये नगर सुधार न्यास ने खर्च किये हैं और उसी को मुख्य मंत्रीजी ने 2010 के अपने बजट भाषण में कहा।

श्री अध्यक्ष: वह भी तो सरकार का ही पैसा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 2010 के बाद में एक भी पैसा जारी नहीं किया। तो फिर सभी नगर परिषदों और नगर सुधार न्यासों का पैसा इस बजट में डाल दें, मैं यह समझ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण से इतना गलत जवाब सदन में दिलायें और वरिष्ठ मंत्री जाकर देख रहा है। जो पैसा यू.आई.टी. ने खर्च किया है, माननीय सदस्या का प्रश्न था कि राज्य सरकार ने 2010 के बजट में जो घोषणा की, उसमें कितनी स्वीकृति जारी की। इसके जवाब में ये पर्ची भेजी वहां से कि वह यू.आई.टी. ने जो पैसा खर्च किया...

श्री अध्यक्ष: आपको क्या पता कि इसी के जवाब की पर्ची थी?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, हां, यह ही तो जवाब की पर्ची है, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: पर्ची किसी भी जवाब की हो सकती है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि सरकार ढंग से काम करे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हर सवाल का जवाब ही सवाल होगा, साहब। सारा काम साफ हो गया है। ऐसे थोड़े चलेगा सदन।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री नन्दलाल जी मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काम तो मैंने कराया और श्रेय आप ले लेंगे।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): काम हो चुका है, एस्ट्रो टर्फ वहां पर ले हो चुका और अकादमी ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? वह ही तो मंत्रीजी कह रहे हैं। ये सब काम पूर्ण हो चुका है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एस्ट्रो टर्फ को चूहे खा रहे हैं, चूहे। अकादमी की स्थापना नहीं हुई। इसलिए दो करोड़ रुपये पानी में जा रहे हैं, आपके जो नगर सुधार न्यास ने लगाये हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-245

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): चूहे खा गये उस एस्ट्रो टर्फ की घास को। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो काम मेरी पत्नी करती है, उसके लिए धन्यवाद आपको कैसे मिलेगा?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मिल जाना चाहिए। पति और पत्नी एक होते हैं, मिल जाना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काम हुआ है और आप ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मिल जाना चाहिए। पति के पीछे भी पत्नी होती है, मिल जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया, आपने सुना नहीं। इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो काम करती है, उसका श्रेय आपको क्यों मिले। पति-पत्नी की बात नहीं है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): आप गुमराह कर रहे हैं वहां पर बैठकर। बाकी उनकी मंशा सही थी। आप बीच में लपेटा ले रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं। चलिये, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा जिले के चिकित्सा कर्मियों के स्थानान्तरण

246. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक जिला कोटा के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितने कर्मचारी एवं अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थानान्तरण के विरुद्ध यथास्थिति के आदेश लिए हैं? यथास्थिति के आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कर्मचारियों को कितने समय के लिए यथास्थिति के आदेश दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा जिले में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका यथास्थिति के आदेश की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरण किया गया और कितनों का नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (डा. राजकुमार शर्मा): (1) श्रीमती जेन्नमा वर्गीस (एएनएम) का स्थानान्तरण दिनांक 28.02.04 (परिशिष्ट-अ) के द्वारा बारां से दूसरी बटालियन, आर ए सी डिस्पेंसरी, अमन निवास, कोटा किया गया था, किन्तु विभाग के आदेश दिनांक 12.03.04 के द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध श्रीमती जेन्नमा वर्गीस द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 329/04 दायर की जिसे माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 13.09.06 को खारिज कर दिया (परिशिष्ट-ब)। श्रीमती जेन्नमा वर्गीस द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 13.09.06 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 8024/06 दायर की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.06 को आदेश पारित करते हुए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन कोटा के आदेश दिनांक 12.03.2004 (परिशिष्ट-स) के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया जो वर्तमान में प्रभावी है। स्टे आदेश दिनांक 16.10.06 की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है। प्रकरण में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में जवाब दिनांक 11.10.07 को प्रस्तुत किया जा चुका है एवं यह प्रकरण ड्यू कोर्स से हटकर माननीय न्यायालय द्वारा ग्राह्यता के नोटिस जारी करने के स्तर पर आगामी दिनांक

(डा. राजकुमार शर्मा)

26.04.12 (परिशिष्ट-य) को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 702 दिनांक 27.06.08 के द्वारा श्रीमती लीलम्मा जोन प्रसाविका का स्थानांतरण/पदस्थापन जिला बारां से उप-केन्द्र रानपुर, पी एच सी मंडाना जिला कोटा में किया गया। किन्तु उप केन्द्र रानपुर कोटा में पूर्व से ही पदस्थापित श्रीमती विमलेश मेवाड़ा, प्रसाविका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पर कार्यरत होने के कारण श्रीमती लीलम्मा जोन प्रसाविका को सी एम एच ओ कोटा ने अपने आदेश संख्या 10800 दिनांक 14.07.08 के द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून को उनके ब्लाक में अधिकतम ठहराव वाली प्रसाविका के स्थान पर श्रीमती लीलम्मा जोन को पदस्थापित करने तथा प्रभावित प्रसाविका को अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में सी एम एच ओ, कोटा के कार्यालय में भेजने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून ने अपने आदेश संख्या 252-56 दिनांक 22.07.08 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, केवलनगर कोटा में पदस्थापित करते हुए वहां पर अधिकतम ठहराव वाली प्रसाविका (श्रीमती मणिअम्मा के.ओ.) को अग्रिम पदस्थापन हेतु उनके कार्यालय (खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून) में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया किन्तु स्थानीय सरपंच एवं ग्रामवासियों तथा स्वयं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून की अनुशंसा पर प्रभावित प्रसाविका श्रीमती मणिअम्मा के.ओ. को सी एम एच ओ, कोटा के आदेश संख्या 218 दिनांक 16.01.09 (परिशिष्ट-क) के द्वारा पुनः श्रीमती मणिअम्मा के.ओ. को वापस उप-केन्द्र केवलनगर में पदस्थापित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थिनी ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 248/09 प्रस्तुत की। माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 13.04.09 (परिशिष्ट-ख) के द्वारा प्रार्थिनी की अपील खारिज कर दी। उसके उपरान्त प्रार्थिनी ने माननीय अधिकरण के उक्त आदेश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 218 दिनांक 16.01.09 के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 5635/09 दायर की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.09 (परिशिष्ट-ग) के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा प्रसारित आदेश 218 दिनांक 16.01.09 के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश

(डा. राजकुमार शर्मा)

जारी किये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.05.09 को दिनांक 27.04.11 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। आदेश दिनांक 27.04.11 की प्रति परिशिष्ट-घ पर प्रस्तुत है।

कोटा जिले के किसी भी चिकित्सक ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के विरुद्ध यथास्थिति के आदेश नहीं लिये हैं।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश में समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.05.09 खारिज हो जाने के कारण श्रीमती लीलम्मा जोन (याचिकाकर्ता) को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडाना के आदेश क्रमांक 261 दिनांक 20.08.2008 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलनगर, कोटा से हटाकर उप-स्वास्थ्य केन्द्र, कसार (कोटा) में मौसमी बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य सम्पादन हेतु लगाया गया जिनका वेतन उच्च पद के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: इतने विस्तार से प्रश्न के उत्तर के बाद तो कोई सप्लीमेंटरी बचा ही नहीं होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): इन्होंने जो परिशिष्ट क, ख, ग लगाये हैं, वे बच गये।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): परिशिष्ट हमने उपलब्ध करा दिये, आप उनसे ले लो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): यह भी लिखा हुआ है, यह भी उपलब्ध करा देते, यह भी पढ़ लेते।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में बड़े दुःख के साथ इस बात को व्यक्त कर रही हूं कि...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारा जो प्रश्न लगा,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उसी पर मैं आ रही हूं, मेरे प्रश्न का जवाब मैंने अभी यहां सदन में आकर लिया। आप देखिये कि कोई भी विधायक अपने प्रश्न का उत्तर यहां से लेता है, तो वह किस हिसाब से उस प्रश्न की तैयारी करके आयेगा? यह बड़े दुःख की बात है, मैंने अभी यहां से उत्तर लिया है।

श्री अध्यक्ष: रात को सब को चला जाता है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप या तो मेरे क्वार्टर पर जाकर पूरी तरह से दिखवा लें कि मुझे कोई उत्तर मिला है क्या।

श्री अध्यक्ष: आप चैक कर लें। विधान सभा सचिवालय से रात को भेजा जाता है, यह व्यवस्था मैंने कर रखी है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं आपको फिर भी बोल रही हूं कि मैं खुद यहां आई हूं माननीय सचिव महोदय से आप पूछ सकते हो, मैंने उनसे उत्तर मांगा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था कर दी है कि प्रश्नों के उत्तर रात को ही माननीय सदस्यों को मिल जायें। यह बात मिथ्या है जो आप कह रही हैं कि यहां आने के बाद अभी मिला आपको। आपको 9.30 बजे मिल चुका है यहां से। वह कापी भी आपने ले ली थी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद उत्तर लेने के लिये यहां आई हूं। आप पूछिये, मेरे साथ तीन विधायक और बैठे हैं..

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है, पूरक प्रश्न? कोई पूरक प्रश्न बचा है क्या?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पूरक प्रश्न भी है और प्रश्न का जवाब जो मुझे मिला है, वह भी है।

श्री अध्यक्ष: क्या है पूरक प्रश्न? पूरक प्रश्न क्या है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, आगे से अगर हमें समय पर उत्तर मिलेंगे, तो हम हमारे प्रश्न की अच्छे ढंग से तैयारी करके आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिए। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछ रही हूं माननीय मंत्रीजी ने जो मुझे उत्तर दिया...

चौमूं (जयपुर) के वार्ड नम्बर 3 की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

247. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा चौमूं के वार्ड नम्बर 3 में गरेड़ों की ढाणी व बोरावाली ढाणी में श्मशान स्थित हैं? यदि हां, तो कितना-कितना रकबा किस-किस खसरे में है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्मशान भूमियां जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं तथा उक्त भूमियों पर कोई अतिक्रमण है? यदि हां, तो कितना-कितना व किन व्यक्तियों का?

(3) क्या सरकार उक्त श्मशान की भूमियों से अतिक्रमण हटाकर चारदीवारी का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह क्या बोल रहे हैं? मैं अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके पास कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न है ही नहीं, आप भाषण दे रही हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, कैसे नहीं है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं है? आप पूछने ही नहीं दे रहे हो, अगला प्रश्न पुकार रहे हो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न नोट करें मंत्रीजी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह क्या मतलब हुआ?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, पहले मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न तो करने दीजिए। इन्होंने अपनी व्यथा बताई, उसको आपने मिथ्या बता दिया। ऐसे थोड़े ही होगा कोई।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। पहले भगवान सहाय जी वाले का उत्तर दे रहे हैं ना आप?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): जी हां।

(1) जी हां। खसरा नम्बर 4258 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

4260 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4261 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4218/7787 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। परिशिष्ट-अ पर वर्णित काबिज व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत नियमानुसार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। काबिज अतिक्रमियों को नियमानुसार हटाये जाने के उपरान्त चारदीवारी करवाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इस प्रश्न में वार्ड नम्बर 3, गरेड़ों की ढाणी व बोरावाली ढाणी का उल्लेख किया गया है, आपने बोरावाली ढाणी का रकबा नम्बर और अतिक्रमण तो बता दिया लेकिन गरेड़ों की ढाणी जहां पर 2.3 हैक्टेयर श्मशान भूमि पर अतिक्रमण है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो इसमें जो अतिक्रमण है, वह भी हटाया जायेगा क्या?

दूसरा, क्या चौमूं कस्बे में अन्य श्मशान भूमियों पर भी अतिक्रमण है? और यदि है तो कहां-कहां? क्या सभी श्मशान भूमियों पर से और जे डी ए की स्वामित्व वाली अन्य भूमियों पर से भी अतिक्रमण हटाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मामला चौमूं का है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मामला चौमूं का है। स्पेशल मामला है, साहब, चौमूं का।

श्री अध्यक्ष: चलिए, जवाब दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जमाबंदी के अनुसार यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है और गैर मुमकिन श्मशान में दर्ज है। इसके लिये चिह्नीकरण करवा लिया गया है, पीटी सर्वे करवा लिया गया है तथा सातों अतिक्रमियों को सेक्शन 72 के तहत बाकायदा नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वहां पर वर्षों पुराने कुछ मकान भी बने हुए हैं और कुछ पर टीन शेड हैं और मवेशी वगैरह बंधे हुए हैं। मैंने जो आपको परिशिष्ट-अ उपलब्ध करवाया है, उसमें पूरी जमाबंदी की नकलें भी हैं, पीटी सर्वे भी है, चिह्नीकरण भी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

है और नक्शा भी शामिल है। जिस बात के लिये आपने उठाया कि इसमें 2.3 हैक्टेयर जमीन का इसमें जिक्र नहीं है, वह भी अतिक्रमण में है और उस अतिक्रमण को भी हटाया जायेगा। अतिक्रमण हटाने के बाद में, जो प्रक्रियाधीन है, अतिक्रमण हटाने के बाद में उसकी चारदीवारी करवा दी जायेगी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): चारदीवारी कब तक करवा दी जायेगी? कोई समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र, अतिशीघ्र।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): शीघ्र का मतलब महीने, दो महीने, तीन महीने, अगला सत्र आने तक? कब तक ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपसे बात कर लेंगे, एक महीने से पहले ही कर लेंगे।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ठीक है, साहब। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सप्लीमेंटरी है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप पर भी चौमूं का असर है क्या? यह तो चौमूं का मामला है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): यह चौमूं का मामला है, इसीलिए पूछ रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

देवगढ़ (राजसमन्द) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

248. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत बजट सत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? क्या सरकार उक्त घोषणा के अनुरूप नगरपालिका देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्रीमती गोलमा (महुवा): अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये।

श्रीमती गोलमा (महुवा): मैं बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी विराजो। अभी अलाउ नहीं है।

श्रीमती गोलमा (महुवा): धौलपुर के एम एल ए ने मेरे पति के बारे में गलत आरोप लगाया है...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्रीमती गोलमा (महुवा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप नियमों के अनुसार अलग से इसे...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा।

श्रीमती गोलमा (महुवा): ×××

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): जी नहीं। नगरपालिका देवगढ़ से 30 किमी की दूरी पर भीम, देवगढ़ से 35 किमी की दूरी पर आमेट तथा देवगढ़ से 65 किमी पर राजसमन्द में राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए नगरपालिका देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय वर्तमान में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्रीमती गोलमा (महुवा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्रीमती गोलमा (महुवा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्रीमती गोलमा (महुवा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। कृपया विराजें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह जी, सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी पूछना है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जाएं।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने पद का भी ख्याल रखो। सप्लीमेंटरी नहीं पूछना है आपको?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ किया है। सप्लीमेंटरी नहीं पूछना है क्या? आप सप्लीमेंटरी पूछिये। मैंने अलाउ ही आपको किया है और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया, मैंने केवल मूल प्रश्नकर्ता को किया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): प्रश्न संख्या 248 । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि गत बजट सत्र में घोषणा की थी कि हर पंचायत हैडक्वार्टर या उपखण्ड कार्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। इन्होंने लिखा, जी नहीं। तो क्या मैं इस घोषणा को असत्य घोषणा ही समझूं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने बजट पढ़ा ही नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा कि हमारे यहां देवगढ़ में कालेज खोला जाना सम्भव नहीं है, जबकि आपके उच्च शिक्षा वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12 में पेज नम्बर 64 पर आपने सीरियल 811 पर लिखा है, भीम, देवगढ़ महाविद्यालय स्ववित्त पोषित सहशिक्षा 2003 में खोली। अध्यक्ष महोदय, कितना असत्य, त्रुटिपूर्ण यह जवाब है। एक तरफ तो आपका है कि 2003 में स्ववित्त कालेज चालू है, जबकि इसका आप बोल रहे हैं कि कालेज खोलना सम्भव नहीं है। तो मैं किसको सही मानूं?

मेरा आपसे निवेदन है कि देवगढ़ 26 हजार की आबादी वाला क्षेत्र है और उसके सामने करीब 19 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। तो मै आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कालेज खोलना बहुत जरूरी है। आप खाली थोथी घोषणा ना करें और हमारे वहां राजकीय महाविद्यालय खुलवायें।

दूसरा मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, राजकीय महाविद्यालय भीम, 2007

(श्री हरिसिंह रावत)

में राजकीय महाविद्यालय खुला जिसमें सभी पद सृजित हुए। पद सृजित के अनुसार वहां मंत्रालयिक कर्मचारी और सब-रजिस्ट्रार, कैशियर और दूसरे कर्मचारी, आज तक एक भी पद सृजित होने के बाद भी वहां नियुक्ति नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की वजह से काम सफर हो रहा है कालेज प्रबन्धन का। तो उसकी तत्काल सुविधा करें।

मैंने आपसे निवेदन किया था और हर बजट में निवेदन कर रहा हूं कि भीम विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुला है, उसमें करीबन 50 ग्राम पंचायतें और तीन जिलों की वहां आबादी पड़ती है। तो मेरा निवेदन है, उस क्षेत्र में वाणिज्य और विज्ञान संकाय भी तत्काल खोलने का मैं अनुरोध करूंगा। इसके बारे में क्या स्पष्ट जवाब देना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, गत बजट में जो कालेज खोलने की घोषणा की गई थी, वह था तहसील मुख्यालय और यह कहा गया था कि जिस तहसील में किसी भी प्रकार का कालेज नहीं है, वहां पर सरकार पी पी पी मोड पर कालेज खोलेगी। ऐसी हमारी 27 तहसीलें आइडेंटिफाइड थीं। 27 में से 9 प्राइवेट कालेज खुल गये हैं, 18 में आवेदन आ गये हैं, प्रक्रियाधीन है। नगरपालिका, नगरपालिका में खोलने के लिए सरकार ने कभी घोषणा नहीं की थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न । श्रीमती कमला कस्वां।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यह रिपोर्ट है, विधान सभा की रिपोर्ट है, जो असत्य रिपोर्ट दी गई है। (व्यवधान) यह विधान सभा की रिपोर्ट है। प्रतिवेदन पेश किया है, उसमें असत्य तथ्य हैं।

शीतलहर/पाले से हुई हानि के लिए प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता हेतु अनुशंसा

249. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कमला कस्वां)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की फसल पाला एवं शीतलहर से नष्ट हो जाती है, जिसमें कृषकों को काफी नुकसान हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि पाला व शीतलहर से नष्ट फसल को अधिकृत प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं करने के कारण पीड़ित किसानों को केन्द्रीय आपदा सहायता निधि से मुआवजा राशि नहीं मिल रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो कब, क्या और इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। पाला एवं शीतलहर से फसलों को समय-समय पर नुकसान होता है, जिससे कृषकों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

(2) जी हां। पाला व शीतलहर से फसल खराबे को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने से राज्य आपदा मोचन निधि से राहत नियमानुसार देय नहीं है। राज्य सरकार पाला एवं शीतलहर को NDRF/SDRF के तहत अधिसूचित आपदाओं की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है व वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) पाला एवं शीतलहर को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दिनांक 26.10.2007, 07.02.2008, 12.02.2008, 20.02.2008, 01.03.2008, 02.05.2008, 07.07.2009, 02.03.2011, 18.03.2011, 10.05.2011, 18.01.2012 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा पत्र दिनांक 31.01.2012 से राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि पाला एवं शीतलहर को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल कर प्रभावित काश्तकारों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। इस समूह द्वारा कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों एवं कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों के एक कार्यदल का गठन पाला एवं शीतलहर से होने वाली क्षति का आकलन करने व देय सहायता के नार्म्स का निर्धारण करने बाबत अपनी राय

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

से अवगत कराने के लिए किया गया है। विशेषज्ञ कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट से मंत्रियों के समूह को अवगत करा दिया गया है...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): गाथा सुनाकर समय...

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला):...तथा मंत्रियों के समूह द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के उपरान्त अधिसूचित आपदाओं में होने वाले संशोधन से राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2012 को पुन: प्राकृतिक आपदाओं की सूची में पाला एवं शीतलहर को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि खण्ड तीन में इन्होंने जवाब दिया है कि दिनांक 26.10.2007, 7.02.2008, दुबारा 12.02.2008, 20.02.2008, 01.03.2008, 02.05.2008, 07.07.2009, 02.03.2011, 18.03.2011, 10.05.2011, 18.01.2012 को समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा जो पत्र लिखे गये हैं, क्या इन पत्रों का केन्द्र सरकार से जवाब आ गया है और सरकार ने उसको प्राकृतिक आपदा मान लिया है?

दूसरा मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं, इसी खण्ड में आपने जवाब दिया है कि 31.01.2012 को गृह मंत्रीजी ने मंत्रीमण्डल का समूह बनाकर एक कार्यदल का गठन किया है जो इसके बारे में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा; उस मंत्रीमण्डल को उस कार्यदल की रिपोर्ट मिल गई है। उसके बाद राज्य सरकार को क्या मंत्रीमण्डल के द्वारा गठित किया गया दल, उसकी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है? वह क्या रिपोर्ट है, यह बताएं?

(: 12.00 बजे)

तीसरा मेरा प्रश्न है, साथ ही जवाब दे दें, 16.02.2012 को मुख्य मंत्रीजी ने जो पत्र लिखा, उसका क्या जवाब आया है? 'हां' या 'ना'। और अगर 'ना' है तो क्या मुख्य मंत्री महोदय अपने स्तर पर इस प्राकृतिक

(श्रीमती कमला कस्वां)

आपदा, जो कि शीतलहर, पूरा पश्चिमी राजस्थान जिससे प्रभावित होता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है और इस बार जिस तरह से किसान प्रभावित हुआ है, क्या उस किसान को राहत देने के लिये राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई प्रबन्ध करने की मंशा रखती है? कोई स्थाई समाधान की मंशा रखती है? यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से सभी पत्रों का जवाब आया है। माननीय सदस्या चाहें और आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें तो, वह बहुत लम्बा टाइम उसमें लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष: समय कम है, उनकी प्रति इनको भिजवा दीजिएगा। इनकी प्रति भिजवा दीजिएगा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप तो इतना ही बता दें, 'हां' या 'ना'। (व्यवधान) इन पत्रों के जवाब में 'हां' है या 'ना' है, इतना ही बता दें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आपको मैं उसकी प्रति भिजवा दूंगा। जो कार्य दल...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी यहां पूरी गाथा आराम से बांचो क्योंकि अगला नम्बर किसी का आना ही नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती आर.पी.एस.सी. के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। इसका मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। (व्यवधान) मैं इसमें आपके सामने मेरा इस्तीफा सौंपना चाहता हूं। मुझे नहीं रहना, साहब। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): जो कार्य दल बनाया गया है, उसने रिपोर्ट ग्रुप आफ मिनिस्टर्स को दे दी है। वह वहां पर विचाराधीन है, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप इस्तीफा दे देना। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले मुझे सुनें। सुनो मुझे, पहले। सुनने के बाद बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य: बैठो, बैठो, हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा अध्यक्ष महोदय, मैं, विधान सभा सदस्य, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आर.पी.एस.सी. से न कराने के विरोध में नैतिक मूल्यों के लिये मैं मेरा इस्तीफा सौंपता हूं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रयत्नशील है। महामहिम राष्ट्रपति... (व्यवधान) उठाया है और प्रधान मंत्रीजी से मुख्य मंत्रीजी व्यक्तिश: मिले हैं। (व्यवधान) भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि इस तरह की जो रिपोर्ट आई है, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स उस पर विचार कर रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स उस पर विचार करेगा...(व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप तो मुझे यह बता दीजिए कि 'हां' या 'ना' ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे बड़े खेद और दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राजस्थान प्रदेश में हाल ही में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर, जिसमें तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह की स्थिति मेरे क्षेत्र सूरजगढ़, बल्कि पूरे राजस्थान, शेखावाटी सम्भाग को नजरअंदाज करते हुए निर्णय लिया गया है, जिसमें मेरे द्वारा बार-बार निवेदन किया जा चुका है... (व्यवधान) उक्त भर्ती आर.पी.एस.सी. से या किसी अन्य माडल संस्था से प्रदेश भर में एक ही पैटर्न पर करवाई जाए ताकि राजस्थान के हरेक युवक को समान अवसर मिल सके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, कई विधायक इस मामले में इनके साथ हैं। यह बिलकुल सही मांग इन्होंने उठाई है। आर.पी.एस.सी. से परीक्षाएं करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, मैं मेरे विधायक के समर्थन में बोल रहा हूं, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: आप भी इस्तीफा दे रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप भी इस्तीफा दे रहे हैं?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं इनके समर्थन में, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं मेरे विधायक साथी के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं कहता हूं आप इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करें, इनकी मांग पूरी करवाएं। अध्यक्षजी, इनकी मांग पूरी करवाई जाए, आर.पी.एस.सी. से सभी भर्तियां करवाई जाएं। इस मामले में हम सब श्रवण कुमार जी के साथ हैं। हम सब श्रवण कुमार जी के साथ हैं इस मामले में।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है...

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसन पांवों पर है, तभी तो हम... (व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हरिकिशन मीणा, श्री, सदस्य

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरिकिशन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री हरिकिशन का जन्म 10 सितम्बर, 1920 को अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के अलई ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री हरिकिशन दूसरी, तीसरी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा के विधायक रहे। आप दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। आप दूसरी एवं तीसरी विधान सभा के लिए कांग्रेस तथा पांचवीं विधान सभा के लिए निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री हरिकिशन वर्ष 1942 में अलवर राज्य में मीणा सभा के महासचिव बने। आप वर्ष 1947 में नायब नाजिम पद पर नियुक्त हुए तथा बाद में वर्ष 1955 तक नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार सहित अन्य पदों पर भी अपनी सेवाएं दीं। आदिवासी समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक

(श्री अध्यक्ष)

विकास के लिए प्रयत्नशील रहे श्री हरिकिशन ने पिछड़े एवं दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री हरिकिशन का दिनांक 8 अप्रैल, 2012 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री हरिकिशन के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान कर तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन के माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि राजस्थान की ज्वलंतशील समस्या के बारे में...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग से कराने की मांग को लेकर हो रहे आन्दोलनों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से माचिया सफारी पार्क को बायोलाजिकल पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य बहुत ही मंथर गति से चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं कैलाश चन्द भंसाली को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

1. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर की तहसील लूणी के ग्राम बोरानाड़ा, हीरखेड़ा व सालावास स्थित निजी खातेदारी की 3151 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वासी भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के टेल के गांवों को पूरा पानी देने एवं हरियाणा के गांवों द्वारा की जा रही पानी की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में।

3. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में गेहूं की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के खरीद केन्द्र शुरू नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में महीनों-महीनों तक जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने, डिमांड नोटिस जारी होने एवं पैसे जमा करवाये जाने पर भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से वर्ष 2008 की भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 1,500 पटवारियों की प्रशिक्षण काल अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपयों की छात्रवृत्ति का अनियमित तरीके से भुगतान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि ये प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्या श्रीमती कमला कस्वां एवं श्री गुलाबचन्द कटारिया को उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से अजमेर में संचालित स्कूल आफ नर्सिंग जी.एन.एम. कोर्स को बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज में

(श्री अध्यक्ष)

क्रमोन्नत करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित राशि का समुचित उपयोग करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से रामगंजमण्डी, कोटा मण्डी यार्ड हेतु अधिग्रहित 20 बीघा 8 बिस्वा जमीन का कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्या की ओर से राज्य में पशुधन को संरक्षित करने के लिए पशुधन की चोरी और तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने के सम्बन्ध में।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में नियमों में आ रही बाधा के कारण लोगों के लाभ से वंचित रहने के सम्बन्ध में।

5. श्री नवलकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर के बामनवास से राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में।

6. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में फर्जी दस्तावेजों से पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपयों की छात्रवृत्ति का अनियमित तरीके से भुगतान करने के सम्बन्ध में।

7. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

8. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से जिला सीकर के थाना राणौली क्षेत्रान्तर्गत रैवासा के जैन मंदिरों से चोरी हुई तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की बरामदगी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से कस्बा मण्डावर को तहसील एवं कस्बा बैजूपाड़ा को उप-तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समितियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

11. श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा के ऐतिहासिक कंसुआ धाम का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

12. श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जनता जल योजनाओं के संधारण व संचालन का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: घनश्याम तिवाड़ी, उप नेता बोल रहे हैं। आपके पक्ष के उप नेता बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पाइंट आफ इंफार्मेशन केवल।

श्री अध्यक्ष: हां, बैठिये आप। माननीय उप नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान) मुझे पता है, बैठिये आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): फिर मैं कब दूंगा पाइंट आफ इंफार्मेशन, साहब? केवल एक इंफार्मेशन देनी है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इंफार्मेशन के लिए मैंने व्यवस्था दे दी है, बहुत पहले दी हुई व्यवस्था है, पहले स्लिप भेजिये जिससे पता लगे कि आप किस तरह का पाइंट आफ इंफार्मेशन दे रहे हैं। चाहे जो व्यक्ति खड़ा होकर पाइंट आफ इंफार्मेशन के नाम पर सदन का समय बरबाद नहीं करें।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई अधिकारी जा रहे हैं। देखिये, साहब, पीछे से अधिकारी जा रहे हैं। आपके खड़े होने पर भी कई अधिकारी निकल गये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये न, मुझे ध्यान में है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग से कराया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान में, पूरे राजस्थान में और विशेषकर जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं और आस-पास के सब जिलों में सारे बेरोजगार नौजवानों में एक बहुत बड़ी आंदोलन की आहट हो रही है, बेचैनी बढ़ी हुई है और सारे राजस्थान में विभिन्न संगठनों ने आंदोलन की रूप-रेखा घोषित की है।

(: 12.11 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यहां तक कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने विधान सभा से त्याग-पत्र देने तक की घोषणा की है। कई माननीय मंत्रियों ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक विचित्र स्थिति राजस्थान में पैदा हो गई। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1998 में एक बार हमने पंचायतों के माध्यम से भर्ती की थी। 1800 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले गये थे और 1998 से लेकर 2005-06 तक किसी भी प्रकार की भर्ती राजस्थान में नहीं हो पायी थी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, उस समय हमने इन सारी बातों को देखा, बातचीत की और बातचीत में तीन बड़े पाइंट ऐसे आ रहे थे जिनके कारण से भर्ती नहीं हो पा रही थी। पहला कारण था कि पैराटीचर्स का रिजर्वेशन कर दिया गया था। हमने पैराटीचर्स का अलग से प्रबोधक नाम देकर के पैराटीचर्स की समस्या का समाधान किया और पैराटीचर्स जो हाई कोर्ट में गये थे, उनसे स्टे वापस करवाया। शिक्षाकर्मियों ने कर रखी थी। शिक्षाकर्मियों का अलग से बोर्ड बनाया, लोक जुम्बिश का अलग से बोर्ड बनाया और बोर्ड बनाने के बाद में हमने सम्पूर्ण राजस्थान का एक ओ.बी.सी. का, शिड्यूल्ड कास्ट्स का, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का, सबका अलग-अलग बैकलाग निकाला और उस बैकलाग के हिसाब से राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमने परीक्षाएं करवाईं। उस परीक्षा का रिजल्ट आज यह है कि सरकार ने अपना जो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रगति प्रतिवेदन में सरकार ने कहा कि 2004-05 में, 2006-07 में और 2007-08 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां हुईं और एक लाख छह हजार बेरोजगार नौजवानों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक तरह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से भर्ती मिली। उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं है। कोई हाई कोर्ट में नहीं गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया और सबकी भर्ती हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भर्ती भी हमने लोक सेवा आयोग, जब आपके यहां पर थे, लोक सेवा आयोग को केवल चयन करने वाली बाडी बनाया। लोक सेवा आयोग पंचायतों का अधिकार लेकर नहीं गया। नियुक्ति देने वाला जिला परिषद का सी.ई.ओ. ही था। जिला परिषद के माध्यम से ही नियुक्ति थी। अब आज एक तर्क दिया जा रहा है कि जिला परिषद को मजबूत करने के लिए हम यह कर रहे हैं। अगर जिला परिषद को मजबूत करने के लिए ही करते तो सेकंड ग्रेड के लोगों की भर्ती भी हम जिला परिषदों के माध्यम से नहीं करके, हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कर रहे हैं।

यह जो पंचायतों के माध्यम से अपन ने किया है, इसमें दो बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो टैट आवश्यक कर दिया। छह लाख विद्यार्थी जो राजस्थान के हैं, वे अभी टैट की परीक्षा से वंचित हैं। दूसरी बात यह कि अगर पंचायतों के माध्यम से भर्ती होगी तो 37 लाख फार्म भरे गये हैं। आज भाग-दौड़ मची हुई है, वे यह सोच रहे हैं कि कौनसी जिला परिषद में मेरा मौका लगेगा, कहां पर मुझे भ्रष्टाचार की गुंजाइश मिलेगी, कहां पर मुझे भाई-भतीजावाद की गुंजाइश मिलेगी। राजस्थान के नौजवानों ने 37 लाख फार्म भरे हैं। यह एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई।

ये सारे मामले पहले सुप्रीम कोर्ट में गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि this is the way, it should be. उसके बाद भी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने सारे राज्यों को एक पत्र लिखा था; माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंहजी उस समय थे, उन्होंने कहा था कि सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की भर्ती होनी चाहिए।

आज दुर्भाग्य से राजस्थान में यह स्थिति बन गई कि न तो आज एक आदमी भर्ती किया गया और न भर्ती होने की गुंजाइश हो गई। सारे राजस्थान में अराजकता की स्थिति बन रही है। जगह-जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। जगह-जगह पर विधायकों का, मंत्रियों का घेराव करके उनके यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां तक कि हमारे विधायक और झुन्झुनूं जिले से आने वाले माननीय मंत्रियों ने लिखित में यह बात दी है सबको कि राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही परीक्षा होनी चाहिए। यहां पर हमारी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दशरथ सिंहजी। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सारे राजस्थान में छात्र आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं, अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और परीक्षा हो नहीं सकती। इसलिए हमको 1,500 करोड़ रुपये का, भारत सरकार का नुकसान हो रहा है। यह सारा का सारा पैसा हमको भारत सरकार से मिलने वाला था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सावचेत करना चाहता हूं कि अगर हमने इस प्रक्रिया को नहीं रोका और राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा नहीं करवाई तो जो बच्चे फार्म भरने जाएंगे, वहां पर आपस में ही लड़ाई होगी, वहां पर झगड़े होंगे। सारे राजस्थान में एक भी नियुक्ति नहीं होगी। लोग कोर्टों में जाएंगे, न्यायालयों में जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर जिले का बैकलाग अलग-अलग है। हमने सारे राजस्थान का करके एक बैकलाग कर दिया था। अब कई जिलों में ओ.बी.सी. की वैकेंसी नहीं निकल रही है, कई जिलों में शिड्यूल्ड कास्ट्स की नहीं निकल रही है, कई जिलों में शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नहीं निकल रही है, कई जिलों में सामान्य की नहीं निकल रही है और अभी ही नहीं, बीस-बीस साल तक नहीं निकलेगी। यह स्थिति अराजकता की स्थिति है।

इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था अभी बजट के समय कि हम विचार करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। अभी तक घोषणा नहीं हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि सारी की सारी परीक्षाएं जो जिला परिषद के माध्यम से होने वाली हैं, वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएं वरना जो यह असंतोष है, वह असंतोष सारे राजस्थान में फैलेगा। यह मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं और बैठ जाऊं। यह प्रश्न ऐसा है कि सरकार को इस पर कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं कहेगी तो यह सारे राजस्थान को आंदोलन की आग में झोंकने वाला एक आंदोलन बन जाएगा। लोग विधान सभा पर आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में सबकी बात सुनी जाए और बात सुनकर इस पर सरकार अपना मंतव्य प्रकट करे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सबको मौका दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पूछा जाए इसमें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। इस पर तो सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन चाहता है, इस पर जवाब दिलवाइये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रदेश में दो प्रायोरिटी नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। श्री कैलाश चन्द भंसाली। केवल श्री कैलाश चन्द भंसाली का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली। आप जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं या अपना वर्जन? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री कैलाश चन्दजी भंसाली का नोट हो। श्री कैलाश चन्दजी भंसाली।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। सरकार चाहे तो बोल सकती है उसको, जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चन्दजी भंसाली।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चन्दजी भंसाली। श्री कैलाश चन्दजी भंसाली।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) यह झालावाड़ का मसला नहीं है। (व्यवधान) आप कैलाश चन्द भंसाली को बोलने दो। (व्यवधान) आप कैलाश चन्द भंसाली जी को बोलने दो। आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) आपके मेम्बर बोल रहे हैं। (व्यवधान) आपके मेम्बर बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिये। देखिये, यह स्थगन प्रस्ताव आया है, कोई दूसरे प्रोसीजर में आयेगा, तब देखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं ... (व्यवधान) आपको एक निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तिवाड़ी साहब, आप अपनी बात कह चुके हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका नोट नहीं हो रहा है। श्री कैलाश चन्दजी भंसाली, आप बोलें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका नोट नहीं हो रहा है। केवल कैलाश चन्दजी भंसाली का होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) आप बैठिये। कैलाश चन्दजी भंसाली के अलावा किसी का नोट नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कैलाशजी, आप नहीं बोलना चाहते हो क्या? आप बोलिये ना। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर में माचिया सफारी पार्क के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) कैलाश चन्दजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) केवल कैलाश चन्दजी का ही नोट होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कैलाश चन्दजी का ही नोट हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य जो विभिन्न जिलों से आते हैं, जिस प्रकार से झुन्झुनूं, सीकर के लोगों ने बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जहाजपुर, जालोर जिलों की सेवा की है, वह चाहे शिक्षक के रूप में सेवा की है, चाहे नर्सिंग कर्मी के रूप में सेवा की है, हमारे जिले के लोगों ने ...(व्यवधान) कोई कहना नहीं चाहता वहां पर। आज इस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं, यह बड़ी शर्मनाक बात है। (व्यवधान) जिले के लोगों ने सेवा की है। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि आपस के अन्दर झगड़ा-फसाद नहीं हो, इसलिये जो भर्ती है, वह आर पी एस सी से होनी चाहिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन आपको चलाना है, कम्पेल करके एक पक्ष यह कहे कि यह होना चाहिये और एक पक्ष यह कहे कि नहीं होनी चाहिये...(व्यवधान) आप बात सुनिये। (व्यवधान) आप बात सुनिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिये। माननीय सिंह साहब, आप बात सुनिये। (व्यवधान) आप बात नहीं सुनना चाहते हो क्या? (व्यवधान) आप बात सुनिये। (व्यवधान) सदन को आर्डर में रखने की जिम्मेदारी आसन की नहीं, सबकी है। कृपया जब कैलाश चन्दजी भंसाली का नाम पुकार लिया तो केवल कैलाश चन्द भंसाली ही बात कहेंगे। कोई दूसरे प्रोसीजर से आयेगा, इस मामले में सदन चल रहा है, यह स्थगन प्रस्ताव था। सरकार की तरफ से जवाब नहीं आये, उसको कम्पेल नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप सुनिये बात को। (व्यवधान) आपकी सारी बात आ गयी, प्रेस में भी आयेगी। सरकार ने सुन ली है। अब कैलाश चन्दजी भंसाली बोलेंगे, आप सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सबको पता है। सब पता है कि शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, सबको पता है, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। आप सीनियर मेम्बर हैं। कैलाश चन्द भंसालीजी बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका नोट नहीं हो रहा है। श्री कैलाश चन्द भंसाली।

माचिया सफारी पार्क को बायोलोजिकल पार्क के रूप में विकसित करने की धीमी कार्य गति

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक वर्ष पूर्व जोधपुर में माचिया पार्क का उद्‌घाटन किया था, चार काबीना मंत्री वहां उपस्थित थे और सभी ने कहा था कि यह पार्क 2013 तक

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

पूरा हो जाएगा। पूरा एक वर्ष बीत गया है लेकिन प्लान भी अप्रूव नहीं हुआ है। वह प्लान एक दूसरे मंत्रियों के पास जा रहा है, भारत सरकार के पास जा रहा है। काम बिलकुल नहीं चल रहा है। केवल सड़कें बनायी गयी हैं लिंक रोड के हिसाब से। मेरा निवेदन है कि जोधपुर में जो भी योजना लागू की जाती है, उसका काम नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर जोधपुर में पिछले तीन सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जितनी भी घोषणाएं की गई थीं, उनमें से एक भी घोषणा कार्य रूप में परिणत नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि माचिया पार्क ही नहीं, जोधपुर के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की गई, चाहे बाईजी का तालाब हो, गुलाब सागर के सौन्दर्यीकरण की हो, फतेहसागर के सौन्दर्यीकरण की हो, ओवरब्रिज बनाने की हो, मुख्य सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए ओवरब्रिज बनाने की हो, इन सब योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ किया जाए, 2013 आने वाला है। मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग या सामाजिक न्याय विभाग, इसमें जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे एस टी हैं, एस सी हैं, ओ बी सी हैं, उन बच्चों को विशेष प्रकार की स्कालरशिप मिलती है। उस स्कालरशिप में अभी तो एक जिले का ही आंकड़ा बाहर आया है, उसमें सात करोड़ रुपये का गबन प्रमाणित हुआ है। जो बच्चे इसके लिए अधिकृत हैं, उन बच्चों के लिए भी उन्होंने कोई आय सीमा तय कर रखी है। इस आय सीमा से नीचे के होंगे, उन बच्चों को यह स्कालरशिप मिलेगी। राज्य के जितने भी बड़े-बड़े प्रभावशाली कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, विद्यालय के हैं, राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, इनके बच्चों ने इसका गलत उपयोग किया। जो उस स्कालरशिप की क्राइटेरिया में नहीं आते, उन्होंने स्कालरशिप उठा ली। स्कालरशिप खर्च कर दी। उसके कारण से, उसकी जांच होकर लगभग सात करोड़ रुपया केवल जयपुर जिले में निकला। अगर राजस्थान के सभी जिलों में इसका सर्वे करवाया जाए कि जिनको स्कालरशिप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिली है, वे उसके लिए अधिकृत हैं या नहीं हैं, वे इस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं सोचता हूं कि लगभग सौ करोड़ रुपये का पिछले चार-पांच सालों का घोटाला बाहर आयेगा। जांच होने के बाद यह प्रमाणित हो गया कि इस-इस संस्था में इस-इस प्रकार का काम हुआ है।

यह विषय मैंने इसलिए उठाया कि जांच में जब यह प्रमाणित हो गया कि वे विद्यालय कौन-कौन से थे, वे बालक कौन-कौन थे जिन्होंने गलत डाक्यूमेंट्स देकर स्कालरशिप उठा ली, दुर्भाग्य तो यह है कि एक बालक ने दो-दो संस्थाओं से स्कालरशिप उठा ली, आपको आश्चर्य होगा कि दो साल के कोर्स के लिए चार साल की स्कालरशिप उठा ली। यह सारा का सारा रिकार्ड पर प्रमाणित हो गया। यह आदेश था कि प्रत्येक संस्था के खिलाफ और उन बच्चों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार का धोखा देकर, यह जानते हुए, समझते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया, कि वे इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने स्कालरशिप उठायी। न तो उन बच्चों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई, न उन संस्थाओं के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। यह एक बड़ा ऐसा रैकेट है, यह रैकेट सरकारी और निजी स्कूल दोनों में है। इस प्रकार से उन बच्चों की स्कालरशिप उठाना और लाखों रुपया साल का खा जाना, यह सामान्यतः प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कुछ अध्यापकों ने अपना एक व्यवसाय बना लिया।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह तो सात करोड़ रुपये का केवल जयपुर जिले का गबन निकला है, राजस्थान के सभी जिलों में इसका टैस्ट करवाया जाए कि वास्तव में स्कालरशिप जिस बच्चे ने उठायी है, वह उस विद्यालय में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कई बच्चे तो ऐसे आये हैं कि विद्यालयों से स्कालरशिप उठा ली, उस बच्चे ने वहां अध्ययन ही नहीं किया। वहां के स्टाफ ने उठायी और उन्होंने रफा-दफा कर दी। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक प्रकरण सामने आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जिस गरीब की मदद होनी चाहिए और जिसके आधार पर उनकी एजुकेशन बढ़नी चाहिए, वह सामान्य गरीब व्यक्ति तो अपनी स्कालरशिप के लिए तड़पता रहता है, उसको समय पर स्कालरशिप मिलती नहीं है और विभाग यह कह देता है कि हमारे पास पैसा खतम हो गया, है ही नहीं। गलत लोग उसको उठा रहे हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण की जांच करवायें और जांच में कोई भी दोषी हो, चाहे मैं ही हूं, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, दुर्भाग्य तो यह है कि सचिवालय में बैठे हुए अधिकारियों ने अपने बच्चों के नाम से स्कालरशिप उठाकर इस राज को जिस प्रकार का नुकसान दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस सारे प्रकरण की जांच होकर जो इसके लिए हकदार है, उस बच्चे को स्कालरशिप मिले और जिन्होंने गलत स्कालरशिप उठायी, सिर्फ पैसा ही रिटर्न करना नहीं, उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाकर मुकदमा करिये, जेल भेजिए कि उन्होंने गलत डाक्यूमेंट्स देकर यह पैसा क्यों उठाया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बताओ तो सही मेरे काका।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप जवाब देना चाहते हैं?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने मुझे काका कहा है। मैं इनके बच्चे के बराबर हूं और मुझे काका बोल रहे हैं। यह शोभा नहीं देता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पंजाब में बच्चे को काका कहते हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): चलो, आज से मैं गुलाब चन्दजी कटारिया साहब का काका हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ बोलना चाहते हो, मंत्रीजी?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, हां।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति प्रकरण के बारे में जो माननीय कटारियाजी ने जिक्र किया, वर्ष 2004-05 से लेकर अब तक की विशेष आडिट हो रही है। अब तक ज्यादातर मामले जो सामने आये हैं, वे हैं, जिला करौली, जिला सवाई माधोपुर, जिला अलवर, जयपुर, भरतपुर, बारां। जयपुर जिले में पूरी छात्रवृत्ति का 25 प्रतिशत वितरण होता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां रहते हैं। इसलिए जयपुर जिले की विशेष आडिट चल रही है और अभी आडिट के मीमो जारी

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

हुए हैं। उनको अभी सत्यता के रूप में माना नहीं जाएगा। आडिट रिपोर्ट जब पूरी बनकर आयेगी, कार्यवाही करेंगे।

निश्चित तौर पर मामला गम्भीर है और अब तक करौली जिले में 33 मामले हमने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज करवाये हैं, सवाई माधोपुर जिले में 39 मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज करवाये हैं, अलवर जिले में चार प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं। जयपुर जिले में पुलिस थाना गांधीनगर में एफ आई आर दर्ज करवा दी है। एफ आई आर संस्था के विरुद्ध भी दर्ज करवायी है। चार संस्थाओं के विरुद्ध पहले करवायी थी, बाद में और संस्थाएं पकड़ में आयी हैं, उनकी भी हमने एफ आई आर दर्ज करवायी है। भरतपुर जिले में सरदार सिंह नर्सिंग कालेज में, मांगरौल में, सबलगढ़ में मुरैना बहादुरगढ़ का एक संस्थान है, वहां कई छात्रों के नाम से फर्जी छात्रवृत्ति उठायी गई है। उनके खिलाफ भी हमने मुकदमे दर्ज करवाये हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज नहीं करवाये। मैं बताना चाहता हूं कि उन छात्रों के खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज करवायी है, उनको ब्लैकलिस्टेड किया है। जिन संस्थाओं के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवायी गयी है उनको भी ब्लैकलिस्टेड किया गया है। अब मैंने स्पेशल आडिट के लिए सभी जिलों के लिए, मैंने निवेदन किया कि हम सभी जिलों में आडिट करवायेंगे। जो भी गलत छात्रवृत्ति उठाता है, वह कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

आने वाले समय में छात्रवृत्ति प्रणाली को सिस्टेमेटाइज किया जाएगा, आनलाइन किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं हो। छात्र का आवेदन पत्र आनलाइन स्वीकार किया जाएगा, उसी में उसको सलेक्ट करके उसको बैंक में आनलाइन पेमेंट करेंगे ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो। पिछले समय का 2004-05 से लेकर, आपके समय से लेकर अब तक का आडिट चल रहा है, उसकी विशेष जांच की जा रही है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर के टेल के गांवों को पूर्ण पानी की अप्राप्ति एवं हरियाणा में पानी की चोरी

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर

(श्रीमती कमला कस्वां)

दिलाना चाहती हूं। मेरी क्षेत्र की सिद्धमुख उप-तहसील के 14 गांव सिद्धमुख परियोजना से जुडे हुए हैं। उसमें पिछले दो साल से सिंचाई का पानी समय-समय पर छोड़ा जा रहा है। 2009-10 के बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी कि सिद्धमुख उप-तहसील के जितने भी गांव हैं, वहां पक्के नाले, खाले का निर्माण किया जाएगा। आज तीन वर्ष का समय बीतने पर भी वे बनाये नहीं गये जिसके कारण सिद्धमुख नहर को छोड़ने वाला 110 क्यसेक्स पानी, पूरा पानी नहीं मिल पाता, 80 क्यूसेक्स पानी मिलता है। उस पानी का उपयोग मेरे क्षेत्र के किसान नहीं कर पा रहे। वह सारा पानी हरियाणा के गांवों में, उस समय जब वह पानी छोड़ा जाता है, बड़ी-बड़ी पाइपलाइन डालकर के और ट्रैक्टर पर मोटर लगाकर के उन तीन-चार दिन जब पानी छोड़ते हैं, हरियाणा के गांव पानी चोरी कर लेते हैं। कोई पैट्रोलिंग नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हनुमानगढ़ कलक्टर साहब से मिल कर के आयी कि हमारे क्षेत्र का यह जो पानी चोरी का अभियान चल रहा है, इतने सालों से लोग चोरी कर रहे हैं, इसको रोकें। उन्होंने व्यवस्था दी कि आर.ए.सी. की व्यवस्था करेंगे, जब भी ऐसा कोई प्रकरण होगा तो विभाग आर.ए.सी. की सहायता लेगा। आर.ए.सी. वहां पड़ी है लेकिन विभाग उसका उपयोग नहीं कर रहा और वहां वह पानी यों का यों चोरी हो जाता है। मेरे क्षेत्र की जनता उस समय जब कि पानी देख रहे हैं नहर में, फिर भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। विभाग कहता है कि हमने एफ.आई.आर. दर्ज करायी, पिछले सालों के अन्दर 100 एफ.आई.आर. दर्ज करायी हैं। लेकिन एक भी एफ.आई.आर. के अन्दर कार्यवाही नहीं हुई, किसी दोषी को सज़ा नहीं हुई, किसी के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र का पानी, जो हमको मिलना चाहिए, वो खाळों के निर्माण के अभाव में, नहर की मरम्मत के अभाव में किसानों को नहीं मिल रहा। तो वह काम आप करवाएं। अतिशीघ्र यह नहरों का, जो पक्के नाले-खाळे हैं, उनका निर्माण हो और बजट का प्रावधान हो। सिद्धमुख नहर से जो राइजनिंग माइनर और सिद्धमुख माइनर है, उसको पूरा किया जाए और जहां-जहां से नहर टूट रही है, उसकी मरम्मत हो ताकि हरियाणा के गांव पानी चोरी नहीं कर सकें और पैट्रोलिंग की व्यवस्था हो। यही मेरा आपसे निवेदन है। यह बहुत बड़ी, गम्भीर समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। धन्यवाद।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती अनिता भदेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर में बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज हेतु आबंटित राशि का समुचित उपयोग

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए अजमेर में संचालित स्कूल आफ नर्सिंग जी.एन.एम. कोर्स को बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज में क्रमोन्नत करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित राशि का समुचित उपयोग करने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009-10 में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज, अजमेर के अन्तर्गत संचालित स्कूल आफ नर्सिंग को बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज में क्रमोन्नत करने हेतु 07 मई, 2010 को राशि 62.50 लाख रुपये एवं 14 सितम्बर, 2010 को राशि 40 लाख रुपये, कुल राशि एक करोड़ ढाई लाख रुपये आबंटित की गयी। इस हेतु नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निरीक्षण एवं एफिलिएशन फीस भी जमा करवायी जा चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज भवन निर्माण हेतु राजस्थान महिला चिकित्सालय, अजमेर में आबंटित तीन एकड़ जमीन को प्रयोग में लाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी होना शेष है। इस बाबत प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर द्वारा 28.08.2010 को प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा को पत्र भी लिखा गया है। लेकिन राजस्थान सरकार एवं मेडिकल कालेज, अजमेर के स्तर पर हो रही देरी के कारण अजमेर में बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो पूर्व निर्धारित समय सीमा में कैसे पूरा किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत बजट राशि के लैप्स होने की संभावना भी बनी हुई है, जो कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर के नर्सिंग छात्रों के लिए नुकसानदायक होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला शाखा, अजमेर द्वारा भी राज्य स्तर पर चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को सम्पर्क व पत्रों के माध्यम से बार-बार अवगत कराया गया है कि बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज भवन के निर्माण में आ रही बाधाओं का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करावें ताकि केन्द्र सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु दी गयी राशि का सदुपयोग हो सके।

अतः मेरा श्रीमान् स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह है कि बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज के भवन निर्माण में आ रही बाधाओं को अपने स्तर पर दूर कर शीघ्र भवन निर्माण का कार्य आरम्भ करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंजमण्डी, कोटा मण्डी यार्ड हेतु अधिग्रहीत जमीन का कब्जा नहीं दिया जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए रामगंजमण्डी, कोटा मण्डी यार्ड हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित 20 बीघा 8 बिस्वा जमीन का कब्जा दिलाने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी, कोटा मण्डी यार्ड विश्व की धनिया मण्डियों में प्रथम स्थान रखता है। यहां मार्च से जून माह तक प्रतिदिन 40 से 50 हजार बोरी धनिया बिकने आता है। अन्य जिन्सें सरसों, ज्वार, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना, उड़द, अश्वगन्धा इत्यादि प्रचुर मात्रा में बिकने हेतु आता है। वर्तमान में किसानों द्वारा प्रतिदिन 25 हजार बोरी धनिया मण्डी परिसर में बिक्री हेतु लाने के कारण 500 से 700 ट्रैक्टर, मिनी मेटाडोर व ट्रकों के मण्डी यार्ड से बाहर लगभग सात किलोमीटर दूर सुकेत तक लम्बी कतारों में खड़े रहने की वजह से 48 से 78 घंटे तक किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है जिससे किसान भूख-प्यास-निन्द्रा व अनावश्यक पड़ने वाले किराये के बोझ से काफी परेशान हैं। उक्त परेशानी से किसान अपनी जिन्सें मध्य प्रदेश, जो कि रामगंजमण्डी, कोटा से सटा हुआ है, ले जाने को मजबूर होता है। इससे राज्य सरकार को टैक्स का काफी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। यहां के व्यापारियों

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एवं मजदूरों को भी रोजगार का नुकसान होने के कारण राज्य सरकार ने मण्डी परिसर को बड़ा करने हेतु दिनांक 23.02.2008 को अवार्ड जारी कर रकबा बीस बीघा आठ बिस्वा जमीन स्थानीय किसान खातेदारों से अधिग्रहित कर मण्डी समिति, रामगंजमण्डी, कोटा से 66,23,525 रुपये चैक के जरिए दिनांक 16.03.2009 को भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा को दे दिये हैं लेकिन एक वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उपखण्ड अधिकारी उक्त भूमि को कब्जा मण्डी समिति को नहीं दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे, मण्डी समिति व ग्रेन्स एंड सीड्स मर्चेंटस एसोसिएशन द्वारा अनेक बार जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा को ज्ञापनों, व्यक्तिगत मिलकर व दूरभाष के माध्यम से अनेकों बार कहने के उपरान्त भी अधिकारी कब्जा नहीं दे रहे हैं जिससे जमीन के खातेदार प्रशासन के सहयोग से एक वर्ष से उक्त जमीन पर स्थगन लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इन्हें कहीं से भी स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है। इस पूर्ण प्रकरण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त अधिग्रहित भूमि का कब्जा मण्डी समिति रामगंजमण्डी, कोटा को दिलाने का श्रम करें व इस मामले को गम्भीरता से लेकर स्थगन नहीं होने के उपरान्त भी कब्जा नहीं देने की जांच करवा कर उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

पशुधन का संरक्षण और तस्करी पर प्रभावी रोक

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु-सम्पदा की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। कृषि के समान ही पशुपालन भी यहां का प्रमुख व्यवसाय रहा है। यहां गौवंश की विभिन्न मूल प्रजातियां विद्यमान हैं। रेगिस्तानी जहाज ऊंट का तो यह घर है। भारत में पाये जाने वाले ऊंटों की संख्या का 70 प्रतिशत भाग राजस्थान में है। देश की पशुधन सम्पदा का लगभग 35 प्रतिशत भाग राजस्थान में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

जम्मू-कश्मीर की तरह राजस्थान में भी गायों के वध पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा पशुधन सुरक्षित और संरक्षित नहीं है। आये दिन हमारे गौवंश की तस्करी और पलायन के समाचार देखने और पढ़ने में आते हैं। 16 जनवरी, 2012 को गोपालगढ़ (भरतपुर) में तस्करों का पीछा कर 17 गौवंश बरामद किया गया। 30 नवम्बर, 2011 को अलवर में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ के बाद चार गायों एवं एक बछिया को बरामद किया गया। 29 अक्टूबर, 2011 को पुलिस ने चिड़ावा कस्बे से 20 बछड़ों से भरे ट्रक को पकड़ा। 15 मार्च, 2011 को जयपुर से उत्तर प्रदेश की ओर वध के लिए ले जाये जा रहे 79 बछड़ों से भरे दो ट्रकों को भरतपुर में पकड़कर बछड़ों को मुक्त कराया गया। 5 फरवरी, 2011 को खेतड़ी में गायों से भरे ट्रक को ग्रामीणों के सहयोग से जब्त किया गया। इसी दिन डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबन्दी कर 50 गायों से भरे ट्रक को पकड़ा। 19 जनवरी, 2011 को ब्यावर में 63 बछड़ों से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया जो कत्लखाने ले जाए जा रहे थे। 5 जनवरी, 2011 को पिड़ावा पुलिस ने एक ट्रक में ठसाठस भरे हुए गौवंश को पकड़ा, जिसे मध्य प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गायों की तरह राजस्थान में ऊंटों पर भी संकट छाया हुआ है। पिछले एक दशक में इनकी संख्या में चिन्ताजनक गिरावट आयी है। ताजा जनगणना में ऊंटों की संख्या में 13.57 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी है। इस विकट स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, ऊंटों की तस्करी और पशु चिकित्सा का अभाव। हैदराबाद में ऊंट के मांस की खरीद-फरोख्त के चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। रमजान और बकरीद के त्योहारी सीजन में ऊंट के मांस की पूर्ति के लिए राजस्थान और गुजरात से तस्करी के जरिए ऊंटों को हैदराबाद ले जाया जाता है। हर साल करीब 2000 ऊंट ले जाये जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पशुधन की तस्करी से गौवंश का अस्तित्व खतरे में है। मेरी सरकार से यह मांग है कि प्रदेश के पशुधन को संरक्षित करने के लिए समुचित उपाय करे। प्रदेश में पशुधन की चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं जो चिन्ता का विषय है। पशुधन की चोरी और तस्करी पर कड़ाई से रोक लगायी जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष:: माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई के कारण लाभ से वंचना

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में नियमों में आ रही बाधा के कारण कई लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, अतः कई वर्गों हेतु नई योजना बना उनको राहत दी जाए।

1. विकलांग पेंशन हेतु शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के शीर्ष अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार तथा तहसीलदार के आय प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार की वार्षिक आय, शहरी क्षेत्र में 16 हजार रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 14 हजार रुपये आय वाले विकलांग ही पेंशन की पात्रता रखते हैं। यह आय सीमा बहुत ही कम है। इसे बढ़ाएं एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुशंसा की आवश्यकता को समाप्त करें। किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण पत्र को भी माना जाए।

2. आस्था कार्ड धारी परिवार को आस्था कार्ड के पीछे अंकित सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को जारी करें।

3. प्रदेश के गाड़िया लुहारों के परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें निःशुल्क भूखण्ड, मकान निर्माण हेतु अनुदान एवं रोजगार हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाए।

4. नवजीवन योजना में कुछ नई जातियों को जोड़ने से बढ़े परिवारों के अनुपात में अधिक बजट प्रावधान रखा जाय। पूर्व में इस योजना में आबकारी की आय का 1.1 प्रतिशत हिस्सा इस योजना हेतु दिया जाता था। अन्य जातियों को जोड़े जाने के कारण इन परिवारों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। अतः बजट प्रावधान आबकारी की आय का कम से कम पांच प्रतिशत किया जाय।

5. सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति बावरी, जो कि अंग्रेजी बबूल की अवैध कटाई कर उनसे कोयला बना अपना रोजगार पैदा करती है एवं देह व्यापार के जरिये अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली जाति साठिया हेतु विशेष योजना लागू कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में समकक्ष खड़ा किया जाय।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

6. दुर्घटना में मृतक के पोस्टमार्टम की आवश्यकता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है परन्तु मृतक के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत करने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता बताई जाती है। बिना पोस्टमार्टम के सहायता राशि नहीं दी जाती। दुर्घटना में मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना होने पर भी सहायता राशि दी जाय।

7. दो वर्ष पूर्व दुर्घटना में मृतक के परिजनों को दस हजार रुपये सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दिया गया परन्तु अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर तोषण निधि से पहले भी पच्चीस हजार रुपये दिये जाते थे, अब भी उतने ही दिये जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया जाए।

8. आगजनी से हुए नुकसान में नाम मात्र की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। नुकसान के अनुपात में निश्चित प्रतिशत राशि निर्धारित कर सहायता दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवलकिशोर मीणा।

बामनवास क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम की बसों का अभाव

श्री नवल किशोर (बामनवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास अन्तर्गत ग्राम बामनवास राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा उपखण्ड होगा जहां एस डी एम तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय होते हुए भी वहां पर राजस्थान परिवहन निगम की कोई बस नहीं चल रही है। मेरा पूरा क्षेत्र ग्रामीण, किसान व गरीबों का है। कालेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए गंगापुर-करौली जाने वाली परिवहन निगम की बसों में पांच-सात किलोमीटर दूर पैदल जाकर बैठना पड़ता है, जबकि सरकार की यह मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में रोडवेज की बस चलाई जाएगी। मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत की बात तो दूर, उपखण्ड मुख्यालय, तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय होने के बावजूद न तो जिला सवाई माधोपुर से बामनवास और न ही जयपुर से बामनवास के लिए रोडवेज की कोई बस चलती है। पिछले सत्र में जब सरकार से प्रश्न लगाकर पूछा गया तो राजस्व आय नहीं मिलना कारण बताया गया। जबकि कई शहरों में खाली बसें चलती रहती हैं, कोई आय भी नहीं दे रही हैं, फिर भी चल रही हैं।

(श्री नवल किशोर)

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब लोगों व किसानों के हित एवं विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय बामनवास में राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलवाई जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री बंशीधरजी खण्डेला।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण में अनियमितताएं

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति उठाने वालों के प्रति सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में मैं एक अत्यन्त ही गम्भीर मुद्दे की ओर राज्य सरकार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की विशेष आडिट रिपोर्ट के विभिन्न पैराज में जिला सवाई माधोपुर एवं करौली में तथा महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट में जिला अलवर में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण में अनेक प्रकार की अनियमितताएं पाई जाने के बावजूद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करना सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। जबकि फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिना मान्यता के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने, दोहरा भुगतान किये जाने, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने जैसी गम्भीर अनियमितताएं विभागीय अधिकारियों द्वारा छात्रों के साथ मिलीभगत कर जान-बूझकर की गई हैं। कुछ प्रकरणों में अनियमित दी गई छात्रवृत्ति की राशि वापस राजकोष में जमा भी करवाई गई है। अनियमित उठाई गई छात्रवृत्ति के मामलों में विद्यार्थियों के विरुद्ध पुलिस में एफ आई आर दर्ज नहीं कराई गई बल्कि जिन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उन शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध एवं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज हुए हैं। विभाग एवं राज्य सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह से कोताही बरत रहे हैं।

दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जब तक निलम्बन जैसी

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी, तब तक इस प्रकार के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण विभाग में नहीं रुक सकेंगे। एक पारदर्शी, संवेदनशील एवं लोक कल्याणकारी सरकार के लिए यह निहायत ही आवश्यक है कि वह अपने अधिकारियों, कर्मचारियों पर लगाम कसने के साथ ही अनियमित रूप से भुगतान उठाने वाले व्यक्तियों को कठोर सज़ा दे एवं जेल के सींखचों में डाले ताकि भविष्य में इस प्रकार की गफलत करने का कोई दुस्साहस न कर सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम जी बिरला।

कोटा शहर में हवाई सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता के संदर्भ में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले की वर्तमान जनसंख्या 19 लाख है और लगभग 12,000 लघु, मध्यम व वृहद उद्योग कोटा में संचालित हैं, फिर भी कोटा में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। कोटा में सन 1995 की अवधि में हवाई सेवा उपलब्ध थी। कोटा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 530 एकड़ है तथा इसका रनवे 4081 फीट लम्बा है जो कि 40 से 45 सीटर क्षमता के विमान उतारे जाने के लिए उपयुक्त है।

मंत्रीजी, सुन जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समाप्त हो गया हो तो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोटा औद्योगिक व शैक्षणिक नगरी के रूप में पूरे देश में पहचान रखता है। कोटा शहर में सम्पूर्ण देश से एक लाख से अधिक छात्र विभिन्न कोचिंग्स में प्रति वर्ष अध्ययन करने आते हैं। कोटा के पास ही रावतभाटा अणु शक्ति परियोजना, कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना और एन टी पी सी गैस पावर परियोजना स्थापित हैं।

(: 13.00 बजे)

कोटा में सीमेंट, स्टोन, एग्रो, चिकित्सा, ऊर्जा व शिक्षा से जुडे व्यक्तियों व व्यवसायियों को कोटा आने के लिये वाया जयपुर अथवा उदयपुर तक की अनावश्यक हवाई यात्रा करनी होती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोटा के विकास में मील का पत्थर मानी जा रही आई आई टी को भी एयर

(श्री ओम बिरला)

कनेक्टिविटी नहीं होने के बहाने से छीन लिया गया। हवाई सेवा के अभाव में कई राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की फैकल्टी नहीं आ पाती हैं, तो कई औद्योगिक सेमिनार भी नहीं हो पाते हैं जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोटा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यहां वर्षों से सिर्फ वी आई पी और चार्टर विमानों की लैंडिंग तो हो ही रही है, अतः नियमित उड़ान भी शुरू की जा सकती है। कोटा में राज्य की पहली वर्ल्ड क्लास ट्रिपल आई टी संस्थान खोलने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ऐसे में देश के बड़े औद्योगिक घराने व आई टी कंसलटेंसी कम्पनियों के यहां आने की सम्भावनाएं हैं। इसी प्रकार मुकंदरा हिल्स, चम्बल में एडवेंचर स्पोर्ट्स की विपुल सम्भावनाओं व फिल्मों के लिये अच्छे लोकेशन से पर्यटन की विपुल सम्भावना है। हवाई सेवा से जुड़ने पर हाड़ौती में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। इंडियन एयरलाइंस व एयरपोर्ट आथोरिटी की टीम के सर्वे के मुताबिक भी कोटा से ट्रैफिक मिलने की सकारात्मक रिपोर्ट है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप माननीय केन्द्रीय उड्डयन मंत्री से मिलकर कोटा में बेहतर व नियमित हवाई सेवा शुरू कराने के प्रयास करें। मध्य प्रदेश की तर्ज पर निजी विमान सेवा प्रदाता कम्पनियों ने राज्य सरकार को कोटा में हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मेरा आग्रह है कि उक्त द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकार सीटों की गारंटी एवं फ्यूल (ईंधन) पर वैट में छूट देकर कोटा में हवाई सेवा का मार्ग प्रशस्त करें जिससे कोटा में हवाई सेवा शुरू हो और शहर के विकास को गति मिल सके।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटा शहर में हवाई सेवाओं को शुरू कराने के लिये राज्य सरकार के स्तर पर अविलम्ब कदम उठाये जावें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। यह वैसे भी बहुत ज्यादा है आपका।

श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

रैवासा के जैन मंदिरों से चोरी गयीं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से जिला सीकर के पुलिस थाना राणौली अन्तर्गत ग्राम रैवासा के जैन मंदिरों से चोरी गयीं तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की बरामदगी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान जिला सीकर में निरन्तर बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर कड़ाई से रोक लगाने हेतु पुख्ता उपाय किये जाएं।

मैं मेरे इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि पुलिस थाना राणौली के तहत ग्राम रैवासा स्थित श्री दिगम्बर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र शेखावाटी के जैन समाज का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र है। रैवासा ग्राम के बीचों-बीच स्थित इस मंदिर में 22 दिसम्बर, 2011 की रात्रि में चोरों ने धावा बोलकर मंदिर में विराजमान 8 धातु की मूर्तियों सहित छत्र एवं सिंहासन आदि उड़ा लिए। सुबह घटना का पता लगते ही पूरे सीकर जिले के दिगम्बर जैन समाज में रोष उत्पन्न हो गया। उनकी धार्मिक आस्थाओं पर लगी इस चोट की रिपोर्ट 23 दिसम्बर, 2011 को पुलिस थाना राणौली में दर्ज हुई। पुलिस थाना इन्चार्ज सहित एस पी, सीकर भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय विधायक ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। एक सप्ताह तक चोरों की गिरफ्तारी व प्रतिमाओं की बरामदगी नहीं होने से व्यथित सम्पूर्ण सीकर जिले के दिगम्बर जैन समाज ने सीकर शहर में एक विशाल मौन जुलूस निकालकर जिला कलक्टर एवं एस पी को ज्ञापन सौंप कर उनकी आस्था की प्रतीक तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बरामद करने की मांग की। परन्तु मुझे खेद के साथ यहां इस पवित्र सदन में कहना पड़ रहा है कि आज तक उनकी बरामदगी एवं चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उलटे इस दुखद घटना के बाद इसी ग्राम रैवासा में जीण माता रोड पर स्थित श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन नसियां जी में चोरों ने फिर अपनी करतूत को अंजाम देते हुए वहां रखी दान पेटी में रखी राशि एवं चांदी का एक छत्र पार कर लिया।

एक के बाद एक हुई चोरी की घटनाओं से स्थानीय ग्रामवासियों सहित सम्पूर्ण सीकर जिले के आम नागरिकों में पुलिस के प्रति भारी रोष व्याप्त है। इन जैन मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं के अतिरिक्त भी पिछले छह माह से जिला सीकर में मंदिरों एवं घरों में चोरी की घटनाएं निरन्तर कहीं न कहीं हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं कोताही बरती जा रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ऐसी परिस्थितियों में शेखावाटी के सम्पूर्ण जैन समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। उनकी धार्मिक आस्थाओं की प्रतीक जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां वापस बरामद न होने एवं चोरों की गिरफ्तारी न होने की सूरत में कोई बड़ा आंदोलन भी हो सकता है।

अतः मेरी प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं गृह मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि एक विशेष उच्च स्तरीय एक्सपर्ट टीम गठित कर अतिशीघ्र चोरी गई प्रतिमाओं को बरामद कर जैन समाज, सीकर को लौटाया जाए एवं चोरों को गिरफ्तार किया जाए एवं साथ ही जिला सीकर में निरन्तर बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर श्री अंकुश लगाने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती गोलमा जी।

श्रीमती गोलमा (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहली बार बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं बोलना चाहती हूं आपको कि मेरे पति को दोषी बताया है यह धौलपुर वाले एम एल ए साहब ने। तो मेरे पति दोषी नहीं हैं। सूरवाल काण्ड में बताया है, दोषी बताया है। मेरे पति दोषी नहीं हैं। दोषी हुए तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गोलमा जी आपको...(व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (महुवा): कर दूंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको 295 पढ़ने का दिया है।...(व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (महुवा): और सुनो।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: 295 पढ़ने का दिया है।...(व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (महुवा): दोषी तो अफसर और वह वसुन्धरा जी हैं दोषी तो। (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ फंसा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

श्रीमती गोलमा (महुवा): मेरे पति दोषी नहीं हैं। मेरे पति तो उस वक्त दिल्ली में थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(माननीय सदस्या, श्रीमती गोलमा की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्रीमती गोलमा (महुवा): मेरे पति दोषी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री ज्ञानदेव आहूजा..(व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (महुवा): मेरे पति दिल्ली में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

रामगढ़ की ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या का निदान

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर की सभी ग्राम पंचायतों में जल सुविधाओं का अभाव है। जनता एवं क्षेत्र के आधारभूत विकास में जल-प्रदाय कार्यों का विशेष योगदान है। जब क्षेत्र में जनता को पीने के लिए ही जल नहीं मिलेगा तो क्षेत्र का विकास तो दूर की कौड़ी साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी मिशन के द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की 52 ग्राम पंचायतों के 20 प्रतिशत ग्रामों में जलप्रदाय कार्य किये जा रहे हैं लेकिन केवल 20 प्रतिशत ग्रामों में ही जल सुविधाओं से क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबू सिंहजी, कृपा कर के बोलने दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): राजीव गांधी वाटर मिशन के द्वारा किये जा रहे जलप्रदाय कार्यों की गति बेहद सुस्त है। निकट भविष्य में क्षेत्र की जल समस्या का निराकरण इस योजना से सम्भव प्रतीत नहीं होता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत एवं समस्या को देखते हुए एवं इससे आमजन को होने वाली परेशानी एवं सरकार के प्रति असंतुष्टी को देखते हुए मैं सदन में आसन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की निम्न ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु बजट सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें।

ये ग्राम पंचायतें निम्न हैं:-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति	क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति
1	2	3	4	5	6
1	अलावडा	रामगढ़	27	बीजवा	रामगढ़
2	उटवाल	रामगढ़	28	चौमा	रामगढ़

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

1	2	3	4	5	6
3	खुटेंटाकलां	रामगढ़	29	मिलकपुर	रामगढ़
4	खेड़ी	रामगढ़	30	मुबारिकपुर	रामगढ़
5	पिपरोली	रामगढ़	31	रामगढ़	रामगढ़
6	खिलौरा	रामगढ़	32	रसगण	रामगढ़
7	दौहली	रामगढ़	33	घाट	लक्ष्मणगढ़
8	खौह	रामगढ़	34	दीनार	लक्ष्मणगढ़
9	चिड़वा	रामगढ़	35	बूटोली	लक्ष्मणगढ़
10	चौरोटी पहाड़	रामगढ़	36	गण्डूरा	लक्ष्मणगढ़
11	जातपुर	रामगढ़	37	चिडवाई	लक्ष्मणगढ़
12	डाबरी	रामगढ़	38	इन्दपुर	लक्ष्मणगढ़
13	नंगलीमेघा	रामगढ़	39	मालपुर	लक्ष्मणगढ़
14	नीकच	रामगढ़	40	नसवारी	लक्ष्मणगढ़
15	धनेटागढ़ी	रामगढ़	41	निजामनगर	लक्ष्मणगढ़
16	रघुनाथगढ	रामगढ़	42	फाहरी	लक्ष्मणगढ़
17	साहडोली	रामगढ़	43	खेड़ामहमूद	लक्ष्मणगढ़
18	सैंथली	रामगढ़	44	रामबास	लक्ष्मणगढ़
19	हाजीपुर	रामगढ़	45	भैसडावत	लक्ष्मणगढ़
20	नौगांवा	रामगढ़	46	सैमलाखुर्द	लक्ष्मणगढ़
21	पाटा	रामगढ़	47	दौंगडी	लक्ष्मणगढ़
22	बहाला	रामगढ़	48	सैदमपुर	लक्ष्मणगढ़
23	केसरोली	रामगढ़	49	न्याणा	लक्ष्मणगढ़
24	बाम्बोली	रामगढ़	50	गोविन्दगढ	लक्ष्मणगढ़
25	बगड़राजपूत	रामगढ़	51	बड़ौदामेव	लक्ष्मणगढ़
26	नंगलाबंजीरका	रामगढ़	52	बूटियाना	लक्ष्मणगढ़

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानदेव जी, आपके विधान सभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 52 हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सारी लिख दीं आपने तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 52 में से बीस प्रतिशत में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, ठीक। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पढ़ा हुआ कैसे माना जाए?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप पढ़िये। बीच में डिस्टर्ब नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 295 है, पढ़ूंगा।

अतः सरकार से पुनः निवेदन है कि उपरोक्त ग्राम पंचायतों में पेयजल की भारी समस्या को दूर करने हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत कर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त किये जाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भवानी सिंहजी राजावत (लाडपुरा)

कोटा के ऐतिहासिक कंसुआ धाम का जीर्णोद्धार

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा के ऐतिहासिक कंसुआ धाम के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। कोटा में हजारों वर्ष पहले महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो कालांतर में शिव मंदिर, कंसुआ धाम हो गया। वर्तमान में यह पुरामहत्व का ऐतिहासिक स्थल हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान के लाखों लोगों की धार्मिक आस्था का केन्द्र है, जहां दूर-दूर से दर्शनार्थी प्रति दिन आते हैं। महर्षि कण्व का यह वही स्थान है जहां उनके आश्रम में राजा दुष्यन्त की पत्नी शकुंतला रही थीं और उसने शेरों के साथ खेलने वाले पराक्रमी पुत्र भरत को जन्म दिया था, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा।

इस कंसुआ धाम मंदिर में हजारों वर्ष पुराना एक गुप्त शिवलिंग है जिसकी महर्षि कण्व पूजा किया करते थे। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आता है और हाल ही में पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर पर ताला लगाकर श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी। इसलिए कोटा की जनता ने धार्मिक भावनाओं पर हुए इस कुठाराघात के खिलाफ बड़ा जनांदोलन किया और प्रशासन व जन-प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद बड़ी मुश्किल से इस मंदिर को जनता के दर्शनार्थ खोला गया।

यह देश की अद्‌भुत विरासत है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में

(श्री भवानी सिंह राजावत)

होने के बावजूद जर्जर अवस्था में पहुंचकर उपेक्षा का दंश झेल रही है और मरम्मत के अभाव में धीरे-धीरे जीर्ण-शीर्ण होती जा रही है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि इस अनमोल विरासत को बचाये रखने के लिए वह भारतीय पुरातत्व विभाग से वार्ता कर जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य करवायें ताकि यह प्राचीन धरोहर व धार्मिक आस्था का केन्द्र खंडहर में तब्दील होने से बच सके और आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर गौरवान्वित महसूस कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंहजी राठौड़।

जनता जल योजनाओं के संधारण व संचालन का भुगतान

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये विभागीय बजट मद 2215 के अन्तर्गत जलदाय विभाग की जनता जल योजना के विद्युत बिल एवं संचालन की मानदेय राशि का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किये जाने के आदेश जारी किये गये। राज्य सरकार के उक्त निर्णयानुसार मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक मु.अ.(ग्रा.)एफ-21(ग्रा-2)/लेखा/बजट/2011-12/6823-7022 दिनांक 03 जून, 2011 के द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों को पत्र जारी किया गया, जिसमें समस्त जनता जल योजनाओं का इस वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.04.2011) से जलदाय विभाग द्वारा विद्युत मद में एवं संचालन की राशि, मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना है व पंचायती राज विभाग द्वारा ही भुगतान किया जायेगा।

राज्य एवं जोधपुर जिले में लम्बे समय से जनता जल योजनाएं पंचायतों/संस्थाओं/ट्रस्ट/स्थानीय ग्रामीण समितियों द्वारा संचालित व संधारित की जा रही हैं, जिसमें विद्युत बिलों का भुगतान जलदाय विभाग द्वारा सीधा किया जा रहा था। संचालन हेतु पम्प आपरेटर का मानदेय भुगतान 500 रुपये जलदाय विभाग व 500 रुपये पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा था। साथ ही पम्प मरम्मत हेतु प्रति हार्स पावर 400 रुपये के हिसाब से जलदाय विभाग जनता जल योजना में भुगतान करता आया है। परन्तु राज्य सरकार के उक्त निर्णयानुसार चालू वित्त वर्ष में बजट वित्त विभाग द्वारा अब तक

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

पंचायती राज विभाग को जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण संचालक के मानदेय, संधारण एवं विद्युत बिलों का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है। दूसरी ओर जनता जल योजना पूर्ण रूप से पंचायती राज को देने के पश्चात् स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट/स्थानीय ग्रामीण समितियों द्वारा संचालित होने वाली जनता जल योजना पर संकट खड़ा हो जायेगा, जिसके लिये उक्त आदेश में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जोधपुर डिस्काम द्वारा विद्युत (पावर) कनेक्शन काटने प्रारम्भ कर दिये हैं तथा अधिकतर योजनाओं के विद्युत कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जिससे कई गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। पेयजल वितरण तो मानव अधिकार व जन हित का कार्य है, दूसरी ओर जोधपुर डिस्काम द्वारा लगातार विद्युत कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही से आम जन आक्रोषित है, जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है।

दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को जिला परिषद, जोधपुर की बैठक में उक्त प्रकरण मेरे द्वारा उठाया था, जिसका जिला परिषद, जोधपुर के सभी सदस्यों ने समर्थन करते हुए शीघ्र भुगतान करने का प्रस्ताव लेते हुए जिला कलक्टर, जोधपुर के माध्यम से सरकार को अवगत करवाने का निर्णय भी लिया गया है।

वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई को मध्यनजर रखते हुए संचालन का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये करने व संधारण, मरम्मत प्रति हार्स पावर 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने एवं पूर्वानुसार जलदाय विभाग से ही विद्युत बिल का भुगतान करवाने व संचालन, संधारण पंचायतों/ संस्थाओं/ट्रस्ट/स्थानीय ग्रामीण समितियों द्वारा किये जा रहे निर्णय को यथावत रखवाने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंह जी, विराजें।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इंफोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका इसके बाद, पर्ची के बाद आयेगा। सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना रखा है, उसके बाद आयेगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

धौलपुर में रोजगार के अवसरों का अभाव

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला राजनीति का शिकार बहुत समय से रहा है। वहां बेरोजगारी, बेकारी...(व्यवधान) मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, कृपया मुझे बोलने की इजाजत दें। धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है और वहां बेरोजगारी और बेकारी आजादी के बाद से आज तक बदस्तूर बनी हुई है। यह बेरोजगारी और बेकारी धौलपुर के राजनीतिक शिकार होने की वजह से है, राजनीतिक उपेक्षा की वजह से है। आज कहने को तो धौलपुर में थर्मल पावर प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन वहां टेक्निकल जो स्टाफ लगाया गया है और जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें बेरोजगार युवकों को काम देने के लिए कोई स्थान नहीं है। धौलपुर में राजस्थान एक्सप्लोसिव फैक्टरी भी है और वह भी बंद हो गयी। वहां लगभग डेढ़ हजार मजदूर काम करते हैं। कितने समय से उनको सैलेरी, तनख्वाह भी नहीं मिली है, काम बंद है।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में कहने को तो रीको में 200 यूनिट्स लगी हुई हैं लेकिन सारी की सारी यूनिट्स बंद पड़ी हैं। इस विधान सभा के अन्दर भी मैंने माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित किया था और उन्होंने अपने जवाब में यह स्वीकार किया था। अभी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, पिछड़े क्षेत्रों को इंसेंटिव देने की बात है, लेकिन आज भी रीको के अन्दर 200 यूनिट्स में से मात्र 50 यूनिट चल रही हैं, 150 यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में गुर्जर समाज रेता का कार्य करता था। उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उसके ऊपर कोर्ट का प्रतिबंध लग गया और उसकी अपील सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं की। आज जब बनास नदी की बात आती है, रेता की बात आती है तो स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन धौलपुर में एक तरफ तो आप विकास की बात करते हैं और वहां रेता उपलब्ध नहीं है, ब्लैक में बिक रहा है। यह बात आयी कि मध्य प्रदेश में माफिया सक्रिय है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिले के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

आज भी वहां पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उन विकास के कार्यों में रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज अल्पसंख्यक समाज के लोग, गरीब समाज के लोग वहां पर हैं लेकिन नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वहां क्राइम, जुर्म होते हैं, वहां डकैत बनते हैं, काम खराब होते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं... मौका दीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही हम राजनीति के शिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने काफी टाइम ले लिया, इसलिए अर्ज कर रहा हूं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दो मिनट में सम-अप करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीजनल इम्बैलेंस के साथ विकास हो रहा है। धौलपुर के अन्दर विकास के नाम पर जो पिछले बजटों में भी घोषणा हुई थी, एक घोषणा भी क्रियान्वित नहीं की गई है। इस बार भी हुई हैं, कोई घोषणा का क्रियान्वयन नहीं है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बेरोजगारी और बेकारी मिटानी है, जहां धौलपुर में चम्बल नदी है, बिजली है, बेरोजगार लोग हैं, सेंट्रल रेलवे है, एन एच 3 है, इन सब पोटेंशल के बावजूद धौलपुर में कोई भी उद्योग लगाने का काम सरकार किसी भी उद्योगपति से मिलकर कार्यवाही नहीं करती कि वहां एक हैवी इंडस्ट्री लगे। सारा लाड़-प्यार जोधपुर पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं संवेदनशील सरकार से कि धौलपुर में हैवी इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब लोग, वहां के मजदूर लोगों को कार्य मिले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं में पेयजल समस्या का समाधान

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से चौमूं कस्बे में पीने के पानी की जो समस्या हो रही है, उसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। चौमूं कस्बे का जल स्तर इतना गहरा चला गया है कि वर्तमान में जो जल स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें से 50 प्रतिशत जल स्रोत ड्राई हो गये और 50 प्रतिशत जल स्रोत हैं, उनमें आवक 50 प्रतिशत रह गई है। कस्बे में अनेक ट्यूबवैल हैं जिनकी संख्या लगभग 20-25 है, वे ड्राई हो चुके हैं। वर्तमान में चौमूं कस्बे का 50 प्रतिशत भू-भाग बिलकुल ड्राई हो चुका

(श्री भगवान सहाय सैनी)

है। नए ट्यूबवैल भी सक्सेस नहीं हैं। एक हजार फीट गहरी खुदाई करने पर भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। चौमूं जल योजना को बीसलपुर-जयपुर जो जल योजना है, उससे यदि जोड़ दिया जाए तो चौमूं कस्बे को पीने के लिए पानी मिल सकता है। यदि इस समस्या पर निकट भविष्य में जल्दी ही कोई निर्णय नहीं किया गया तो आने वाले समय में चौमूं कस्बे में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज भी समस्या उत्पन्न है लेकिन समय रहते यदि इसको बीसलपुर-जयपुर योजना से जोड़ दिया जाता है तो चौमूं को पीने का पानी मिल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चौमूं में सीवरेज लाइन का प्रकरण पिछले काफी वर्षों से लम्बित है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल आपने पीने के पानी के लिए...

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची में सीवरेज लाइन का भी लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष: वह एक ही सब्जेक्ट होता है पर्ची में। आप समाप्त करें, शोर्ट करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): तो सीवरेज लाइन की भी स्वीकृति दी जाए।

चौमूं और जयपुर में कोई फर्क नहीं है। चौमूं की आबादी एक लाख के करीब पहुंचने वाली है। तो पीने के पानी की व्यवस्था सबसे जरूरी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से अनुरोध है कि चौमूं कस्बे की जल योजना को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाए। बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा जाए तो बाहर से, कहीं से पानी चौमूं में लाने की व्यवस्था कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) ।

अलवर-भिवाड़ी सड़क निर्माता कम्पनी द्वारा दूसरे की जमीन पर टोल आफिस का निर्माण

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1976 में मुंशी सिंह पुत्र जेठा सिंह ने एक दरख्वास्त जिलाधीश, अलवर को दी कि खसरा नम्बर 330, रकबा 79 बीघा 8 बिस्वा पर मेरा कब्जा है और पिछले 15 सालों से मैं इस पर काश्त कर रहा हूं और वर्तमान में मेरी फसल बोई हुई

(श्री रामहेत सिंह)

है। अलाटमेंट कमेटी, किशनगढ़ बास इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अलाट करना चाहती है। इसको कब्जे के आधार पर मुझे अलाट किया जाए। अलाटमेंट कमेटी ने रेवेन्यू पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर इन्द्र सिंह और मुंशी सिंह पुत्रान जेठा सिंह गांव धोहड़ा के नाम से 32ए और 39ए भूमि उनको अलाट कर दी। अलाट होने के बाद 1976 में...

श्री उपाध्यक्ष: आप सब्जेक्ट से इधर-उधर जा रहे हैं। क्या बात है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आपका है, माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिला दूं, अलवर-भिवाड़ी रोड निर्माता कम्पनी द्वारा टोल आफिस निर्माण करने पर जन आक्रोश।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): जी, साहब। उसी से सम्बन्धित है।

उसमें इन्द्र सिंह और जेठा सिंह ने कीमत जमा करवा दी और 193 रुपये उसके ब्याज के रूप में भी सरकार को दिये हैं। वह गैर खातेदार के रूप में उस खसरा नम्बर 32 पर काबिज है। अभी रिडकोर ने जो सड़क बनाई, मेगा हाइवे, उसमें टोल टैक्स लगाने के लिए उन्होंने अपना टोल आफिस बनाया मरहमपुर के अन्दर। उस गरीब किसान की जमीन जो कई वर्षों से, 1976 से लगातार, 81 में पैसे जमा हो गये और वह खातेदारी लेने के लिए सरकार और कलक्टर के चक्कर लगा रहा है, उसकी जमीन को पी डब्ल्यू डी महकमे की दर्ज करके आज उस पर प्रभावशाली लोग टोल चलाना चाहते हैं, उस पर अपना आफिस बना रहे हैं। प्रशासन मूक होकर उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उस टोल वाले की मदद कर रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि किसी गैर-खातेदार भूमि को, जो अलाट हो गई, उसको अलाटमेंट कैंसिल किये बगैर किसी दूसरे महकमे को चढ़ा देना और उस दूसरे महकमे द्वारा किसी प्राइवेट टोल आफिस वालों को या प्राइवेट ठेकेदार को उस पर सहमति देकर उसमें टोल आफिस बनवा देना, यह एक अन्याय है। इससे जनता में आक्रोश है। एक गरीब आदमी झोंपड़ी में 30-40 साल से वहां बैठा है, उसको न्याय मिले और उसकी भूमि का उसको पट्टा मिले और जो अतिक्रमी हैं और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको तुरन्त वहां से बेदखल किया जाए और जिस भी अधिकारी ने महकमा पी डब्ल्यू डी के नाम दर्ज की है या परमिशन दी है टोल वालों को अपना आफिस बनाने के लिए, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर)।

जैसलमेर में पेयजल समस्या

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिला, एक ऐसा जिला है जिसका भू-भाग बहुत बड़ा है और वहां ट्यूबवैल खुदे होने के बावजूद भी आये दिन आधे से ज्यादा टयूबवैल खराब रहते हैं। जो पाइप लाइनों की दूरियां हैं, वह भी 30 से 40 किलोमीटर की हैं। इसके बावजूद वहां लाइट के पाइंट की ट्यूबवैलों पर जो व्यवस्था है, वह केवल 5 घण्टे है। अभी वर्तमान समय में पीने की पानी की इतनी भारी किल्लत है और भयंकर समस्या है, अभी भी है। ट्यूबवैलों के अन्दर या तो मोटरें नहीं हैं या पम्प नहीं है या पाइप लाइन के जोइंट नहीं है या लाइट नहीं है। समस्या इस सम्बन्ध में इस प्रकार की है कि जैसलमेर की आबादी का आधे से ज्यादा इलाका पानी की समस्या से ग्रस्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पाइप होते हुए, ट्यूबवैल खुदे होते हुए भी, वहां यंत्र नहीं पहुंचने के कारण आज की तारीख में भी आधे से ज्यादा ट्यूबवैल खराब हैं। गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। मेरा निवेदन है कि गर्मियों को देखते हुए सरकार इस ओर ध्यान रखे क्योंकि जैसलमेर के वासी का एक ढाणी से दूसरी ढाणी तक पहुंचना मुश्किल है। पांच घण्टे की लाइट में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी के कारण पानी पाइप लाइन से जाने में ही दो से तीन घण्टे लग जाते हैं। जब तक कर्मचारी वहां पहुंचता है तब तक लाइट चली जाती है। अमूमन तीन साल से यह समस्या देख रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि 10-15 साल से जितने भी कर्मचारी हैं वर्क-चार्ज के, वे सेवानिवृत्त जरूर हो रहे हैं लेकिन दूसरे कर्मचारी आज तक किसी प्रकार के नहीं लगाये गये। आबादी बढ़ी है, पानी की आवश्यकता भी बढ़ी है, फिर भी कर्मचारियों की कमी के कारण मानिटरिंग बिलकुल नहीं हो रही है। न तो जैसलमेर में जे.ईएन. हैं, न ए.ईएन. हैं, न कोई टेक्निकल स्टाफ है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि एक मोटर की रिपेयर करने के बाद उसका किराया 4-4, 5-5 बार लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए कई पंचायतें जिसके साथ में 5-5, 6-6 गांव और ढाणियां हैं, वे वहां आज भी वंचित हैं। चाहे तेजमालता जाओ, चाहे

(श्री छोटूसिंह भाटी)

म्याजलार जाओ, चाहे आप हटार जाओ, चाहे आप बेरिसियाला जाओ, चाहे आप हाबूर जाओ, कहीं भी कोई गांव में जाओ, हर गांव के साथ में 5-5, 7-7 गांव हैं। वर्तमान समय में 8-10 तारीख को ट्यूबवैल 15 रोज से बंद हैं। पानी की भयंकर समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शार्ट में करें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यही करना चाहता हूं..., जोर से तो इसलिए बोला जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसलमेर की जनता की हाहाकार, सुबह से ही मुझे बैठने नहीं दिया, मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि जैसलमेर में नहर होते हुए ट्यूबवैल होते हुए, व्यवस्था की कमी, स्टाफ कम, साथ में मोटरें नहीं, पम्प नहीं, जोइंट नहीं, पाइप नहीं, फ्लड में जब बरसात हुई थी, तब पाइप लाइन लीक हुए, आज तक उन ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): एक मिनट, हुकुम। आधा मिनट केवल, आधा मिनट। निवेदन थोड़ा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 2004 में 245 आर डी रामगढ़ से जो स्कीम शुरू हुई थी 580 लाख की, वह स्कीम रिवाइज करके 6 करोड़ समथिंग की बनी। फिर भी उन 5 गांव और 15 ढाणियों के अन्दर विभाग ने तो टैस्टिंग करके बता दिया कि इन गांवों में पानी पहुंच गया पर मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में, इस मंदिर में कि उन ढाणियों में आज तक धेला ही पानी नहीं पहुंचा और पैसा भी खर्च हो गया। विभाग का अंधेरा रहा। बल्कि न तो पानी पहुंचा वहां...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): वर्तमान समय में पानी है। मेरा निवेदन है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उस स्कीम के अन्दर। आज तक उन ढाणियों में पानी और पाइप लाइन नहीं पहुंची है। विभाग सोया हुआ है। मेरा निवेदन है, सदन में, विधान सभा में कहा गया है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीया श्रीमती संजना आगरी जी।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): लेकिन इसकी न तो कोई इन्क्वायरी हुई, न कोई रिवाइज्ड स्कीम बनी। आज गांव उससे वंचित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबू सिंह जी, आप बोल लिये। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आश्वासन दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय विराजे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती संजना आगरी। (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): पानी की समस्या है। मंत्री महोदय, इतनी समस्या है, शायद दूसरी जगह नहीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आ गया। सोजत का होगा न?

सूचना

सोजत में अज्ञात लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत मैं सदन को अवगत करना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र की खारियानींव ग्राम पंचायत में चामड़िया गांव के श्रवणराम देवासी की कल 09.04.2012 को रात्रि में रास्ते में स्प्लेंडर पर आते समय अज्ञात लोगों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। मौके पर उसकी स्प्लेंडर, मोबाइल और अन्य जो सामान था, वह भी गायब है। सरकार को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि क्षेत्र की जनता और देवासी समाज के समस्त व्यक्ति वहां धरने पर बैठे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि उक्त व्यक्ति की मां भी विधवा है और उसकी पत्नी भी विधवा हो गई है। परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है। तो इस परिवार की मां और इसकी विधवा जो पत्नी है, उनको कम से कम 3-3 लाख रुपये आर्थिक मुआवजा दिया जाए। क्योंकि शराब दुखांतिकाओं में जो व्यक्ति मारा जाता है, उसे भी सरकार मुआवजा देती है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने सूचना दे दी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उन आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-1 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 06.5.2004 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-2 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 06.5.2006 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-3 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-4 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा काटन यार्न के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिये राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से काटन के क्रय को दिनांक 30.3.2012 से वैट से सशर्त छूट प्रदान की गई है; एवं

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012 दिनांक 5.4.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-122, दिनांक 26.3.2012, अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-125 एवं अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-126 दिनांक 30.3.2012 सम्बन्धी शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश में प्रस्तावित मांगों पर विचार के दिन विधेयकों पर भी चर्चा को अपवाद स्वरूप लिया जाए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन। आप विराजें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का सम्मान भी करेंगे और परम्परा का पालन भी करेंगे लेकिन हम प्रतिपक्ष की ओर से अपनी आपत्ति नियम 215 के अन्तर्गत आपको दर्ज कराना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी सरकार ने चाहा, हमने साथ दिया लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डिमांड के साथ हमने एक-एक दिन में एक-एक बिल को रख दिया। आप हमारी परम्पराओं को उठाकर देख लें, हमेशा डिमांड पर जब हम बहस करेंगे, 2 बजे तक जीरो आवर चलेगा, फिर 4 बजे, 5 बजे चलेगा, फिर 2 या 3 घंटे मुश्किल से हमको मांग पर अपने विचार रखने का समय मिलेगा। इस प्रकार से उस विषय के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी परम्परा रही है कि हम कार्य सलाहकार समिति....

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजें। तो मैं आपको, यह उपस्थापन करने के बाद ही तो आप बोलेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, उपस्थापन के बाद तो नहीं बोल पाएंगे। यह उपस्थापन के साथ ही....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह उपस्थापन का गोपनीय पत्र हमारे पास आ गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारे पास आ गया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह गोपनीय पत्र हमारे पास है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी यह परम्परा रही है कि हम कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पारित करते हैं और उसमें बहस, वाद-विवाद नहीं करते, संशोधन नहीं करते लेकिन यह आगे के लिए परम्परा नहीं बने, एक। नम्बर दूसरी बात, हमने समय पर आपत्ति नहीं की हो, यह बात नहीं हो, इसलिए मैं प्रतिपक्ष की ओर से यह आपत्ति दर्ज कराता हूं कि इसको एक्सेप्शन माना जाए और सरकार आइंदा इस बात का ध्यान रखे कि जब 8 दिन हम डिमांड्स पर चर्चा करते हैं, उस समय इन विधेयकों को नहीं लिया जाए। विधेयकों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाए। यही मेरी आपत्ति इस आसन के माध्यम से दर्ज कराना चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिजनस एडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आया ही नहीं था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कल आपको टेलीफोन भी करवाया गया कि मीटिंग शुरू हो गई है, आप जल्दी पधारें। लेकिन आप जानकर के उपस्थित नहीं हुए और उपस्थित इसीलिए नहीं हुए कि क्योंकि आपको, खुद को यह विश्वास नहीं था कि आपको कल के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आया कि राजेन्द्रजी राठौड़ के बाबत हंगामा करके खतम करना है या नहीं करना है। यह डिफरेंस आफ ओपिनियन था। आप लोग तय नहीं कर पाये और तय नहीं कर पाने के कारण आपने बिजनस एडवाइजरी कमेटी का एक तरह से बहिष्कार किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं किया। नहीं किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बहिष्कार करने के बाद में अब आपके पास में कोई चारा तो है नहीं। जब यह रख दिया गया तब आप उस पर एतराज उठा रहे हो। तो कायदे से आपको

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

वहां पर आकर के शामिल होना चाहिए था डिस्कशंस में। आपकी इच्छाओं का हमेशा से हमने ध्यान रखा है और प्रतिपक्ष का हमेशा से सहयोग लेने की कोशिश की है लेकिन आपने जानकर के यह स्थिति पैदा की जिसके जिम्मेदार आप ही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, जानकर के नहीं, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से काम से गया हुआ था और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को बता भी दिया था। लेकिन इसमें मैंने आपका विरोध नहीं किया है, मैं इसमें आपत्ति और आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, यह परम्परा नहीं हो और इसको एक्सेप्शन माना जाए और हमेशा के लिए बिलों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाए। इसके ऊपर आप, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पर कुछ कहें ताकि सदन जो हमेशा इन परम्पराओं से चलता आ रहा है, हम उसी प्रकार से चलाएं और इस पर बहस हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: डा. रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने कहा, आपने अपना तो स्पष्टीकरण दे दिया लेकिन और भी माननीय सदस्य आपकी तरफ से बिजनस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं। क्या सब का यही स्पष्टीकरण है कि सब अपने व्यक्तिगत काम से चले गये? आपको आना था। कल आधे घंटे तक हमने इंतजार किया, अध्यक्ष महोदय ने इंतजार किया और उसके बाद में अब आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। यह सदन की परम्पराओं के अनुकूल आपत्ति नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं संशोधन मूव करूं क्या? अगर आपत्ति नहीं तो संशोधन मूव करूं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, आपको कल आना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने कह दिया न।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप अकेले तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बाकी के क्या कोई ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, स्पष्टीकरण कोई नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने कहा कि काम था, इसलिए चला गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्पष्टीकरण नहीं है। आप कहो तो 215 में संशोधन पेश कर दूं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बिजनस एडवाइजरी कमेटी के जो माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मतदान कराएं क्या इस पर?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बाकी जो माननीय सदस्य हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो मतदान कराना चाहते हो क्या? मतदान कराना चाहते हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, कोई मतदान की बात नहीं कह रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप उपस्थापन करें, प्लीज। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो मतदान करा लें?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कहां मतदान हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप यह कह रहे हो, एक-एक का स्पष्टीकरण कराएंगे आप?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका मतलब मतदान करा लें?

श्री उपाध्यक्ष: आप इसका उपस्थापन कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप वोट करा लो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सम्मान ही प्रकट नहीं करना चाहते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं एक्सेप्शन के लिए निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हम मतदान करा लेते हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका बिजनस एडवाइजरी कमेटी में विश्वास ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मतदान करा लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप उपस्थापित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कराओ मतदान।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 23)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तेइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09 अप्रैल, 2012 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 22वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 10 अप्रैल, 2012 से 20 अप्रैल, 2012 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2012	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2012	1. राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 2. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012	1. राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 2. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012	गैर सरकारी कार्य दिवस।
शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2012 रविवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2012	बैठक नहीं होगी।

(डा. रघु शर्मा)

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012	1. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012, 2. राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012, एवं 3. वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 4. अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2012	1. कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 2. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2012	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग की जाकर दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2012	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 पर

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? जो पक्ष में हो 'हां' कहें, जो विपक्ष में हो 'ना' कहें।

अनेक माननीय सदस्यः हां।

अनेक माननीय सदस्य: नो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Noes have it. Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य: Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया अपनी सीट पर विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दुबारा होगी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अनेक माननीय सदस्य: Noes have it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): We claim division. Noes have it. We claim division. Division.

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिविजन कराएं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप गिन लीजिए। (व्यवधान) डिविजन। We claim division.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): We want division.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह हमारा राइट है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह हमारा राइट है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह हमारा राइट है। आप खड़े होकर गिन लीजिए। आप लाबी खाली कराइए।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लाबियां खाली कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लाबी खाली कराओ। We claim division.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): We want division.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): We claim division . We claim division. Division.

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्या, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है। यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। आप जिस सिस्टम से लेना चाहें, उस सिस्टम से ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): We claim division. आप किसी भी तरीके से लेना चाहें, आप ले लें, मतदान कराना पड़ेगा। यह हमारा कांस्टिट्यूशनल राइट है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप हार चुके हो, आपकी संख्या कम है। कोई मतदान की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जिस ढंग से चाहें, करा लो। घण्टी बजाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप घण्टी बजाओ, बुला लो सबको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आ जाएगा, वोट का हिसाब आ जाएगा। आपके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा आ जाएगा। आपके पास वोट है तो डर काहे को रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): We claim division.

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आसन की व्यवस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमारा राइट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले बिजनस लें। (व्यवधान) कृपया विराजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन अपना निर्णय ले चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) मैं आसन से अपनी बात कहना चाहता हूं। सदन में जो तरीका है, आम सहमति है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कोई आम सहमति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात सुनें। वाइस वोट होता है, वाइस वोट के आधार पर यदि कोई निर्णय हो गया ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): No. We called for division.

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी। माननीय प्रोमिलाजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन को दबा नहीं सकते। आसन को निर्देशित नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोमिलाजी, आप याचिका उपस्थापित करिए। याचिका का उपस्थापन करेंगी श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्षजी, आप हाउस को आर्डर में लाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी याचिका का उपस्थापन करिए, आपका माइक चालू है। आपका अंकित हो रहा है। आपको करना है तो करिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप डिविजन कराएं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): पहले डिविजन।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अधिकार है। (व्यवधान) देखिए, जब बराबर की संख्या हो... (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): हाउस को आर्डर में लाओ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): निर्णय हो चुका बहुमत के आधार पर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप चाहो तो हाथ खड़े करवा सकते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाथ खड़े करवा सकते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लाबी खाली कराओ। आप समय दो, घण्टी बजाओ। 5-10 मिनट अभ्यास तो होने दो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन के द्वारा अपना निर्णय दिया जा चुका है। (व्यवधान) यह नई परम्परा मत डालो।

श्री उपाध्यक्ष: आपने आपत्ति दर्ज करायी, आपकी आपत्ति दर्ज की गयी। आपने आपत्ति में भी यही फरमाया था, माननीय तिवारीजी ने कि हम अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। उसके बाद जब आवाज पर, वाइस वोट के आधार पर कोई निर्णय हो गया...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष: एक दफा आसन से कोई निर्णय होने के बाद ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन से निर्णय लेने के बाद आप बाध्य नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी। माननीय कमसाजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): +++ हम जो भी कह रहे हैं, यहां निर्णय हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कम हैं तो ये जीत जाएंगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन तो व्यवस्था दे चुका, निर्णय हो गया। हो गया निर्णय। आप मर्जी आये जैसे चलाओगे आसन को? हो गया निर्णय आसन की तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपका अंकित हो रहा है। आप याचिका का उपस्थापन करिए। याचिका का उपस्थापन करिए।

बहिर्गमन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ, +++ मत विभाजन की मांग को नहीं मानने के खिलाफ पूरा प्रतिपक्ष +++ बहिष्कार करते हुए +++ करता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये सदन चलाना नहीं चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप है कि जब से इस सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है, ये किसी न किसी प्रकार से इस सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। बजट पर बहस नहीं होने देना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कमसाजी, आप रखिये। आप तो अपनी बात कहिये। आपको कोई नहीं रोकेगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आरोप सरकार पर लगाते हैं और प्रतिपक्ष चर्चा नहीं करता है, बार-बार सदन से भागता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय ओमजी बिरला।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): भाग गये, सदन से भाग गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कर्नल सोनारामजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय कर्नल सोनारामजी चौधरी। माननीय कमसाजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका पूरा प्रतिपक्ष बायकाट करके गया है और आपने उनका नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल रही हैं?

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): हां, मैं बोल रही हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमने विरोध दर्ज कराया और विरोध दर्ज कराकर वापस आ गये। आपको हम अकेले नहीं रहने देंगे, आपको +++ यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका विरोध दर्ज हो गया। माननीय कमसाजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप यह कौनसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, महाराज? (व्यवधान) +++, एक तो कह रही हैं कि साड़ी के पल्लू में मुख्य मंत्री को छिपा रखा है सवा तीन साल से; आप कह रहे हो, +++ वे कह रही हैं, टट्टे लड़ा रहे हो। यह भाषा आप लोग कहां से लाये हो? मेहरबानी करो इस सदन के ऊपर। (व्यवधान) सवा तीन साल से साड़ी के पल्लू में राजस्थान के मुख्य मंत्री को छिपाने की बात करते हो। (व्यवधान) यह जो भाषा है, इस भाषा को नियंत्रित करो। (व्यवधान) यह साड़ी का पल्लू कहां का है? +++ (व्यवधान) यह कौनसी परम्पराएं डाल रहे हो?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ....आपका मुख्य मंत्री जरदारी से माफी मांग सकता है। (व्यवधान) यह तो बतायें। आपके मुख्य मंत्री को समझाओ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कमसाजी, आप रखिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेहरबानी करके ऐसा मत करो। (व्यवधान)

याचिका का उपस्थापन

भोपालगढ़ के रजलानी गांव में सैकंडरी स्कूल का क्रमोन्नयन

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रजलानी गांव में सेकंडरी स्कूल को सीनियर सेकंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। माननीय देवीसिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): .... शांतिपूर्वक यदि किसान आंदोलन करना चाहते हैं तो आप परमिशन नहीं देते, जो बैठ जाए उसके ऊपर लाठियां बरसाते हो और यहां आसन से...(व्यवधान) हमारा अधिकार है यह। (व्यवधान)

चाकसू में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चाकसू में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): साड़ी के पल्लू के बारे में बता दो आप तो। (व्यवधान) यह जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपके मुख्य मंत्रीजी को पूछो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): साड़ी के पल्लू में सारे ही लटके रहते हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): साड़ी के पल्लू में लपेटने वाला, वह हिम्मतवाला। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ का मतलब है सरकार की आलोचना करना। (व्यवधान) यह संसदीय भाषा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मतलब, आप क्यों बता रहे हो? (व्यवधान) पहले सदन की परम्परा जो बनती आई है...(व्यवधान) यह भाषा सुधार लो। यह गलत भाषा है। (व्यवधान) साड़ी के पल्लू में मुख्य मंत्री को लपेट लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला, आप याचिका उपस्थापित करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पहले आप उनके मुख्य मंत्रीजी से पूछो, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि जनता चर्चा कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके याचिका उपस्थापित करो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप मुख्य मंत्रीजी को समझाओ कि किस भाषा का प्रयोग करते हैं आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): साड़ी के पल्लू में मुख्य मंत्री को सवा तीन साल से, यह ऐसा पल्लू क्या है? राजस्थान की नारी अपने पति के अलावा किसी को अपने पल्लू में नहीं आने देती, किसी को नहीं आने देती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला। माननीय ओम जी बिरला, आप याचिका तो उपस्थापित करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ जब डिविजन में हार गये तब यह कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप याचिका उपस्थापित करें।

कोटा के जवाहर नगर में सड़क निर्माण

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जवाहर नगर, कोटा में सड़क निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कर्नल सोनारामजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय कर्नल सोनारामजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अर्जुन लाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर

(श्री अर्जुन लाल)

राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

शेरगढ़ पंचायत समिति में नवीन विद्यालय की स्थापना

(1) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शेरगढ़ में नवीन विद्यालय खोलने बाबत् ; एवं

बालेसर पंचायत समिति में नवीन विद्यालय की स्थापना

(2) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बालेसर में नवीन विद्यालय खोलने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाना वाला विधेयक। जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 । द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16–पुलिस की प्रस्तुति

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,69,35,28,000/- (पच्चीस अरब उनहत्तर करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 17–कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,82,05,000/- (चौरासी करोड़ बयासी लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 में से मैं पहले 17 से प्रारम्भ करता हूं। इसका कारण यह है कि हमेशा इस विभाग को न तो सरकार तवज्जोह देती है और न इसके अधिकारी इसको तवज्जोह देते हैं और इसके कारण से इसकी स्थिति लम्बे समय से बद से बदतर होती चली जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि थोड़ा सा आप इस विभाग के सारे काम की ठीक प्रकार से मानिटरिंग करें तो आपको लगेगा कि इस विभाग में इतनी कमियां हैं जिनके कारण से आए दिन यह विभाग बदनामी झेलता है। उसके बारे में निश्चित रूप से अपने को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि जेल का जो आपका पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें 25.39 करोड़ से आपने 1998-99 में बजट शुरू किया और 2003-04 में आते हुए 31.99 हुआ और 34 करोड़ तक इसका बजट बढ़ाया। यह सारा मिलाकर लगभग 18.9 प्रतिशत इसका बजट बढ़ा। इसके बाद वाला जो पांच साल का हमारा कार्यकाल रहा, हम 31 करोड़ से बढ़ाकर 55.23 करोड़ तक ले गये, जिसका विकास लगभग 55.8 था। दुर्भाग्य यह है कि.....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिसर्स गैलेरी पूरी खाली पड़ी है। इनको कहो कि आयें। डी.जी. नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि पहले तो इस विभाग की दशा ही बहुत चिंताजनक है और थोड़ा बहुत भी जो बजट मिलता है, वह बजट भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं होता है और बजट लैप्स होता है। हमने अपने पांच साल में बजट को बढ़ाया भी और बजट जितना हमारे पास था, उससे अधिक हमने खर्च भी किया। लेकिन आपके आने के बाद फिर आप एक बार दृष्टि डालिए, क्योंकि आपका विभाग आपको उस सच्चाई तक नहीं ले जाता है कि वास्तव में हमको सालाना बजट कितना अलाट हुआ, हमने इसको संशोधित बजट कितना किया और एक्चुअल में हमारे साल के अंत में बजट कितना खर्च हुआ। पहले से तो इस डिपार्टमेंट की बद से बदतर स्थिति बना दी, अब मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि 2008-09 में जो हमने आर.ई. की थी, वह 65.58 करोड़ की की थी लेकिन जो एक्चुअल खर्चा हुआ, वह 55.23 करोड़ का हुआ; अर्थात् 10.35 करोड़ रुपया आपने जो बजट रखा उसमें बच गया। इसी तरीके से 2009-10 में आर.ई. किया, वह 71.56 करोड़ का किया और उसके अगेंस्ट में आपने 62.91 करोड़ खर्च किया; अर्थात् 8.65 करोड़ रुपया आपने इसमें से भी बचा लिया।

(: 14.00 बजे)

फिर यह जो आपका तीसरा साल है 2010-11, इसमें आपने आर.ई. किया था 72.95 करोड़ रुपये का, वह भी आपका अंत में आकर खर्च हुआ 69 करोड़ रुपये; अर्थात् 2.59 करोड़ रुपये आपने इसमें भी बचाया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि इस डिपार्टमेंट को अगर आपको ठीक करना है, क्योंकि इसको रोज बदनामी झेलनी पड़ती है, इसमें फरारी हो गई या इसमें यह समस्या हो गई, इसमें आपने पैरोल ठीक ढंग से नहीं किया इसलिए पैरोल जम्प हो गया, या इसमें मोबाइल लेकर चले गये, इसमें अपराधी अन्दर रहकर, अन्दर से अपराध कारित कर रहे हैं, तो एक तरह से इस डिपार्टमेंट को इतनी बदनामी बरदाश्त करनी पड़ रही है लेकिन कभी भी आपने इस डिपार्टमेंट की हकीकत को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं आज इसलिए पहली बार, हमेशा क्या होता है, यह विभाग सबसे अंत में आता है और इसलिए भीड़-भड़ाके में यह विभाग ऐसे ही चला जाता है और यह जो जेल है, यह सफर करती रहती है।

इस जेल की जो दुर्दशा है, यह एक साल से नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि मैं भी स्वयं उस समय मंत्री था, मैं भी इस पीड़ा से हमेशा दु:खी था कि जितने पद यहां हैं, जितने पद भरने चाहिए, वे पद भर नहीं पाते हैं और उनको नहीं भरने के कारण से हम कहीं न कहीं से लोगों को उधार लेते हैं, संविदा पर लेते हैं, किसी से लेते हैं। वह संविदा पर आकर आदमी वहां नौकरी करेगा, वह ठीक प्रकार से अपनी नौकरी को अंजाम देगा कि नहीं देगा, वह उस काम को ठीक गुणवत्ता से करेगा कि नहीं करेगा; केवल हम अपने पैसे और व्यवस्था को चलाने के लिए चाहे जैसे अपने स्टाफ को भरने का प्रयास करते हैं। उतना सब प्रयास करने के बाद भी ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, कम से कम आप इनके बारे में निश्चित रूप से मुझे कोई जवाब दें और उसका कोई रास्ता निकालें। मैं कोई आपके अकेले की गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मेरे टाइम में भी कमियां रही हैं, जिन कमियों को मैंने निकालने का प्रयत्न किया। कुछ निकलीं लेकिन पूरी नहीं निकलीं और रोज इस डिपार्टमेंट को ताना मारा जाता है। ये जो राजपत्रित के 81 पद हैं, उनमें से आज की तारीख में 29 पद खाली हैं, अर्थात् 33.8 प्रतिशत पद खाली हैं। ये जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जिनकी पोस्ट 3,051 हैं, उनकी जगह 1,333 पद आज की तारीख में खाली हैं, अर्थात् 43 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं। मंत्रालयिक कर्मचारी के 14 प्रतिशत खाली हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 11 प्रतिशत पद खाली हैं। सारा मिलाकर 41 प्रतिशत जिस डिपार्टमेंट में, जिसकी कुल संख्या कितनी है सारे कर्मचारियों की, 3,387 कुल कर्मचारी हैं, उनमें से भी अगर आपके 1,396 कर्मचारी न हों और फिर आप यह कहो कि इसमें यह कमी रह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गई। इनमें से भी वे लोग हैं जो आपने संविदा पर या इधर-उधर से, कहीं से लाकर, एडजस्ट करके काम करा रहे हैं, उन सबको भी इसमें गिन लिया। तो जब तक आप इनकी नफरी पूरी नहीं करेंगे, जब तक आप नये जवानों को नहीं लेंगे, आपके जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूं, उनकी हालत अगर देखी जाये ना, अगर उनको धक्का दें तो एक के साथ पांच गिर जाये। फिजिकली उनकी फिटनेस नहीं है, न फिजिकली वे इस तरह से स्ट्रोंग हैं कि जिसके कारण से वह जेल का ठीक प्रकार से काम कर सके। यह तो भगवान भरोसे चल रहा है और ताला-कूंची से चल रहा है या दीवारें ऊंची है इसलिए चल रहा है; बाकी मैनपावर के आधार पर और आपकी शक्ति के आधार पर तो इसके चलने की मुझे कोई सम्भावना नहीं लगती। कृपा करके इसमें आप निश्चित रूप से तैयारी करिये ताकि यह जो रोज की फरारी हो गई, यह हो गई, वह हो गई, इन समस्याओं का वर्णन किया जा सकता है लेकिन इसका हल तो तभी निकल सकता है।

और एक सबसे बड़ी कमी, उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के साथ जो एक तरह से ज्यादती हुई, मैं कह सकता हूं कि एक समय, 1996 में पुलिस का कांस्टेबल और हमारा जेल का प्रहरी समान वेतन प्राप्त करता था। 1996 में यह वेतन आयोग लगने के कारण से पुलिस का वेतनमान दूसरा हो गया और जेल के प्रहरी का वेतनमान दूसरा हो गया। उन्होंने ठेठ हाई कोर्ट तक जाकर उसका आदेश लेकर आ गये कि नहीं, इनको बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। आपने उसकी एक कमेटी मेरे टाइम पर बना दी। उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई कि वास्तव में इनके वेतनमान में यह विसंगति रह गई। इस विसंगति को निश्चित रूप से दूर करना चाहिए और यह उनका हक बनता है। उसके लिए आपने कमेटी बनाकर, उस कमेटी के बनने के बाद उस कमेटी का वर्डिक्ट आ गया लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको ठंडे बस्ते में डालकर बैठ गये। कभी उनकी चिंता नहीं की कि उनको कौनसा वेतन मिल रहा है, कौनसा वेतन नहीं मिल रहा है। कई बार हम जेल में सलेक्शन करते हैं लोगों का, लेकिन सलेक्शन करने के बाद भी जैसे ही उसको दूसरी नौकरी मिलती है, वह तुरन्त भाग जाता है। उसके वेतन में इतना बड़ा अंतर है, आपके उस सामान्य वेतन में और उस वेतन में, जिसके कारण से वह इस काम को करना नहीं चाहता है।

आप जेल विभाग का आंकड़ा उठाकर देखना, आपके अधिकारी यहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बैठे होंगे, जो मैंने देखा और जो मैं समझा हूं, मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह गलती क्यों हुई या जान-बूझकर की गई है। यह जो 2011-2012 में जेल की खाद्य सामग्री है राजस्थान में, इस जेल की खाद्य सामग्री के लिए आपने पिछले साल 2010-11 में चार करोड़ रुपये का बजट रखा था अर्थात् 400 लाख रुपये का रखा था और आपने आर.ई. में, 2011-2012 में इसको 5.5 करोड़ रुपये कर दिया। अभी जो आपने बजट, यह जो 2012-2013 का एस्टिमेट रखा है, यह एस्टिमेट आपने रखा है वापस 4.5 करोड़ रुपये का। अर्थात् यह एक करोड़ रुपया अगर आपने खाद्य सामग्री में घटा दिया तो क्या आपने यह अनुमान लगा लिया कि जेल में आने वाले लोग कम हो जायेंगे; जेल में खाने की कीमतें बढ़ेंगी, उसका कोई असर नहीं होगा; या जेल में जो सामग्री दी जा रही है, वह इतनी परफेक्ट दी जा रही है कि उसकी क्वालिटी घटाई जा सकती है? यह किसने बनाया, क्यों बनाया? जब आर.ई. में ही 5.5 करोड़ रुपये था तो खाद्य सामग्री के ऊपर इस पैसे को आपने क्यों घटा दिया?

कृपा करके इस विभाग की जो कमजोरियां हैं, क्योंकि इसकी कमजोरियां गिनाना बहुत आसान है, हम भी रोज गिनाते हैं, आप भी रोज गिनाते हैं, फरारी हो जाती है, लेकिन एक बात जरूर है, जो पैरोल जिस प्रकार से जम्प कर जाता है और पैरोल जम्प करने के बाद जिन लोगों ने भी उसकी जमानत दी है, उनमें से कितने लोगों की जमानत जब्त कर ली? कितने लोगों को आपने सज़ा दी, जिन्होंने इनकी जमानत देकर पैरोल कराया? आये दिन सैकड़ों की तादाद में पैरोल जम्प कर जाते हैं। अन्दर रहकर आदमी अपराध कारित कर रहा है। सबसे सुरक्षित जगह हो गई उसके लिए तो अपराध कारित करने के लिए। क्योंकि वह गैंग लीडर है और गैंग लीडर होने के कारण से जान-बूझकर जेल में प्रवेश कर जाते हैं और जेल उनके लिए बहुत अच्छी सुरक्षित जगह हो गई। उस सुरक्षित जगह का दुरुपयोग करके, बाहर से अपनी गैंग के द्वारा लोगों का मर्डर कराते हैं और स्वयं बच जाते हैं। यह स्थिति आपके और मेरे, सब सदस्यों के ध्यान में है कि यह इस प्रकार की स्थिति हो रही है।

अब आपने देखा कि जिस प्रकार से इल्लीगल सामग्रियां अन्दर जा रही हैं, कौन इसको ठीक तरह से देखेगा, इसका निरीक्षण कौन करेगा? क्योंकि आपके पास तो मैनपावर ही नहीं है। आपने जेलें नई बना दी होंगी, रहने की कोठरियां बना दी होंगी लेकिन जब तक आपके पास मैनपावर नहीं होगा, तब तक आप इस जेल को कभी भी नहीं सुधार सकोगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निश्चित रूप से आप मेरी इस बात को, मैंने आज पुलिस से इसीलिए स्टार्ट नहीं किया कि हमेशा यह विभाग नेग्लेक्टेड रहता है, क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वह भी अंत में जेल को यूं ही टोरा देकर निकल जाता है और उसके कारण से उसमें जो सुधार चाहिए, वह सुधार नहीं हो पाता है। अब मैं चाहता हूं कि आपने मेरी इस बात को अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने बजट का कम्पेरिजन किया, जितना पैसा आपको मिला, वह भी आपने इसमें खर्च नहीं किया। कृपा करके इस डिपार्टमेंट को सीरियसली लें और फिर जिस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, उस प्रकार की ट्रेनिंग हो। जिस प्रकार का आपका स्टाफ है, अगर आप ईमानदारी से मुझे कहो ना कि पुलिस के लोगों को एक लाइन में खड़ा करो और जेल के इन लोगों को एक लाइन में खड़ा करो और ईमानदारी से किसी अनजान आदमी को कहो कि इन दोनों की शक्लों में क्या अंतर लगता है तो शक्लों में आपको सामने ही, खड़ी हुई फोर्स के सामने ही ऐसा लग जायेगा कि ये बिलकुल ही किसी भी प्रकार से अपने आपको संगत मानते ही नहीं, किसी भी प्रकार से अपने आपको फिजिकली फिट मानते ही नहीं हैं। केवल इनको तो किवाड़ खोलना, भर्ती करना, अन्दर निकालो, बाहर करना, यहां तक सीमित रह गया। मैं सोचता हूं, इनकी जिस प्रकार की ट्रेनिंग समय-समय पर जैसी होनी चाहिए, वह निश्चित रूप से हो।

मांग संख्या-16 में मैं आपका ध्यान इसलिए दिला रहा हूं कि आपका विभाग न तो मानिटरिंग करता है, न किसी को मानिटरिंग करने की फुर्सत है। सब अपने-अपने हाल में मस्त हैं। यह जो राज्य विधि विज्ञान निदेशालय है, इसकी जो स्थापना की, इसके पीछे तर्क यह था कि वैज्ञानिक विधि से अगर किसी भी केस का अपन निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, कोई भी एविडेंस कितनी भी बदल जाये, कोई एविडेंस कितना ही पक्षद्रोही हो जाये, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन आपकी एफ.एस.एल. की जो रिपोर्ट है, वह उसके लिए पुख्ता रिपोर्ट बन जाती है और केवल एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के आधार पर भी सज़ा मिल जाती है।

अब मैं आपको इसमें यह जो एफ.एस.एल. का आधुनिकीकरण है, यह आपकी किताब है, मेरे हिसाब से कोई पढ़ता भी नहीं होगा, किसी को पढ़ने की फुर्सत भी नहीं है, दुर्भाग्य है इस डिपार्टमेंट का। आपने देखा होगा, आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपकरण और क्रय पर एक दृष्टि, यह आपका ही दिया हुआ कागज है, इसमें हमने 2004-05 से लेकर जितना पैसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने बजट में रखा, 2004-05 में 83 लाख रुपये रखा, 92.95 लाख रुपया खर्च कर दिया लगभग, एक-आध लाख रुपया बचा उसके बाद 2005-2006 में 191.35 लाख रुपया रखा, 191.35 लाख रुपया खर्च कर दिया एफ.एस.एल. की यूनिट को बनाने के लिए। यह, गृह विभाग के राज्य मंत्रीजी, थोड़ा सा देखो कि अगर इस तरह से डिपार्टमेंट चलते होंगे ना, तो फिर दुर्भाग्य है डिपार्टमेंट का। मैं सोचता हूं, बड़े प्रयत्नों के बाद इस आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत एफ.एस.एल. यूनिट को स्ट्रोंग बनाने के लिए केवल हमको ही नहीं, देश के सारे राज्यों को केन्द्र सरकार से इतनी सहायता मिली कि

हम अपनी इस यूनिट को जितनी अच्छी स्ट्रोंग कर सकें, जितनी वैज्ञानिक पद्धति से हमारा इन्वेस्टिगेशन होगा उतना ही हमको लाभ मिलेगा लेकिन आपने देखा, 06-07 में हमारे टाइम पर भी 12.95 रखा, उस साल हमने भी केवल 5.05 ही खर्च किया, सात करोड़ हमारे टाइम पर भी उस समय बच गया था। उसके बाद 07-08 में 252 करोड़, 252 लाख, सारी, 2.52 करोड़ यानी 252 लाख रुपया मिला था, 202 खर्च किया। 08-09 में 260 लाख रुपया मिला, 156 खर्च किया। आपकी गति देखो आप, इस चार्ट को खोलकर आज आपके अधिकारी से पूछना जो एफ एस एल यूनिट चलाता है कि तुम नींद निकाल रहे हो या क्या कर रहे हो। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, 09-10 में 311 लाख का बजट था, 311 लाख और खर्च कितना किया। 5 लाख। 311 लाख के अगेंस्ट में आप केवल 5 लाख रुपये खर्च कर पाये। उसके बाद 10-11 में आपको 278 लाख रुपये मिले, उसकी जगह आपने 32.02 लाख रुपये खर्च किये। उसके बाद 11-12, अफसोस, डिपार्टमेंट है या क्या है, कौन देखता है, क्या करते हैं आपके सेक्रेटरी और आपकी टीम? यही अगर आपका नक्शा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस राजस्थान का और कोई हो नहीं सकता। मैं सोचता हूं, 11-12 में 231.87 लाख रुपया आपको मिला इसमें, जीरो, डबल जीरो। यह है आपका। यह है आपकी मानिटरिंग। यह है आपकी एफ एस एल यूनिट की उपलब्धियां। जिस एफ एस एल यूनिट को बनाने के लिए इतना परिश्रम करके अपन यहां तक लेकर के आये। लेकिन किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता।

सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। बाकी भले ही जो भी होना है, तो हो।

आप देखो स्वीकृत पद। कम से कम थोड़ी-बहुत मानिटरिंग करो, भले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आदमी। मेरे आलोचना करने से मेरे मन को कोई संतोष नहीं होगा, यह सिस्टम सुधरेगा तो मन को संतोष होगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा लेकुना है कि आपके अधिकारियों को कोई मानिटरिंग करने का होश-हवास ही नहीं है, जो साप्ताहिक मीटिंग होकर के डिपार्टमेंट का खर्चा और खर्च जो हो रहा है, उसको देखने की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। आपने देखा होगा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग के जो आपके 360 पद हैं, उनमें से 177 आज की तारीख में भरे हुए हैं और 183 पद खाली हैं। जब आपके पास साइंटिस्ट ही नहीं होंगे, आप क्या करोगे? आपने साधन फैला दिये, प्रत्येक जिले पर आपने चल प्रयोगशाला बना दी, आपने चार-चार डिविजनल हैडक्वार्टर पर आपकी लेबोरेटरीज की स्थापना कर दीं और सारे के सारे हमने साधन जुटा लिये, हमारा काम बिलकुल है ही नहीं। इसी तरह से आप देखो कि यह कार्यालय सहायक का जो पद है,

(14.13 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

यह अनुबंध के आधार पर आपने स्वीकृति ले रखी है 79 पद की, यह अनुबंध के आधार पर; उसमें से काम कितने कर रहे हैं, मात्र 22; और खाली कितने हैं, 57। अब जहां आपके पास स्टाफ नहीं, जहां आपके पास पैसे के खर्चे का कोई हिसाब-किताब पूछता नहीं, देखता नहीं और इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति बनी है, मैं सोचता हूं कि कम से कम आलोचना करने की दृष्टि से नहीं, लेकिन अपने आप को देखने की आवश्यकता है।

मैंने इन सारे आंकड़ों को देखा है। यह आधुनिकीकरण के अन्तर्गत जो आपको राशि अलाट हुई, यह जो हमारे पास नमूने आते हैं जिनकी हम जांच करते हैं, वे 2004 में जब हमने अपनी सरकार छोड़ी थी, हम आये थे 2004 में, उस समय 18,052 केस पेंडिंग थे यह जांच के और उस साल नये फिर आ गये 18,344, उसके अगेंस्ट में हमने उस समय 18,259 पूरे कर लिये, थोड़ा सा बैकलाग हमने कम किया। उसके बाद फिर 18,344 आ गये, हमने 22,601 नमूने फाइनल कर दिये जांच करके और 13,795 पेंडिंग केस छोड़े थे। फिर उसके बाद 19,460 केस नये जुड़ गये, हमने 22,337 केसों का निस्तारण करके 10,918 पेंडिंग केस छूटे थे, जांच के जो नमूने पड़े हुए थे विभिन्न लेबोरेटरीज में, उनको हमने छोड़ा था। फिर उसके बाद 07 में फिर 19,516 केस आ गये, हमने 20,408 निपटाये और जो पेंडेंसी हमने छोड़ी थी वह 10,026

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केस पेंडिंग छूटे थे। अब आप देखिए अपने का, 08-09 के बाद वापस जो क्रम शुरू हुआ, 21 हजार नये नमूने आये, 10 हजार पुराने छूटे हुए थे, 31 हजार हो गये; उनमें से 20 हजार केस हुए, फिर 10,765 हो गये, बढ़ने लगा। फिर 09-10 में आपके 23 हजार नये नमूने आये, 23 नये आये, पुराने तो, पेंडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में, 23 हजार के अगेंस्ट में आपने 22,670 केवल निपटाये और फिर आपका बैलेंस 11,770 हो गया। इसी तरह से यह 10 और 11 का सारा मिलाकर आज की तारीख में जो पेंडेंसी है, जो आपके पास नमूने पड़े हुए हैं विभिन्न लेबोरेटरीज में उनकी संख्या वापस 15,054 हो गई। जहां हम पेंडेंसी 10 हजार पर ले आये, वह आपके समय में पेंडेंसी बढ़कर के वापिस आपने 15 हजार कर ली। इसका मतलब, आपका डिपार्टमेंट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, इतनी हमने लेबोरेटरीज स्थापित कर दीं, इतनी हमने चल इकाइयां बना दीं, प्रत्येक जिले में आपकी टीम है, उसके बाद पेंडेंसी घटने के बजाय बढ़ रही है। तो आपका डिपार्टमेंट किस ढंग से काम कर रहा है, यह थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिये।

मैं सोचता हूं कि बहुत लम्बे समय बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से हमने पुलिस एक्ट को बदलने का सारे हिन्दुस्तान के सभी गृह विभागों ने इस बात को स्वीकार किया और उसके कारण से हमने अपने यहां भी राजस्थान में क्योंकि 1861 का अंग्रेजों के टाइम पर पुलिस एक्ट बना हुआ था, उस पुलिस एक्ट को हमने यहां हाउस में पेश किया। हाउस की मंशा थी कि नहीं, यह चूंकि इतने सालों के बाद पहली बार पुलिस एक्ट बन रहा है, हाउस की मंशा यह थी कि इसको आप सलेक्ट कमेटी को भेजिये, इसके एक-एक बिन्दु पर ठीक प्रकार से विश्लेषण होकर सब की राय के आधार पर हम एक्ट बनायें। हमने अपना कोई अभिमान नहीं रखा। यद्यपि हमको केन्द्र सरकार से बार-बार यह आग्रह था, सुप्रीम कोर्ट का भी आग्रह था कि एक निश्चित समय में आप नया एक्ट ले आओ, नहीं तो जो उन्होंने गाइड लाइन जारी की उस गाइड लाइन के आधार पर आपको अपने काम को करना पड़ेगा। हमने उसको, हमने यहां हाउस की कमेटी बनाई, मैं सोचता हूं कि हाउस की कमेटी में हम 17 घंटे, कई मीटिंगों में बैठने के बाद, 17 घंटे, सब पार्टीज के अच्छे लोग जो कानून को समझते हैं, उस कमेटी का फोर्मेशन आप देखना, तो उन्होंने जो-जो सुझाव दिये, उन सुझावों के तहत हमने एक्ट बना दिया। वह एक्ट बन गया लेकिन एक्ट लागू कहां हुआ, कितना हुआ? उसमें हमने सब तरह से, हर जगह रोकने का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रयास किया था, लेकिन इच्छाशक्ति, एक्ट में हमने पुलिस आयोग बनाया था, पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया था और कामन पब्लिक भी अगर एस पी से भी किसी शिकायत के बारे में सहमत नहीं है तो वह उसमें जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी हीयरिंग होगी। क्योंकि उसमें सब प्रकार के लोगों को मिलाकर के वह बनाया था ताकि उसे न्याय मिल सके। नीचे का व्यक्ति जब कभी भी फैसला करेगा तो कम से कम इतना डर के तो करेगा कि मेरी अपील भी, कहीं भी, सामान्य गांव का आदमी भी अगर उसके किसी इनवेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है तो मेरे खिलाफ कहीं न कहीं सुना जायेगा। उसमें आपने रफा-दफा करके उसको डाल दिया। यानी उसका कोई उपयोग नहीं।

अब उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है, पुलिस विभाग सुधर क्यों नहीं रहा है, इस ओर जाने का प्रयास करिये। वास्तव में तभी, आप अभी कह रहे हैं कि मैंने 25 लाख करोड़ का बजट रखा, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। बजट बढ़ा, इसके लिए भी निश्चित रूप से आपको इसका धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन आप देखिए, यह इतना बजट देने के बाद भी यह बजट खर्च कहां हो रहा है, इसको कभी गौर से देखने का प्रयास नहीं किया। उसमें मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, मैं केवल आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए आपको पहल करनी ही चाहिए। अब आप देखो कि केवल पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय होता है बजट का 96.58 प्रतिशत। 96.58 प्रतिशत। जो बाकी काम है इसके लिए आपके पास बचता कितना है 3.42 । अब इसमें आपके आ गये, कार्यालय व्यय आ गया .85, मशीनरी और साज-सामान आ गया .30, वर्दी और सुविधा के लिए आ गया .53, और उसके बाद वाहन संचालन-संधारण के लिए 1.24 । अब पुलिस के पास अगर वाहन नहीं होगा, पैट्रोल नहीं होगा, उसमें डालने का जो उसके पास सामान चाहिए, जिस प्रकार के उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके बारे में कोई चिंता करता ही नहीं है। केवल बजट बढ़ा करके, यह बढ़ी हुई तनख्वाह को देकर के हम खुश हो जायें कि हमने बजट इतने से इतना बढ़ा दिया। क्या मतलब निकला? वह तो सब लोगों की जेब में गया तनख्वाह के रूप में। जो काम देने का पैसा था यह, वह तो मिला नहीं। सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह पहल करिये, कम से कम बजट का दस प्रतिशत भाग, यह जो दूसरे खर्चे हैं पुलिस के, जिससे पुलिस वैल-इक्विप्ड होकर अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकती है, उसमें डालने का प्रयत्न करिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहली बार में सफल नहीं होंगे, दो साल में होंगे, तीन साल में होंगे, चार साल में होंगे लेकिन आखिर उसको साधन तो देने पड़ेंगे। बिना साधन केवल आप उससे उम्मीद ही उम्मीद करो और वह केवल तनख्वाह के आधार पर, तो इसके कारण से नहीं सुधर सकता।

अब आपने, कई बार हमने, आपने, सबने पढ़ा है कि हमारी पुलिस की जो नफरी है, बहुत कम है। उस नफरी के बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नोर्म्स बनाये हैं, वह 220 पुलिस में एक लाख के ऊपर तय किया है और जो हिन्दुस्तान का है, वह 130 पर है। हमारा राजस्थान अभी 122 और 123 पर आ रहा है। वह ये जो रिक्त स्थान हैं, उसके आधार पर नहीं बनता है। तो वास्तव में हमारे पास इतनी कम फोर्स है। हमारा एरिया बड़ा है, हमारी जनसंख्या बिखरी हुई है, बाकी लोगों से हमारी प्राब्लम्स कुछ और प्रकार की हैं। हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमारा आदिवासी क्षेत्र है, उसके हिसाब से जो पुलिस फोर्स हमारे को चाहिए, वह पुलिस हमारे पास नहीं है। पुलिस की भी वहीं दुर्गति है रिक्त स्थानों के बारे में और आपने तो एक कागज में लिखा है कि अबकी बार हमने कमाल कर दिया, तीस हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती होंगे। दे ताली, बजाओ ताली। लेकिन इस पर भी देखो कि वास्तव में हम खड़े कहां है? भारतीय पुलिस सेवा के 205 पद हैं आपके पास, उसमें से 43 पद आज की तारीख में खाली हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 739, उनमें से 592 भरे हैं और 147 पद खाली है, 20 परसेंट पद खाली हैं। यह जो आपका पुलिस निरीक्षक है, ये 1035 पोस्टें हैं, उसमें से 805 भरी हैं तथा 230 खाली हैं लगभग 23 प्रतिशत। इसी तरह से आपका एस.आई. है, उसके 3,841 पद हैं, उसके अगेंस्ट में 1,335 पोस्टें खाली हैं, अर्थात् 30 परसेंट। यह जो आपकी संचालन करने वाली टीम है, इस सारे का अगर हिसाब निकाले तो लगभग आपके ये सारे मिलाकर के कोई 29 या 30 परसेंट पद आज की तारीख में खाली चल रहे हैं। जब तक आप इन पदों को नहीं भरेंगे और फिर आपने कांस्टेबल भर्ती किए, फीगर तो हमको बता दिए तीस हजार हम पांच साल में भर्ती करेंगे, पिछले साल आपने आठ हजार का ट्राई किया, आठ हजार में से आपने आज की तारीख में अपाइंटमेंट दिया है केवल 6,292 लोगों को। बाकी लोगों को आपने नहीं दिया।

मैंने कई बार विभाग के अधिकारियों से कहा कि छोटी सी गलती बालक से हो गई, मान लो, उसके पड़ोसी ने कोई दीवार बनाई और उसके पिता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का झगड़ा हो गया। बच्चे ने भी आकर के उसके दो थप्पड़ मार दिये और उसके कारण से 147, 323, 341 का केस दर्ज हो गया। अब आपने कोर्ट का एक ले लिया, क्योंकि इनके ऊपर पेंडिंग केस है और इसलिए अयोग्य है। मैं सोचता हूं कि अगर आपके पिताजी को या मेरे पिताजी को कोई थप्पड़ मार दें और मैं अगर उनका लड़का हूं तो मैं क्या खड़ा-खड़ा देखूंगा क्या? मुझ पर मुकदमा तो बन ही सकता है। ऐसे छोटे-छोटे किस्म के मुक़दमे जिन बच्चों के बने हैं, उनको आपने नौकरी में सलेक्ट होने के बाद भी बाहर निकाल दिया। जबकि कोर्ट आपको यह कह रहा है कि आप इनको भर्ती करें। कोर्ट के आदेश आपके पास पड़े हैं। आपका डिपार्टमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठ जाता है। मतलब ऐसे छोटे-छोटे, 341 का क्या केस है, 323 का क्या केस है, सामान्यतया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से टकरा गई और थप्पड़-मुक्का हो गया और मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे के कारण से क्या आप उस बच्चे को जिंदगी भर अयोग्य कर दोगे? जो पुलिस के अन्दर सलेक्ट हो गया ना, वह घर नहीं बैठेगा, आपको और मेरे को मारेगा। आखिर उसके मन की पीड़ा को कौन समझेगा? उसकी एक छोटी सी गलती के कारण उसको जिंदगी भर नौकरी से बाहर निकाल दिया, यह कहां का तर्क है, यह क्या है? कानून बनाना, न बनाना, अधिकारी भी सुन रहे हैं, कौन आदमी इसका दोषी है, कौन लड़का दोषी नहीं है; अगर कोई मर्डर केस में हो, कोई रेप केस में हो, कोई इस प्रकार का इसमें पैसे का कोई गबन किया हो, कोई घोटाला किया हो, तो ऐसे बच्चों को आप बाहर निकालें तो समझ में आ सकता है। लेकिन सामान्य गाली-गलौच के कारण से आप उस बच्चे को जिंदगी भर की नौकरी से बाहर निकाल करके फेंक दोगे तो वह बच्चा अपराधी बनेगा। और तो उसके पास रास्ता नहीं। यह जो स्थिति आपकी बनी है, यह अच्छी नहीं है।

मैं इसको पढ़कर के अपने आप में खुश नहीं होना चाहता हूं कि आपके समय में ऐसा हो गया और मेरे समय में ऐसा हो गया, मैं इस पक्ष का नहीं हूं। लेकिन इस पर गौर करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान अपराधों की दृष्टि से एक तरह से हिन्दुस्तान के रिकार्ड में आ रहा है। जयपुर जिसको आप वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, वह वर्ल्ड क्लास सिटी आज की तारीख में हिन्दुस्तान में अपराधग्रस्त शहरों में नम्बर तीन पर है। अपराधग्रस्त 35 बड़े शहरों का जहां आपने सर्वे किया है, उसमें जयपुर तीसरे नम्बर पर टिकता है। यह हमारे लिए सुखद विषय है क्या? हम कमिश्नरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सिस्टम लागू करने के बाद भी, हम अपनी राजधानी को भी इस ग्राफ से बाहर नहीं निकाल पाये हैं। अलवर हिन्दुस्तान के 20 टाप जिलों में अपराधी जिला है। हिन्दुस्तान के 20 जिलों में हमारे अलवर की गिनती आती है। यह हमारे लिए और विभाग के लिए शोचनीय विषय है। इस पर गौर करिए, आज नहीं तो कल इसको सुधारिए, नहीं तो एक दिन यह सारा का सारा अपराधी जिला बन जाएगा। अब हम तो बिहार से तुलना करते थे अपराधों से कि बिहार बहुत आगे है लेकिन बिहार का अपराध का परसेंटेज घट रहा है। जो कभी तीन साल पहले 23 परसेंट की गिनती में आता था देश के उस क्राइटेरिया में, आज की तारीख में वह 17 और 18 के बीच में आ गया है। वहां अपराध घटे हैं और हमारे अपराध बढ़े हैं। दस साल के अपराधों में राष्ट्रीय दर का जो औसत है, वह 181.4 है और राजस्थान का आज की तारीख में दस साल का जो एवरेज है, 252 है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। दलित अत्याचार की दृष्टि से भारत का जो रैंक है 2.9 है, हमारा रैंक है 7.5; तीन गुने से भी ज्यादा हमारे यहां दलित अपराध हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यह जो पिछले साल का जो रिकार्ड आया ना, उसमें हिन्दुस्तान में जितने दलितों पर मुकदमे दर्ज हुए, उसके 21.8 प्रतिशत अकेले राजस्थान में हुए हैं। यह विचारणीय विषय है। मन संतुष्ट कर लेंगे कि हमने यह किया, वह किया, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

देश में सबसे ज्यादा आर्थिक अपराध, नम्बर वन आज की तारीख में इस साल का आर्थिक अपराध निकला है। करोड़ों रुपए का चूना लगाकर के चले गए। ऐसे ही नहीं गए हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाए हैं अख़बारों में। ये इन्वेस्टमेंट कम्पनियां आ गई, यह गोल्ड आ गया, यह-यह आ गया, ये बड़े भवन बन गए, इसके यह प्लाट बिक रहे हैं। इस प्रकार से एक-दो हजार नहीं हैं, इसकी संख्या, दस हजार करोड़ के लगभग चूना लगाकर के गए हैं। और लास्ट में, आपके विभाग ने बड़ा विज्ञापन, सावधान। तो पहले आप सो रहे थे क्या जब विज्ञापन जारी हुए थे तब? आपको नहीं पता था कि ये किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह से गरीब को ठग करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? जब आपके खिलाफ मुक़दमे दर्ज हुए, एक के बाद एक जब प्रकरण खुलने लगे, तब आपको होश आया कि अब अगर सावधान नहीं किया तो अपने माथे आ जाएगा और इसलिए आपने एक बड़ा विज्ञापन देकर के, सावधान। हो गया सावधान राजस्थान? ये लुभाने वाली बातें हैं, दुगुना तीन साल में कर देंगे, कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ढाई साल में कर देगा, इसमें कर देगा, कोई गोल्ड में कर देगा, कोई किसमें कर देगा। लूट के चले गए और हम केवल तमाशबीन बनकर रह गए। उसमें हो सकता है, आपने अपराधी को पकड़ लिया लेकिन पैसा कितना वसूल हुआ? अपराधी को पकड़ लेना कोई मायने नहीं रखता। जब ऐसे बेईमानों से बाजार में नीलामी करके जितना पैसा उनके पास हो, वह वापस उस गरीब के पास आये, तब तो लगेगा कि आपमें कोई कानून की पालना कराने की हिम्मत है। बाकी खाली सरेंडर होने की हिम्मत है, ऐसा लगता है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि पर्यावरण के अपराध में भी राजस्थान नम्बर वन पर है। इसी तरह से आपने देखा होगा, महिला अत्याचार में अभी आपकी रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट में राजस्थान महिला अत्याचार में नम्बर तीन पर है, हिन्दुस्तान में नम्बर तीन पर है। अगर इस फिगर को देखने के बाद भी हम बड़े प्रसन्न हैं तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इससे अगर थोड़ी बहुत भी चिंता होती है तो विचार करिए कि हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। हमारी पुलिस की एफिशिएंसी कहीं तो नापनी चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे समय में भगोड़े नहीं थे या मेरे टाइम पर इस प्रकार के अपराधी नहीं भाग रहे थे, पर आप मानिटरिंग करें, कोशिश कीजिए, जितनी कम की जा सकती हैं उतना कम करें।

अब यह घोषित अपराधी की गिरफ्तारी, कुल घोषित अपराधी जो आपकी सातों तो रेंज और यह जो जी आर पी, अजमेर और जोधपुर, यह सारा मिलाकर के 3,619 लोग आपके घोषित अपराधी गिरफ्तार होने थे, इनमें से मात्र 274 हुए हैं, जिनका 7 परसेंट है। इसी तरह से जो भगोड़े गिरफ्तार होने थे, वे 5,666 थे उसके अगेंस्ट में 1,174 लोगों को आप गिरफ्तार कर पाये। जो स्थाई वारण्टी थे, जिनके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चिंता जाहिर की थी एस पी और कलक्टर की मीटिंग में, 64 हजार भगोड़े हैं, निकला क्या? कहने से और अख़बार में पढ़ने से संतोष नहीं होगा, मात्र 7,687 भगोड़े अब तक पकड़े गए इस साल 2011-12 में। यह सब हमको इस बात का दिखाते हैं कि हमारी वर्किंग की हमको ठीक प्रकार से मानिटरिंग करने की आवश्यकता है।

अब जहां तक आंकड़ों के लिहाज से कि हमारे टाइम पर अपराध कम हुए, आपके, टाइम पर अपराध कम हुए, इसके फिगर बोलने से कोई बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ज्यादा मन को संतोष मिल जाएगा, केवल अपराध कम होना या ज्यादा होना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध हो सकते हैं लेकिन हरेक को एफ आई आर दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। अपराध कम दर्ज हों, इस फिगर को मिलाने के लिए अगर कोई आदमी आए और उसकी एफ आई आर दर्ज नहीं करो, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। दर्ज हो गया, हो गया, कोई ऐसा गुनाह तो हुआ नहीं है लेकिन डिस्पोजल कैसा है हमारा, हम उसमें कितनी ठीक प्रकार से कार्यवाही कर सकते हैं, उसके फिगर को देखने की आवश्यकता है। यह फिगर मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं, यद्यपि 2005 में यह 1,51,174 था और आज की तारीख में 1,65,622 अपराध दर्ज हुए हैं इस वर्ष में, पर इस आकड़े को मिलाकर मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने बहुत एफिशिएंटली काम किया और आपने खराब किया। लेकिन इस फिगर को देख करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिगर को घटाने के लिए किसी वाजिब आदमी की भी एफ आई आर दर्ज करने में कोई कमी की क्या? हम देश में बदनाम हो जाएंगे, हो जाएंगे, कोई बात नहीं लेकिन हमारा सामान्य व्यक्ति यह सोचना चाहिए कि मैं जिस पीड़ा के लिए गया, पुलिस ने मेरी पीड़ा सुनी, मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, मुझे न्याय मिलने का प्रयत्न हुआ। मिला, नहीं मिला, यह बाद की बात है लेकिन इस आधार पर कि मेरी एफ आई आर कम है इसके कारण से मैं करूंगा।

एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं, मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि 2011-12 में यह जो आई पी सी के 1,65,622 अभियोगों का चालान हुआ, इसमें से आपने 1,67,208 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिनमें से 7,898 अभियुक्तों को सज़ा मिली न्यायालय से। अब आप अंदाज लगा लें, आप इतना परिश्रम करते हो, इतनी फौज का पैसा देते हो, पच्चीस सौ करोड़ रुपये जिस पर खर्च करते हैं और इतना बड़ा मैनपावर जो लगा रखा है, उनकी सारी मेहनत से अगर न्यायालय से केवल 7,898 लोगों को सज़ा होती है तो डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं अन्तर्मन से इस व्यवस्था के ऊपर मानिटरिंग करनी चाहिए, तब जाकर के लगेगा कि हमने कुछ किया।

सबसे बड़ा दु:ख तो यह है कि राजस्थान में मर्डर की जितनी संख्या आ रही है हमारी इन वर्षों में, वह 1,400 के लगभग साल भर में मर्डर होते हैं, लेकिन अकेले ही सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2011 में 9,232 लोगों की मौत हुई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब इसके बारे में चिन्ता सब जाहिर करते हैं, जब कभी वर्कशाप होती हैं न, तो फोटो आ जाती है, टीवी पर आ जाता है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम आयोग बना देंगे, हमने ये बना दिया, हमने वह कर दिया, बीस प्रतिशत हर साल हम एक्सीडेंट्स घटाएंगे लेकिन घटता एक भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं सारे फिगर 2001 से लेकर के बता सकता हूं। 2001 में जहां मृत्यु 5,187 थी, वह 2011 में 9,232 हो गयी। निरन्तर एक्सीडेंट्स। उसका कारण है कि हमारा कहीं न कहीं टेक्निकल फाल्ट है। हमने जिस तरह से 90 के एंगल पर लाकर के रोड्स को मिलाया है, हमें टेक्निकली दृष्टि से उसको ठीक करना चाहिए। पैरेलल रोड चला करके फिर आकर के कहीं एंट्री करनी चाहिए या ओवरब्रिज या अंडरब्रिज से निकालना चाहिए। आये दिन एक गाड़ी में 8-10 जाते हैं, क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी बन गयी; स्पीड इतनी अच्छी हो गयी। एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो सकती है लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि हमारा रोड का जो मेकेनिज्म है या जो इंडिकेशन है, वह हमारा ठीक नहीं है। बीच में आपने पेड़ लगा दिये। जहां फोर लेन बनायी, वहां बीच में आपने गहरे पेड़ लगा दिये और उसके बीच में एक ब्रेक दिया हुआ है। अब जो क्रोस करेगा, उसको दूर से दिखेगा ही नहीं कि इसमें से कोई क्रोस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम से कम दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह फीट वे झाड़ियां काट दो। विजिबिलिटी उसकी कैसे बने, इसके बारे में रखो और वहां कोई न कोई इंडिकेशन तो हो कि यहां आपका ब्रेक आ रहा है जिसमें से आदमी को निकलना है। अब यह निशान लगाने में कौन से सौ-दो सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। कम से कम इंडिकेटर तो ठीक लगा सकता है। पी डब्ल्यू डी को बैठा करके सिग्नल तो ठीक प्रकार से लगा सकते हैं ताकि अगर एक आदमी की भी जान बचाएंगे तो करोड़ों रुपये की जान होती है। जिसके घर से आदमी जाता है न एक्सीडेंट में, वह जिन्दगी भर तक नहीं भूलता है उसका छोटा बच्चा कि मेरा बाप पांच साल की उम्र में चला गया। छोटी-छोटी गलतियों से, यानी आज जो आये दिन जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं न, ये सब वह रोजड़ा दौड़ता है न, वह रोजड़ा जिस ढंग से निकलता है कि आप और मैं भी जब उदयपुर जाते हैं तो भगवान का नाम लेकर के जाते हैं, पता नहीं, कौन सा रोजड़ा कहां से निकलकर कूद कर आ जाए। और इतनी स्पीड से आता है कि हमें दिखायी नहीं देता है। मरने के अलावा कोई दूसरा चारा ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं। तो कम से कम फेंसिंग करायें, कुछ तरीका निकालें जिससे कि इस तरह से बचा जा सके। उसके लिए भी है।

श्री सभापतिः आप ही बतायें न, रोजड़ों के बारे में क्या करें? आप सुझाव दें। सुझाव भी तो दो इसमें। रोजड़ों की समस्या है वास्तव में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या करें? रोजड़ों के बारे में कानून बना रखा है, अगर पढ़ा हो तो। फेंसिंग करिये न सड़क पर। (व्यवधान) फेंसिंग की जा सकती है। फेंसिंग से कम से कम जो फोर लेन है, उसके ऊपर रोका जा सकता है। उसके बाद भी आप जो पूछना चाह रहे हो, आपके मन की बात यही है कि हम रोजड़ा बचाने वाले हैं, आप रोजड़ा मारने वाले हैं। यही कहना चाहते हैं न?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आधे रोजड़ों को तो फेंसिंग से बचाओ और आधे चित्तौड़ में भेज दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोजड़ों को जयपुर आने से रोकने का प्रयत्न करना पड़ेगा हमको।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसीलिए मैं कह रहा था, उधर ही डाल दें तो ठीक रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री महोदय, मैं बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं, केवल मेरे पास अभी तक जो आंकड़े आ पाये हैं, 6 महीने में पुलिस 190 बार पिटी। पिटी ही नहीं है, थाने में हत्या हुई है, थाने में बलात्कार हुआ है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये जिन्होंने भयंकर अपराध किया कोटा के थाने में जाकर या और किसी थाने में जाकर, कम से कम उनमें से कितनों को सज़ा दिलवा दी आप इतना बता दें। अगर पुलिस को इस तरह से थाने में आकर के मार कर चले जाएं और डिपार्टमेंट को इस बारे में चिन्ता नहीं हो कि इस मुक़दमे तो किस ढंग से लड़ा जाए और किस ढंग से इस हत्यारे को सज़ा मिले, तो फिर डिपार्टमेंट क्या चला रहे हो? जो अपने कांस्टेबल की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने डिपार्टमेंट की क्या रक्षा कर सकता है? सबसे छोटी हमारी इकाई वह है, उस इकाई की हिफाजत करना भी आपका और मेरा नैतिक दायित्व है, जिस पद पर हम बैठे हैं। लेकिन 190 बार पुलिस पिटी है। जयपुर में एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व गृह मंत्रीजी ने बताया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है कि 35 बार जयपुर शहर में पुलिस पिटी है। प्रश्न के उत्तर में है, वह ही मैं निकाल कर लाया हूं। अगर इसका सारे राजस्थान में लगायें तो यह लगभग 300 के आस-पास जाता है। जहां पुलिस पिट जाए, यानी ऐरा-गैरा कोई भी आकर के पीट जाए और पीटने के बाद मुकदमा भी दर्ज करे, मेरे उदयपुर में दर्ज हुआ है एक मुकदमा, एक ट्रैफिक पुलिस ने हमारे किसी मंत्री महोदय के लड़के को रोक लिया। पहले दिन मंत्री महोदय के लड़के का नाम आ गया। बाद में जब केस ट्रायल हुआ तो आया कि लड़का तो था ही नहीं, कोई दूसरा था। धन्य हो, अगर यही हमारा न्याय है कि बड़े आदमी को बचा कर किसी दूसरे को खड़ा कर दो और अपना काम समाप्त कर लो तो आप अपने मन से संतुष्ट हो सकते हो लेकिन अगर अपराधी को बचा रहे हो न, चाहे वह मेरा लड़का हो, चाहे आपका, एक बार अपराध नहीं करेगा, जिन्दगी भर अपराधी ही बन जाएगा। और अगर एक बार उसको छोटी सज़ा भी मिल जाएगी न, तो सुधर जाएगा। पर अब हमारे दिल और दिमाग में इस तरह से लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बार-बार जो सी बी आई-सी बी आई कह रहे हैं, सी बी आई का जो रोल है सारे हिन्दुस्तान में, कोई राजा हरिश्चन्द्र का नहीं है। इस बात को आपको भी समझना चाहिए मुझे भी समझना चाहिए, और सी बी आई को सी बी आई की तरह से उपयोग करना चाहिए। मैं यहां कुछ नमूने गिनाता हूं जो सी बी आई ने आज दिन तक जिस प्रकार से किया। ये भोपाल गैस की त्रासदी हुई इसमें सी बी आई की जांच नहीं थी क्या? सी बी आई ने आइडेंटिफाई नहीं कर लिया था कि कौन इसका दोषी है? लेकिन उसको किस तरह से भगाया गया हिन्दुस्तान से और केस को रफा-दफा किया, उससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती थी? यह सी बी आई का नमूना है। इसी तरह से लालू राबड़ी का मुकदमा था न सी बी आई के पास ही था न? जब-जब भी वह इधर-उधर भागता, तो वे उसको दिखाते डंडा, सी बी आई-सी बी आई, चल लाइन में; चल सी बी आई लाइन में लग जा। अगर यही सी बी आई का उपयोग है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से बोफोर्स मामले में सारे तथ्य आ चुके। सी बी आई ने क्या किया, गोलगप्पा। जब आप न्याय अलग-अलग टुकड़ों में करोगे तो वह सी बी आई बदनाम होगी, लोगों की निगाह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उतरेगी। इसी तरह से ताज गलियारा जो मामला है 175 करोड़ रुपयों का, मायाजी का है न, क्योंकि मायाजी का जब वोट चाहिए तत्काल, तो वह केस बाहर आता है और जैसे ही वोट देती है, वह दफन हो जाता है ताज कोरिडोर। इसी तरह से मुलायम सिंह का मामला था सौ करोड़ का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पूर्व मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हम राज्य के पुलिस महकमे पर चर्चा कर रहे हैं, देश के नहीं। आप जो विषय ला रहे हैं, वे राज्य की सीमाओं के बाहर के हैं। सी बी आई पर चर्चा करने का, मेरे ख्याल से, हम राज्य पुलिस की बात कर रहे हैं। तो शायद यह आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेरे को ऐसा ज्ञान है कि सी बी आई राज्य के भी मुकदमों को देखती होगी। नहीं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं आपके ज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि ये राज्य की सीमाओं के बाहर के प्रकरण हैं, हम राज्य के बारे में, पुलिस महकमे पर चर्चा कर रहे हैं, गृह विभाग पर कर रहे हैं। शायद आप विषयान्तर हो रहे हैं। हो सकता है, मैं गलत हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सी बी आई का उल्लेख करते हुए इन्होंने हरिश्चन्द्र का उल्लेख किया है। हरिश्चन्द्र आपके डी.जी. हैं, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकरण हैं। इसरो जासूस का है, जयललिता का मामला है, हवाला कांड है, निठारी कांड है, ये जो हत्याकांड हैं, इसी तरह से अन्य जो हत्याकांड हैं, ऐसी कई जांचें हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कोई राजा हरिश्चन्द्र के ही लड़के हैं। ये भी जहां करना हो, वहां करते हैं; जहां नहीं करना हो, नहीं करते हैं। हमारे यहां से सी बी आई को कितने केस गये हुए हैं और कब से गये हैं, जब आप बोलो, तब आप उनके बारे में बोलना कि उन केसेज में आपका फाइंडिंग क्या हुआ और कब से पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग हैं, क्यों नहीं उसमें अपराधी अब तक पकड़े गये। और क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही हुई? यह तो आपसे सम्बन्धित है कि नहीं? तो जब आप बोलो ना तो कम से कम जो आप लोगों ने या हमने राजस्थान के सी बी आई को जो केस दिये, वे आज कहां पड़े हैं, क्यों पड़े हैं और उनके गुनाहगारों के बारे में आपका क्या कहना है, वह बताइए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान में एक बहुत बड़ा अभियान नकली नोटों का चल रहा है। (व्यवधान) वह अब कोर्ट में चला गया, इसलिए उस पर अब ज्यादा ... (व्यवधान) ऐसा है, जो आप मेरे से उम्मीद करना चाहते हो, मैं आपसे भी ज्यादा स्पष्ट हूं, इस बारे में कुछ नहीं कहना। जो कोर्ट के परव्यू में चला गया, जिसके बारे में आज सी बी आई के पास कोई पेंडिंग काम नहीं, उस केस के बारे में वर्णन करना उचित नहीं है क्योंकि अब जो कुछ भी निर्णय करना है, वह कोर्ट को करना है और कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च है, सबको मान्य है। उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यह नकली नोटों का प्रचलन राजस्थान में जिस गति से बढ़ा है, जितने प्रकरण नकली नोटों के आज दिन तक दर्ज हुए हैं, जितने अभियुक्त आज दिन तक पकड़े गये हैं, उसमें से कितने तो जेल में हैं और कितने आज भी मस्ती कर रहे हैं, इतना बता देना। चाहे वह मेरे चित्तौड़ में हुआ हो, आपके यहां हुआ हो या कहीं भी हुआ हो। यह जो एक बड़ा जखीरा चल रहा है नकली नोटों का, उसके बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिये। यह ठगी वाला प्रकरण तो मैंने आपको बताया ही था।

अब आपकी एक नई स्टाइल निकली है, इस स्टाइल को रोको। लोकतंत्र में आंदोलन करना हरेक का अधिकार है, हरेक का हक है लेकिन हर आंदोलन को कुचल देना, अंग्रेजों ने भी शायद इतना नहीं कुचला होगा जितना आपने कुचलने का प्रयास किया। उसके बाद भी आप यहां आकर सफाई दे रहे हैं कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। तो क्या वहां मैं फोटो खींचने गया था? मैं तो नहीं लाया वह फोटो खींच कर। अगर अख़बार में लाठी मारते कोई फोटो आया, तो वह सच है या असत्य है, उसका फैसला तो आप और अख़बार दोनों करो, मैं तो नहीं कर सकता। जहां चाहो, वहां लाठी चार्ज।

बालोतरा में फरवरी से इंडस्ट्री बंद है और इस कारण से जब मजदूर भूखे मरने लग गया तो वह सड़क पर नहीं आयेगा तो कहां जायेगा? आपसे यही तो मांग रहा है कि प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण का इंतजाम करो। लेकिन प्रदूषण के कारण से सारी इंडस्ट्री बंद करके लोगों की रोजी-रोटी को ही बरबाद कर दो और क्या प्रदूषण केवल एक जगह हो रहा है? क्या बालोतरा में ही प्रदूषण हो रहा है? पाली में नहीं हो रहा है? बाकी जगह नहीं हो रहा है? अगर बाकी जगह पर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरीके से भी इंडस्ट्री को चलाया जा सकता है उस ढंग से हम इंडस्ट्री को चलायें, पर आपने बालोतरा में 300 लोगों को मुलजिम बना दिया। मावली में कोई आंदोलन करें...

श्री पदमाराम (चौहटन): बालोतरा में फैक्टरियां बंद कराने की रिट लेकर कौन गया था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कोई भी जा सकता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता।

श्री पदमाराम (चौहटन): किसने रिट लगाई थी? कल बालोतरा में जो हुआ, जो गिरफ्तार हुए, उनका बालोतरा से क्या लेना देना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अच्छा, मांग करना बेकार है? भूखा मरता हुआ आदमी सड़क पर आकर मांग भी नहीं कर सकता? यह आप अपना एक बोर्ड लगा लो कि कांग्रेस राज में ...

श्री पदमाराम (चौहटन): मांग कर सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है कि अभी नये-नये आये हो, जब वापस जनता को फेस करोगे ना, तो तीन मिनट में समझ में आ जायेगा। जनता किसी को नहीं भूलती, अच्छे-अच्छे का घमंड जनता चूर कर देती है। हम और आप भूल सकते हैं जनता को कभी तू भी कहा होगा ना, तो आपकी वाट निकाल देगी उसी दिन, जिस दिन आप उसके सामने जाओगे। याद रख लेना। अभी यह अनुभव करो और फिर उसके बाद...।

जनता की गलती हो सकती है, सुधारा जा सकता है, तरीका निकाला जा सकता है पर चाहे जिसको मुलजिम बनाकर, 200-200 लोगों पर आप मुकदमे बना दो और इस ढंग के मुकदमे बना दो कि आगजनी कर दी, यह तोड़ दिया। जब आपसे वार्ता करने के लिये आते हैं तो आते हैं। यहां शिक्षा मित्र आये, क्या किया था रात को 12 बजे ऐसा तूफान, जो आपने लट्ठ बरसा दिये और भगा दिया? बड़ी चौपड़ पर सर्राफा व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उन पर आपने लट्ठ चला दिये, बड़ी बहादुरी की। अभी आपके हाथ में लट्ठ है, अगर पुलिस में इतना ही दम है ना, तो किसी अभियुक्त को पकड़ कर लाये। वहां तो लट्ठ खा कर आते हैं और जो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, उनको लट्ठ मार कर बड़ी बहादुरी बताते हैं। अगर कभी मुकाबला कराना हो तो एक लट्ठ उनको भी दे दो, एक हमें भी दे दो और फिर वह मार कर बताये, कैसे लट्ठ मारते हैं। क्या बात करते हो। हम कानून के दायरे में फंसे हुए हैं, इसका मतलब यह थोड़े ही होता है कि हम इतने कमजोर हैं। जो भी आपका अच्छा ट्रेंड है, उसको कह देना कि हाथ में एक लट्ठ लेकर आ जाये और एक लट्ठ लेकर मैं खड़ा होता हूं, मार कर दिखा। क्या मजाक करता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तमाशा हो रहा है। मतलब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वर्दी इसलिए नहीं पहनाई। वह भी तुम्हारा भाई है, आंदोलन करने आया है, जहां तक सम्भव हो सकता है उसको कूल-डाउन करने का प्रयास करो, बातचीत के आधार पर रास्ता निकालो। (व्यवधान) आपने देखा, चित्तौड़ में 20 लाख की ज्वैलरी की चोरी हुई। अब लोग उस चोरी को लेकर थाने नहीं जायेंगे तो क्या करेंगे? आप स्वयं वहां के जन-प्रतिनिधि हो, ईमानदारी से जनता का आक्रोश है, सरे बाजार में अगर 20 लाख की चोरी हो जाये और वे ज्ञापन देने जायें, अपनी बात कहने जायें तो इसमें क्या गुनाह हो गया? उसके लिये आप मुकदमा टिका कर ठेठ हाई कोर्ट तक उनको घुमा दो। मावली में भी आपने हाई कोर्ट तक घुमा दिया। 6 लोगों को 6 दिन तक बंद रखा, बहुत अच्छी बात है, आप 12 दिन तक बंद रखो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ने वाला आपका ही है। अगर कहीं पुलिस की गलती है तो पुलिस को बचाने का प्रयास मत करो, पुलिस जो अच्छा काम करती है उसको शाबाशी देने का काम भी करो। हमारा सिस्टम इसलिए नहीं सुधर रहा है, हमारे सिस्टम में खराबी यह है कि हम राइट आदमी को राइट काम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं उसकी वर्किंग के आधार पर और हम अपने-अपने नजरिये से देख रहे हैं कि यह मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। यह आपकी बात तो मानेगा पर जनता के डंडे खायेगा। जिस प्रकार से आप राजनीति को घटियापन में ले जा रहे हैं, उसके कारण से आप इस पर जरूर विचार करो, मेरा आपसे आग्रह है, नहीं मानो तो आपकी इच्छा है।

भ्रष्टाचार विभाग, क्या विभाग है, भ्रष्टाचार मिटाओ। इसको पढ़ा आपने, भ्रष्टाचार मिटाओ। 30 करोड़ रुपये साल का खर्च करते हैं और उपलब्धि क्या है, आपकी ही रिपोर्ट पढ रहा हूं, वर्ष 2011 के प्रारम्भ में 231 अभियोजन विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे और इस वर्ष 263 अभियोगों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुल 2,294 अभियोगों में से 191 अभियोगों का विभिन्न न्यायालयों में निस्तारण हुआ। इनमें 142 अभियोगों में अभियुक्तों को बरी किया गया। 191 में से 142 बरी! पूरे साल में सज़ा मिली 49 को और इन 49 में इस सारे लवाजमे का खर्चा हुआ 30 करोड रुपया। मतलब एक आदमी की सज़ा का 50 लाख रुपया पड़ा। इसके नीचे और देखो आप, मतलब कम से कम पढ़ा करो, भले आदमी, नीचे लिखा है, वर्ष 2011 के प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में पेश की गई 995 अपीलें निगरानी विचाराधीन थीं। वर्ष के दौरान 81 अपीलें निगरानी और पेश की गईं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस तरह से 2011 में कुल 976 अपीलों में से 18 अपीलों को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। लो, वे भी खारिज हो गईं आपकी अपीलें।

आपकी उपलब्धि क्या है? जब पकड़ते हैं ना कि एक कांस्टेबल 2000 रुपये लेता हुआ पकडा गया, उसको लटका दिया और जिसके पास 100 करोड़ की सम्पत्ति मिली और दस दिन तक अखबारों में मोटा-मोटा आया, यहां प्लाट, यहां जमीन, यहां प्लाट, यहां जमीन, उनका बाल भी बांका नहीं होता है। मुझे दो -चार केस ऐसे बताना जिसमें आपने आय से अधिक सम्पत्ति में लोगों को पकड़ा और उनको आपने सज़ा दी। दुर्भाग्य है। हमारा देखने का नजरिया इतना अजीब हो गया है कि हमको 2,000 रुपये की रिश्वत लेने वाला वह छोटा-मोटा कांस्टेबल या पटवारी दिखता है और ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, पहले तो इनकी परमिशन ही नहीं मिलती, आप इनकी स्वीकृति मांगो तो डी ओ पी उनके खिलाफ कार्यवाही करने की परमिशन ही नहीं देती, तब तक तो वह दफन हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि तीन महीने में आपको करना ही पड़ेगा, तो अब कर रहे हैं तो उसमें 'ना' लिख कर भेज देते हैं। इनकी 'ना' का मतलब लोहे की लकीर, चाहे सुलटा लिखा हो या उलटा। कौन देखने वाला है इसको? इतना बड़ा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बनाया लेकिन उसकी उपलब्धियां कितनी हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखने का काम है।

अभियोजन पक्ष, अपन ने बहुत कोशिश की थी कि इस अभियोजन को अपन एक स्वतंत्र इकाई बनाकर सशक्त बनायें। लेकिन आज दिन तक 2008 से, मंत्री महोदय, जवाब देना अभियोजन का डायरेक्टर कौन है? और यह डायरेक्टर क्यों नहीं है जबकि हमने नियमों में संशोधन कर दिया था? 10 मई, 2007 को धारा 25-ए (7) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भी उसकी पालना क्यों नहीं हुई? कोई बतायेगा? कोई किसी की तरफ से देखने की कोशिश भी नहीं। आज उच्च न्यायालय में याचिका संख्या...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

हाई कोर्ट ने आपको यह कहा था। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1411/08 में दिनांक 8.4.2008 को दो माह में निदेशक अभियोजन बनाने की अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियम आज दिन तक नहीं बने और न ही लगा। अब और क्या कह सकता है न्यायालय? न आपको न्यायालय की चिंता, न आपको अपने डिपार्टमेंट की चिंता।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक केस जो मेरे पास आया, डी जी साहब भी यहां बैठे हैं, सुन रहे होंगे, 2010-11 में सीकर में कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें धांधली हुई है और धांधली की शिकायत हुई। जब इसका परीक्षा परिणाम आया तो एक ही कमरे में बैठे हुए 10 बच्चे पास हो गये। उसके खिलाफ एक हंसराज नाम के लड़के ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उसको कहा कि आपका एस पी या एडिशनल एस पी लेवल का इसकी जांच करे। जांच करके उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हां, ये 17 ही बच्चे इसके गुनहगार हैं और उसने नीचे लिखा है, इन 17 के खिलाफ आप कैस दर्ज करो और इनसे नीचे मेरिट में जो 17 लड़के थे, उनको आप नौकरी दे दो। यह आपका कोर्ट का फैसला है। अब ये बालक कहां जाएं? न आप कोर्ट का फैसला मानते हो, न आप कार्यवाही कर सकते हो, न जिनका हक बन रहा है उनको आप हक दिला सकते हो। तो फिर आप और हम यहां क्या कर सकते हैं?

मैं इसलिए कि केसेज के बारे में तो अपन लेट हों, उनका अगर पोस्टमार्टम करें तो हमको बैठकर विचार करना चाहिये कि वास्तव में इस प्रकार के जो संगीन केस हैं, इसमें हमने केस आफिसर स्कीम बनाई थी। केस आफिसर स्कीम में प्रत्येक थाने के एक इंचार्ज को लगाया था। जो गम्भीर किस्म के केस उस थाने पर दर्ज होते थे, उनकी प्रोपर मानिटरिंग, केस रिकार्ड तक, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती तब तक उसका पीछा करेगा। वह केस अगर उसके पक्ष में निकलेगा तो वह केस आफिसर की तरह से जो काम कर रहा था, नाम उसका केस आफिसर है लेकिन वह हैड कांस्टेबल भी हो सकता है, वह ए एस आई भी हो सकता है, एस आई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वह उसके रिकार्ड पर डालते थे कि आपने यह उपलब्धि की, इसके कारण से आपको इसमें इस प्रकार का रिवार्ड मिलता है। मतलब डिपार्टमेंट को एक तरह से पंगु बना दिया है सारी दृष्टि से। केवल आओ, जाओ, स्वागत करो, सेल्यूट मारो, बस। आपके यहां खड़े रहो, मेरे यहां खड़े रहो, यही पुलिस का काम है?

अभी मैं उस पर तो गया ही नहीं, इतना पुलिस का आदमी कहां लगा हुआ है। राजस्थान में लगा हुआ है, वहां तक भी ठीक है। कितने दिल्ली हैं और कितने ट्रांसफर होकर हैदराबाद चले गये, उनके साथ चला गया, क्या है यह? इतना भी नहीं रोक सकते कि जो आदमी ट्रांसफर होकर चला गया, भले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही हमारा आफिसर रहा होगा लेकिन साथ में तीन आदमी ले गया, अपने अर्दलियों को। हम यहां तनख्वाह चुका रहे हैं। कहीं तो सिस्टम सुधारोगे? दस नाराज होंगे, दस राज़ी होंगे लेकिन बिना कठोरता से यह डिपार्टमेंट नहीं चल सकता।

जिस थाने पर लगातार चार-चार, पांच-पांच मर्डर हो जाएं और एक भी मर्डर नहीं खुलता है, वहां उस थानेदार को रखकर धूप लगाएं? क्या करें उसका? कम से कम उसको रिकार्ड तक तो चलाओ कि लगातार पांच मर्डर एक के बाद एक हो गया और एक भी मर्डर नहीं खुलता, मैं व्यक्तिगत किसी केस को लेकर यहां डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन कहीं तो मान्टिरिंग करो। अब तो कम्प्यूटर का युग है, अब तो आप सारी की सारी चीजें, दिन भर के होने वाले अपराध आपके सामने आ जाएंगे, उनको कम से कम सप्ताह में एक बार जो गम्भीर किस्म के मुकदमे हैं, उनको आप ढूंढने का प्रयास करो।

कितने बदमाश लोग हैं जो व्यापारियों से रोज चौथ वसूली करते हैं आप और मैं नहीं जानते हैं क्या, मैं भी जानता हूं । मेरे समय में भी चौथ वसूली होती थी, मैं यह नहीं कह रहा कि मेरे समय नहीं होती थी लेकिन कम से कम अपराधी को पकड़ो तो सही। हमारे यहां तो एक महिला घर के बाहर खड़ी थी, उसकी चैन तोड़कर ले गये। थानेदार साहब आए तो कहा कि माताजी, आप सात बजे बाद घर से बाहर मत निकला करो। यह पुलिस का जवाब है? अगर नहीं निकला करो तो क्या आपको फालतू की तनख्वाह दे रही है राजस्थान की जनता अपने खून पसीने से? हमारे भानुकुमार जी शास्त्री के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने बता दिया कि 12 बजकर इतने बजे गाड़ी जाती है, मुकदमा दर्ज करो। तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। वे एस पी के पास गये, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह क्या तमाशा है? अगर एस पी की बात थानेदार नहीं मानता तो क्या डिपार्टमेंट चला रहे हो? कैसे नहीं माने?

इसका कारण है। इसका कारण है, जो सारा सेंट्रलाइज कर दिया ना पावर। आप इनको सबको अधिकार दो, गलती करें तो ठोको लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक कांस्टेबल भी एक एस पी नहीं बदल सकता। तो क्या राज करेगा? क्या करेगा? क्या प्रशासन चलाएगा? सारे पावर अपने हाथ में लेकर बैठ गये, प्रशासन ठप होकर बैठ गया और इसके कारण से हिम्मत हार गया है। कोई भी सोचता है, इसको छेड़ेगे तो अपन उल्टे मर जाएंगे, अपना ट्रांसफर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहीं हो जाएगा, अपने को कोई सज़ा मिल जाएगी। आप इनको पंगु मत बनाओ। जिस प्रदेश का ला एंड आर्डर सही है, उस प्रदेश में सब प्रकार की उसके विकास की गुंजाइश है और जहां सब कुछ होते हुए भी ला एंड आर्डर ठीक नहीं है तो कभी भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए अच्छे आदमी को अच्छी जगह लगाओ, अच्छा काम करने वाले को पारितोषिक दो। वर्ष में एक बार सम्मान करो, पब्लिक के सामने सम्मान करो कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, तब तो आप इस डिपार्टमेंट को सुधार सकोगे। इतना मेरा आपसे आग्रह है।

इसको आलोचना के रूप में मत लीजिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट की गहनता में जाने का प्रयास कीजिए। केवल सवेरे उठकर रात को सो जाने से यह डिपार्टमेंट नहीं चलता है। यह डिपार्टमेंट 24 घंटे माथा पचाने से होता है और मन में कुछ संवेदना और पीड़ा भी चाहिए। उस गरीब के दर्द को अपना दर्द समझकर हल करने का प्रयास करोगे ना तो हर रास्ता निकलेगा, हर समस्या का समाधान निकलेगा। यही अधिकारी जो काम नहीं करता, वह भी काम करेगा क्योंकि इंसानियत तो सबके अन्दर है, केवल जगाने की जरूरत है। उस पर राख पड़ गई है, उस राख को हिलाओ और कम से कम इस डिपार्टमेंट को ठीक करो। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कटारियाजी, मैं आपकी भावना से बड़ा संतुष्ट हूं। आप जब मंत्री बने थे, तो आप थोड़ा व्यस्त हो गये थे; भावना आपकी उस समय भी ठीक थी लेकिन उस समय आप ज्यादा व्यस्त हो गये थे। इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी भावना वास्तव में सही है। आप जो बातें कहते हो, वास्तव में प्रैक्टिकल हैं।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पर हुआ क्या कि जब आप मंत्री बने ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माला देते थे ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह जो बिरलाजी है, ना, इनका तो +++ करवाना पड़ेगा। बैठ जाओ। (व्यवधान) आपकी भावना सही है, आपके विचार भी सही हैं लेकिन आपको मौका मिला तो आप ज्यादा व्यस्त हो गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने मेरा पांच साल का कार्यकाल देखा होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने तो बीस साल का देखा है आपका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने कोशिश की।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोशिश की पर आपके ऊपर जो साया था ना बी जे पी वालों का, इनका झुण्ड बड़ा गड़बड़ था। ये आपको दबाते थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुदान मांग संख्या 16 व 17, पुलिस और कारागार के बारे में चर्चा हो रही है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कटारिया साहब ने कारागार विभाग की चिंता की और इनकी चिंता वाजिब भी है, क्योंकि जब कोई बंदी कारागार में जाता है और उसको वहां भी चैन नहीं मिले तो अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से कारागृहों की स्थिति में सुधार करना चाहिये। इसी मद में, बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय कारागृहों में नये रसोई घरों तथा विशेष बंदियों हेतु बंदीगृहों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाने जाने हेतु पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। तो निश्चित रूप से इससे कारागृहों की स्थिति में सुधार आएगा। जो बंदी वहां जाएंगे, उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निश्चित रूप से पुलिस और कारागार की जब बात आती है, तो पुलिस की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, कारागार की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

माननीय कटारिया साहब ने अनेक चिंताएं यहां व्यक्त की, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की कि पुलिस फोरेंसिक लेबोरेट्री, एफ एस एल के बारे में, निश्चित रूप से प्रकरणों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। एफ एस एल की रिपोर्ट के इंतजार में अनेक लोग जेल में बंदी होते हैं और वे रिपोर्ट जब समय से नहीं आतीं तो लम्बे समय तक उनको जेल में रहना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से, गृह राज्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की एक फिक्स समयावधि तय करें कि जो सैम्पल एफ एस एल में जाए, उसका महीने-दो महीने का फिक्स हो कि इतने समय में तो निश्चित रूप से यह रिपोर्ट आएगी । इस देरी से अनेक लोगों को भारी मानसिक और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि एफ एस एल रिपोर्टस की जो पेंडेंसी चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी कम किया जाए और कोई कारगर कदम उठाने चाहिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस हेतु अच्छा ढांचा बनाने, अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस बार बजट में, राज्य में पुलिस एवं सुरक्षा सम्बन्धी उच्च स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने और इन विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से इस योजना से, यह विश्वविद्यालय स्थापित होने से पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारी, अधिकारी मिलेंगे तो जनता की अच्छी सेवा कर पाएंगे, निश्चित रूप से फायदा होगा।

अभी बजट में थानों में नफरी के बारे में चर्चा की गई कि शहरी क्षेत्र में 60 और ग्रामीण क्षेत्र में 45 की नफरी की गई है, जो पहले बहुत कम थी। यह करने से जनता को काफी राहत मिलेगी, ला एंड आर्डर में काफी नियंत्रण रहेगा।

इसी तरह राज्य में 11 जिला पुलिस मुख्यालयों पर महिला थाने उपलब्ध नहीं हैं। इस बजट में 11 जिला पुलिस महिला थाने खोलने का भी प्रस्ताव रखा है। जब ये महिला थाने खुल जाएंगे तो हर जिले में एक महिला थाना उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति जो आये दिन अत्याचार होते रहते हैं, आये दिन घटनायें होती रहती हैं, तो जिला स्तर पर तो कम से कम उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से महिलाओं को इसका फायदा होगा और पुलिस अधिकारियों को भी एक जिले में नहीं होने से दूसरे जिले में या राज्य में जाना पड़ता था, वहां की जांच की जाती थी, वह स्थानीय स्तर पर हो जाएगी।

(15.00 बजे)

12,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और दो साल में 20 हजार भर्ती प्रक्रिया और होने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह पुलिस थानों, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालयों में नवीन पुलिस प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे नये भवन भी बनेंगे।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में होम गार्ड व्यवस्था उपलब्ध है। एक होम गार्ड अपनी होम गार्ड की ड्यूटी देते-देते ही बुड्ढा हो जाता है। मेरा

(श्री भगवान सहाय सैनी)

अनुरोध है कि होम गार्ड में से, जब भी पुलिस में भर्ती हो तो एक फिक्स कोटा करके, 50 प्रतिशत कोटा होम गार्ड से भरा जाए। उनको अनुभव भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है और आये दिन, जहां भी झगड़ा होता है, फसाद होता है, होम गार्ड को भेजा जाता है। वे ड्यूटी भी करते हैं, रात्रि गश्त भी करते हैं। यदि होम गार्ड से पुलिस में भर्ती की जाए तो निश्चित रूप से होम गार्ड को, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को काम मिलेगा और पुलिस में अच्छा काम कर पाएंगे। होम गार्ड का मानदेय है, वह भी बहुत कम है, उस मानदेय को भी बढ़ाया जाए।

अभी माननीय कटारिया साहब जिक्र कर रहे थे, अपराधों और दुर्घटनाओं के आंकड़ों का। माननीय कटारिया साहब निश्चित रूप से बहुत सीनियर सदस्य हैं, निश्चित रूप से उन्होंने आंकड़े सही पेश किये होंगे लेकिन मेरे पास चौमूं थाने के आंकड़े हैं, मैं लेकर के आया हूं। चौमूं थाने में बी.जे.पी. के राज में 2008 में कुल अपराध 769 दर्ज हुए, कुल अपराध चौमूं के 511 और चौमूं से बाहर के, रूरल के 258 हुए। आज 2011 में कुल अपराध दर्ज हुए 609, उस कस्बे में 511 की जगह 326, यानी 20 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए और चौमूं कस्बे में लगभग 40 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए। इसी तरह दुर्घटना में 2008 में जहां 176 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, 2011 में 113 दुर्घटनाएं हुईं; 2008 में 44 लोगों की मौत हुई, 2011 में 34 लोगों की मौत हुई; 2008 में 187 घायल हुए और 2011 में 84, जहां 55 प्रतिशत की कमी आई। इस तरह मैं तो मानता हूं कि चौमूं थाने में, चाहे दुर्घटनाएं हों, चाहे अपराध हों, उनकी संख्या यहां कम आई है तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी कमी आई होगी। लेकिन कटारिया साहब के आंकड़े हैं, वे आंकड़ों की ही बात करते हैं, तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर में सुधार हुआ है लेकिन इस तरफ और ध्यान देने की जरूरत है। ला एंड आर्डर ठीक रहेगा तो प्रदेश में खुशहाली रहेगी, और खुशहाली बढ़ेगी और आम आदमी सुखी रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज की अनुदान की मांगों पर मेरे क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कालाडेरा थाना, जो चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, इसके ग्राम मण्डा-भिण्डा और गौरी का बास जो इस थाने से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, वे वर्तमान में गोविन्दगढ़ थाने के अन्दर लगाये हुए हैं जिसकी दूरी वहां से 25 किलोमीटर है। इसके अलावा आमेर क्षेत्र के प्रतापपुरा शेखावतान, रघुनाथपुरा, श्रीपुरा,

(श्री भगवान सहाय सैनी)

कल्याणपुरा, बांस-बावड़ी, सुन्दरपुरा, ये गांव भी कालाडेरा से 8-10 किलोमीटर की परिधि में हैं। ये वर्तमान में हरमाड़ा थाने में हैं, जहां की दूरी 30 किलोमीटर के लगभग है, हरमाड़ा से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन गांवों को कालाडेरा थाने में सम्मिलित किया जाए, जिससे इनको समय पर ला एंड आर्डर की सुविधा मिल सके और समय पर अपनी बात कहने के लिये इतनी दूर नहीं जाना पड़े।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील में जाटावाली व खेजड़ोली में अस्थाई चौकियां लगती रहती हैं। जाटावाली जयपुर-चौमूं बाई-पास नेशनल हाई-वे पर स्थित है और खेजड़ोली 25 हजार आबादी का बड़ा गांव है लेकिन वहां पर स्थाई पुलिस चौकी नहीं होने से आम जनता को काफी दिक्कतें रहती हैं। अपनी एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये भी गोविन्दगढ़ जाना पड़ता है। यदि वहां पर जाटावाली व खेजड़ोली में स्थाई चौकियां स्थापित कर दी जाती हैं तो उससे जनता को काफी राहत मिलेगी। जाटावाली एक ऐसा पाइंट है जहां से अनेक अवैध, जैसे शराब के ट्रक और इस तरह की चीजें, जो अवैध हैं, गुजरती रहती हैं। पिछले साल दो बड़े ट्रक देशी और अंग्रेजी शराब के वहां जब्त किये गये। वह चौकी की जो गश्त है, उन्हीं के द्वारा किये गये। तो यदि जाटावाली में स्थाई चौकी बना दी जाती है तो जनता को काफी लाभ मिलेगा और इसके अलावा जो अवैध धन्धे होते हैं, उनमें भी पाबन्दी लगेगी।

चौमूं कस्बा जो लगभग 90 हजार की आबादी का हो चुका है, वहां वर्तमान में जो थाना है वह चौमूं के नाम से है, जिसमें कस्बा चौमूं 90 हजार की आबादी और एक लाख की आबादी रूरल की है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चौमूं थाने के साथ एक दूसरा थाना, सदर थाना स्थापित किया जाए जो चौमूं कस्बे के लिये हो और दूसरा थाना जो वर्तमान में कार्यरत है, वह वैसे के वैसे रहे। जैसे सांगानेर में सदर थाना है, अन्य जगह एक सिटी का थाना, एक बाहर का थाना है तो चौमूं में सदन थाना स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

अभी एक वर्ष पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्दगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नया पद, स्थापित हुआ है और अभी किराये के भवन में वह चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गोविन्दगढ़ उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भवन निर्माण के लिये अधिक से अधिक राशि, इस बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है, 2 करोड़ रुपये गोविन्दगढ़ के लिये स्वीकृत करें जिससे वहां पर कार्यालय भवन बन सके।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

आये दिन दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों की भारी चोरियां होती हैं। दो-पहिया वाहन तो दिन में चोरी होते हैं। उसके लिये बजट में जोधपुर और जयपुर में, कमिश्नरेट में 150 टी.वी., जो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रस्ताव किया गया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जोधपुर और जयपुर में ही नहीं, राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में भी ये 125 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाएं और चौमूं में भी ऐसे कैमरों की व्यवस्था करवाई जाए। चौमूं में आये दिन, महीने में लगभग 200 मोटर साइकिलों की चोरी की वारदातें हो रही हैं। ये वारदातें दिन में होती हैं, कोई रात में नहीं होती हैं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि सब्जी मण्डी, मण्डी, बस स्टैंड, भीड़-भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, परिसर हैं, वहां से चोरियां होती हैं, तो यदि सी.सी.टी.वी. कैमरे वहां लगा दिये जाएं तो निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होगा। ये राजस्थान के हर शहर में लगाये जाएं।

चौमूं संवेदनशील कस्बा है, आर.ए.सी. पुलिस की एक कम्पनी का हैड क्वार्टर चौमूं में था। 4 साल पहले वहां से हटाकर के उसको जयपुर लगा दिया गया है। चौमूं में 1982 से अब तक अनेक बार बड़ी-बड़ी घटनाएं भी 3-4 बार हुई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि चौमूं में कोई घटना होती है और उसके लिये कंट्रोल रूम को नोट कराएं और जयपुर से जब तक जाप्ता जाए, तब तक कुछ भी हो सकता है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आर.ए.सी. की एक कम्पनी, जिसका पहले चौमूं में हैड क्वार्टर था, पुनः उस कम्पनी का चौमूं में हैड क्वार्टर किया जाए। एक कम्पनी वहां पर हमेशा मौजूद रहे।

चौमूं में ट्रैफिक पुलिस की भी भारी कमी है। वहां केवल 8 ट्रैफिक मेन हैं। नेशनल हाई-वे पर स्थित है, भीड़-भाड़ रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्रैफिक पुलिस की भी नफरी बढ़ाई जाए।

मैं मेरी ये मांगें रखते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, 2008 में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान की कानून-व्यवस्था चौपट हो गयी है; अपराधियों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है; सरे आम अपराधी घूम रहे हैं; पुलिस का उन पर कोई खौफ नहीं है; यदि हमारा राज आया तो राजस्थान में कानून और व्यवस्था का राज होगा, अपराधों पर नियंत्रण होगा। पुलिस का अपराधियों में खौफ होगा। यहां पर गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आपका राज बन गया, आज क्या अपराधों पर नियंत्रण हो गया? क्या प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज सुचारु रूप से चल रहा है? आज यदि वास्तविकता हम देखें तो हम यह देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जब गुलाब चन्दजी कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री थे, उससे तुलना की जाए तो आज निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जहां अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, आज स्थिति यह है कि पुलिस में अपराधियों का खौफ है और उसी का यह परिणाम है, जैसा कटारियाजी बता रहे थे कि पूरे राजस्थान में 190 स्थानों पर पुलिस की पिटाई अपराधियों के द्वारा की गई। आज तक तो हम यह सुनते थे कि पुलिस अपराधियों की पिटाई करती है परन्तु राजस्थान में मैं बधाई देना चाहता हूं अशोकजी गहलोत को कि उन्होंने उलटा कर दिया, आज पुलिस को अपराधी पीट रहे हैं।

जहां तक अपराधों पर नियंत्रण का सवाल है, मैं ज्यादा लम्बे-चौड़े आंकड़े नहीं बताना चाहता, महिलाओं पर अत्याचार की बात करूंगा, अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचारों की बात करूंगा। आप यह देखिये, राजस्थान में महिला अत्याचारों की स्थिति, 2008 में 15,174 महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए, 2009 में आपका राज आने के बाद वे बढ़कर 18,012 हो गये, 2010 में 18,906 हो गये और 2011 में 20,000 को क्रास कर लिये और 20,765 हो गये। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आप बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, आप यह शो करते हैं कि हम ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खैरख़्वाह हैं, अब उनकी स्थिति देखिये। 2008 में जहां 5,340 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित अत्याचारों के मामले दर्ज हुए, वहां आपका राज आने के बाद 2009 में यह बढ़कर 6,168 हो गये। 2011 में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गयी।

(श्री कालीचरण सराफ)

अनुसूचित जाति की खैरख्वाह पार्टी कांग्रेस, उसके राज में अब 6,445 अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, अत्याचारों के मुकदमे दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आज राजस्थान की पुलिस संवेदनहीनता और महिला उत्पीड़न के मामले में देश में तीसरे नम्बर पर है। उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर, दिल्ली दूसरे नम्बर पर और राजस्थान पुलिस तीसरे नम्बर पर, 251 शिकायतों के साथ यह तीसरे नम्बर पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजधानी जयपुर के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले यह माना जाता था कि जयपुर एक शांत शहर है, यहां पर हर आदमी आकर रहना चाहता था परन्तु आज स्थिति क्या हो गई? जब से राजस्थान में कांग्रेस का राज आया, अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने हैं, आज मैं यह कह सकता हूं और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जहां हमारे राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में जयपुर एशिया के टाप 10 सुन्दरतम शहरों में आता था, सुन्दरतम शहरों में 10वें नम्बर पर आता था, आपका राज आने के बाद वह 10वां नम्बर तो चला गया 239 नम्बर पर और आपके राज में कीर्तिमान स्थापित किया है कि जयपुर शहर हिन्दुस्तान के 35 जो सबसे ज्यादा अपराधग्रस्त शहर हैं, उनमें तीसरे नम्बर पर आ गया। आज यहां पर क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है कि आम आदमी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, हत्या, डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, वाहन चोरी की घटनाएं आम हो गयी हैं। वाहन चोरी का तो आलम यह है कि इंश्योरेंस वालों ने यह कह दिया कि बोलेरो की चोरी की, मतलब बोलेरो की तो हम इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे जयपुर शहर की नहीं हो सकती।

हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जब यह घोषणा कर रहे थे कि जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू की जाएगी तो हमने भी टेबलें थपथपायीं कि अब तो पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाएगी जयपुर शहर में और जयपुर शहर में अपराधों पर अंकुश लगेगा। पर मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आज पुलिस कमिश्नरी जयपुर में लागू होने के बाद अपराधियों का शहर जयपुर शहर बन गया है। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां अपराधी आता है, अपराध करके चला जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अपराधी को वह पकड़ नहीं पाती। अब आंकड़े देखिये आप। 2011 में जयपुर शहर में हत्या की 83 वारदातें हुईं, हत्या के प्रयास की 82 घटनाएं हुईं, डकैती

(श्री कालीचरण सराफ)

की 8 घटनाएं हुईं, लूट की 179 घटनाएं, अपहरण की 262 घटनाएं, बलात्कार की 92 घटनाएं, बलवा की 137 घटनाएं, नकबजनी की 891 घटनाएं, चोरी की 4,893 घटनाएं, वाहन चोरी की 3,447 घटनाएं, और अन्य आपराधिक मामले जो जयपुर में दर्ज हुए 12,268; यानी पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद 2011 में जयपुर शहर में कुल 18,896 अपराध दर्ज किये गये और मुझे अफसोस है यह बताते हुए, माननीय सभापति महोदय, 2010-11 के दौरान राजधानी में जो हत्या की घटनाएं हुईं, उनमें से 15 हत्या की घटनाओं का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा।

गलता गेट थाना के अन्तर्गत देव नारायण मंदिर के पुजारी विजय लाल की हत्या हुई, आज तक कोई पता नहीं लगा। मौजी कालोनी, मेरी कांस्टिट्यूएंसी में एक मकान के चौकीदार की हत्या हुई, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा। अजमेरी गेट, यादगार, जो यातायात पुलिस का हैडक्वार्टर है, उसके बाहर नर-मुंड मिला; आज तक किसका नर-मुंड था, किसने उसकी हत्या की, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ब्रह्मपुरी थानान्तर्गत रतन देवी की गला दबाकर हत्या की गई, उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं। बहुचर्चित हर्षित सोनी हत्याकांड, कोई पता नहीं। गलता गेट पर अज्ञात युवक की सिर पर चोट मारकर हत्या, कोई पता नहीं। कानोता में एक बलराम डाकौत हत्याकांड और एक अज्ञात महिला की हत्या, कोई खुलासा नहीं। सांगानेर में ज़ेवरात के लिए एक महिला की हत्या गला रेत कर कर दी गई, कोई पता नहीं।

डकैती में तो हमारे जयपुर शहर ने कीर्तिमान स्थापित किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि महावीर नगर में जौहरी प्रकाश गुप्ता के घर पर डकैती डाली गई, उनकी बुजुर्ग माता रमा गुप्ता की हत्या कर दी गई परन्तु अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। महावीर नगर में ही एसोशिएट प्रोफेसर भूपेश कुमावत के घर पर डाका डाला गया, उस डकैती का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। 27 अप्रैल, 2010 श्याम नगर में अनिल अग्रवाल की हत्या हुई, कोई पता नहीं लगा। 21 जुलाई, 2010, मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में मालवीय नगर डी-ब्लाक में दवा विक्रेता बृज भूषण के यहां पर डाका डाला गया, कोई पता नहीं। 24 अगस्त, 2010 ब्रह्मपुरी क्षेत्र में लाइब्रेरियन श्रीमती मजर बानो के घर डकैती हुई, कोई पता नहीं। 2 अक्टूबर, 2010, बजाज नगर थानान्तर्गत इंदिरा नगर में कपड़ा व्यवसायी विमल

(श्री कालीचरण सराफ)

अग्रवाल के यहां डकैती डाली गई, उसका भी कोई पता नहीं। 05 जनवरी, 2011, मालवीय नगर सेक्टर-1 में एस.एम.एस. के रिटायर्ड डाक्टर नरेन्द्र सेठी, डाक्टर नरेन्द्र सेठी के यहां डाका डाला गया, कोई पता नहीं।

अखबारों में यह बड़ी-बड़ी न्यूज आई और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एक प्रेस क्रांफ्रेंस ली कि हमने डा. नरेन्द्र सेठी के डकैतों को पकड़ लिया है। हम भी बड़े खुश हुए, हमने भी बधाई दी कि सोनी साहब, आपने यह बहुत बढ़िया काम किया। पर जब वे डा. नरेन्द्र सेठी मेरे पास आये, उन्होंने यह कहा कि कोई माल बरामद नहीं हुआ। मैंने फोन किया और कहा कि सोनी साहब, आप तो कह रहे थे कि पकड़ लिया, माल बरामद नहीं हुआ; कि माल तो वे बांग्लादेश ले गये। तो सेठीजी ने कहा कि चलो, माल ले गये, कोई बात नहीं; वे मेरे कपड़े ले गये थे, उनमें से ही कोई एक नमूना बता दो जिससे मैं यह कह सकूं कि डकैत पकड़ा गया। वह भी नहीं। यानी, फर्जी। केवल यह कहकर कि डा. नरेन्द्र सेठी के घर पर जो डकैती हुई, उनको हमने पकड़ लिया है, कोई अता-पता नहीं।

दीपावली की रात को हिम्मत नगर में डकैती और उसी दिन प्रताप नगर में भी, जगतपुरा में डकैती, कोई पता नहीं। लालसिंह जूडो कालोनी में तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। एक थानेदार के घर पर डकैती हो गई। थानेदार के घर पर! उसका भी कोई पता नहीं। मालवीय नगर में एक नौकर ने मालकिन को मार दिया और एक दूसरे नौकर को मार दिया और डबल मर्डर कर दिया, सारा माल लूट कर ले गया, कोई पता नहीं। आज उसके साथी को पकड़ लिया, पर जो मेन अभियुक्त है, वह अभी तक नहीं पकड़ा गया।

अभी 5-7 दिन पहले आप लोगों ने अख़बार में पढ़ा होगा, ये सब घटनाएं तो हुईं रात को और अब तो शाम को 7 बजे, आप देखिये, अपराधियों के हौसले कितने बुलन्द हैं कि मालवीय नगर सेक्टर-1 में गैस एजेंसी चलाते हैं गोविन्द मित्तल, शाम को 6-7 बजे 4-5 डकैत उसके आफिस में घुसते हैं और उसका पूरा सिर चाकुओं से गोद दिया, 125 टांके आये हैं। अभी भी उसकी हालत गम्भीर है। कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पुलिस कमिश्नरी जयपुर शहर में इसलिये लागू की थी कि सरे आम डकैतियां हो जायें, अपराधी बेखौफ घूमते रहें और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे?

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आपको यह जानकर दु:ख होगा कि जयपुर शहर में संगठित आर्थिक अपराध के गिरोह हैं। उन्होंने अपना शहर

(श्री कालीचरण सराफ)

बना रखा है, जयपुर शहर को उन्होंने अपनी मांद बना रखा है। अब आप यह देखिये, लगभग 2 लाख निवेशक, जिनका 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा दुगुना धन करने के नाम पर, रुपये डबल कर देंगे, इसके नाम पर, चाहे फिर वह गोल्ड सूक कम्पनी हो, पियर्स इंडिया, टर्ल एग्रोटेक कारपोरेशन, आर.सी.एम., ईव मिराकिल, प्रिया परिवार, यानी ये कम्पनियां पिछले 4-5 सालों से जनता को लूटती रहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जब जनता का कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है, अपनी एफ.आई.आर. दर्ज कराता है तो ऊपर से फोन आता है, छोड़ दो, एफ.आर. लगा दो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 4 हजार करोड़ रुपये का पैसा लूट लिया 2 लाख निवेशकों से और आपने पुलिस के 6 छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि वह आई पी एस आफिसर की पत्नी कौन थी जिसने गोल्ड सूक कम्पनी के हजारों मेम्बर्स बनाये, करोड़ों रुपये लोगों से ले लिये? मैं मांग करना चाहता हूं कि आप जब यहां रिप्लाई दें तब इस बात की घोषणा करें कि इस प्रकार की चिटफंड कम्पनियां हैं, इसमें किस-किस पुलिस अधिकारी का हाथ था, कौन आई पी एस अधिकारी इसमें इन्वाल्व था और उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। उसके साथ यह भी बतायें कि जो 2 लाख निवेशक इसमें लूट लिये गये, आज अपराधियों को तो आपने पकड़ लिया, पर आपने उनसे क्या बरामद किया और आप निवेशकों को इसमें से कितना पैसा दिलवा रहे हैं, इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बतायें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात यहां और बड़ी तकलीफदेह है। हरियाणा के लोगों ने आज जयपुर शहर को अपराधों का शहर बना दिया। हरियाणा से बदमाश आते हैं और यहां अपराध घटित करके चले जाते हैं। कोई पकड़ में नहीं आता है। अब आप देखिये, मैं आपको दो-तीन उदाहरण बताता हूं। 2009 में हरियाणा के बदमाश आमेर स्थित दिल्ली रोड पर काश्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिये आये। इन बदमाशों ने एक दर्जन लोगों को घायल कर दिया और भाग गये। हमारी पुलिस नाकेबन्दी करती रही, कोई पकड़ में नहीं आया। 2010 में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सवाई पाव की बगीची पर कब्जा करने के लिये हरियाणा के बदमाश आये, गोली चलाई, कोई पकड़ में नहीं आया। 27 फरवरी, 2012 को हरियाणा नम्बर की गाड़ी में रामगढ़ रोड पर अवैध रूप से गायों को पिक-अप में भरकर ले जा रहे थे। हथियारबन्द तस्करों का पीछा कर रही पुलिस पी.सी.आर. वैन पर पथराव

(श्री कालीचरण सराफ)

हुआ, उन पर गोली चलाई गयी। अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गये। पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस की पिटाई की, कोई नहीं पकड़ा गया। कोई पकड़ में नहीं आया।

इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत से हरियाणा के शराब तस्करों ने जयपुर शहर को शराब तस्करी का अड्डा बना रखा है। शराब यहां पर आती है, यहां उतरती है और यहां से फिर गुजरात चली जाती है। आप अख़बार पढ़ते होंगे, कल और आज, बिल्टी किसी और नाम से, कल 7 लाख की शराब पकड़ी गयी, आज 50 लाख की शराब पकड़ी गयी। शराब तो पकड़ी गयी लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि इसका मालिक कौन, यह तस्कर कौन है, जिसकी शराब पकड़ी गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शराब को पीना है या मालिक को?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, उस मालिक का पता तो लगे, पर मालिक का कोई पता नहीं। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में महिलाएं तो अब गले में चैन पहनकर निकल ही नहीं सकतीं। लुटेरे पहले तो टू-व्हीलर्स पर आते थे...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह तो हमने अख़बार में पढ़ लिया। आज मजा ही नहीं आया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सुनो, सुनो। पहले लुटेरे आते थे बाइक पर और चैन तोड़कर चले जाते थे। अब उन्होंने इतने बेखौफ होकर इतनी तरक्की कर ली, आजकल तो कार में आते हैं। कार में आते हैं, महिलाओं के पास रुकते हैं, चैन तोड़ी और वह जा। कोई पकड़ में नहीं आता है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति जयपुर शहर की हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इसमें यह नहीं कहता कि केवल पुलिस अधिकारियों की कमजोरी है। आपने जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट तो लागू कर दिया पर उसके हिसाब से जो नफरी होनी चाहिये, वह आपने लागू नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो मापदण्ड निर्धारित किये हैं कि शहरी इलाकों के थानों में 60 की नफरी होनी चाहिये और गांवों में 45 की नफरी होनी चाहिये, उसके हिसाब से यदि हम जयपुर शहर की स्थिति देखेंगे तो आप देखिये, बस्सी में 60 के स्थान पर

(श्री कालीचरण सराफ)

65, कानोता में 32, आदर्श नगर में 40, जवाहर नगर में 32, लाल कोठी में 39, जवाहर सर्किल पर 26, सांगानेर में 39, प्रताप नगर में 25, सिन्धी कैम्प में 37, यानी जितने भी थाने हैं, उनमें मापदण्ड के हिसाब से एक भी थाने में पूरा जाप्ता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जाप्ता ही नहीं, एस आई, ए एस आई भी नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मैं यही तो कह रहा हूं, ए एस आई भी नहीं हैं, एस आई भी नहीं हैं। पद रिक्त पड़े हैं। अब आप देखिये, पुलिस कमिश्नरेट आफिस ने सरकार को लिखा है कि यहां हमको पुलिस कमिश्नरेट प्रभावी रूप से चलाने के लिये 11 पुलिस निरीक्षक चाहिये, 45 उप-निरीक्षक चाहिये, 218 सहायक उप-निरीक्षक, 59 हैड कांस्टेबल और 763 कांस्टेबल के पदों की आवश्यकता है। आप जब रिप्लाई दें तो यह भी बतायें कि जो इन्होंने डिमांड की है, रिक्वायरमेंट की है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। केवल पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करके अधिकारियों की तो फौज आपने भर ली, पर नीचे की जब तक नफरी नहीं होगी, कांस्टेबल नहीं होंगे, हैड कांस्टेबल नहीं होंगे, एस आई नहीं होंगे, ए एस आई नहीं होंगे तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। पुलिस कमिश्नर ने तो आपको यह भी लिखा है कि जयपुर शहर में 15 इस प्रकार के थानाधिकारी हैं, वे इस प्रकार के हैं जिनका काम संतोषप्रद नहीं है। उनको हटाने के लिये भी लिखा है। उनके बारे में आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में भी बताइये। पता लगता है कि वह फलाने एम एल ए साहब का रिकमंडी है, इसलिये उनको आप हटा नहीं रहे हो।

इसी प्रकार कमिश्नर ने अनुसंधान अधिकारियों...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी रिकमंडेशन पर रखे हुए हैं आपने सब? हां, ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, यही सही है, यह आपके और मेरे कहने से नहीं लगाते। यह जो कांग्रेस के माननीय विधायक हैं न, उनके कहने से लगाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरे कहने से लगाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चलिये, ठीक है।

इसी प्रकार से पुलिस कमिश्नर ने आपको कुछ नये थाने जयपुर शहर

(श्री कालीचरण सराफ)

में बनाने के लिये भी लिखा है। प्रभावी रूप से यहां मानिटरिंग हो सके, अपराधों पर अंकुश लग सके, इसके लिये आवश्यक है कि जगतपुरा, खो-नागोरियान, दुर्गापुरा, जयसिंहपुरा खोर, दौलतपुरा, भांकरोटा, हसनपुरा और बीलवा में नये थाने खोले जायें।

अब आपने 56 पी सी आर तो दे दीं हमारे जयपुर शहर को, उसमें अब कर्मचारी हैं कम, 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। यह महावीर नगर में जो डकैती हुई, उसके दस कदम की दूरी पर पी सी आर खड़ी थी, पुलिस वाले आराम से सो रहे थे। महावीर नगर में जौहरी के यहां डकैती हुई। डकैत आये, तीन-चार घंटे तक उन्होंने जौहरी के साथ मारपीट की, सबको बन्धक बना लिया, उसकी मां को मार दिया, हत्या कर दी और फिर आराम से चले गये। और दस कदम की दूरी पर जो पी सी आर खड़ी थी, उसमें पुलिस वाले सोते रहे। क्या मतलब है ऐसी पी सी आर वैन का? आप कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे वे मुस्तैदी के साथ उसमें जो बैठे हैं, वे जागते रहें और अपराध जिस प्रकार से हो रहा है, उस पर अंकुश लगायें।

इसी प्रकार हमारे ट्रैफिक पुलिस की स्थिति देखिये। 1997 में जो ट्रैफिक पुलिस के अन्दर लोग थे, जितनी नफरी थी, उतनी ही आज है। जयपुर शहर में उस समय बीस लाख की जनसंख्या थी, आज चालीस लाख की जनसंख्या हो गयी। आपने ग्रामीण क्षेत्र को कमिश्नरी में और मिला दिया। उसको मिलाकर 51 लाख की जनसंख्या हो गयी लेकिन नफरी उतनी ही है, 871 । आज आवश्यकता है कि तीन हजार पुलिस कर्मी केवल यातायात में हों और हैं केवल आठ सौ इकहेत्तर। किस प्रकार से व्यवस्था सुधरेगी?

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि छोटी से छोटी जेब्रा लाइन खींचनी होती है, लाइट लगानी होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले या तो जे डी ए से रिक्वेस्ट करते हैं या पी डब्ल्यू डी से रिक्वेस्ट करते हैं या नगर निगम से रिक्वेस्ट करते हैं। जब तक पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था हैदराबाद में है कि वहां चालान के जुर्माने से जितना पैसा मिलता है, उसका पचास परसेंट, हम यह तय कर दें कि ट्रैफिक पुलिस रखेगी। तो निश्चित रूप से छोटे-मोटे कामों के बारे में उनको इधर-उधर नहीं देखना पड़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जयपुर राजधानी है इसलिए

(श्री कालीचरण सराफ)

यहां वी आई पी बहुत आते हैं। जब भी कोई वी आई पी आता है तो एयरपोर्ट के आसपास के सारे थाने खाली। कोई अपराधी के लिए, अपराध दर्ज करवाने जावे, कहां है सी आई साहब, तो कहा जाता है कि गये एयरपोर्ट। डिप्टी साहब भी एयरपोर्ट। सांगानेर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल इन थानों की यह स्थिति है। तो मेरा यह सुझाव है कि आप एक वी आई पी स्क्वाड बना दो। दो सौ, ढाई सौ लोगों की एक स्क्वाड यदि बन जायेगी तो निश्चित रूप से काम आसान हो जाएगा क्योंकि पन्द्रह सौ वी आई पी पिछले साल, पूरे साल में आये थे। रोज उनको हवाई अड्डे जाना पड़ता है। एक वी आई पी स्क्वाड बन जायेगी तो जो थाने हैं, वे डिस्टर्ब नहीं होंगे।

एक और समस्या है जिसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान में देखा जाए तो दो लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं, पर हमारे जयपुर की स्थिति यह है कि लगभग 35 हजार बांग्लादेशी आज यहां पर रह रहे हैं। पहले तो यह जयपुर स्टेशन के पास गोपालबाड़ी में कालवाड़ स्कीम में रहते थे। पिछली बार जब आपकी सरकार आयी तो आपने इनको बगराना शिफ्ट कर दिया था। होना तो यह चाहिए था कि जब उनको चिन्हित कर लिया तो केन्द्र सरकार से बात करके उनको बांग्लादेश भेज देते, परन्तु आपने नहीं भेजा, उनको बगराना शिफ्ट कर दिया। आज जासूसी की, आतंकवादी घटनाएं और मादक पदार्थों के मामलों में उनकी लिप्तता कई बार उजागर हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहां से हटाया नहीं गया। उन्होंने अपने राशन कार्ड बनवा लिये, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में अपराध घटित करने में इन बांग्लादेशियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप रिप्लाई करें तो यह बतायें कि इसके बारे में आपकी क्या सोच है।

मैं एक समस्या की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: अंतिम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, अंतिम।

माननीय गृह मंत्रीजी, यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जयपुर शहर के परकोटे के अन्दर कुछ इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं। चौकड़ी तोपखाना हजूरी, चौकड़ी घाटगेट, चौकड़ी रामचन्द्रजी, चौकड़ी गंगापोल, इन स्थानों से हिन्दू जनता का तेजी से पलायन हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। यदि लोकल

(श्री कालीचरण सराफ)

मुस्लिम उनकी जमीनें खरीदें तो कोई तकलीफ नहीं है पर लोकल मुस्लिम उनकी जमीनें नहीं खरीदते, बाहर से मुस्लिम लोग आ रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है, इसका अता-पता नहीं और वे दुगुने-तिगुने दामों पर हिन्दू जनता के मकान खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। वहां तेजी के साथ, जब मैं 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा, उस समय चौकड़ी तोपखाना हजूरी में 70 परसेंट हिन्दू और 30 परसेंट मुसलमान थे। आज स्थिति यह हो गयी कि आज वहां 90 परसेंट मुसलमान और 10 परसेंट हिन्दू हैं। यानी इस प्रकार से बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। भैरोंसिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, हम रजिस्ट्री पर रोक तो नहीं लगा सकते लेकिन उन्होंने उस समय यह तय किया था, उनका आठ साल तक राज था, तब उन्होंने यह किया था कि जब भी कोई रजिस्ट्री होती तो उसकी गहन पूछताछ होती, उसके बाद ही रजिस्ट्री होती थी। तो मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि जरा इस बारे में जानकारी लें। इस प्रकार की स्थिति नहीं हो कि वहां हमारी पुलिस भी एन्टर नहीं कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी जब राज का इकबाल होता है, वहां आम आदमी सुरक्षित रहता है, कानून व्यवस्था सही होती है, पुलिस की सुचारु व्यवस्था होती है, नफरी में कोई कमी नहीं होती और वही व्यवस्था सही रहती है। जिस प्रकार से आपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था का राज होगा, पुलिस का अपराधियों में खौफ होगा, अपराध कोई करेगा तो उसको निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, अपराधों पर नियंत्रण लगाया जाएगा, इन सब बातों के सम्बन्ध में आपकी क्या कार्य योजना है, आप क्या करना चाहते हैं, जब आप रिप्लाई दें तब निश्चित रूप से बतायें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब राज्य मंत्री दे सकता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में ला देता हूं ताकि आप पहले से सचेत हो जाएं। जब माननीय

(श्री घनश्याम तिवाडी)

बेनीवाल साहब जवाब दें, यहां पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य मंत्रीजी भी जवाब दे सकते थे डिमांडस पर, लेकिन जब मैं शिक्षा मंत्री था और देवनानी साहब शिक्षा के राज्य मंत्री थे, वे जब जवाब देने खड़े हुए तो सी पी जोशी साहब, तब प्रतिपक्ष में थे, ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य मंत्री डिमांडस का जवाब नहीं दे सकता। हमने कहा, दे सकता है; उन्होंने कहा कि नहीं दे सकता। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि कैबिनेट मंत्री ही उसका जवाब देगा।

चूंकि आज सुबह से, गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, वे बहस सुन भी नहीं रहे, नहीं सुनें, कमरे में बैठकर सुन लें, लेकिन उस व्यवस्था को या तो आपको बदलना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय को आकर। सभापति नहीं बदल सकते, उपाध्यक्ष भी नहीं बदल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय आकर उस व्यवस्था को बदलें वरना जवाब देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बुलायें। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा।

यह मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूं ताकि यदि बेनीवाल साहब जवाब देने के लिए जब खड़े हों तो इस समस्या पर हंगामा या बातचीत नहीं हो। यह मैंने आपके ध्यान में ला दिया है। आप रिकार्ड भी मंगवाकर देख लें। जब तक वह व्यवस्था बदली नहीं जाएगी तब तक ये जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, पुलिस बल, देश हो या प्रदेश हो, किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए एक अपरिहार्य अंग है। किसी भी प्रदेश और देश की उन्नति, उसका विकास और उसकी सभ्यता उन मापदण्डों से आंकी जाती है कि वहां की सियासत, वहां की व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और अन्वेषण में किस प्रकार की व्यवस्थाओं का उपयोग करती है और वहां अपराध नियंत्रण और कानून और व्यवस्था बनाये रखने में किस प्रकार सक्षमता से सियासत अपने मन्तव्य से इस प्रजातंत्र, लोकतंत्र के माध्यम से उस तंत्र का उपयोग कर आम जीवन में राहत का अहसास कराती है। सभापति महोदय, पुलिस बल अपराध के निवारण, नियंत्रण और अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उदार नागरिक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और प्रजातंत्र की सभ्यता के अन्दर निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण परिस्थिति में कार्य करने में सामर्थ्य पैदा करती है। ऐसी व्यवस्था और ऐसा आचरण इस पुलिस के वास्तविक चरित्र को प्रतिबिम्बित करके उस राष्ट्र प्रदेश के चरित्र को भी प्रतिबिम्बित करता है। यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी प्रदेश का वास्तविक स्वरूप उसकी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और कानून के आधार पर उसको चरित्र प्रदान करती है।

आज आपके बीच में मैं इस पवित्र सदन में खड़ा रहकर इस बात को बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी विकट परिस्थिति क्यों नहीं रही हो, कुछ भी परिणाम हमारे क्यों न रहे हों, चाहे आंकड़े यह बात बार-बार कहते क्यों नहीं हों कि अपराध बढ़ रहा है लेकिन मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपराध बढ़ जरूर रहा है लेकिन अपराध के बढ़ने के पश्चात् अपराध के अन्वेषण के अन्दर जो प्रगति हुई है, अपराधियों को बुक करके उनको नियमित रूप से न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो सज़ा दिलाने की प्रवृत्ति आम पुलिस जन में आयी है, वे साधुवाद के पात्र हैं। मैं किसी तरीके से किसी डिपार्टमेंट की तारीफ नहीं कर रहा। आज मैं इस बात का बोध कराना चाहता हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे वक्त पर इस विभाग के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य या अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं जब मेरा एक सहयोगी आज किसी कारागृह में है, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अमुक परिस्थितियों के अन्दर, प्रशासन की जिन व्यवस्थाओं के अन्दर, जिस तीसरे दर्जे के क्रियाकलापों का जन्म उस समय हुआ था जिस वक्त अंग्रेजी का राज इस पूरे के पूरे राष्ट्र पर था, आज न्यायिकेतर संस्कृति के अभिप्रीत से तीसरे दर्जे के जो उपाय हम लोग ढूंढते हैं और तीसरे दर्जे के उपाय के साथ-साथ अब तीसरी न्यायिक प्रक्रिया को भी हम इस्तेमाल करने लगे हैं। यह हमारे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा गम्भीर विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उपनिवेश काल में जिस बात का हमने आविष्कार किया था, आज मानव संसाधनों के अभाव में पुलिस किस प्रकार से अपनी पीठ पर इस कर्तव्य का निर्वाह कर रही है, यह भी इस सदन को देखना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं व्यवस्था के साथ इस बात को विनम्रतापूर्वक आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज पुलिस को भी मानव अधिकारों के प्रति जवाबदेही और परिवर्तित

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

प्रतिमानों के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। आज यह सारी की सारी परिस्थिति में अगर हम पुलिस को और कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं तो सबसे पहले आपको और हमको सोचना पड़ेगा। जिस कानून की व्यवस्था को जन्म यह सदन देता है, जिन व्यवस्थाओं को यह सदन जन्म देता है, आखिर इस सदन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? उन व्यवस्थाओं को और ठीक कर उनको और सुदृढ़ बनाएं जिससे यह व्यवस्था इनके माध्यम से आम नागरिक के लिए उनको एक सिक्योर भविष्य और सुरक्षित भविष्य के प्रति जाग्रत कर सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय, इस पूरे के पूरे विभाग का जो सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है जिसको हम कांस्टेबल के रूप में जानते हैं, यह हमारी कानून-व्यवस्था और हमारी पुलिस का रीढ़ खम्ब है। आज जिसकी क्या दशा है, इसकी क्या परिस्थिति है, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय, आज जिस कांस्टेबल के माध्यम से, आम आदमी इसको पुलिस का चेहरा मानता है। किसी एस.पी. को या डी.जी. को पुलिस का चेहरा नहीं मानता। वह कांस्टेबल, वो हैड कांस्टेबल जिसके स्पर्श में आम आदमी आता है, आज आखिर उसकी परिस्थिति क्या है? अनेक बार इस सदन मैं मैंने यह बात कही है, मैं पुनः आपसे यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कैडर का या जिस ग्रेड से हम कांस्टेबल को पाते हैं, इसके समतुल्य तीन ग्रेड और भी हैं, एक रेवेन्यू का पटवारी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्रालय का कर्मचारी है जिसको हम एल.डी.सी. कहते हैं और इसके साथ-साथ, आप आ जाइये जेल विभाग का प्रहरी। आपके पे बैंड और बेसिक पे के अन्दर कितनी विसंगतियां हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां एक कांस्टेबल की ग्रेड पे 1900 होती है प्रथम 9 वर्ष के लिए, कांस्टेबल की वेतन श्रृंखला होती है 5200-20200 तक की। सीधा उसी टाइम में पटवारी भी उसी ग्रेड पर आता है, लेकिन ग्रेड पे उसकी भी 1900 होती है। कांस्टेबल और कनिष्ठ लिपिक की भी 1900 होती है। लेकिन 9 वर्ष के उपरान्त आप देखिए कि उनमें क्या परिस्थितियां आती हैं। हैड कांस्टेबल की ग्रेड पे दो हजार हो जाती है लेकिन वहीं गिरदावर 3200 रुपये ले रहा होता है। गिरदावर, पटवारी से जब वह गिरदावर बनता है तो ग्रेड पे उसकी 3200 हो जाती है 9 वर्ष बाद में। एक कांस्टेबल, वह आज भी कुल 2000 की ग्रेड पे में,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सिर्फ 100 रुपये का इजाफा। अगर मंत्रालयिक कर्मचारी का ले लें तो वह ग्रेड पे में आ जाता है 2400 रुपये। एक कांस्टेबल की तुलना में एल.डी.सी. भी ज्यादा ग्रेड पे लेता है। अगर हम जेल विभाग की बात करें तो जेल प्रहरी, प्रहरी हो या कांस्टेबल हो, यहां तक बराबर आ रहा है।

अब आप प्रथम चयनित वेतनमान में आ जाइये, जहां पे बैंड-टू लागू हो जाता है। पे बैंड-टू गिरदावर पर लागू हो जाता है, वह नायब तहसीलदार बन जाता है। वह नायब तहसीलदार बनकर ग्रेड पे 3600 में आ जाता है और वेतन श्रृंखला हो जाती है 9300 से लगाकर 34800 । और कांस्टेबल कहां है, 5200 से लगाकर वह ही 20200 पर। अब आपका कार्यालय सहायक कहां है, 9300 से लगाकर 34800, ग्रेड पे उसकी 3200 हो जाती है।

जिस कानून-व्यवस्था की दुहाई देते हैं हम, जिस कानून-व्यवस्था को ना लागू करने पर इन पर उंगलियां उठाते हैं, पूछिए, क्या ये सामाजिक जीव नहीं हैं? पुलिस में आने के बाद में इनके परिवार अलग हो जाते हैं? पुलिस में आने के बाद इनकी पारिवारिक परिस्थितियां बदल जाती हैं? इनका खुद का सामाजिक दायित्व नहीं होता?

जहां कमरों के अन्दर 6 से 8 घंटे बैठकर वेतन लेने वाला व्यक्ति इनसे डेढ़ा वेतन ले रहा है, 18 घंटे से 24 घंटे ड्यूटी करने वाले इस कांस्टेबल के प्रति अगर यह सदन संवेदनशील नहीं होगा तो आम जनता संवेदनशील होगी?

आदरणीय, इसके अलावा अब 27 वर्ष पर आ जाइये। 27 वर्ष पर ग्रेड पे उनकी 3600 होती है, वह तहसीलदार बन जाता है। आदरणीय, तहसीलदार बन जाता है, मतलब गजटेड आफिसर हो जाता है। देखिये, कहां से चला था वह व्यक्ति, एक पटवारी के स्तर पर चला था, 27 वर्ष बाद में गजटेड आफिसर हो जाता है और आपका कांस्टेबल, आपका कांस्टेबल उप-निरीक्षक पद पर आता है। 27 वर्ष हांफते-हांफते आता है। डी.जी. साहब आजकल दस किलोमीटर की दौड़ खूब दौड़ाते हैं, दौड़ाना भी चाहिए, शारीरिक दक्षता के लिए दस किलोमीटर दौड़ना चाहिए लेकिन, डी.जी. साहब, इस सदन को भी यह बात बताइये कि 27 वर्ष तक दौड़ता-दौड़ता इतना थक जाता है कि निढाल होकर, आज वह जो पुलिस का वास्तविक चेहरा है, आज अपनों ही के सामने न तो उसको रोने दिया जाता है और न ही अपने जख्म पर पट्टी लगाने दी जाती है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहे कितने ही मंत्री आ जाएं, चाहे कितनी ही सरकारें बदल जाएं, जब तक इस कांस्टेबल के वास्तविक महत्व को आप नहीं समझोगे, उसको स्वाभिमानी और स्वावलम्बी नहीं बनाओगे, तब तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से अगर आप कानून-व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वह किसी प्रकार से नहीं बनायी जा सकती।

मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांस्टेबल से ऊपर अगर कोई फील्ड स्टाफ है तो उसको आप राजस्थान पुलिस सर्विस के माध्यम से कहते हैं। अब मुझे आप यह बताइये, मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले एक और कैडर तैयार करवाया और उन्होंने खुद ने यह बात कही कि हम सुपर टाइम स्केल के भी एबव एक स्केल करेंगे। पहले तो मुझे आप यह बताइये, हमारी भिन्न-भिन्न जो सर्विसेज हैं, हमारे सारे मंत्री बैठे हैं, मंत्री महोदय, आप भी विराजे हैं, आप जरा इसमें ध्यान दें कि राजस्थान पुलिस सेवा एक सेवा है, आपके समकक्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा है और राजस्थान लेखा सेवा है। आपके दोनों की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के बाद के अन्दर जो पदोन्नति होती है, उसमें वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अन्दर आपका परसेंटेज है 17.65, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का है 23.55 परसेंट, राजस्थान लेखा सेवा का है 28.31। यहां भी पुलिस वाला मारा गया। सारों को कुछ न कुछ जख्म लग जाए, उंगली उठ जायेगी पुलिस वालों पर कि यह पुलिस काम नहीं करती। इसके समकक्ष जो आपकी सेवाएं हैं, उनके प्रमोशन के अन्दर परसेंटेज का आप आकलन कर लीजिए। अब आप वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला पर आ जाइये। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा का उनकी पद संख्या पर 21 परसेंट है, जहां लेखा सेवा का 19 परसेंट है, वहां चयन वेतन श्रृंखला में राजस्थान पुलिस सेवा का 8.36 है।

आप उनको प्रमोशन नहीं देते, कांस्टेबल को तनख्वाह नहीं देते। उसको प्रमोशन नहीं देते, आर.पी.एस. अधिकारी को प्रमोशन नहीं देते और फिर आप यह कहते हैं कि तू 24 घंटे ड्यूटी पर है, डंडा चलाना है तो तू डकैतों पर भी चला, डंडा चलाना है तो लुटेरों पर भी चला और डंडा चलाना है तो कानून-व्यवस्था निभाने पर भी चला। प्रमोशन देने में आप कटौती करते हो, वह अपने डंडे की कटौती कर दे तो उस दिन आपकी और हमारी रात की नींद हराम हो जाए।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

फिर इन व्यक्तियों के ऊपर आपने तो भार कर रखा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आखिर सदन इस बात पर क्यों नहीं निर्णय करता, यह कांस्टेबल 24 घंटे ड्यूटी पर है, इसको आप 8 घंटे की वेतन श्रृंखला में क्यों डाले हुए हो? अगर 8 घंटे की वेतन श्रृंखला के अन्दर, अगर यह दूसरों के समकक्ष है, तीन गुना तो नहीं दे सकते, इनको दोगुनी वेतन श्रृंखला में तो डाल दो। यह क्या अपने माता-पिता के घर से बेईमान होकर के आया है, यह घूसखोरी करने आया है? भ्रष्टाचार के नाम पर खाकी वर्दी पर अनेक धब्बे लग चुके हैं लेकिन कभी इनकी वेतन श्रृंखला और इनके सामाजिक दायित्व को निर्वाह करने की व्यवस्था के बारे में आपने सोचा है?

आदरणीय, मैं इसके बाद में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सुपर टाइम स्केल के लिए आ जाइये। सुपर टाइम स्केल में जहां पदों की संख्या के आधार पर प्रशासनिक सेवा में 8.29 परसेंट आरक्षित हैं, राजस्थान लेखा सेवा में 8.17 परसेंट आरक्षित हैं और राजस्थान पुलिस सेवा का क्या हो गया, 3.35। कराइये कानून-व्यवस्था का इन पर। जीवन यापन करने का संसाधन है न यह तो आपका वेतन। आपको और मुझे भी खड़ा कर देंगे न अगर इसमें, तो कहीं न कहीं अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए हमें भी कहीं भ्रष्टाचार का मुंह ना देखना पड़े। इन लोगों से हम चमत्कार करवाना चाहते हैं इन मानवीय संसाधनों से, जो वहां आते हैं कुछ करने के लिए, कुछ प्रशासन को और प्रदेश को देने के लिए। हम इनको भ्रष्टाचारी बनाने के लिए कहीं न कहीं बाध्य कर रहे हैं। अगर इसमें किसी की गलती है और किसी पर उंगली उठती है, तो उस प्रशासन पर भी उठती है और इस सदन पर भी उठती है कि हमने कम से कम उनकी इस बात का ख्याल नहीं रखा।

कौनसा कांस्टेबल चाहेगा, कौनसा हैड कांस्टेबल चाहेगा कि उसका बच्चा सिर्फ कांस्टेबल बने? वह भी चाहेगा कि उसका बच्चा एस.पी. बने, उसका बच्चा कलक्टर बने। पढ़ायेगा कहां वह? आज आपकी सेना के लोगों के लिए केन्द्र की स्कूलें हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। यह सेना से कम काम करता है? सेना तो जब युद्ध होता है तब काम करती है; जब युद्ध जैसा वातावरण होता है, करे। डकैतों से लड़े तो ये लड़ें, चोरों से लड़ें तो ये लड़ें। इनके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बच्चों के लिए आपने, हमने क्या व्यवस्था कर रखी है? पढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पर एक स्कूल तो दे नहीं रखी। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर अपने बच्चों को पढ़ा ले, उनको कम से कम वह तालीम दिला ले कि वह भी एक होनहार बच्चा बने और राष्ट्र हित के अन्दर कोई काम करके वह भी अफसर जैसी कुर्सी पर बैठे। आपने किस सब्सिडाइज्ड राशन की आवश्यकता कर रखी है? आज मिलिटरी की कैंटीन से कोई चीज मिले तो उस पर वैट लागू नहीं है, एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं है। इनके बच्चे नहीं हैं? इनके घर नहीं हैं? ये खाना नहीं खाते? आप करो ना परिवर्तन। हजारों करोड़ रुपये का कर्ज अगर हमने अपने प्रदेश के लिए ले रखा है, तो हजारों करोड़ रुपये का कर्ज हम इस पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्यों नहीं ले सकते हैं? कानून-व्यवस्था बनाने का अधिकार जिनके पास है, जिनके पास दायित्व है, अगर उसके लिए एक हजार करोड़ रुपया और भी ले लोगे तो आप और हम कम से कम कर्जदार नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी कम से कम सुकून की नींद सोएगा और प्रशासन की व्यवस्था के अन्दर पक्ष और विपक्ष खड़े रहकर अपराध के आंकड़े नहीं गिनाएगा। वह यह कहेगा कि आज मैं चैन से सोया। आज कहने वाला व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि किसी की चेन क्यों टूटी। इन व्यवस्थाओं को कम से कम हम नहीं बदलेंगे, अगर इन व्यवस्थाओं के बारे में यहां चर्चा नहीं होगी तो क्या बाहर जाकर सड़क पर चर्चा होगी?

आज इस खाकी वर्दी वाले को इस विधान सभा में आने पर आपने सफेद वर्दी पहना दी। मैं तो कहता हूं खाकी वर्दी, सफेद वर्दी, दोनों पर सबसे बड़ा दाग लग गया। नेता सफेद वर्दी पहन ले, एक नेता ने तो कह तक दिया कि मैंने तो मेरा लिबास ही बदल दिया क्योंकि लोग उंगली उठाने लग गये। अब आप क्या चाहते हो कि खाकी वर्दी बदल लें क्योंकि लोग अब इन पर उंगली उठाने लग गये? व्यवस्थाओं को तो हमको ठीक करना पड़ेगा। व्यवस्था तो यहां से ठीक होगी। ऐसी कौनसी मजबूरी है कि हमारे कांस्टेबल को, हैड कांस्टेबल को, फील्ड में जो हमारे आफिसर्स हैं, उनको कम से कम इतना ढंग का तो वेतन दे दें कि वे स्वाभिमानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। सामाजिक दायित्व निभाएं, कानून का दायित्व निभाएं, प्रदेश का दायित्व निभाएं और राष्ट्र का दायित्व भी निभाएं?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि I am running out of time. अब एक वायरलेस आपका विंग है, आधुनिकीकरण है, आई टी का युग है। वायरलेस विंग के साथ में भी किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। वायरलेस विंग के साथ आप यह देखिए कि जहां सशस्त्र पुलिस सेवा के अन्दर जो लोग कार्यरत हैं, इंटेलीजेंस शाखा में हैं, वहां उप निरीक्षक से निरीक्षक की जो प्रमोशन होती है, हंड्रेड परसेंट रिजर्व है, वह हंड्रेड परसेंट प्रमोशन से होगी। इसकी तुलना में एम बी बी एस में मेवाड़ भील कोर है, उसमें आप देखें, हंड्रेड परसेंट है। लेकिन जब आप आ जायेंगे इसके ऊपर, तो उनके ऊपर जो पुलिस दूरसंचार है, वहां आपने 75 परसेंट प्रमोशन से की व्यवस्था कर रखी है। यह क्यों? यह विसंगतियां क्यों? ये कोई प्रदेश के बाहर से आए हुए लोग हैं? इनके हंड्रेड परसेंट आप प्रमोशन से क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए कोई आपको गवर्नमेंट आफ इंडिया से परमिशन लेनी है? ये विसंगतियां दूर करिए, ये डिमोरेलाइज करती हैं।

अब आप यह मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस सेवा के अन्दर जो प्रथम वरीयता में पास करते हैं आर पी एस सी, वे राजस्थान पुलिस सेवा में आ जाते हैं। उनके जो नियम हैं, मेरिट में जो नीचे हैं, वे आर ए सी में चले जाते हैं। अब आर ए सी में हालत यह है कि वे 9 साल से 10 साल में प्रमोशन पा लेते हैं और आर पी एस बन जाते हैं और यहां की प्रमोशन व्यवस्था ऐसी है कि वह जो व्यक्ति मेरिट में पहले आया था, उसकी सीनियरिटी वह आर ए सी में आने वाला व्यक्ति ले लेता है, वह आर पी एस बन जाता है और यह आर पी एस कम से कम चार साल बाद बनता है।

जहां आर पी एस की बात आई, मैं प्रमोशन की बात पर डी जी साहब का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और, मंत्री महोदय, आपका भी करना चाहता हूं। आपने 54 साल बाद प्रमोशन पर रोक क्यों लगा रखी है? जब 55 साल की रिटायरमेंट की उम्र थी तब पर 54 पर रोक थी, जब 58 साल रिटायरमेंट की थी तब भी 54 के बाद आप प्रमोशन नहीं ले सकते। अब 60 साल हो गयी, तब भी उस आर पी एस को 54 के बाद आप कहते हो कि प्रमोशन नहीं मिल सकता। तो वह तो चार साल बैठा रहेगा। वह चार साल जब बैठा रहेगा तो डिमोरेलाइज नहीं होगा आदमी? 58 साल पर लगा दो, 59-60 पर लगा दो। कम से कम करने का काम तो करो।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

स्याही के कुछ कण फेंकने हैं आपको कागज पर, आपकी कानून व्यवस्था सुधर सकती है। इसको स्वाभिमानी जीव का आंकड़ा नहीं देना, स्वाभिमान का पुरस्कार इस सदन से जाएगा? यह व्यक्ति चोर नहीं है, डकैत नहीं है, लुटेरा नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। आपके और मेरे जैसा हाड़-मांस का शरीर इसका भी है। ये पुलिस सेवा में जो व्यक्ति बैठे हैं, ये आपके और हमारे परिवारों से ही निकलकर गये हुए हैं। अलग से, कहीं कोई एलीअंस नहीं हैं कि कोई दूसरे प्लेनेट से आ गये और न ये ब्रिटिशर्स हैं कि खाकी वर्दी पहनकर हम पर अनुशासन करते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने का कहीं न कहीं हमारा दायित्व भी बनता है। एकमत होकर कम से कम इन विसंगतियों को तो दूर कर सकते हैं।

मैं, आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ..... साढ़े तीन हजार रुपये मिलते हैं उसको तनख्वाह के, बीस-बीस साल से।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब एक बात बताइये, आदरणीय सभापति महोदय, आप भी विराजे हुए हैं, हमारे पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से पाजामा-कुर्ता सफेद पहन लें तो पहन लें, बाकी कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर किसी एक सर्विस पर ड्रेस कोड है तो पुलिस पर है। अब आप देखिये इनकी विसंगतियां कि राजस्थान पुलिस सेवा, डी जी साहब नाराज नहीं हों, पुलिस सेवा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको ज्यादा मिलता है, आर पी एस को कम मिलता है। लेकिन आपकी तुलना में न्यायिक सेवा वाले क्या कर रहे हैं, मैं उसका निवेदन करना चाहता हूं। जो अर्द्ध सैनिक बल कार्मिक के मुकाबले वर्दी भत्ता अनुदान और किट मेंटीनेंस की जो विसंगतियां हैं, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

भारतीय पुलिस सेवा का प्राथमिक अनुदान चौदह हजार रुपये है, राजस्थान पुलिस सेवा का 2400 रुपये है, राजस्थान न्यायिक सेवा का पांच हजार रुपये है और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल का चौदह हजार रुपये है। नवीनीकरण अनुदान जहां भारतीय पुलिस सेवा का तीन हजार रुपये प्रति तीन वर्ष है, वहां राजस्थान पुलिस सेवा का 1200 रुपये प्रति सात वर्ष है, न्यायिक सेवा का पांच हजार रुपये प्रति तीन वर्ष है और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का तीन हजार रुपये प्रति तीन वर्ष है। किट मेंटीनेंस भत्ता भारतीय पुलिस सेवा का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

300 रुपये है, राजस्थान पुलिस सेवा का 100 रुपये है। अब मुझे नहीं मालूम, वह खाकी वर्दी इनकी टेरीकोट की बनती है, इनकी खादी की बनती है, किसकी बनती है। वर्दी तो वर्दी है। उस पर जो तमगे लगते हैं, वही ज्यादा लगते हैं, बाकी उस वर्दी का आकार, प्रकार तो वह ही होता है। इनको 100 रुपये मिलते हैं और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल को 300 रुपये मिलते हैं। यह आदेश 2008 में, आपके लिए प्रशासनिक सेवा के आदेश 2008 के हिसाब से बदल दिये गये, पुनर्निर्धारण हो गये, न्यायिक सेवा के 2006 में पुनर्निर्धारण हो गये। हम अभी 2005 में ही चल रहे हैं।

आदरणीय कटारिया साहब कह रहे थे, लाठी मारेगा; यह खड़ा रहेगा, यह हम पर प्रहार करेगा। यह प्रतिशोध नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? आपके और हमारे प्रति सद्‌भावना रखेगा?

अब इसके अलावा भी एक निवेदन कर दूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अबव सुपर टाइम स्केल नाम की एक और कैडर क्रिएट करने की बात की, सबके स्वाभिमान की। अब मुझे आप यह बताइये कि निर्धारित सेवा अवधि में 20 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ठीक कर दी लेकिन यह राजस्थान पुलिस सेवा वाले के लिए तो कह दिया कि तीन वर्ष आपको सलेक्शन स्केल लेना जरूरी है। आदरणीय मंत्री महोदय, यह तो आपकी कलम से ही ठीक हो जाएगा और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपकी कलम में कहीं रुकावट है तो सदन की कलम से हो जाएगा। इससे बढ़िया किसी सरकार के समय आदेश हो नहीं सकता प्रोत्साहन देने का लेकिन इसमें जो विसंगतियां हैं, वे तो दूर कर दें।

अगर मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा तो मेरे पांच मिनट और चले जायेंगे। अगर कहीं किसी के मन में कोई आशंका है तो उस आशंका को तो मैं दूर कर सकता हूं। एक बात मैं यह भी कह दूं, मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस सेवा में है भी नहीं, जो मैं किसी से प्रभावित होकर कह रहा हूं। लेकिन मुझे डर लगने लग गया। जबसे मेरा साथी कारागृह में चला गया ना, तो आप और मैं किस दिन चले जाएं, पता नहीं। आपके और मेरे मोबाइल कभी भी बज सकते हैं, रात को 12 बजे भी बजते हैं, दिन के दो बजे भी बजते हैं। यह दुर्भाग्य हमारा है कि आप और हम, आपस में बैठकर एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं, यह सत्ता वाला और यह विपक्ष वाला। यह किस दिन आपके ऊपर आ जाए और किस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दिन मुझ पर आ जाए, अपने ग्रहों का आपको और मुझे नहीं मालूम, जिस दिन आएगी ना, उस दिन पता लगेगा। तो उस दिन हम एक साथ एकमत होकर अगर कहीं न कहीं रोक लगा देते, तो जन-प्रतिनिधि की यह दुर्दशा नहीं होती। इसकी दुर्दशा के जिम्मेदार भी हम हैं और कलम में अगर कहीं गड़बड़ हुई है, तो उसका अधिकार भी हमने ही दे रखा है।

आदरणीय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, कुछ ऐसी विशेष बात है क्योंकि यहां सम्पूर्ण हमारा अधिकारी बल बैठा हुआ है। बिलाड़ा में आपकी कोई घटना घटी, किसी ने सड़क रोक ली, सड़क रोककर उस पर कोई आन्दोलन हो गया। आन्दोलन करने वाले, सड़क रोकने वाले जिन्होंने यह काम किया, उनका फुटेज आपके कैमरे में, आपकी चौकी के कैमरे में है। दो विधायक वहां से तीन किलोमीटर दूर बैठे हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे विधायक धीरे-धीरे जेल जाते हैं। तीन किलोमीटर दूर बैठे हुए विधायक को उसी एक मुकदमे में नामजद कर लिया। अब आप बताइये, हम कहां जाएं? यह जनता कहती है कि हमारे साथ में आकर बैठो। साथ में आकर बैठ जाते हैं तो हम पर मुकदमे

(16.00 बजे)

लग जाते हैं। प्रशासन नहीं सुनता। सड़क पर आ जाते हैं तो हम पर मुकदमे लग जाते हैं। अगर हम वहां से कहीं और चले जाते हैं, तो जहां बैठे रहते हैं वहां से हम पर मुकदमे लग जाते हैं। आखिर, मंत्री महोदय, न्याय आप करेंगे या नहीं करेंगे? आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही कुलीग्स हैं। हो सकता है, सत्ता पक्ष के न हों लेकिन आप और हम पहले विधायक हैं, फिर किसी सत्ता में हैं और किसी विपक्ष में हैं।

मैं एक बात और निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। यह बात, कई दिनों से मैं परेशान हूं और मैं चाहता हूं कि आज मौका मिल जाये, आज मेरा एक साथी, मेरा एक बड़ा भाई सिर्फ एक टेलीफोन के करने या न करने से जेल में है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक दलित हरिजन की हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या होती है। आदरणीय, हत्या होने के बाद में हत्यारे के खिलाफ चालान पेश होता है। चालान पेश होने के बाद अधीनस्थ अदालत उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी का जारी कर देती है। आप ही का एक थाना उस हत्यारे को पकड़ लेता है, 4 घण्टे तक वह हत्यारा उस थाने के अन्दर नामजद है, रोजनामचे में उसका नाम लिखा हुआ है और आप ही उसको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

छुड़वा देते हैं। जिस हत्यारे को नैछवा वाले मर्डर केस में आपने छोड़ा यह कहते हुए कि सी आई डी इसकी जांच कर रही है, डेढ़ साल बाद में मैं पूछना चाहता हूं वह हत्यारा वापस पकड़ा गया या आपने वह वारंट क्वैश करा दिया? मेरी जानकारी के हिसाब से आज भी उस न्यायालय का वारंट वहां की वहां खड़ा है। तो कम से कम आपको पूछने का तो मुझे अधिकार है कि मेरे भाई को तो सिर्फ टेलीफोन की वजह से आपने सी बी आई के माध्यम से वहां भिजवा दिया और जिस हत्यारे को पकड़ कर पुलिस स्टेशन से छुड़वाया गया और वह हत्यारा आज तक नहीं पकड़ में आया, कम से कम आप इसका तो जवाब देंगे। या हम में से यूं ही जेल जाते रहेंगे और हत्यारे बाहर अपना खेल खेलते रहेंगे? कम से कम इस राज्य को इस बात का जवाब तो देना चाहिये।

मैं, आदरणीय, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने वैसे भी आपकी उदारता बहुत बड़ी ले ली लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा, हमारे पूर्व गृह मंत्री, कटारिया जी ने बहुत सी बातें कही हैं, यह पूरा का पूरा 2007 का जो हमने एक्ट बनाया है, इस एक्ट के मूल प्रावधान इस बात को कहते थे कि कम से कम आप सर्विसेज को सुनिश्चित करने के लिये जिस आदमी को जहां पदस्थापित करें उसका वहां पदस्थापन भी कम से 2 से 3 वर्ष के लिये सुनिश्चित करिये।

इनवेस्टिगेशन की बात, मैं जिस केस की आपको बात कर रहा हूं, यहां तो कम से 4 इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर्स आपने बदल दिये हैं। न तो 2007 के एक्ट का कोई प्रोविजन है। आप कमिश्नरेट बना दें, नया एक्ट बना दें, और कोई आधुनिक एक्ट ले आयें, जब तक आप में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति खतम नहीं होगी और जब तक इस डिपार्टमेंट को निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से काम करने का आप दायित्व नहीं दोगे और साथ-साथ यह भी चुनौती दोगे कि अगर फिर आप गलत करोगे तो पूरे के पूरे भोगोगे, लेकिन एक बार तो इन पर विश्वास करके इनके स्वतंत्र कार्य करने की परिस्थिति पैदा करनी होगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 एवं 17 पर सदन में काफी साथी अपने विचार अभी रख रहे थे। मैं

(श्री शाले मोहम्मद)

आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज से ठीक 3 साल पहले राजस्थान की जनता से इन्होंने जो वायदा किया था, उस वायदे पर वे खरे उतरे हैं। उन्होंने वायदा किया था कि मैं राजस्थान की जनता को जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन दूंगा, इस वायदे पर आज राजस्थान की जनता बड़े ही अमन-चैन से रह रही है। आज हर शहर, हर गांव का व्यक्ति राजस्थान के सुशासन से खुश है।

अभी विपक्ष के साथियों के विचार भी मैं यहां पर सुन रहा था। आदरणीय कटारिया साहब ने भी बात कही है, आदरणीय सराफ साहब ने भी बात कही पर उनके जो दिल की बात है, जो अन्दर की बात है, वह उन्होंने अपने आप निकाल कर कह दी। उन्होंने यह ठीक कहा कि आज के इस शासन के पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी, उस सरकार से तुलना नहीं की जा सकती। यह उनकी बात वास्तव में सही है, आज सारा राजस्थान जानता है, आज से ठीक 3 साल पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार के किस प्रकार से हाथ खून से रंगे हुए थे। किस प्रकार से...(व्यवधान) हमारी बात सुनो, आपकी बात हमने सुनी है। किस प्रकार से गुर्जरों और मीणाओं को लड़ाया गया। 70-70, 71-71 लोग मारे गये। (व्यवधान) वह भी मैं बात कह रहा हूं। वह भी किसने लड़ाया, पहले कह चुका हूं मैं। आपको पूरा पता ही है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हमने तो मार दिया, अब आप क्या कर रहे हो, वह बता दो ना।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मार दिया। पर एक बात, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जो सराफ साहब ने शब्दों में अपनी बात कही कि आज तुलना में जब हमारे कटारिया साहब गृह मंत्री थे, तब सरकार ने क्या-क्या अच्छा काम किया था। वह अच्छा काम मैं बता रहा हूं कि इन्होंने ये अच्छे काम किये थे। आज कहते हैं कि आज लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, जब घड़साना के अन्दर लोग पानी मांग रहे थे, वह अपने हक का पानी मांग रहे थे तो किस प्रकार से उनके ऊपर लाठियां चलायी गयी थीं, वहां कितने लोग मारे गये थे, वह भी आप लोगों को पता होना चाहिये। (व्यवधान) गोपालगढ़ में कराने वाले कौन थे, कराने वाले भी, आपको पता होगा, वे भी किसी संगठन से

(श्री शाले मोहम्मद)

जुड़े हुए थे। जिसने किया... , मैं सभी बात कहूंगा, पर हकीकत है, उसको आपको भी सुनना पड़ेगा (व्यवधान) क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकता? पर 71 को तो मारा था। आपको भी वह दिन याद रखना चाहिये, किस प्रकार से वहां हत्याएं हुई थीं, लाठियां, गोलियां चली थीं। वह आपको भी दिन भूलने नहीं चाहिये। पर मुझे इस बात का दर्द है, जब यह गोपालगढ़ की बात आप कर रहे हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने जब बैठकर फैसला कर दिया था तो उसके बाद में किन लोगों ने भड़काया था, यह किसी से छिपा हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सी बी आई की पढ़ो। (व्यवधान) विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सी बी आई की रिपोर्ट भी आप देख लोगे अभी। उसमें तो काफी नाम हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, वह अलग बात है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ जिस प्रकार से जो व्यवहार किये थे, मालिक करे, वे दिन वापस न आएं। आज पूरा राजस्थान अमन-चैन और शांति से जी रहा है। आज जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि आमजन में एक विश्वास हो, हर व्यक्ति खुशी से रहे, अमन-चैन से रहे, आज वे अपने विचारों पर कायम हैं और उन्होंने यह कोशिश की है कि राजस्थान में सुशासन हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। राजस्थान के मुख्य मंत्री की यह सोच है और उसी कारण से आज राजस्थान का आमजन, हर व्यक्ति खुश नजर आ रहा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस तंत्र के अन्दर, पुलिस बेड़े के अन्दर वास्तव में जो मजबूती पैदा की है चाहे जयपुर में, जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की हो, आज कमिश्नर प्रणाली से जोधपुर और जयपुर में अच्छे काम हो रहे हैं। जो लोगों की एक आवाज उठ रही थी, अशांति फैली हुई थी, दोनों जगह, डिविजनों में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। तो मैं समझता हूं कि जयपुर और जोधपुर की जनता को उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने जोधपुर के अन्दर जो सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र

(श्री शाले मोहम्मद)

है। इस युग के अन्दर इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा।

इस बजट के अन्दर हमारे जैसलमेर जिले के अन्दर भी काफी चीजों की जो जरूरत थी, उसके अनुसार मांगें पूरी की हैं। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह बजट पर बात नहीं है, होम पर चर्चा है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): होम पर ही कहा है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। यह जो चीजें मैं बोल रहा हूं यह आपके लिए नहीं खोली है। सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा यूनिवर्सिटी खोली है, यह पुलिस के लिए खोली है। आप पढ़ो इसको। पढ़ने से जानकारी आपको मिल जायेगी। आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि इतना शानदार जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, आपको वह पच नहीं रहा है, इसलिए वह आप सुनना नहीं चाहते हैं। इसको आप खोलकर देखते भी नहीं हो।

सभापति महोदय, हमारे जैसलमेर जिले में पृथक महिला थाने की जरूरत थी, वह भी खोला। अभी यहां बात चल रही थी एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार के मामलों की, वह भी बात मैंने विपक्षी साथियों से सुनी कि पूरी सरकार में ऐसी कोई जगह नहीं रही होगी जहां पर एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार नहीं हुए होंगे, कि आपकी सरकार तो खैरख्वाह है एस.सी., एस.टी. की, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी सरकार में खुलेआम एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार, मारपीट होती थी। तब कोई सुनने वाला नहीं था। आज मामले होते भी हैं, मैं यह नहीं कहता कि मामले नहीं होते हैं, कोई घटना घटित होती है तो तुरन्त उस पर कार्यवाही की जाती है और जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

सभापति महोदय, इसके अलावा रामदेवरा में जो चौकी थी, उसको भी उन्होंने क्रमोन्नत किया है। वहां बाबा रामदेव का बहुत बड़ा स्थल है और वहां की यह बहुत बड़ी जरूरत भी थी कि वहां पर पुलिस थाना भी बने। मैं समझता हूं कि वहां जो यात्रीगण आयेंगे, उनको इससे बहुत बड़ी सुविधा भी मिलेगी।

(श्री शाले मोहम्मद)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी मैं सराफ साहब की बात सुन रहा था, तब उन्होंने एक बात कही, यहां पर किसी एक स्थल का नाम लेकर के कहा कि वहां पर 90 परसेंट माइनोरिटी के लोग आ गये हैं। आदमी की जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, वे अपने आप बाहर आ जाते हैं। मैं यह नहीं कहता, वहां माइनोरिटी के लोग होंगे, लेकिन जाति से सबको बदनाम करना, इस बात को हम सहन नहीं कर सकते। यदि कोई रजिस्ट्री कराकर के अपनी जमीन ले रहा है या कोई मकान ले रहा है, तो उसके सब डाक्यूमेंट्स भी होते हैं। वह अपने डाक्यूमेंट भी देता है रजिस्ट्रार को, उसमें सब कुछ ही लिखा होता है कि कहां का है, कहां का नहीं है। यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाही करें लेकिन यदि किसी जाति को लेकर के हम यह कह दें कि उन्होंने 90 परसेंट मकान क्यों लिये या यह कह दें कि वे आज खुश क्यों हैं, इस प्रकार की बातें जो सदन में कहते हैं तो हमें चोट लगती है। आपके जो विचार हैं, उससे पता चलता है कि आप मन में माइनोरिटी और गरीब के प्रति क्या रखते हैं। यह बात उन्होंने कही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने उनमें से किसी अपराधी को पकड़ा है तो आप उनका नाम लेकर के कह सकते हैं। पूरी जाति को आप बदनाम नहीं कर सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कि वे अपनी बात को वापस लें।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में एक स्थिति यह बनी हुई है कि वहां काफी लोग बाहर के भी आते हैं। क्योंकि वहां नहरी क्षेत्र, उपनिवेशन क्षेत्र बढ़ा है तो काफी बाहरी लोगों को वहां जमीन भी आबंटित हुई है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि किसी सीमावर्ती जिले का, सीमावर्ती जिले से आकर के कोई जमीन खरीदता है तो वह कोई भी जमीन खरीद सकता है और उसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि जैसलमेर का व्यक्ति, जैसलमेर के सीमावर्ती थाने से 40 किलोमीटर दूरी के थाने का है, वह सीमावर्ती थाने में नहीं आता है। तो उस व्यक्ति को कब्जा लेने के लिए भी या रजिस्ट्री कराने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन देना पड़ता है। जब बाहर जिले के सीमावर्ती थाने के लोग बिना परमिशन के, बिना कागज के, कब्जा भी ले रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री भी करा रहे हैं तो कम से कम जैसलमेर जिले का जो आदमी है, उसको इस मामले में

(श्री शाले मोहम्मद)

छूट होनी चाहिए। यदि सीमावर्ती इलाके का दूसरे जिले का ले सकता है तो जैसलमेर का यदि लोकल आदमी है, जो किसी भी थाने में रह रहा है, उसको कम से कम छूट देनी चाहिए। आज जमीनें भी अलाट हो रही हैं लोगों को, अभी अलाटमेंट का काम भी चल रहा है। मैंने राजस्व मंत्रीजी से भी कहा है और मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जैसलमेर के सभी आम जन की यह भावना है, उनकी मांग है कि कम से कम इसमें गृह मंत्रालय विशेष रूप से देखे और जो वहां के लोकल लोग हैं, उनको इस मामले में छूट दी जाये ताकि आने वाले समय में उन लोगों को किसी उपखण्ड अधिकारी या अन्य जगह जाना न पड़े। व्यर्थ में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति को भी वहां जाकर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसमें उनको छूट दी जाये। इसके अलावा सबकी बात भी आयी है।

सभापति महोदय, जैसलमेर में दूरदराज का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, उसमें काफी सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के पद रिक्त पड़े हैं। वहां पर हालात, स्थिति ऐसी बन जाती है कभी-कभी, कई थाने तो ऐसे हैं जो बिना इंस्पेक्टर के चल रहे हैं, सब-इंस्पेक्टर ही चला रहा है। हम चाहते हैं कि जैसलमेर जिले में कम से कम जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाये। दूसरा, जो हमारी वहां सिपाहियों की नफरी है, उसको भी जैसलमेर जिले में बढ़ाने की मांग मैं करता हूं।

मैंने पहले भी मंत्रीजी को कहा है, अभी इलाके में ऐसे तत्व आ गये हैं जिससे चोरी के मामले जैसलमेर जिले में काफी बढ़ गये हैं। अभी दो महीनों के अन्दर भी काफी चोरियां हुई हैं लेकिन उन चोरियों में से कुछ मामले अभी खुले नहीं हैं। वहां के लोकल लोगों ने इसके विरुद्ध काफी धरने, प्रदर्शन भी किये हैं और हमेशा उन लोगों की मांग भी रही है कि जहां-जहां ये चोरियां हुई हैं, कम से कम कुछ मामले खुलने चाहिए। ये जो मामले खुल नहीं रहे हैं तो यह हमारे तंत्र की वजह से ही नहीं खुल रहे हैं। सभापति महोदय, उजला में एक चोरी हुई। वहां एक गरीब अध्यापक था, उसके यहां चोरी हुई, उसका लाखों का सामान चला गया, अभी तक पता नहीं चला। लाठी में चोरी हुई, उसका भी पता नहीं चला। इसी प्रकार देवीकोट के अन्दर चोरी हुई, उसका भी पता नहीं चला। चार-पांच जगह ऐसी चोरियां हुई हैं, अभी तक वे राज खुले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां भी इस प्रकार के मामले हुए हैं..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राज खुले क्या?

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): चोरी करने वाले कोई भी हो सकते हैं, राज खोले पुलिस। मेरे को पता होता तो मैं अभी खोल देता, मैं नाम बता देता कि फलां आदमी है। मुझे जानकारी नहीं है ना। वे लोग बाहर से आते हैं। लेकिन वे लोकल लोग नहीं हैं, इतनी हमें जानकारी जरूर है। बाहर के लोग जब भी दर्शन करने के लिए आते हैं, रामदेवरा में या नहरी क्षेत्र में आते हैं, बाहर के लोगों के आने के बाद में यह प्रवृत्ति बढ़ी है। यह पूरी एक टीम है। जो घर बंद पड़े होते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, उसके बाद इस प्रकार की चोरियां होती हैं। इन चोरियों पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। इस पर भी रोक तुरन्त प्रभाव से लगायी जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो एक बात राव साहब ने कही, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। कांस्टेबलों के वेतन का जो मामला है, विसंगतियां हैं, उनको कम से कम दूर करनी चाहिए। कांस्टेबल इतनी मेहनत करता है, फील्ड में रहता है, चौबीस घंटे अपनी डयूटी देता है। उसके बाद में यदि उनको सही वेतन नहीं मिले, भत्ता नहीं मिले तो यह उनके साथ सही नहीं है। इसलिए उनका मैं समर्थन करता हूं।

इसके अलावा मैं गृह मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16, पुलिस व 17, कारागर पर मैं अपने कुछ सुझाव, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस के वार्षिक प्रतिवेदन के अन्दर, प्रस्तावना के अन्दर यह माना है कि 2010-11 में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत वर्ष 2010 की अपेक्षा 1.64 प्रतिशत अभियोगों की वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तब तो अभियोगों में प्रति वर्ष रिकार्ड वृद्धि रहती थी। अभी गुलाबजी भाई साहब बोल रहे थे, माननीय सदस्य...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भाई साहब, नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तब उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी। हम तो खुद उनके पास जाते थे तो देखते थे कि वे एक तफ्तीश भी चेंज नहीं कर पाते थे। उन्होंने अखबारों के माध्यम से और सदन में यह कहा था कि मैं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक कुंठित और लाचार गृह मंत्री हूं, मैं एक कांस्टेबल का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। यह पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर हुआ था।

वर्तमान शासन में अवैध गतिविधियों में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि रही। महिला अत्याचार में भी गत वर्ष की तुलना में 9.8 की वृद्धि रही। एस सी और एस टी के मामलों के अन्दर जरूर सरकार ने तत्परता दिखाई है। इसके पीछे और भी कई कारण है कि एस सी और एस टी के मामलों में ज्यादा चालान करने से किनको नुकसान होता है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने भी खूब जमकर एस सी और एस टी के मामलों के झूठे चालान किये राजस्थान के अन्दर।

कांग्रेस सरकार कह रही है कि राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला थाना खोलेंगे। अब कितने थाने खुले या नहीं खुले, बजट में हर बार घोषणा होती हैं, उसकी क्रियान्विति पूरी हुई कि नहीं हुई, यह तो यही जाने लेकिन महिला अत्याचार के अन्दर इनका जो प्रगति प्रतिवेदन बता रहा है, कमी के बजाय वृद्धि हुई है।

बड़ा प्रचारित किया गया कि जयपुर और जोधपुर के अन्दर हम कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहे हैं, जैसे कमिश्नर प्रणाली आते ही अपराध अपने आप खतम हो जायेंगे, उलटे कमिश्नर प्रणाली दोनों शहरों के अन्दर पहले के बजाय ज्यादा फेल हुई है। पुलिस जिस तत्परता से काम करती थी, इस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद जितने भी मामले जयपुर और जोधपुर में आये, जितने अपराध बढ़े और कई अपराधों के अन्दर, जो गोल्ड सूक का मामला था, उसमें कई पुलिस अधिकारियों के नाम और उनके तार गोल्ड सूक के निदेशकों से जुड़े हुए मिले। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकता। पुलिस कमिश्नर प्रणाली का फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिला, यह बिलकुल फ्लाप रही है।

पुलिस सतर्कता शाखा का राजस्थान में गठन किया गया, यह अपने उद्देश्यों में कितनी कामयाब हुई, यह सबके सामने है। भ्रष्टाचार पर कितनी प्रभावी कार्यवाही हुई, पुलिस दुराचार और ड्यूटी पर शराब पीकर जो अधिकारी और कर्मचारी जांच में लिप्त पाये गये, उनके खिलाफ भी कोई विशेष कार्यवाही राजस्थान के अन्दर नहीं हुई। नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार तो आम बात है। एम एल ए, एम पी और मंत्रियों के साथ भी राजस्थान में दुर्व्यवहार की घटनाएं घटीं। जगह-जगह मंत्री पिटे, कई मंत्रियों के मिर्ची डाली गई आंखों में,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक जगह कीचड़ डाला गया, सीकर में मंत्रीजी पिट कर भाग गये, डी जी साहब की कार को तोड़ा,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डी जी साहब तो भागने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी कार कैसे टूटी?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और सूरवाल घटना के अन्दर एक सी आई को जिन्दा जला दिया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि राजस्थान की पुलिस का इकबाल किस तरह जनता के अन्दर, पुलिस का जो इकबाल रहना चाहिए, उसका ताजा उदाहरण सूरवाल की घटना है। सूरवाल की घटना के वक्त यदि मौके पर पुलिस अधिकारी मुकाबला करते तो निश्चित तौर पर एक जांबाज पुलिस अधिकारी को बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारियों की, पुलिस में भी जो सबसे बड़ा जहर, जो राजनीति के अन्दर तो है ही, लेकिन पुलिस को इससे दूर रहना चाहिए। चूंकि राजनेता ही पुलिस वालों के ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं, इसलिए पुलिस तो इससे दूर रह नहीं सकती। इसलिए पुलिस में भी जातिवाद पूरा ऊपर से नीचे तक ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ है। गिन-गिन कर राजस्थान के एक जाति विशेष के अधिकारियों को चार्ज-शीटें दी गईं और एक जाति विशेष के अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसकी मैं निन्दा करता हूं।

राजस्थान के अन्दर अभी प्रमुखता से दो-तीन मामलों में, मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि दारासिंह जाट का जो एन्काउंटर हुआ, उस समय घोषणा पत्र में आपने बात कही थी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इस मामले की सी बी आई से जांच करायेगी। आपने सी बी आई को दो बार लिखा भी। जब सी बी आई ने आपकी बात को ठुकरा दिया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गये? वह तो दारासिंह की बेवा और उस गरीब विधवा जिसने पता नहीं, कितने राजनीतिक दबाव आये होंगे, कितने लोगों ने उस परिवार को खरीदने की कोशिश की होगी, डराने की कोशिश की होगी लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज भी ईमानदारी इस देश के अन्दर जिन्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकार किया और सी बी आई जांच के आदेश दिये। सी बी आई जांच के आदेश के बाद पहले पुलिस अधिकारी, छोटे लोगों पर सी बी आई ने हाथ डाला, बड़े लोग इधर-उधर छिपते रहे। उसके बाद पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी थे, उनको पकड़ा और फिर हमारी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पार्टी के पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भंवरी मामले के अन्दर तो जब जाट और विश्नोई पकड़े गये, तब प्रतिपक्ष की नेता ने यह बयान दिया था कि सी बी आई दूध का दूध और पानी का पानी करे, फिर राजेन्द्र राठौड़ में ऐसा क्या था कि...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक व्यक्ति का मामला क्यों उठाते हो? यह गलत है। आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उन्होंने कहा कि सारी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप अच्छी तरह बोल रहे थे। बोलते-बोलते यह व्यक्तिगत, घर में...आप पर 302 के मुकदमे नहीं हैं क्या?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): दिग्भ्रमित मत होओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और सारी पार्टी ने एक अपराधी को संरक्षण देने का काम किया...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप पर जघन्य अपराध की धाराएं लगीं, आपका परिवार जेल गया। यह गलत है। ये गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सदस्य, दिग्भ्रमित न हों।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान के अन्दर जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ऐसा कोई अनर्गल आरोप नहीं लगायें कोई।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में नहीं हैं, उस पर किस तरह की बात कर रहे हैं?

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उस व्यक्ति को राजस्थान की जनता ने नकार दिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): व्यक्तिगत लाभ के लिये यहां पर जो लांछन लगाये जा रहे हैं, वह गलत है। इनको रोका जाना चाहिए। इनको रोकने की कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो भारतीय जनता पार्टी दो दिन पहले तक बड़े-बड़े आंदोलन की बात करती थी, आज राजेन्द्र जी का नाम लेना ही भूल गये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): राजस्थान के अन्दर, राजेन्द्र जी का नाम पूरे राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री सभापति: इनको अलाउ कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये। (व्यवधान) भाई, आपके कई माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान) सुनिए, मेरी बात। (व्यवधान) आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य, आप विराजो। आप कैसे रोकोगे? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: यह सही नहीं है कि हम बोलने नहीं देंगे। यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान) आप तो वरिष्ठ सदस्य हो, माननीय, आप विराजो। (व्यवधान) काहे की व्यवस्था दूं? किस चीज की व्यवस्था दूं? आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं करूंगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आंदोलन फेल हो गया। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

परम्परानुसार सदन से अनुपस्थित व्यक्ति व सबजुडिस मामलों का नहीं उठाया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। मेरा इतना ही निवेदन करना है, व्यवस्था के सम्बन्ध में कि दो व्यवस्थाएं हमारे यहां पहले से चली आ रही हैं। एक तो जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हों, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते, एक। इस बात की व्यवस्था आई हुई है। दूसरा मेरा यह कहना है कि जो मैटर सब-जुडिस हो गया है, अब न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय को प्रभावित करने के लिए, न्यायालय इससे प्रभावित होता है। इसलिए इन दोनों बातों पर बिना नाम लिये चर्चा हो सकती है। जो सदस्य सदन में नहीं हैं या जो व्यक्ति सदन में नहीं हैं, उन पर हम आरोप नहीं लगा सकते, यह हमारी परम्परा है, मैं आग्रह करूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो भंवरी सदन में है क्या? फिर भंवरी का नाम क्यों लेते हो रोज आप? ...(व्यवधान)... भंवरी की बात कर रहे हो। ऐसी क्या बात है कि हम बोल लें और आप जो जंचे, वह बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अच्छे सुझाव दो न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोलने तो दो हमारे को।

श्री सभापति: कोई अच्छे सुझाव दो पुलिस के ऊपर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप क्यों लेते हो उस पर? (व्यवधान) सभापति महोदय, जब राजस्थान की जनता ने, जगह-जगह ये बंद करवा रहे थे तो सीकर, नागौर और जोधपुर के अन्दर जब जाट समाज के लोगों को लगा तो इन्होंने पुरजोर विरोध किया और विरोध के डर के मारे इन्होंने स्टेटमेंट, आज के अखबारों के अन्दर पढ़ लो, कि हमें तो कोई लेना-देना ही नहीं है, अब न्यायालय जाने। यह बात बता दी कि भाई, न्यायालय ही अब न्याय करेगा। तो 6 तारीख को भी तो न्यायालय था, आप तिलक लगा कर छोड़ कर गये थे, जैसे कोई पूरी की पूरी बारात लेकर गये हैं। यह कोई बात थोड़े ही होती है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो पांच साल का कार्यकाल था...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: कोई अच्छे सुझाव दो। आप काहे को इसमें जा रहे हो? (व्यवधान) आप तो विराजो (व्यवधान) ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजो आप। (व्यवधान) आप बहुत विद्वान हो, आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अच्छे सुझाव दो। (व्यवधान) एक ही प्रकरण पर इतनी लम्बी चर्चा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं, अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये, सदन ने उस बात की काफी तारीफ की कि बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि इस गृह विभाग, जो इस राज्य का सबसे प्रमुख, हर राज्य का सबसे प्रमुख विभाग होता है, उसके बारे में आप भी अच्छे सुझाव दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं अच्छे सुझाव ही दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो वातावरण आपने बेवजह बना दिया, इसका क्या अर्थ है? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बी पी वही 80/120 रखो। वे अपनी बात रखें। हमारा क्या लेना-देना है इसमें? आप सत्ता पक्ष को क्यों इन्वाल्व कर रहे हैं? 80/120 आपकी हैल्थ के लिए ठीक है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

(16.37 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा है, साहब, आप या तो बोलने के लिए मेरे ऊपर पाबंदी लगा दो कि मैं बोलूं ही नहीं। यह क्या मतलब है? मैं तो दो मिनट बोला हूं, बाकी लोग एक-एक घंटा बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, आप डायरेक्शन क्यों दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): या तो यह कर दें कि मैं नहीं आऊं, तब तक यह चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, जो भी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं जब ही उतरूं और आप सीट पर आ जाते हैं। या अध्यक्ष जी आकर। मेरा नाम कहां है? .(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो मेरे को तो तीन मिनट हुए हैं पूरे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, बोलिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का टाइम थोड़े ही ले रहा हूं। मेरा तो अलग टाइम है। निर्दलीय समझो आप मुझे तो, निलम्बित हूं। (व्यवधान) मैं गलती से इनके टिकट पर जीत कर आ गया था। मेरे से गलती हो गई। (व्यवधान) आप मेरी चिंता मत करो, आप तो अपना-अपना ध्यान रखो सब।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप, मंत्रीजी, जब 2008 के अन्दर कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी दिन से हमारे रोहिताश जी जोश में खड़े हो रहे हैं, पहले ही दिन से। कभी तो कहते थे कि नेहरू जी और गांधी परिवार से मेरे रिश्ते हैं। आप भाजपा से जीते हो, नेहरू, गांधी परिवार से क्या लेना-देना है आपका? यहां यह बोलो आप सदन के अन्दर ...(व्यवधान) आप काहे को बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके सुनिए, आप एक मिनट मेरी सुनिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन जैसा चाहे, वैसा निर्णय ले। यह डिमांड पर है, यह राज्यपाल का अभिभाषण या बजट नहीं है। (व्यवधान) आप यह सुनिए तो सही। (व्यवधान) आप सुनिए, आप माननीय सदस्य हो और माननीय सदस्य सदन को चलाते हैं, माध्यम होती है यह चेयर, वह बात अलग है, उसका रेस्पेक्ट होता है। यह डिमांड है और डिमांड में आरोप-प्रत्यारोप या डिमांड के मेन सब्जेक्ट से हटकर बोलना, मेरा जहां तक ख्याल है, उसमें नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप डिमांड पर, जो डिमांड है, जेल की है, गृह की है, इन डिमांड के आधार पर ...(व्यवधान) आप सुनिए, शिक्षा बाद में ले लूंगा, यदि कमी रहेगी तो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध करना है, डिमांड के आधार पर कोई और बोलना है आपको, मैं सदन की राय से आपको, उसका अलग से मौका दूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो? इसमें डिमांड पर बोलें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सदन की गरिमा बनी रहेगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आगे आप मौका कहां दोगे? अगली सरकार तो आने वाली हमारी ही होगी राजस्थान में, हम तो फिर जवाब देंगे। उस साइड में बैठे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आज ही हम तो सब आपको...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी बोलने का समय है, हमारे पास में।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, आपको सब प्यार करते हैं, उस प्यार को कम नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज जिस तरह गोलमा देवी ने बात उठाई, सूरवाल कांड के अन्दर हमारे किसान के बेटे को और जो राजस्थान के अन्दर तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहता है, दौसा के सांसद डा. किरोड़ी लाल जी मीणा जिनकी वजह से आज आप इस साइड में बैठे हैं, उनकी बात का मैंने भी समर्थन किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करके आप बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको पता लग जाएगा, इतना मत बोलो आप।

श्री उपाध्यक्ष: नागौर अजमेर डिविजन में है, हम सबको पता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उन पर जिस तरह से मनगढ़ंत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आरोप लगाया गया, वे कौन से सदन के सदस्य हैं? उनका भी तो नाम ले-लेकर आरोप लगाये थे कि सूरवाल घटना में उनसे पूछताछ करें, उनकी टेलीफोन पर किससे बातचीत हुई। अगर सही में मामले की पूरी जांच, इस दारासिंह जाट एन्काउंटर मामले की पूरी जांच होती है तो इसके अन्दर प्रतिपक्ष की नेता की मुख्य भूमिका है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह गलत बात है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह माननीय सदस्य का अधिकार है, बोलने दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्योंकि मुख्यमंत्री की इच्छा के बिना एन्काउंटर नहीं हो सकता। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमान जी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप एक्सपंज करवाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई भी एन्काउंटर के लिए जाता है ...(व्यवधान) जब एन्काउंटर की परमिशन दें.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंज कराएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2008 के चुनाव के अन्दर जाट की बहू, राजपूत की बेटी, शिड्यूल्ड कास्ट की भानजी और गुर्जर की समधन बताकर पूरे राजस्थान से वोट बटोरे और उसके बाद सत्ता में आते ही इन जातियों पर गोलियां बरसायीं। आज ये मुआवजा देने की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज ये कहते हैं कि फसल का मुआवजा दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन्होंने तो गोलियों से, राजस्थान के किसान के बेटों को गोलियों से मुआवजा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठें। आप बैठेंगे तो बात करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सच्चाई छुप नहीं सकती। राजस्थान के अन्दर सैकड़ों, हजारों किसानों ने बलिदान देकर जागीरदारी प्रथा को नष्ट किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक्सपंज कराएं इसको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप लोग पुनः सरकार में आये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमान जी। (व्यवधान) आप बैठेंगे तब बात करेंगे। आप बैठेंगे तब बात करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): महारानी साहिबा और जितनी +++ कर सकते थे +++ की, पर राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिए। (व्यवधान) आप विराजें। माननीय हनुमान जी, आपको इस सदन में ...(व्यवधान) तो बोलने दें क्या उनको? आपको इस सदन में आदरणीय जनता ने भेजा है और हम आपका सम्मान करते हैं, पूरा सदन हर सदस्य का सम्मान करता है, लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं, जो कोर्ट में, इस कांड की जो बात कर रहे हो, यह सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चित रहा है, वहां चल रहा है। कोर्ट में जो भी मामला किसी पक्ष का चल रहा हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो रूल्स के खिलाफ जाएगा और रूल्स के खिलाफ जाएगा तो कौन अलाउ करेगा? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध करना है,...(व्यवधान) आप मुख्य सचेतक जी, आप तो समझदार हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं जो कह रहा हूं, उसको आप सुनिए। आप निर्णय ले लीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने काहे के लिए कल बायकाट किया था? कल सदन का बहिष्कार क्यों किया था इन्होंने, पता करो आप। क्या वह सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं है? काहे के लिए बहिष्कार किया था? बी जे पी वाले बताएं, बहिष्कार क्यों किया था?

श्री उपाध्यक्ष: आप इस मैटर को कृपा करके ...(व्यवधान) कोर्ट वाले मैटर की चर्चा न करें, यह आपसे अनुरोध है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, कल बहिष्कार क्यों किया था, यह बताएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रतिपक्ष की नेता ने मुख्य मंत्रीजी पर आरोप कैसे लगाया भंवरी कांड के अन्दर? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो भंवरी उपस्थित थी क्या?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): प्रतिपक्ष की नेता ने कैसे आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री के रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो बता दो, आपने बहिष्कार क्यों किया? सदन तो नहीं चला। कल क्यों गायब रहे आप? कारण है तो बताओ आप। हद कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मामले को बेवजह आप कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर सीधा बोलना चाहूं तो आप मुझे समय देंगे? आप मुझे यह कहेंगे कि आपकी पार्टी के लोग नाम देंगे, तभी बोलने की अनुमति दी जाएगी। वे भारतीय जनता पार्टी के सदन में सदस्य हैं, तो क्या उनका लिस्ट में नाम है?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, मैं नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप में हिम्मत है तो निष्कासित करो मुझे।

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने उनको इजाजत दी है बोलने की, इसलिए बोल लें लेकिन थोड़ी गरिमा से बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): निष्कासन की तो हिम्मत है नहीं और बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या लेना-देना है मेरा भारतीय जनता पार्टी से? मुझे तो छोड़े हुए ही टाइम हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) एक्सपंज करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने +++ की बात की, उसको एक्सपंज किया क्या? नेता प्रतिपक्ष ने टट्टे खेलने की बात की, वह एक्सपंज हुई क्या? आज यहां सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला कि +++ रख देंगे। एक दिन माननीय प्रतिपक्ष की नेता ने कहा, टट्टे लड़ाने के लिए आये हो क्या, ये शब्द हैं कार्यवाही में, एक्सपंज करा दो। फिर सारे कराओ। असंसदीय बात तो सारी असंसदीय है। उस टाइम तो आप बोलते हो... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यस, जो असंसदीय शब्द हैं... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, यस करने से काम नहीं चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद भी बोलते रहे हो। मेरा आरोप है, ये खुद बोलते रहे और दूसरा बोलता है तो ये सहन करना नहीं चाहते। या तो इस सदन में गरिमा रहे, तो आपकी तरफ से भी रहेगी, हम भी रखेंगे। आप तो रखें नहीं और हमसे उम्मीद करें कि हम रखें, यह नहीं चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलिए, आप मत चलने दो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि सरकार की +++ करना, यह असंसदीय नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने यह कहा, हम आपको +++।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, +++ तो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये जो पहले ही +++ गये, अब क्या +++ ?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने कहा, हम आपको +++ के लिए आये हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 30-40 साल से +++ जा रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप क्या +++? सबको जनता +++ है। क्या पता, किसकी +++ होने वाली है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं मेरे प्रमुख सुझाव दे दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब आप बोलने दें मुझे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, आप यह बता दो इस सदन में... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या समझ रखा है आपने?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस सदन में क्या आपकी तरफ से कोई असंसदीय शब्द नहीं बोले गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप नहीं बोलते हो, आपके साथी भी बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों बात नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मुझे मेरी बात कम्पलीट करने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप हर बार ही बोलते हो। यह क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हर बार ही बोलते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बैठ जाओ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्यों बैठ जाऊं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: टर्न बाई टर्न बोलें। (व्यवधान) माननीय ज्ञानदेव जी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन का मामला है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हाउस को आर्डर में लाने की व्यवस्था कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: भवानी सिंह जी, कृपया ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाने की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर जाएं। कृपया अपनी सीट पर चलें। मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी अपना वर्जन दे रहे हैं, आप एक मिनट सुनें तो सही। मंत्रीजी कुछ बात कर रहे हैं। (व्यवधान) Let him complete. मंत्रीजी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए पहले।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाकर कार्यवाही की व्यवस्था करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सदन नहीं चलाना है तो बताएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, सदन में जो सदस्य हैं, उठकर टेबल पर आकर इस तरह झगड़ा करने की तैयारी करते हैं। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। यह राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपस में समरसता से बात सुनिए। गम्भीर विषय की डिमांड है। आज पूरा स्टेट देख रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह कोई तरीका है? इस तरह आप लोग आपस में बात करते हो। मैं बीस साल से लगातार देख रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रवण जी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो सदन की प्रोसीडिंग्स की वीडियो फुटेज देखिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने चप्पल निकाली है यहां पर। यह सदन में दूसरी घटना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): पहले भी इस तरह की घटना हुई है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ विधान सभा है। (व्यवधान) आप वीडियो फुटेज देखिए, चप्पल के हाथ लगाया टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कुछ तो गरिमा रखें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रमेश जी।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): कोई भी सदस्य वैल में तो आ सकता है, लेकिन इस तरह से बोलना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रमेश जी, आप विराजें। (व्यवधान) आप विराजिए। माननीय हनुमान जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पुराने मामलों को मत छुओ। मुख्य सचेतक बने हुए हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रवण जी, आप बैठिए। Let him complete.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मुख्य सचेतक बने हो, अपना स्तर मत गिराओ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी मेहरबानी से नहीं बना हूं। बैठ जाओ। रामलीला में नाटक थोड़े ही करना है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान) यह सड़क की बात यहां मत करो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यहां सदन में क्या दादागिरी करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानदेव जी, विराजिये, उनको कम्पलीट करने दीजिये। उनका पांच मिनट में कम्पलीट हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सभ्यता से पेश आएं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप क्यों बोलते हो? यह रामायण की रामलीला नहीं है। आप बैठे रहो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कुछ डेकोरम मेंटेन करो। (व्यवधान) मुख्य सचेतक बने हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सदन आसन से चलता है, आपसे नहीं चलता है। (व्यवधान) आ गये यहां पर। रामलीला है क्या यह?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ये +++ यहां पर आ गए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह रामलीला नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आपको पता है... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को कंट्रोल में लाइए। यह आपके लिए उचित बात नहीं है। इसका मतलब है कि उपाध्यक्ष हाउस में बैठे हैं और लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। यह कोई तरीका है? ये विधायक हैं? (व्यवधान) इसको विधान सभा समझते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप भी अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। आपने इजाजत ली है क्या? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कितनी पार्टियां बदल चुके हैं आप आज तक? कितनी तो पार्टी बदल ली?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की कार्यवाही सात बजे तक बढ़ाये जाने के लिए सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर ऐसा ही रहे तो मत बढ़ाइए। उपाध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं बोल रहा हूं, आप बीच में कहां से आ गए? (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप सुनिये, सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो कम्पलीट करने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई रामलीला है क्या कि समय दीजिए? (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): एक मिनट का समय हमको भी दीजिए। आप भी 10 बार बोलते हैं। रामलीला नहीं है, हम भी चुनकर आए हैं। (व्यवधान) एक मिनट का समय हमें भी दीजिए, हम एक बात कहना चाहते हैं। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमान जी।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हमें एक मिनट का समय चाहिए।

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

इनको चाहिए तो हमें भी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह रामलीला है क्या? आप 50 तो जवाब करते हैं, रामलीला है। हम रामलीला में आए हैं क्या? हम भी चुनकर आए हैं। (व्यवधान) क्या बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रमुख सुझाव अब मैं देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब पता है आपको। आप समाप्ति की तरफ अपनी बात को लेकर आओ। (व्यवधान) कृपया समाप्त कीजिए। समाप्ति की तरफ लेकर जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं बिलकुल कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं, मैं सत्य बात कह रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पहले एक्सपंज कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: वह अध्यक्ष जी ने निर्देश दे रखे हैं, आलरैडी अध्यक्ष जी के निर्देश हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का हमारा अधिकार है। आप यह मानें कि इन्होंने मुझे निलम्बित कर दिया तो इनका तो मैं अपने आप ही नहीं रहा और निष्कासित करने का इनमें दम नहीं है। ये करें मुझे निष्कासित, तब मुझे टाइम अपने आप अलग से मिल जाएगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): वह भी हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कब हो जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष: भवानीसिंह जी, आप कृपा करके उनको कमपलीट करने दीजिए न माननीय सदस्य को। अब दो मिनट में कम्पलीट कर रहे हैं, आप 15 मिनट लगाएंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप भी शपथ ले लेना फिर मंत्रियों की। विभाग बांटकर छाया मंत्रिमण्डल बनाया है न, तो आप भी जाना छाया मंत्रिमण्डल में, कैसा छाया मंत्रिमण्डल बनता है आपका।

उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में कांग्रेस सत्ता में आई और मेरी पूर्व पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पहली विधायक दल की बैठक में ही यह तय हो गया कि विभागों का बंटवारा कर लो। हमने कहा कि साहब, अपन तो विपक्ष में हैं, किन विभागों की आप बात कर रहो हो? बोले कि रेवेन्यू तो ये लेंगे, वक्फ

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इसको दे दो, गृह ये लेंगे। किसी को 4-4, 5-5 दे दिए, अपने मनमाफिक ले लिए। हमारे जैसे जो आए थे, जिनका कोई धणी-धोरी था नहीं, उनको कोई विभाग मिला नहीं, तो हम बिना विभाग के रह गए। मतलब यह है कि इनका राज किया हुआ था, तो इनके मन से अभी भी वह निकला नहीं, जैसे इनका ही राज है। इस तरीके की दिमाग के अन्दर इतनी सामंती सोच इन लोगों की है कि अभी भी राज इनका ही है। महारानी साहिबा आएंगी; आएंगी कहां से, अभी तो दो साल और बाकी पड़े हैं। अभी पहले किसने सोचा कि महिपाल मदेरणा, राजेन्द्र सिंह राठौड़ जेल में होंगे। कल किसी ने सोचा थोड़े ही था और वे चले गए सुबह जेल में। अभी तो पता नहीं, किन-किन की जांच होगी और कौन जेल में जाएंगे और कौन जेल से बाहर आएंगे। यह अपन पहले कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान का सी.एम. 2013 में कौन होगा? यह भविष्यवेत्ता थोड़े ही हो आप लोग, जो बता दो कि ये होंगे और ये भाई साहब फलां मंत्री होंगे और हम ट्रांसफर करेंगे। ये सपने फालतू के क्यों लेते हो? अभी दो साल में पता नहीं क्या हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमान बेनीवाल की बात अंकित होगी। केवल हनुमान बेनीवाल की बात अंकित होगी, और किसी की नहीं होगी। आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) विराजिए-विराजिए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, यदि आरोप-प्रत्यारोप लगाए तो मैं समय नहीं दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बिलकुल शार्ट में। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर जिले के अन्दर डीडवाना में 2006 के अन्दर जीवण गोदारा की हत्या हुई, राजस्थान में जाट समाज उद्वेलित हुआ और जगह-जगह राजस्थान में धरने-प्रदर्शन हुए। हमें यह बात इसलिए कहनी पड़ती है कि हमारी जाति के हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक लाख वोट हैं और अगर जाति की बात नहीं करेंगे तो दुबारा जीतकर नहीं आएंगे। इनके कहने से थोड़े ही हो गया। ये तो पार्टी के टिकट पर जीत कर आ जाए, हमें तो पता नहीं, कैसे लड़ना पड़ जाए। हम तो 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें सारी वे बातें कहनी पड़ेंगी जो अन्याय के खिलाफ होंगी और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि मैंने एक सच्ची बात बोली कि दारिया एन्काउंटर की सही जांच होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आरोप लगाया क्या? आरोप नहीं लगाया किसी पर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पहले बात सुनो आप। उस सच्ची बात पर मुझे तो निलम्बित कर दिया और दारिया एन्काउंटर के आरोपियों को ढोल-ढमाके बजाकर ले जा रहे हैं। यह कोई बात थोड़े ही है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं ले रहे हैं। आप उत्तेजित मत करो। कोई नाम नहीं ले रहे हैं वे। वे नाम लेंगे तो मैं खुद बैठा हूं। वे नाम नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान) अब बोलने का अधिकार है, वह तो बोलेंगे ही। (व्यवधान) आप पूछ लीजिए अपने लीडर से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जीवण गोदारा के हत्यारों को, जिन पर एक-एक लाख का इनाम है, एक को अभी पुलिस ने, एस ओ जी ने पिछले डेढ़-दो महीने पहले पकड़ा था लेकिन अभी एक मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर है और उसके कनेक्शन मेरी पूर्व पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दो-तीन पूर्व मंत्रियों के साथ हैं। वे चाहें तो उसको आज सरेंडर करवा सकते हैं लेकिन करवाना नहीं चाहते। उनको पता है कि एक-दो को और शहीद कराएंगे इस राजस्थान के अन्दर, ऐसा उन्होंने शायद सोच रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे याद है, जितना अधिकार होगा, उतना ही बोलने दूंगा। आप शांति रखें। डिस्टर्ब क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस सरकार के अन्दर डीडवाना कांड के मुख्य आरोपी को, आज पूरा पुलिस बेड़ा यहां बैठा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मित्रता बाहर, सदन में मित्रता नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डीडवाना कांड का मुख्य आरोपी शीघ्र पकड़ा जाए ताकि राजस्थान के अन्दर जो जातीय वैमनस्यता के बीज हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने गुर्जर-मीणों को लड़ाकर बोये थे, वह जाट-राजपूत राजस्थान के अन्दर नहीं लड़ लें, यह स्थिति राजस्थान के अन्दर नहीं हो, इसलिए वह आरोपी पकड़ में आना चाहिए।

छोटू जाट का एन्काउंटर हुआ। मैंने इस मामले को यहां उठाया था, यह आपकी सरकार के टाइम हुआ, अभी वर्तमान में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि उस मामले की भी सी बी आई जांच हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जैसा कि हमारी प्रतिपक्ष की नेता कहा करती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव से पूर्व हमें भी वह ही भाषण देना था...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नाम कहां ले रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। केवल हनुमान बेनीवाल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जाता है और वह लेते रहे हैं। आप विराजिए। विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, बोलें आप। नामजद नहीं, नेता सदन बोल सकते हो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, अब इनको इतना बुरा लग रहा है तो मैं तो उनका बिलकुल नाम ही नहीं लूंगा। मुझे तो खुद को ही उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना से चलो आप तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, पाले की और किसानों को मुआवजे की बात करते हैं। हमारे मालवीय नगर से आने वाले विधायक को क्या पता कि पाला, किसान और फसल क्या होती है। एक मिनट आप सुनो। जबरदस्ती किसानों की सरकार, कभी खेत देखा है क्या? कभी खेत में गए हो क्या? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमने मुआवजा दिया था। चुनाव से पूर्व हमने अलग-अलग जातियों से अलग-अलग नाम से वोट लिए, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की भानजी, किसी की समधन। वोट ले लिए और जीतने के बाद उनको गोलियों से मारा। यह मुआवजा हमने राजस्थान की

(: 17.00 बजे)

जनता को पूरा दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अन्दर बैठे हुए... (व्यवधान) हम निर्दलीय लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। (व्यवधान) हम निर्दलीय लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। (व्यवधान) जब हमें पता लगा...

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया समाप्त करो। आप कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) समाप्त करें। (व्यवधान) आप समाप्त करें, नहीं तो मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कैसे करोगे, साहब? मेरी पूरी बात और मेरे सारे सुझाव तो रह गये जो जेल से सम्बन्धित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल, मैंने आपसे अर्ज कर दिया है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जेल के अन्दर किस तरह से अपराधी, हमारे किशनगढ़ से आने वाले विधायक, जिनके पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं चाहता हूं, सब सदस्य बोलें। (व्यवधान) नाम ले रहे हैं क्या वे? नाम ले रहे हैं क्या वे? नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जेल से इनको धमकियां दे रहे हैं। तो जेल व्यवस्था का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है, उस ढांचे को कैसे बदला जाये? जेलों में मोबाइल और सिम मिल रही हैं, उन्हें कैसे...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम नहीं लिया। (व्यवधान) वे समाप्त कर रहे हैं दो मिनट में। दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मैं खुद ही बंद कर रहा हूं। (व्यवधान) आप सीट पर जाओ। आप सीट पर जाओ तो बंद हो जायेगा। माननीय हनुमानजी, बंद करें आप। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठो तो सही।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, समाप्त करें। आप बैठिये। (व्यवधान) आप सुनें तो सही। माननीय हनुमानजी। आप बैठो तो सही। आप चेयर पर जाइये। (व्यवधान) माननीय हनुमानजी, आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिये, दो मिनट। (व्यवधान) दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। दो मिनट की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये ना। आप बैठिये। आप समाप्त करें। माननीय हनुमानजी, दो मिनट में आप समाप्त करें। (व्यवधान) हनुमानजी, आप नहीं बोलना चाहते तो मैं नाम पुकारूंगा दूसरा। (व्यवधान) आप समाप्त करिये। आपकी बात अंकित हो रही है। आपको दो मिनट से ज्यादा एक सेकंड नहीं मिलेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस सरकार के अन्दर हमारे किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के पुत्र की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट बाकी है आपका, एक मिनट बाकी है। (व्यवधान) आप बैठिये ना। हां, मुझे सब पता है, एक मिनट बाकी है उनका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...अपराधी जेल से लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझे मत सिखाओ। एक मिनट बाकी है उनका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...इस सरकार के अन्दर अब लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट में वे कन्क्लूड कर रहे हैं, वह कन्क्लूड कर रहे हैं। आप पधारो, आप सीट पर पधारिये। (व्यवधान) वे एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सत्ता पक्ष के विधायक के परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और जेल से अपराधी खुले आम अगर लोगों को धमकियां दें तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शासन को क्या संज्ञा दें? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं नाम पुकारूंगा आपने यदि आधा मिनट में पूरा नहीं किया तो। हां, आधा मिनट, अब जो भी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एस.ओ.जी. ने जो सिनोदिया हत्याकांड के अन्दर...

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...एस.ओ.जी. को जांच आगे बढ़ानी चाहिए थी। अगर जांच आगे बढ़ती तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का हाथ था, उसके अन्दर भी। यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं नाम पुकार रहा हूं, माननीय हनुमानजी। आप बिराजिये, माननीय हनुमानजी। (व्यवधान) आप कमाल करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान में पांच साल कुछ नहीं किया और अब दो साल पहले ही अपने विभाग बांट लिये और इस तरह पेश आने लग गये कि जैसे भाई साहब...

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आप समाप्त करिये। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय तो दो बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, समय दे दिया पूरा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह क्या बात हुई? यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला। आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, यह क्या बात हुई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके सुझाव बाद में किसी दूसरे में दे देना। ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। मैंने ओमजी बिरला का नाम पुकार लिया है। आप एक घंटा बोल लिये। 60 मिनट बोल लिये हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला का अंकित होगा। केवल ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन के ऊपर नहीं बोलें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आप विराजिये। एक घंटा बोल लिये आप। आप बैठिये। आप 24 घंटे बोलना चाहते हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की महत्वपूर्ण मांग पर...

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप विराजिये। विनम्र अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, आप विराजिये। (व्यवधान) आप सदन में व्यवस्था बनाये रखिये। एक घंटा बोल लिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की तरफ देख रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17, प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मांगों पर आज चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओमजी बिरला।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17, गृह और जेल पर...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विशेष मौके पर देंगे आपको समय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...आज विधान सभा के अन्दर चर्चा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदस्य अनुशासन में नहीं रहेंगे तो सदन नहीं चल पायेगा। अगर कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सब्जेक्ट पर आइये। आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान) केवल ओमजी बिरला का अंकित हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में लाइये। माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया, आपने नाम पुकार लिया।

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गरिमा में रहना चाहिए माननीय सदस्य को। आपने उनको समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, आप विराजिये। विराजिये, बिराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल, आप बैठिये ना। माननीय हनुमानजी बेनीवाल, मैं आपको सम्मान के साथ नाम लेकर पुकार रहा हूं। आप विराजिये। हनुमानजी बेनीवाल, आप विराजिये। आपको पूरा टाइम दे दिया है। आप विराजिये। कृपा करके आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, हां, बिलकुल आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, आप विराजिए। अभी विराजिए। विराजिए, आप विराजिए। (व्यवधान) हनुमानजी बेनीवाल, कृपा करके विराजिए। आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बेनीवाल, विराजिए। माननीय ओमजी बिरला। कृपा करके आप उनकी बात का जवाब नहीं दें, अपनी बात कहें।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपसे निवेदन है, आप विराजिए। वे खुद सक्षम हैं।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो मौका मिलेगा, तब मिल जायेगा आपको।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह मिलेगा आपको आगे, आगे। आपका आगे नाम है, अभी विराजिए आप। आप विराजिए। आप विराजिए।

ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। किसी भी प्रदेश के अन्दर उसकी खुशहाली, उसकी प्रगति और उसका विकास वहां की कानून-व्यवस्था पर टिका रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक रहेगी, प्रदेश के अन्दर ला एंड आर्डर रहेगा, नियम और प्रक्रिया में लोगों का काम होगा; लोगों को सुरक्षा मिलेगी तो प्रदेश के अन्दर उद्योग, व्यापार प्रगति पर होंगे। इतना महत्वपूर्ण विभाग जिसकी चिंता माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने पहले राज्यपाल अभिभाषण में थी कि कानून का राज होना चाहिए, कानून से राज चलना चाहिए, लेकिन आज इस मांग की चर्चा पर प्रदेश सरकार कितनी गम्भीर है, न तो यहां मुख्य मंत्रीजी हैं, और मुख्य मंत्रीजी ने विभाग ले भी रखा है, शायद उनके पास कोई ठीक मंत्री नहीं है इस कारण मुख्य मंत्रीजी ने विभाग ले रखा है लेकिन आज की मांग के समय यह अच्छा होता कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी यहां पर रहते और जो माननीय सदस्य हैं, जिनका आप अंकित कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप, माननीय, रूल्स में हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो तंत की बात बताइये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आज जिस तरह से कानून की बात कांग्रेस तीन बरसों के अन्दर कर रही है, सरकार कितनी गम्भीर है, हमने सोचा था कि मुख्य मंत्रीजी ने अभिभाषण में जिस तरीके से उदगार दिये थे, ला एंड आर्डर का राज होगा, कानून-सम्मत राज होगा, प्रदेश में न हत्या होगी, न डकैती होगी और जिसकी चिंता उन्होंने की थी कि महिलाओं की चेन खींची जा रही हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल के अन्दर हमारी पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं हम न हत्या पर नियंत्रण कर पाये, न डकैती पर नियंत्रण कर पाये और जिस बारे में मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं, शायद राज्य के मुख्य मंत्रीजी को पता नहीं होगा, कोई दिन नहीं राज्य के अन्दर जब किसी महिला की चेन

(श्री ओम बिरला)

नहीं खींची जाती हो। गृह मंत्रीजी, पूर्व गृह मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर, घर से बाहर निकली महिला, उसका मंगल-सूत्र छीन कर ले गये। इतना ही नहीं, 16.3.12 को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेन खींची, लहराई और लहरा कर कहा कि ऐसी घटना होती रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पिछली बार भी यही भाषण दिया था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आता नहीं न, इसलिए यही बोल रहा हूं। आपसे सीखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले तीन साल के अन्दर कानून और पुलिस के कानून के तहत उसको नियंत्रण करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये। हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी बता रहे थे कि 1861 का पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट के लिए नई कमेटी बनी, पुलिस एक्ट लागू नहीं हुआ। पिछले तीन साल के अन्दर अपराध को रोकने के लिए जो सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए, आज हालत क्या है, किसी एक थाने में चले जाओ, अस्सी-अस्सी गांव एक थाने के अन्दर आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो गांव से विधायक रहे हो, एक थाने में अस्सी गांव, कहीं 12 की नफरी, कहीं 16 की नफरी। प्रदेश के अन्दर ला एंड आर्डर के अन्दर प्राथमिकताएं परिवर्तित होती रहती हैं और जिस तरीके से ला एंड आर्डर पर सबसे ज्यादा सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता कानून का राज चलाने में सबसे कम नजर आई। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई कि पिछले तीन सालों के अन्दर राजस्थान के अन्दर 230 सर्किल इंस्पेक्टर के पद रिक्त हैं। 1,035 पद, उसमें से 230 सर्किल इंस्पेक्टर के पद रिक्त। एस आई के 3,841 में से 1,335 सब-इंस्पेक्टर के पद रिक्त। ए एस आई के 5,394 में से 1,305 पद रिक्त, आप कैसे कानून लागू करोगे? किसी थाने के अन्दर थानेदार नहीं होगा, आज भी राजस्थान के अन्दर 22 प्रतिशत थाने ऐसे हैं जहां पर सी आई का पद होने के बाद भी पद रिक्त है। आपके यहां एक वर्ष के अन्दर पांच सौ से आठ सौ मुकदमे दर्ज होते हैं। उन पांच सौ से आठ सौ मुकदमे दर्ज करने के लिए सब इंस्पेक्टर नहीं, ए एस आई नहीं और जिस पुलिसकर्मी हैड कांस्टेबल को आप जांच देना चाहते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं, आज हम किस तरीके की सरकार चलाना चाहते हैं? हम रिक्त पदों को भरे

(श्री ओम बिरला)

नहीं। रिक्त पदों को भरने के अलावा जो प्रमोशन होने चाहिए, समय पर नियमित प्रमोशन का हमारा कानून नहीं, कानून है तो सरकार उसको लागू नहीं करना चाहे और जिसके कारण आज कुंठित होकर, पुलिस अफसर कानून की ठीक पालना करने में अपने आप को कुंठित महसूस करता है। यही कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार नियंत्रण और नियम-कानून के अन्दर जो जिसको हक मिलना चाहिए, वह हक और कानून उसको मिले नहीं और हम आशा करें कि प्रदेश में कानून का राज हो जायेगा। यही कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून सम्मत हम किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं, उस कानून सम्मत न्याय के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्था प्रदेश की सरकार कर नहीं पाई। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ एस एल की रिपोर्टों की हालत देखो, कोई डकैती हो जाय, कोई लूट हो जाय, बलात्कार हो जाय, उसकी पेंडिंग जांच पांच-पांच साल तक, हत्या की एफ एस एल की पेंडिंग जांच नहीं हो, डकैती की नहीं हो, बलात्कार की नहीं हो, जब एफ एस एल की जांच नहीं होगी तो किस आधार पर चालान पेश करेंगे? और चालान पेश नहीं होगा तो आप किस आधार पर सज़ा दिलवाओगे? जबकि कानून यह होना चाहिए कि जिसने अपराध किया है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, वह अपराधी है तो उसको सज़ा मिले और निरपराध है तो वह बाहर निकले। लेकिन जिस सिस्टम को हम फालो-अप करना चाहते हैं, आपके पास पुलिस के पद रिक्त पड़े हैं, एफ एस एल के सिस्टम की हालत यह है कि मैं फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आपको बताऊं, कोटा के अन्दर जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाई, उसकी चल प्रयोगशाला के अन्दर दो करोड़ रुपये खर्च करके भवन बनाया लेकिन हालत यह है कि कोटा में स्टाफ की कमी के चलते 2,868 में 2,323 पद रिक्त पड़े हुए हैं, 223 प्रकरण लम्बित हैं। हालत यह कि आप लम्बित प्रकरण को मत करो, आप अपने बजट का उपयोग मत करो, भवन बना लो, पद नहीं रखो, किस आधार पर हम जांच करेंगे? इतना ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में पिछली बार भी उठाया था कि राजस्थान के अन्दर आज बच्चे लापता हैं, 9 हजार से ज्यादा बच्चे लापता हैं और अकेले कोटा के अन्दर 2009 से 2011 तक 1,551 बच्चे लापता हैं, इसमें से कितनी बच्चियां हैं। बच्चियां लापता, बच्चे लापता, नाबालिग बच्चियां लापता हो रही हैं, उनके पिता दर्द से कहते हैं, थाने में जाते हैं, आप गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, गुमशुदा का कोई रिव्यू होता है? आज तक इस देश के अन्दर एक

(श्री ओम बिरला)

दिल्ली के अन्दर है जहां गुमशुदा की नहीं, कोई प्रकरण दर्ज करते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने इस बात पर गम्भीरता दिखाई, 300 जिलों के अन्दर मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स स्थापित कीं, राजस्थान के अन्दर भी 12 यूनिट्स स्थापित कीं। केन्द्र का पैसा है, सरकार उन रिक्त पदों को भर नहीं सके, लापता बच्चों और नाबालिग बच्चियों की दर्द भरी चित्कार को सरकार सुन नहीं सके। उनके माता-पिता जाते हैं, गुमशुदा में रिपोर्ट डाल देते हैं। मुकदमा दर्ज होगा तो एक्शन प्लान होगा, बार-बार अनुसंधान के लिए पेंडेंसी बोलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी आर पी सी के अन्दर संशोधन होना चाहिये, जो भी नाबालिग बच्चा और बच्ची लापता होती है, उसका मुकदमा दर्ज होकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसके परिवार को उसके बच्चे को दिलाना चाहिये। एक दर्द भरी कहानी होती है। दीवाली की रात को, मैंने इसी सदन में उठाया था, सरोज मीणा अंधेरे के अन्दर..., वह बच्ची आज तक भी नहीं मिली। एक घटना 16 वर्षीय उस आदित्य दीक्षित की है, माता-पिता दुर्घटना में ग्रसित हो गये, 65 साल के पिता। किसी तरीके से रोजगार चलाता है। उस बच्चे का अभी तक पता नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बारे में गम्भीर होना चाहिये।

इतना ही नहीं, आज नया क्राइम हो गया है, साइबर कानून। साइबर कानून में आज हमारी हालत क्या है, सारा देश-प्रदेश की कई सरकारें साइबर कानून के अन्तर्गत आगे बढ़ती जा रही हैं लेकिन राजस्थान की हालत यह है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक रही कि डूंगरपुर, उदयपुर के अन्दर फेसबुक पर आपत्तिजनक चित्र होने पर आपने अमेरिका से उसे उठाया लेकिन उस फेसबुक, ओरकुट, क्या हालत है, आज राजस्थान के अन्दर जो साइबर कानून है, उस साइबर कानून के अन्दर कोई नकली फेसबुक अकाउंट बना ले, कोई कहीं पर डाल दे, ओरकुट, और उस पर जिस तरीके की घटना होती है, रामगंजमण्डी की एक महिला ने खुदकुशी नोट में लिखा है कि मेरे फेसबुक पर मैसेज के द्वारा मेरे ऊपर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की, कोई भी किसी का फोटो लगाकर फेसबुक बना लेता है, उसके बारे में विभिन्न चर्चाएं लिखता है। कोई सरकार ने प्रयास किया? साइबर कानून में जिस तरीके से जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो मिस्चीफ कर रहे हैं, जिसके कारण से कई बच्चियां

(श्री ओम बिरला)

आत्महत्या कर रही हैं, कई बच्चियों की शादियां रुक गई, कई बच्चियों के माता-पिता की हालत यह है कि वे परेशान होकर दर-दर की ठोकरें पुलिस थाने में खाते हैं लेकिन कोई कानून नहीं। मेरी खुद की पत्नी, मेरी साली की लड़की का फोटो डाल दिया, उसमें टेलीफोन नम्बर डाल दिया, मेरी पत्नी के पास दुनिया भर के टेलीफोन आते। मैंने डी एस पी को कहा, मैंने एस पी को कहा, मैंने कहा इस पर कोई फोटो डालकर परेशान कर रहा है। अंत में मेरी पत्नी ने यह कहा कि मोबाइल का नम्बर चेंज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कभी सरकार ने सोचा कि आने वाले साइबर क्राइम हैं, उन्हें हम कैसे रोकेंगे? क्या इंतजाम किए? लेकिन राजस्थान के आला अफसर तक को कहने के बाद भी उन साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कानून नहीं है।

अभी हमारे मालवीय नगर वाले माननीय विधायक बता रहे थे बांग्लादेशियों के बारे में, वहां के नागरिकों के कारण ला एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। क्या किया? 2,468 बांग्लादेशियों को चिह्नित करने के बाद भी सरकार ने केवल 220 बांग्लादेशियों को पुशबैक करने का निर्णय किया। और पुशबैक कहां किया, बगल के गांव में। आप जानते हो कि बांग्लादेशी इस देश के ला एंड आर्डर से खेल रहे हैं, कानून की अस्मत लूट रहे हैं । सरकार बांग्लादेशियों के प्रति गम्भीर नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री बैठे हैं व वर्तमान भी बैठे हैं, हमें कानून की कुछ कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये, जो बहुत छोटी हैं लेकिन गम्भीर हैं। कोई अपराध जब किसी थाने के अन्तर्गत घट जाता है, अगर कोई मुकदमा दर्ज कराने थाने में चला जाता है, घटना मालवीय नगर की घटे, एक दीवार पर दो थाने आते हैं तो कहते हैं उस थाने में जाओ, वह कहता है उस थाने में जाओ। हमारी सरकार एक, हमारा राज्य एक। हमारा जिला एक। सड़कों की दीवार के आधार पर थानों को विभाजित करने के बाद फरियादी अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाए और हम उसको दूसरे थाने का अपराध बताएं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यायपूर्ण नहीं होगा।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल के अन्दर 18 राज्यों के अन्दर अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनी हैं। क्योंकि जिस तरीके

(श्री ओम बिरला)

से पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी अलग बननी चाहिये, लेकिन हालत यह है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप कन्टीन्यू करें, आपको 20 मिनट हो गए। क्योंकि सदस्य बहुत हैं, थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह कहना है, राजस्थान सरकार को भी जहां अपराध ज्यादा हैं, वहां अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, विंग बनानी चाहिये। अगर हमने अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बनाई तो हम किसी अपराधी को सज़ा नहीं दिला पाएंगे, हम अपराधी को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि राज के अन्दर जिस तरीके का थानों में कानून है और जिस तरीके का बोझ है, इसके कारण हमारी प्राथमिकताएं परिवर्तित होती जाती हैं। कभी एक घटना घटी और उससे बड़ी कोई घटना घट गई तो हमारी प्राथमिकता उस बड़ी घटना पर हो जाएगी और उस घटना पर कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हमें अलग बनाना चाहिये।

जिस तरीके से दुर्घटना रोकने पर पुलिस को कारगर करना चाहिये, वह कारगर प्रयास आज तक वह नहीं कर पाई। पुलिस का ट्रैफिक का बहुत बड़ा लवाजमा है लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज में आज सबसे ज्यादा नौजवानों की मौत होती है तो दुर्घटनाओं में होती है। जिस तरीके से ट्रैफिक के अन्दर हम रोजाना सड़कों पर देखते हैं कि शहर के बाहर चौथ-वसूली के नाम पर चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, यातायात पुलिस हो, इन दोनों विभाग के मंत्री यहां बैठे हैं, मेरा दावा है कि राजस्थान के अन्दर इस यातायात पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई भी ऐसा कारगर कदम उठाया हो जिससे लगता हो कि दोनों एजेंसी मिलकर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठा रही हैं। केवल चौथ-वसूली, पैसा-वसूली। पूरे यातायात के कानून ले लो, इंस्पेक्टर बाहर खड़ा मिलेगा। अगर वहां बाहर खड़ा हो तो, डयूटी के बाहर भी ट्रैफिक वाला वहां मिल जाएगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार को चिंतित होना चाहिये और दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिंतित नहीं हुए तो आने वाले समय में जिस तरीके से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से सड़कें जाम हो रही हैं, आने वाला समय हमारे लिए और संकट का समय होगा।

(श्री ओम बिरला)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की घटना बताना चाहता हूं। 3 अप्रैल को एक क्रेन जो ट्रैफिक विभाग ने दे रखी है, इसमें क्राइम करने वाले लोग बैठे रहते हैं जिनका खुद का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। दो कार्यकर्ता वहां पर गये, क्रेन ने टक्कर मारी, उन्होंने विरोध किया। 15 लोग उतरे और उन दोनों के हाथ-पैर तोड़ दिये, स्लिप डिस्क हो गया। दो पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड किये हैं। कौनसी क्रेन चला रहे हो? क्रेनों का औचित्य क्या है? कौन अपराधी बैठा है? इस तरीके से अगर सरकार गुंडों को पालेगी तो किस पर विश्वास करेंगे?

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता और है। जिस तरीके से राजस्थान की जेलों की स्थिति हो रही है, आज जेलों से जिस तरीके से अपराध घट रहे हैं और जिस तरीके से संगठित अपराध राजस्थान में चल रहे हैं, अगर जेलों से अपराध घटने लग जाएंगे तो इससे गम्भीर घटना नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरीके से राज का इकबाल खतम हो जाए, जिस तरीके की घटनाएं पिछले दिनों जेलों से घट रही हैं, वह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। सरकार को जेलों में घटने वाली हर घटना पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर सरकार जेलों से घटनाएं रोक नहीं सकती, मोबाइल को रोक नहीं सकती, तो कौन-सी सरकार चला रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हो यहां की ला एंड आर्डर की स्थिति। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, एक-एक शूटर राजस्थान में पचास हजार-पच्चीस हजार में आता है। लोगों को मार देता है। यहां तो पुलिस के पहरे में, 15-15 पुलिस वालों का पहरा हो और लोगों को सरेआम गोलियों से मार दिया जाए, उन शूटरों की पनाहगाह राजस्थान की धरती बनती जा रही है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए वे शूटर कौन हैं, उनको कहां संरक्षण दिया जाता है, कौन से राज में पल रहे हैं, कौन उनको ला रहा है, उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अवैध हथियार, अवैध हथियार बनने के कारखानों तक, अवैध हथियार के साथ इसके अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि अपराध के अंतिम व्यक्ति तक अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो अपराधों को रोक नहीं पाएंगे, एक अपराधी पकड़ने से उस अंतिम अपराधी को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी चिन्ता है कि उस अंतिम अपराधी को रोका जाए, नहीं तो राजस्थान में जिस

(श्री ओम बिरला)

तरीके से एक लाख, पचास हजार, पच्चीस हजार के अन्दर शूटर्स को लाकर लोगों की जान से खेला जा रहा है, यह राज्य में चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार ला एंड आर्डर के राज को लागू करे और जो पद रिक्त पड़े हैं, उनकी भर्ती करे। एक-एक थाने में जिस तरीके से पुरानी जीपें, घटिया हथियार हैं, उससे बेहतरीन पुलिस महकमा बने। जितना बड़ा थाना हो, जितने गांव आते हों, अच्छे हथियार भी हों, व्हीकल्स भी हों और किस तरीके से हम नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से लिंक करके पूरे देश के सिस्टम को कम्प्यूटराइज्ड करें, अगर कोई गाड़ी खोती है तो उस गाड़ी का पूरा रिकार्ड देश में होना चाहिए, कोई अपराधी या पनाहगाह, किसी प्रदेश का अपराधी है तो उसकी जानकारी राजस्थान प्रदेश को होनी चाहिए, कोई शूटर अगर वहां का है और प्रदेश के अन्दर घुसता है तो उसकी जानकारी प्रदेश को होनी चाहिए। जिस तरीके से लापता बच्चे हैं, उनके बारे में सरकार को चिन्तित होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री चिन्तित नहीं, राज्य के मुख्य मंत्री चिन्तित नहीं। यहां की सरकार, यहां के अधिकारी, जिस तरीके से यहां पर स्थानान्तरण नीति नहीं बनी, जिस तरीके से यहां पर मुख्य मंत्री कार्यालय से स्थानान्तरण होते हैं, हम उस राज में न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: हां, समाप्त करें। विराजें। धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून सम्मत राज्य तभी आएगा जब पुलिस को खुद अधिकार हों, ट्रांसफर पालिसी पारदर्शी बने...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जो अच्छे अधिकारी हैं, उनको फील्ड पोस्टिंग हो...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें कृपया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और फील्ड पोस्टिंग में सरकार या सरकार के किसी नेता का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, इसकी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। थोड़ा संक्षेप में करें, क्योंकि सदस्य ज्यादा हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर आज चर्चा हो रही है, इस चर्चा में मैं भाग लेना चाहता हूं। अभी इस पर चर्चा हो रही थी और मैं सुन भी रहा था, प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के सदस्य भी अभी जो चर्चा कर रहे थे, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि तीन साल पहले जब हमारी सरकार आयी, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने शपथ ली। शपथ लेते ही शराब दुखांतिका के पीड़ित एस एम एस में जो भर्ती थे, उनकी सुध लेने के लिए सबसे पहले वहां पहुंचे। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के मन में आम आदमी के प्रति कितनी सेवा भावना है। किस तरह से अच्छा सुशासन, पारदर्शी दे सकें, इसके प्रयास किये और इस बजट में जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से व्यवस्था की गई है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश में जितने भी थाने थे, चाहे गांवों में, चाहे शहरों में, उनकी नफरी बढ़ाई गई। थानों में नफरी बहुत कम थी। जगह-जगह दूर-दूर गांवों में बसावट है, शहर बढ़ गये, आबादी क्षेत्र बढ़ गया। इसलिए आवश्यकता थी और नफरी बढ़ाई गई। इसके साथ-साथ थाने भी बढ़ाए गये, चौकियों को क्रमोन्नत किया गया और अपराध कैसे कम हों, महिलाओं के लिए कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकें, अभी हमारे भाई चिन्तित हो रहे थे महिलाओं के लिए तो उनके लिए भी इस बजट में जिला मुख्यालयों पर महिला थाने स्वीकृत किये गये। इससे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा।

प्रदेश में जो मेन समस्या है जिससे अभी सभी चिन्तित हो रहे हैं, नफरी भर्ती के बारे में है। आठ हजार की भर्ती पूर्व में कर चुके हैं, बारह हजार की भर्ती प्रक्रियाधीन है और इस बजट में दस हजार और प्रावधान रखा है। कुल मिला करके तीस हजार कांस्टेबलों की भर्ती होगी। तो निश्चय ही जो यह समस्या हमें बार-बार आ रही है नफरी की, उससे राहत मिलेगी। चाहे पुलिस के भवन हों, उनकी मरम्मत के लिए भी दस करोड़ का प्रावधान किया है। ए डी जे कोर्ट खोलने की आवश्यकता पड़ी, वे भी इस बजट में खोली गयी हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

एससी/एसटी के लिए न्यायालय खोले गये, जिसमें हमारे बाड़मेर में न्यायालय खोला गया और मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बाड़मेर में महिला थाना भी खोला।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में काफी कुछ किया है, चाहे कमिश्नरेट का जोधपुर, जयपुर में किया हो। अभी भाई कह रहे थे कि क्राइम बढ़ रहा है, निश्चय ही क्राइम बढ़ेगा। आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से विकास हो रहा है, आज चाहे सड़कों को देखें, कितने अच्छे हाइवेज बन रहे हैं तो इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होंगी ही। एक सौ से ऊपर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं

तो ये दुर्घटनाएं भी होंगी। अपराध भी बढ़ रहे हैं और इनको रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं।

अभी माननीय सदस्य, सराफ साहब कह रहे थे कि यहां जयपुर में इतने प्रकरण हुए, कोई खुला नहीं, कार्यवाही हो नहीं रही है। मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में, अभी मैंने थोडी देर पहले ही आंकड़े लिये थे, वर्ष 2011 में 26 प्रकरण दर्ज हुए थे जो मर्डर के थे और 26 की 26 में गिरफ्तारी हो गई। उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई और चालान भी पेश कर दिये गये। इस वर्ष 2012 में 6 प्रकरण दर्ज हुए और इनमें भी अनुसंधान होकर कार्यवाही हो गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि कार्यवाही हो रही है।

निश्चय ही अब प्रकरण बढ़ेंगे, एस सी, एस टी के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। बढ़ने का कारण है कि अब जो भी प्रकरण दर्ज कराने आ रहा है, उस प्रकरण को दर्ज किया जा रहा है, आपके समय में प्रकरण कम दर्ज करते थे, इसलिए अब संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित ही कार्यवाही हो रही है, लोगों को अच्छा सुशासन मिल रहा है। इसमें कई कमियां भी हैं, माननीय सदस्य बता रहे थे, कांस्टेबल की हो, चाहे वेतन विसंगतियां हों, इनको भी दूर करना चाहिये। बहुत अच्छे सुझाव थे।

मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में सी आई, एस आई के काफी पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाये। मेरे विधान क्षेत्र में बाड़मेर के आस-पास का एरिया है और उस विधान सभा क्षेत्र में 39 ग्राम पंचायतें हैं, उनको चार-पांच थानों में अलग-अलग टुकड़े करके डाल दिया है। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं

(श्री मेवाराम जैन)

उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर तहसील जो बाड़मेर के 20-25 किलोमीटर की पेरिफेरी में ही है, उसमें चवा और आदर्श चवा, दो ग्राम पंचायतें हैं जिनको बाड़मेर से 60 किलोमीटर दूर बायतू में डाल रखा है। इसी प्रकार सरणू और सांजटा दो ग्राम पंचायतें हैं इसी तहसील की, उनको सिणधरी में डाला हुआ है। दूदाबेरी, सुरा और नांद, तीन ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनको थाना रामसुर में डाला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको बाड़मेर में होते हुए 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनको सदर थाने में शामिल कर दिया जाये, ताकि लोगों को वहां असुविधा नहीं हो और सुविधा मिले। इसके साथ-साथ चवा सर्किल है, वहां पर पुलिस चौकी खोलने के लिये भी मैं निवेदन करूंगा।

मैं चाहूंगा कि बाड़मेर में जो सी आई के पद खाली हैं, 15 में से सिर्फ 6 ही हैं, एस आई 49 में से 26 ही हैं, उन पदों को भरें। बाड़मेर जिले में जहां लिग्नाइट है, तेल के अथाह भंडार हैं, बाहर की कम्पनियां बाड़मेर आ रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे पद जल्दी भरे जायें। आज चाहे चोरियों की बात करें या अन्य तरह के जो क्राइम बढ़ रहे हैं, नफरी की पूरी व्यवस्था हो जायेगी तब जाकर ये चोरियां रुकेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो पद स्वीकृत किये गये हैं, उनकी भर्ती की जायें ताकि अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके।

मैं इस मौके पर मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज दिन तक का सबसे अच्छा बजट दिया है और मुझे उम्मीद है कि इससे राजस्थान प्रदेश खुशहाल होगा, सबको अच्छी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिये तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकारूं, उससे पहले निवेदन करूंगा कि 10 मिनट से ज्यादा कोई सदस्य नहीं बोलें। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, श्री ज्ञानदेव जी आहूजा। आप कृपा करके सात मिनट ही लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बाकी तो आधा-आधा, एक-एक घंटे बोल गये, अब आप 10 मिनट का कह रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा चल रही है। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य गुलाबचन्द जी कटारिया, माननीय सराफ साहब, श्री राव राजेन्द्र सिंह जी हमारी तरफ से बोले हैं और सत्ता पक्ष

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

की ओर से भी कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी है। पुलिस के जो रिक्त स्थान हैं, उसके बारे में काफी कुछ बोला गया है और जो विसंगतियां हैं, उसके बारे में भी बोला गया है। परन्तु मैं ऐसे विषय से प्रारम्भ कर रहा हूं जो कि राजस्थान में बारूद के ढेर पर खड़ा है, वह है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर और कुछ हिस्सा धौलपुर का और कुछ हरियाणा का मेवात जिला और यू पी का आता है। माननीय शान्तनु कुमार जी जब डी जी पी थे और गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय कहा गया था कि हम तीनों प्रांतों के मेवात क्षेत्र का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मिलाकर टास्क फोर्स बनायेंगे। उस सम्बन्ध में मीटिंग भी हुई। माननीय शान्तनु कुमार जी जब डी जी पी थे, उन्होंने बोला भी कई बार परन्तु वह क्रियान्वित नहीं हुआ। मेवात क्षेत्र की इस समय स्थिति बहुत ही भयावह है। इस पर राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। मेवात में बहुत बड़ी संख्या में आई एस आई के और सिमि के एजेंट हैं और कई बार वे विभिन्न तारीखों पर पकड़े भी गये हैं। ये अलग-अलग एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों में बैठते हैं। राजस्थान पुलिस के वार्षिक प्रतिवेदनों में जमातों का जिक्र आया है, विभिन्न तबलीक जमातों के द्वारा पूरे मेवात में घूमते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से आकर, मेवात के जमातों का जिक्र प्रतिवेदन में नहीं है, मुझे आश्चर्य है। उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान और बंग्लादेश से आये बहुत सारे नागरिक जो वहां अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी तलाश होना भी अति आवश्यक है। उसके लिये भी विशेष रूप से कोई कार्य योजना राजस्थान सरकार बनाये। चूंकि आपने समय कम दिया है, मैं उसको ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाहूंगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तान से वीजा लेकर आते हैं और जो यहीं रह जाते हैं, वापस जाते नहीं हैं, उनकी भी पूरी तरह से तलाश हो तो अभी जो गोपालगढ़ में दंगा हुआ है या कई बार गांवों में भी दंगा होता है, जिसका प्रतिवेदन में भी जिक्र आया है, अलावड़ा वगैरह का, ये दंगे वहां रुक सकने की स्थिति में होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र में राजस्थान, मारवाड़ और मेवाड़ से आने वाले गौ-वंश की तस्करी और गौ-हत्या आये दिन होती हैं। अभी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

भी मेरे ही क्षेत्र में मुकुंदवास गांव में 6 तारीख को गौ-हत्या के दो प्रकरण हुए। प्रति दिन वहां कोई न कोई घटना भरतुपर जिले में, अलवर जिले में, धौलपुर में लगातार होती रहती है। भरतपुर जिले के अलवर जिले से सटे हुए इलाके, कामां में ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जिसकी कापी पहले मैंने माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी को भी दी थी। वहां किराने, कपड़े और पंसारी की दुकानों की तरह ही गौ मांस की दुकानें खुली हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा प्रकरण वहां चलता है, वह है टटलू। टटलू का मतलब है, पहले सोने की नकली ईंटे लेकर मेवात के लोग बनासकाथा में पकड़े गये, सूरत में पकड़े गये, मुम्बई में पकड़े गये, कानपुर में पकड़े गये। अहमदाबाद और बैंगलूरु, वहां नकली सोने की ईंटें, वहां के लोग चल-चलकर हमारे पास आते हैं। एक बहन शुक्ला विधवा कानपुर से आई और उसे 32 लाख की सोने की ईंटों का छलावा देकर लूटा गया।

यह वहां अब तक तो सोने की ईंटें थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, अब वे सोने की अशरफियां और सोने के बिस्कुट, सोने की गिन्नियां भी नकली बनाकर इस तरह का व्यापार कर रहे हैं। अलवर के ही एक बहुत बड़े डाक्टर 11 लाख रुपये और मुम्बई के हीरो शाहरूख खान, वे भी इस चक्कर में आ गये और आकर जयपुर रूके चुपके से। लेकिन टटलू वालों की अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उनको पकड़ा जाए। अब तक तो वह मेवात क्षेत्र, राजस्थान में करते थे, अब वे राजस्थान से बाहर जाकर अलग-अलग प्रान्तों में इस तरह की वारदातें करते हैं।

मेवात में अपहरण और मानव तस्करी, जिसका जिक्र पहले भी यहां आया है, बड़ी संख्या में हो रही है। इसी 2011 में 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक दाताराम जाट का आज तक पता नहीं है, लगातार दो वर्ष से एफ आई आर लाज होने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं है। बच्चों और लड़कियों की तस्करी वहां अब आम बात हो गई है। कम उम्र के बच्चे, ऐसे बच्चों का अपहरण वहां होता है, मेवात क्षेत्र के द्वारा और दूर-दराज तक ले जाया जाता है। कई बार जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की पोजिशन भी वहां है। बहुत बड़ी संख्या में देह व्यापार के अड्डे मेवात में हैं। देह व्यापार में वहां नट और कंजर ही नहीं, बाहर से भी लड़कियां लाकर वहां पर देह व्यापार में धकेली

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जाती हैं। कई लड़कियां गिरवास, अलवर जिले में खैरथल के पास और कलसावड़ा और भी कई जगह, भरतपुर जिले में अन्ना गेट पर ऐसी लड़कियां मिली हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें गायब कर देते हैं। पोजिशन वहां बड़ी विस्फोटक बनी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां से, त्योहारों में तो विशेष रूप से, लेकिन प्रतिदिन सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर, सिंथेटिक मावा, इस तरह के बनकर ...ऐसा नहीं है कि पुलिस थानों को पता नहीं है। वहां कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल से। उनकी नफरी वहां कम होने से, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी वहां किसी प्रकार के सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक मावा, पनीर या कलाकंद की पकड़ नहीं होती है। त्योहारों में तो दस-दस, बीस-बीस हजार किलो, एक-एक लाख किलो कलाकंद और दूध, सिंथेटिक पनीर की सप्लाई हरियाणा और दिल्ली में होती है। इसकी रोकथाम के लिए मैं सकारात्मक रूप से गृह राज्य मंत्री और पुलिस के अधिकारियों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में पुलिस लाचार बनी हुई है। इस लाचारी के लिए क्या व्यवस्था करनी है, यह तो सरकार और प्रशासन सोचे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नकबजनी, लूटपाट एस टी, एस सी पर अत्याचार, हुसैनपुर की घटना, हर जिले में कम से कम हर महीने दस-पन्द्रह एस सी, एस टी, एस टी से ज्यादा एस सी पर अत्याचार होते हैं। उसकी रोकथाम की कार्यवाही सरकार करें, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। बलात्कार और छेड़खानी, हत्या, लूट और मारपीट, और यहां तक है कि मोटर साइकिल, गाड़ियां, ट्रक और ट्रैक्टर, बोलेरो तो आम बात है, अगर मिल जाए। हमारे विधायक बाबूलाल बैरवा, उनकी बोलेरो चली गई। उनको थाने के द्वारा यह कहा गया कि फिरौती देकर, वे 40 हजार रुपये फिरौती देकर अपनी बोलेरो लाए। यह हमारे लिए, सरकार के लिए शर्म की बात है।

यह मेवात क्षेत्र की इस तरह की वारदातों को हम किस तरह से रोकेंगे, यह मैं बताना चाहता हूं। जो घटनाक्रम है, अभी एक निकुंज खण्डेलवाल दिनांक 6 तारीख को शाम को शटल से जयपुर से अलवर जा रहे थे और बस्सी के पास उनका अपहरण हुआ। मेवात क्षेत्र के लोगों पर ही संदेह हो सकता है, और भी हों, इसकी पूरी गहन जांच हो। बस्सी पर वह लड़का गायब

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हुआ। दोनों मोबाइल सेट, सोने की दो अंगूठी, सोने की चेन और परसों शाम को उसकी लाश मथुरा में मिली। टावर कभी कोटा काम कर रहा था, कभी गंगापुर सिटी। परिवार ने पीछा किया और उसकी लाश मथुरा में मिली जिसका दाह संस्कार कल हुआ। इस तरह की तीन हजार से ऊपर वारदातें पिछले वर्षों में अलवर जिले में हुई हैं।

मेवात विस्फोटक स्थिति में खड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही की जाए। सरकार इस सम्बन्ध में अलग से, सिर्फ दो थानें और चौकियां हैं, उनके माध्यम से नहीं, जैसा कि पहले योजना थी, टास्क फोर्स बनायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दो मिनट, तीन मिनट और लूंगा।

यहां बार-बार शराब की दुकानों के बारे में कहा जाता है, शराब की दुकानें आठ बजें बाद नहीं खुलेंगी, ऐसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा। मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने शराब के सम्बन्ध में कोई स्टेप लिया। लेकिन अगर सरकार की हिम्मत है, गृह मंत्रीजी, तो शराब पर टोटल प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते, जैसा गुजरात में है? अभी जर्दा, तम्बाकू, गुटखा, चुर्री पर टैक्स बढ़ाया है मध्य प्रदेश की तर्ज पर, आपकी सरकार की अगर हिम्मत है तो सम्पूर्ण रूप से चुर्री, गुटखा, तम्बाकू को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? इस तरह के चुर्री, गुटखा, तम्बाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? आप यह हिम्मत दिखाएं।

शराब की दुकानों के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। किशनगढ़, अलवर में रात को 12 बजे तक शराब की दुकान चल रही थी। किशनगढ़ के सरपंच दिल्ली से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि दुकान खुली हुई है मेन रोड पर। उन्होंने थाने में फोन किया, थाने वालों ने ठेके वालों को बता दिया। दुकानदारों के 10-15 गुण्डों ने आकर वहां के सरपंच की दुकान पर तोड़फोड़ की और दूसरे दिन वहां के थाने और डी एस पी ने यह कहकर कि राजीनामा कर लिया जाए, झगड़ा-फसाद खतम किया जाए, इस तरह की कार्यवाही हुई किशनगढ़ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वारदात विवाद की थी, ऐसी सैकड़ों, हजारों घटनाएं जिन पर पूरी तरह से हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे, कार्यवाही करेंगे तो यह हम लोगों को राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सकारात्मक सुझाव। मैं भी पूरी तैयारी करके आया था, वह गुलाब जी भाई साहब ने बोल दिया है, इसलिए उसके बारे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अलवर जिले की जो जेल है, उसके पास 35 बीघा में जेल की प्रिमिसेज, बिल्डिंग बनी हुई है और 35 बीघा ही उसके पास एग्रीकल्चर के लिए खाली है, जो हर वर्ष ठेके पर दी जाती है। वहां पर और जेल में जो कारागृह है, उसको सेंट्रल जेल बनाने के लिए मैं हर वर्ष निवेदन करता हूं। वहां पर जेल की क्षमता है कैदियों की, वह 820 की है, वह वहां पर पर्याप्त है। वहां पर कैदियों की और बिल्डिंग आदि खाली रहती हैं। सेंट्रल जेल वहां पर कुछ उद्योग लगाये जाएं। अभी तक निवाड़ या पट्टी बनती है, अब निवाड़ और पट्टी का इस आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं रहा। वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक के कुछ फीडर्स, कुछ इस तरह के आई टी आई डिप्लोमा या पालिटेक्निक डिप्लोमा टाइप जो कोर्स होते हैं, वे अगर होते हैं तो वहां पर किये जाएं। सेंट्रल जेल बनाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है। साथ ही वहां पर पुलिस के संतरियों की नफरी कम है। वहां सेंट्रल जेल में एक और महिला सुधार गृह की भी अगर स्थापना हो तो बहुत कुछ अलवर जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गृह जिला सेंट्रल जेल के लिए पर्याप्त वजूद रखता है और अपनी स्थिति रखता है। कृपया कारागार मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि डिमांड 17 के तहत सेंट्रल जेल के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जितना समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री पदमाराम जी मेघवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

(: 18.00 बजे)

प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था बनाकर रखना, जिस प्रदेश के विकास के अन्दर अहम भागीदारी की जो मांग है, जिस प्रदेश के अन्दर शांति

(श्री पदमाराम)

हो, सुशासन हो, वह प्रदेश हमेशा आगे बढ़ेगा, प्रगति की ओर अग्रसर होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता के सामने एक बात रखी थी कि यदि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयेगी तो हम आपको पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील सरकार देंगे। राजस्थान की जनता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी पर विश्वास किया, 2008 के अन्दर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ग्रहण की, उसी वक्त सीधे हास्पिटल में गये। शराब-दुखांतिका, शराब के कारण बीमार लोगों को सांत्वना दी और यह विश्वास दिलाया कि राजस्थान के अन्दर सुशासन होगा, शांति होगी, राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि तीन साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है और एस.सी., एस.टी. के अन्दर, भारत के अन्दर राजस्थान तीसरे स्थान पर आया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में दलितों और एस.सी., एस.टी. के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे थे, जब वे गरीब लोग थाने के अन्दर जाते थे, उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती थी, उनके मुकदमे दर्ज नहीं किये जाते थे और वे कई बार धक्के खाकर वापस आते थे। कोई संघर्ष करके यदि कोई मुकदमा दर्ज भी कराते तो उस पर एफ.आर. दी जाती थी। हमारे राज के अन्दर जो भी गरीब आदमी है, उसके साथ अगर अत्याचार हुआ है तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे उनकी तादाद बढ़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये जोधपुर के अन्दर सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय की व्यवस्था की है। आने वाले समय के अन्दर आधुनिक तरीके से नफरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उससे जनता के अन्दर अशांति बढ़ाने वाले लोगों की जानकारी ज्यादा होगी, शांति बढ़ेगी और राजस्थान खुशहाल बनेगा।

उसी प्रकार जो 773 थाने हैं, उनके अन्दर नफरी की बढ़ोतरी की है। मेरा निवेदन है कि शहरी क्षेत्र के अन्दर जो 60 नफरी बढ़ाई हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 45 नफरी बढ़ाई हैं, यह आने वाले समय के अन्दर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये काफी लाभदायक साबित होगी।

(श्री पदमाराम)

इसके साथ ही साथ जो जिला मुख्यालयों पर महिलाओं पर अत्याचारों को कम करने के लिये महिला थानों की स्थापना की है, जो हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर एक नया महिला थाना खोला है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। माताएं और बहनें, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वे थाने में जाकर अपने दुःख-दर्द नहीं सुना सकती थीं, अब वे महिला थाने के अन्दर अपने दुःख-दर्द सुनाएंगी। इसलिये अत्याचार कम होंगे, क्राइम कम होगा। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

इसके साथ-साथ जोधपुर के अन्दर जो कमिश्नर प्रणाली लागू की है, इसके अन्दर, वैसे ही क्राइम कम हुआ है, हम सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, हमारा क्षेत्र यहां से बहुत दूर है परन्तु मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों के अन्दर हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जो शांति का प्रतीक है। कानून-व्यवस्था अच्छी है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है, जो यहां से 700 किलोमीटर दूर है, वहां भी कोई अशांति या अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो जहां क्षेत्र बढ़ रहा है, जहां जनसंख्या अधिक है, और जो प्रगति हुई है, उसके कारण लोगों के पास पैसों की आमदनी ज्यादा हुई, इस कारण से क्राइम तो कुछ बढ़ा ही है। विशेष तौर से जो राजस्थान सरकार ने परिवहन के अन्दर, सड़कों के अन्दर सुधार किया है, इस कारण से नौजवान लड़के जो गाड़ियां खरीदकर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, इस कारण से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इस वजह से वे मामले ज्यादा बढ़ते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बाड़मेर जिला पिछड़ा जिला है, सीमावर्ती जिला है और हमारे वहां सी.आई. की पोस्टें खाली हैं। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि हमारे बाड़मेर के अन्दर जो सी.आई. की पोस्टें खाली हैं, दूर-दराज का क्षेत्र है, तो शांति-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये सी.आई. की पोस्टों पर वहां नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ जो थाने हैं, जो चौहटन मेरा तहसील मुख्यालय है, वहां पर थानेदार की पोस्ट है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक सी.आई. की पोस्ट करें।

चौहटन बाजार के अन्दर यातायात चौकी की व्यवस्था नहीं है। सुबह के वक्त जब गांवों से लोग बाजार के अन्दर आते हैं, माल लाने वाली गाड़ियां

(श्री पदमाराम)

भी बाजार में आ जाती हैं। इसलिये बहुत भीड़-भाड़ का समय रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चौहटन और सेड़वा के अन्दर यातायात चौकियां खुलावें।

एक ग्राम पंचायत बामणोर, उसके 40 किलोमीटर के नजदीक कोई पुलिस चौकी या थाना नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि बामणोर के अन्दर 67 हजार की आबादी है, वहां पुलिस चौकी खुलवाने की आप कृपा करावें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सेड़वा उप-तहसील थाने के आगे जो बाजार है, वहां बसें आकर खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां बस स्टैंड की थोड़ी दूर व्यवस्था करवाकर वहां खुला स्थान रखावें जिससे दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त हो जाएगी।

(18.08 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं एक और धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां क्राइम बढ़ रहा है और संवेदनशील स्थान हैं, वहां 150 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाकर उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिये जो व्यवस्था की है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ 8 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती हो गयी है, 12 हजार प्रक्रिया में हैं और 10 हजार और भर्तियां करेंगे। इससे आने वाले समय के अन्दर यातायात के अन्दर, कानून-व्यवस्था के अन्दर और जो भी कमियां हैं, उनको सुचारु रूप से चलाने में राजस्थान आगे बढ़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जेल के अन्दर, कारागार के अन्दर उनके रहने के लिये और उन कमरों की व्यवस्था के लिये जो बजट के अन्दर प्रावधान किया है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही साथ मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने डिमांड की हैं, उसके अन्दर आप जरूर ध्यान फरमाएं और हमारी मांग जरूर पूरी करावें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 व 17 पर चर्चा के दौरान हमारे कई साथियों ने प्रदेश की

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

पुलिस के, क्राइम के, ला एंड आर्डर के मुद्दों पर चर्चा की। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के दौरान, जब से सरकार सत्ता में आई है, कई ऐसे कांड हुए हैं जिसमें सरकार ने उदासीनता दिखाई है। माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ के नोहर में एक ही परिवार के चार सदस्यों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 21 जनवरी, 2009 की बात है और आज तक धरने/प्रदर्शन, मंडियां बंद चलती रहीं, मगर वहां की पुलिस ने आज तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार में पति और पत्नी के अलावा दो मासूम बेटियां थीं, उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। पिछले दो-ढाई साल से लगातार मुख्य मंत्री तक मृतक के पिता ने न्याय के लिए गुहार की और आखिरकार माननीय सभापति महोदय, उसने भी दम तोड़ दिया, वह भी मौत के मुंह में चला गया। अब उस परिवार में एक मात्र मासूम बच्ची बची है। उसके भी बचने का कारण, उस घिनौनी रात में वह वहां पर मौजूद नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वैसे भी चर्चाओं में आजकल है पूरे देश के अन्दर, अलग-अलग तरीके के कांड यहां राजस्थान में हो रहे हैं, चाहे भंवरी कांड रहा हो, चाहे दारिया एन्काउंटर कांड रहा हो, मगर आम गांवों के अन्दर जो हत्याएं हो रही हैं, जो सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, उसमें सरकार कितनी संवेदनशील है, इसको मैं सदन में आपके माध्यम से रख रहा हूं। पिछली दफा भी हमने सदन में इस बात को रखा था और आज भी नोहर के लोग न्याय की गुहार के लिए धरना-प्रदर्शन, आमरण अनशन कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच उच्च स्तरीय, चाहे सी.बी.आई. से करवाई जाए या अन्य किसी एजेंसी से करवायी जाए जिससे कम से कम न्याय मिले। आज भी उसी जिले के अन्दर दो-तीन मर्डर, माननीय सभापति महोदय, और हो चुके हैं और उसमें भी पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, जो मृतक थे, उनके एक पड़ोसी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तीन-चार कुल्हाड़ियां उन्हें मिली हैं जिन कुल्हाड़ियों से उन्होंने उन चार मासूमों का कत्ल किया। जिस राजकुमार को गिरफ्तार करके उन्होंने, पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, माननीय सभापति महोदय, उसका नारको टैस्ट हुआ, वह बिलकुल निर्दोष था। तब भी उसके परिवार वाले कह रहे थे और जैसा उन्होंने पेश किया, आज वह बरी होना ही था। अभी भी हमारी मांग है, माननीय गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप अगर ध्यान

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

नहीं देंगे तो यह हरियाणा के सीमावर्ती इलाके से जुड़ा हुआ गांव, शहर और जिला है और वहां आज भी दो-तीन और पिछले दिनों में हत्याएं मां और बेटी की अभी हो चुकी हैं। आप तो खुद हमारे वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, इसी जिले के अन्दर हनुमानगढ़ में एक इसी से मिलता-जुलता 31.12.2010 को मुकदमा नम्बर 88/2009 कृष्णा जोगी हत्याकांड, एक 12 साल की मासूम बच्ची जो अपने पड़ोसी के दूध लेने गई थी मगर जिंदा नहीं मिली। जब उसकी जांच-पड़ताल, उसके परिवार ने कोशिश की तो, माननीय सभापति महोदय, वह बच्ची एक बोरे के अन्दर बंद लाश के रूप में मिली। पुरजोर तरीके से हमने पिछली दफा भी इस बात को उठाया कि मुलजिमों को इस जिले के अन्दर, मुलजिम जो हैं, वे खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। इस प्रकार की हत्याओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आज भी क्या हुआ, बड़े अधिकारी लगाये, इन्वेस्टिगेशन की, अब पता नहीं, वह रिपोर्ट कहां चली गई, आज तक उस मासूम बच्ची का कत्ल करने वाले मुलजिमों को राजस्थान की पुलिस नहीं पकड़ पायी। अब समझ से बाहर है कि इनका लॉ एंड आर्डर कहां चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही एक मामले में, अभी माननीय गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनके जेहन में एक मुद्दा आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे मुकदमा नम्बर 679/2011, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर में दर्ज कराया है, माननीय सभापति महोदय, बिन्दु गोदारा नाम की एक पीड़िता ने और अगर इसकी भी यह सी.बी.आई. जांच करायें तो भंवरी से भी बड़े-बड़े मुलजिम सलाख़ों के पीछे जा सकते हैं। उसने आरोप लगाया है कि उसकी शादी छोटी उम्र में की गई और बाद में उसके पति ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माननीय सभापति महोदय, अपनी पत्नी को बड़े-बड़े नेताओं और बड़े-बड़े लोगों के साथ हमबिस्तर किया। वह न्याय के लिए गुहार कर रही है। इस बात को लेकर खुद चीफ मिनिस्टर, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिली है मगर आज तक उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। दर-दर की ठोकर खा रही है। इस प्रकार के मुकदमे में, इस प्रकार का न्याय तथा संवेदनशील सरकार और पारदर्शी सरकार, यह है सरकार का चरित्र। मगर, माननीय सभापति महोदय, एक दिन वह भी आएगा, वक्त लगेगा मगर राजस्थान की सरकार को न्यायालय की जिस दिन डांट पड़ेगी, मैं समझता हूं कि उसी दिन जैसे दारिया एन्काउंटर में हुआ है, बिंदु गोदारा प्रकरण सामने

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आएगा और सरकार में, आज भी मौजूद बड़े-बड़े अधिकारी और बड़े-बड़े नेता, सफ़ेदपोश जेल के अन्दर जाएंगे। वक्त जरूर लगेगा। सरकार पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। जनता के, पीड़ित के दिमाग में यह धीरे-धीरे गहन होता जा रहा है कि अगर न्याय लेना है तो न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही बीकानेर में हुआ, सदन में गूंजा दलित हत्याकांड का एक मामला। हमने सदन में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा। कृष्ण मेघवाल, 465 आर.डी., बीकानेर, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई। दोनों भाइयों को पुलिस ने, चौकी के पुलिस वालों ने रात को पकड़ा, दोनों को पिटाई की, एक की मौत हो गई और दूसरे को गिरफ्तार करके रखा। उसकी लाश भी तीन-चार दिन बाद में मिली, जब लोग सड़कों पर उतर गये थे। और बाद में क्या न्याय मिला, वही ढाक के तीन पात, जो मैंने आपको अभी तीन प्रकरण बड़े-बड़े बताये हैं। वहां भी उम्मीद नहीं है राजस्थान की सरकार से। वहां भी लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

मगर फिर किसलिए यह लोकतांत्रिक सरकार है? किसलिए विधान सभा में हम अपनी आवाज उठाते हैं? एक बार नहीं, दस-दस बार हम अपनी पीड़ा, जनता की पीड़ा रखते हैं और नतीजा क्या निकलता है, जवाब क्या आता है? पुलिस का प्रोटेक्शन करते हैं, पुलिस को बचाने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार कितने दिन चलेगी? पुलिस का तांडव, इस प्रकार से जो मुलजिमों को शह दे रहे हैं, जो बढ़ावा राजस्थान के अन्दर आपराधिक गतिविधियों में लगातार होता जा रहा है, एक दिन जनता सड़कों पर उतरेगी और सरकार की उस दिन फजीहत हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही मामला 26 अक्टूबर, 2004 का, जब पूर्ववर्ती सरकार ने घड़साना और रावला के अन्दर पानी मांगने के अन्दर गोलियां चलाई थीं। उस समय तत्कालीन सरकार ने माननीय गोयल आयोग बैठाया था। आठ लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और यह उम्मीद थी, कोई भी जब आयोग बैठेगा तो वह आयोग निष्पक्ष जांच करेगा, जांच करके सरकार के पास रिपोर्ट देगा और सरकार रिपोर्ट उसकी सार्वजनिक करेगी, ताकि भविष्य में

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

ऐसे कांड की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। मगर हुआ क्या? माननीय सभापति महोदय, पांच साल, छह साल निकलने के बाद भी, माननीय गोयल आयोग की रिपोर्ट आज राजस्थान सरकार के पास आ चुकी है मगर सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, यह हम मांग करते हैं इस सदन में। क्योंकि जब तक आप मुलजिमानों को सज़ा नहीं देंगे, इस प्रकार के जो बड़े-बड़े जन आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन में जिस प्रकार से लोगों को पीटा जाता है, लोगों को घसीटा जाता है, गोलियों से जो मारा जाता है, ऐसे मुलजिमानों को जब तक सलाखों के पीछे का जनता की चुनी हुई सरकार इच्छा शक्ति से फैसला नहीं करेगी, तब तक, माननीय सभापति महोदय, आंदोलन भी होते रहेंगे, कुर्बानियों का दौर भी चलता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जब भी माननीय गृह राज्य मंत्रीजी अपना जवाब दें तो उसके अन्दर कहें और इन प्रकरणों के अन्दर सरकार संवेदनशील होते हुए उनकी उच्चस्तरीय जांच करवाये, विशेषकर बिन्दु गोदारा मामले की। ये बाकी जो हत्याकाण्ड के मामले अभी विचाराधीन हैं, इन लोगों को अभी तक न्याय नहीं दिया और उच्चस्तरीय जांच नहीं करवाई तो निस्सन्देह हनुमानगढ़ के अन्दर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीकानेर के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। मैं समझता हूं, दोबारा कोई जन-आन्दोलन न हो और कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिये सदन के पटल पर हमें आज यह सारी बात अंकित करवानी पड़ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं उम्मीद करूंगा, जब माननीय गृह राज्य मंत्रीजी अपना जवाब देंगे तो इन विषयों पर अपनी बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उस जनता को भी न्याय मिलेगा, उन मृतक के परिवार को न्याय मिलेगा और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): लास्ट बात कह रहा हूं। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, जो राजासर हत्याकांड हुआ है, उसके परिवार में 5 मेम्बर थे, उसमें से 4 का कत्ल हो गया, एक मासूम बेटी है, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपके दो मिनट हो गये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वह दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। वह मां राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुकी है। वह चाहती है कि उसे मौत की सज़ा दे दी जाये, वह मरना चाहती है। पर कम से कम सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस मासूम बेटी के बारे में कुछ सोचे, उसकी सुरक्षा करे, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराये ताकि वह पढ़-लिख सके। कम से कम जो दु:ख उसने देखे हैं छोटी-सी उम्र में, वह बड़ी होकर अपने जीवन का ठीक तरह से यापन कर सके।

आपने बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, आज गृह की डिमांड 16 और 17 पर सदन में चर्चा हो रही है, इसमें मैं भाग लेते हुए अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखूंगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, बड़ी दयनीय हालत है। आज सदन में मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद नहीं हैं और वैसे भी उदासी सी छाई हुई है। आज ऐसा गम्भीर विषय है जिस पर हमें बड़े तरीके से एक चिन्तन करना चाहिये, क्योंकि यह पुलिस की डिमांड कोई मामूली बात नहीं है। इसी पुलिस की डिमांड से ही हमारे प्रदेश में चैन और अमन की नींद एक आम आदमी सो सकता है। लेकिन आज पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया। क्यों उठ गया, कि हमारी सरकार ने पुलिस को पंगु बना दिया। पुलिस के पास साधन नहीं हैं, पुलिस के पास भी ना तो इंस्पेक्टर हैं, ना सब-इंस्पेक्टर हैं, ना उनके पास पूरी तरह की मशीनरी है, ना उनके पास व्हिकल्स हैं, ना उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है। आज जमाना बदल गया है। जो चोर, डाकू, लुटेरे हैं, वे नये जमाने की बात सीख गये। पुलिस के पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं, ऐसे कोई हथियार नहीं हैं। हमें इस बात पर काफी चिन्ता करनी चाहिये। पूरे राजस्थान में डकैतियां हो रही हैं, चाहे वह गुलाबजी भाई साहब ने जिक्र किया हो, चाहे हमारे सराफ साहब ने किया हो। जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में सैकड़ों-हजारों की तादाद में डकैतियां हुई हैं और चोरियों का कोई अन्त नहीं है, छुरेबाजी का कोई अन्त नहीं है। रोज स्मैक बिकती है और डोडा-अफीम बिकती है, पोस्त बिकता है। पंजाब और हरियाणा से दुनिया भर के शराब के ट्रक आते हैं। उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई भी ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता जिससे हम इनको रोक सकें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सम्माननीय सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है, इस पर बड़े भारी चिन्तन की आवश्यकता है। अगर आप चिन्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान की हालत जितनी खराब है, उससे और ज्यादा खराब हो जायेगी, क्योंकि जहां ला एंड आर्डर नहीं रहता, वहां कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहती। जनता में विश्वास उठ जाता है। जनता को यह भरोसा नहीं कि मैं घर से निकल रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा। ऐसी हजारों घटनाएं हैं। लड़कियां पूजा करने के लिये मंदिर जाती हैं, गुरुद्वारे में जाती हैं, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिये जाते हैं, उनको बीच रास्ते में डाकू पकड़कर क्या हालत कर देते हैं, यह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है।

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बात अभी मेरे साथी ने रखी। क्राइम बढ़ रहा है, डे-बाई- डे बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिये जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है, वह बजट की घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं रह जाये और पुलिस की पूरी भर्ती हो।

मेरे को एक वक्त याद है, सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे बहुत ही प्यारे, मेरे छोटे भाई आज यहां विराजमान हैं स्टेट होम मिनिस्टर, मैं बेनीवाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 साल पहले श्रीगंगानगर के अन्दर एक दफा बहुत ही डकैतियां होने लगीं, चोरियां होने लगीं। उस वक्त पुलिस ने क्या इन्तजाम किया कि जहां घटना होती थी, वहां तीन मिनट के अन्दर ही जिप्सी आपके यहां पहुंच जाती थी। केवल तीन मिनट में पहुंचती थी। वह व्यवस्था कहां गयी? जिप्सी पहुंच जाती और ऊपर मशीनगन लेकर खड़ा रहता था और ऐसी दहशत फैली कि बाद में कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं। सब लोग आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वह व्यवस्था बंद हो गयी। किस कारण से वह बंद हुई, क्यों बंद हुई, यह देखने का विषय आपका है, आप उसका पता करवायें। इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी।

अभी 15 दिन पहले एक बच्ची जयपुर से गंगानगर गयी, वह दुर्गा मंदिर गयी और उसने अपने पर्स के अन्दर अपने जेवर डाल रखे थे, 2 लाख 32 हजार रुपये के जेवर थे। एक गरीब घर की लड़की थी। एक मिनट में ही झपट्टा मारकर कोई ले गया और आज तक वे जेवर नहीं मिले। पदमपुर के अन्दर 10 लाख रुपये कोई बैंक से ला रहा था, एक मिनट में 10 लाख रुपये

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लूट लिये गये। उसका कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति थ्री-व्हिलर पर चढ़कर बैंक से पैसा लेकर जा रहा था और एक मिनट में उसका थैला छीन लिया, उसका कुछ पता नहीं। इसी तरह एक व्यक्ति बैंक से 2 लाख 62 हजार रुपये ला रहा था, बैंक से निकलने के एक मिनट बाद ही उसका पैसा छीन लिया, आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा।

जितनी चोरियां, डकैतियां, छुरेबाजी, गुण्डागर्दी या मोटर साइकिलों की चोरी या व्हिकल्स की चोरियां तो आम बात हो गयी। पुलिस ध्यान किस चीज पर देती है कि मोटर साइकिल का चालान कर दो; लोगों को राह जाते हुए रोक लो; छोटी-मोटी कोई बात हुई, उसके लिये रोक कर उनको प्रताड़ित करो। इससे अच्छा है कि हम पुलिस का विश्वास पैदा करें, पुलिस को अधिक साधन दें। आज पुलिस का मोराल डाउन हो गया है। आई.जी. अन्दर हैं, ए.डी.जी. अन्दर हैं, एस.पी. अन्दर हैं, एडिशनल एस.पी. अन्दर हैं, डीवाई एस.पी. अन्दर हैं, आपके इतने बड़े-बड़े अधिकारी अन्दर हैं, गजब की बात है। पुलिस का विश्वास कैसे रहेगा?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत खतरनाक आ रहा है। अगर इसी तरह यह व्यवस्था चलती रही और आपने पुलिस की कार्य प्रणाली को नहीं सुधारा तो वह दिन दूर नहीं है जब आप और हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसी घटना आपको बताना चाहता हूं, कई दफा तो पुलिस ऐसे-ऐसे होनहार काम कर देती है, डी.जी. साहब भी यहां बैठे हैं, एक ऐसी घटना हुई कि जवाहर नगर थाना, गंगानगर में 15-20 साल से खुला हुआ था, उस जवाहर नगर थाने वालों का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया। उसके घर के आगे, अशोक नगर, एक अनन्त शर्मा नाम के व्यक्ति की पुलिस से किसी मामले में थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो गयी। तीन दिन छुट्टियां थीं, कब तो उसके घर के आगे पुलिस चौकी जवाहर नगर बना दी, जो पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आलरैडी 15 साल से चल रही थी; किसके आर्डर से वह चौकी वहां से हटी; किसके आर्डर से वहां बनी; कब उसके टेंडर हुए; कब उसका वर्क आर्डर हुआ; किस व्यक्ति ने उसको बनाया, कहां से बजट मिला; इस बात का कुछ लेना-देना नहीं है। जवाहर नगर की पब्लिक, 50 हजार की आबादी वाला एरिया, उसमें जवाहर नगर थाना उठ गया और अशोक नगर जहां 3-4 हजार या ज्यादा से ज्यादा 10 हजार की आबादी होगी, वहां

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वह थाना दक्षिण दिशा में खुलता हुआ, किसी का कोने का प्लाट था जिसकी 12 दुकानें बनी हुई थीं, उन दुकानों के आगे अपनी खुन्नस निकालने के लिये, क्योंकि कलक्टर यू आई टी के चेयरमैन थे और एस.पी. साहब हमारे बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने तीन दिन के अन्दर ही सब कार्यवाही कर दी। सरकार को कुछ समझा ही नहीं। कमाल किया। आज मुझे यह कहते हुए मन में बड़ी पीड़ा हो रही है कि एक कांस्टेबल, दो-तीन, एस पी के खिलाफ धरने पर बैठा है। इतनी हिम्मत एक कांस्टेबल की क्यों हो? क्योंकि पुलिस का इकबाल खतम हो गया। आपको पुलिस के अन्दर ऊर्जा देनी चाहिए। जो अधिकार देने चाहिए, उनको आपने एकदम समाप्त कर दिया।

आज जेलों की हालत क्या है? जेलों के अन्दर टेलीफोन जा रहे हैं, शराब जा रही है। शुल्फा, गांजा, पोस्त, और कोई भी चीज आप जेल में ले जाओ। और शरीफ आदमी बाई-चांस दो-चार दिन के लिए 151, 107 में पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होता है? दो दिन छुट्टी हो गई तो उसके साथ क्या होता है? वह अन्दर बैठा है तो वहां भयंकर वाले कैदी उनसे कहते हैं कि लैट्रिन साफ करो, हमारा यह कमरा साफ करो और डण्ड बैठक निकालो, नहीं तो पैसे दो। इस तरह की व्यवस्था जेलों में चल रही है जिसको सुधारने की बड़ी भारी आवश्यकता है।

मैं यह भी कहूंगा कि सी बी आई और यहां की जितनी भी एजेंसीज जैसे सी आई डी है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री महोदय, मुझे अपनी एक घटना याद है। मैं वहां से जीत कर निकला रिजल्ट के बाद, हनुमान मन्दिर है उसके पास ही, मैं वहां जा रहा था तो मेरे साथ भीड़ इकट्ठी हो गयी। पुलिस कहती है कि धारा 144 लगी हुई थी। धारा 144 को या तो कलक्टर हटाये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सदस्य, 1998 वाला जीता, वह वाला बता रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं अभी का बता रहा हूं, अभी जो जीतकर आया हूं। आपको तो 1998 याद है। वह भी अपन दोनों ही जीते थे।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मैं यह बता रहा हूं कि उस मामले में मेरे ऊपर एफ आई आर दर्ज हो गयी। मुझे और मेरे बीस-तीस साथियों को कहा कि आपने जुलूस निकाला है। किसके कहने से? जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ा, उसको मात्र छह सौ वोट मिले एम एल ए के चुनाव में। उस व्यक्ति ने एफ आई आर दर्ज कराई कि 144 का इन्होंने उल्लंघन किया है। सी आई डी में वह रिपोर्ट आ गयी, एडिशनल एस पी ने उसकी जांच की, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। यहां जब केस ए डी जी साहब के पास आया, अब तो व्यासजी हैं नहीं, शायद कल या परसों दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग कर दी, मैं उनसे मिला तो बोले कि यह तो ऊपर वालों ने किया है, आप ऊपर मिलो। मैंने पूछा कि ऊपर किससे मिलें, बताओ। मैंने कहा कि मैं होम मिनिस्टर साहब से तो मिला हूं, वहां से लिखकर आया है कि इसमें एफ आर लग गयी, आप इसको मंजूर करो और आप थाने में भेज रहे हो कि गिरफ्तारी करो। करीब छह महीने बाद पुनः वह फाइल चली गयी, गिरफ्तार करो। फिर मैं मिला होम मिनिस्टर से। आज मैं होम मिनिस्टर साहब का आभारी हूं, शांति धारीवालजी ने मेरी बात सुनी और फौरन लिख दिया, इन्क्वायरी दूसरे एडिशनल एस पी को दे दी। छह महीने बाद फिर कहते हैं कि गिरफ्तार करो। एफ आर लग गयी, उसने एफ आर लगा दी, फिर तीसरे एडिशनल एस पी को भेज दिया। तीन एडिशनल एस पीज के जांच करने के बाद आज तक भी केस वहीं है, कहते हैं कि चालान करो। हमारे एक वकील का भी नाम था, वह वकील हाई कोर्ट में चला गया। फाइल जब हाई कोर्ट में चली गई, तब जाकर हमारी जान बख्शी हुई है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे प्यारे मंत्री महोदय, कृपा करके आप ऐसी बातों पर पूरा ध्यान रखिए।

सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट भी नहीं हुए। मैं अपनी बात तो कहूं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवस्था दस मिनट के लिए पहले दी जा चुकी थी। आप आसन के प्रति सम्मानजनक बात करें। पांच मिनट से ज्यादा हुए हैं। आप एक मिनट और बोलिए, उसके बाद मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा। व्यवस्था दी जा चुकी है। आप ही की पार्टी के बोलने वाले हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह तो आपकी परम्परा है। मैं बैठ रहा हूं। मेरी बात तो सुन लो, मैं अर्ज कर रहा हूं। आपको मेरे से स्पेशल... (व्यवधान) जब भी आप इस तरह की बात करते हैं, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं लेकिन आपकी यह व्यवस्था ठीक नहीं है नजर में।

श्री सभापति: आपने तो यह कहा कि पांच मिनट हुए हैं। इसका मतलब या तो आप घड़ी देख नहीं रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बेनीवाल तो बोले हैं एक घंटा और अगर हम बोलें तो आपको तकलीफ होती है। यह लो, बैठ जाते हैं।

श्री सभापति: यह व्यवस्था पहले दी जा चुकी है कि दस-दस मिनट सब बोलेंगे। आप पूरे पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं। (व्यवधान) कृपया बैठिए।

श्री सूरजभान धानका।

सूचना

बानजी का बांध, डूंगरपुर में नौका दुर्घटना

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मुझे एक इन्फार्मेशन देनी है कि बानजी का बांध, डूंगरपुर में एक नाव पलट गयी जिसमें छह महिलाएं मर गयीं और एक पुरुष मर गया आज ही। उसमें 18 लोग सवार थे, कुल सात आदमी मर गये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने कुछ सुझाव पेश करता हूं आपके सामने। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, किसी देश और प्रदेश की तरक्की उसकी शांति-व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस देश की सेना मजबूत होगी, उस देश की सुरक्षा मजबूत होगी, शांति बनी रहेगी। इसी प्रकार से जिस प्रदेश में पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय मजबूत होगा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में शांति होगी और खुशहाली बढ़ेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लगता है, आप फौज से हैं। पहले फौज में रहे हैं शायद आप।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): देखिए, आज की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की महती भूमिका है। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है और मरने के उपरान्त बारह दिन तक पंडित की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से पुलिस की भी, बच्चा जन्म जब लेता है और मरने के बाद भी उसकी भूमिका बनी रहती है। तो इसमें पुलिस की महती भूमिका होती है। चाहे एक्सीडेंट हो, कहीं कुए में गिर जाए, कहीं कोई बोरवेल में गिर जाए, कहीं अग्निकाण्ड हो जाए, कहीं अतिक्रमण हो जाए, तो सब जगह पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं देर होती है तो पत्थरबाजी और नारेबाजी भी होती है।

इसलिए अब हमारी पुलिस का हम मनोबल कैसे बढ़ायें? जवान का क्या वेलफेयर किया जाता है, उसको समय पर छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, दूसरे विभागों में पांच दिन का सप्ताह होता है लेकिन हमारे पुलिस वाले भाइयों को तो 24 घंटे और सातों दिन चलते रहना पड़ता है। उनको समय पर छुट्टी दी जाए। कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि सप्ताह में उनको भी छुट्टी मिले, वे भी अपने परिवार से मिलें; फैमिली क्वार्टर्स मिलें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दी जाए; प्रमोशन वगैरह टाइम पर मिलें; और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्डस मिलें ताकि दूसरे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़े।

आज अच्छे-अच्छे अधिकारी हमारे जेलों के अन्दर हैं। मेरा मानना है कि बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं लेकिन आज वे जेल की हवा खा रहे हैं। एक बदमाश अगर बीस आदमियों को मार दे, उन्होंने एक बदमाश को मार दिया तो वे जेल की हवा खा रहे हैं। इसलिए दूसरे अधिकारी क्यों चाहेंगे कि वे अपने गले में फंदा डालें? वे भी सोचेंगे कि चलो, चलने दो, अपने परिवार की देखभाल करो। इससे पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिरा है। कहीं आग लगाकर जला दिये गये हैं, आये दिन कहीं पिट रहे हैं। इस प्रकार से उनका मनोबल गिरता है। तो हम उनका मनोबल बढ़ायें।

दूसरे, हम जो नेता हैं उनकी भी महती भूमिका होती है कि उनको निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाय। नेता का काम है कि जो दोषी है उसको बख्शे नहीं और निर्दोष को मारा नहीं जाय। यह नहीं कि मेरा कार्यकर्ता अगर

(श्री सूरजभान धानका)

किसी के साथ झगड़ा करके आ गया, किसी का मर्डर करके आ गया तो उसको बचाने की कोशिश करें।

दूसरा, जिस प्रकार से अभी यहां मेरे क्षेत्र कानोता का एक जवान, सिपाही लक्ष्मीनारायण मीणा, जिसने दिलेरी करके, बहादुरी से, यहां जयपुर में आदर्श नगर, जौहरी बाजार में एक जौहरी के यहां चोरी हो गयी थी, राजेश नाम का नेपाली नौकर तकरीबन एक करोड़ रुपये की चोरी करके भागा था और उस ड्राइवर ने हिम्मत करके उसको पकड़ा। उसके सामने चोर ने लालच भी दिया कि भाई, तू ले ले और मेरे को छोड़ दे लेकिन वह जवान उसके झांसे में और लालच में नहीं आया। तो ऐसे जवान, ऐसे कर्मचारी काबिले-तारीफ हैं, उनको प्रमोशन दिया जाए और उनको गैलेंट्री अवार्ड या प्रमोशन से नवाजा जाए ताकि और भी हमारे कर्मचारी उससे प्रेरणा लें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र गढ़ी सवाईराम में पुलिस की चौकी चल रही है जो कि एक धर्मशाला में चल रही है। मेरा तो मानना है कि वह काफी दूर है, 14 और 20 किलोमीटर का अन्तराल है थानों का। तो अगर उसको थाने में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो अपराध घटेंगे। वह कहते हैं कि Prevention is better than cure, तो अपराध होने से पहले उसकी सुरक्षा क्यों न की जाए?

पुलिस चौकी पाटन ठेगड़ा पर अगर पुलिस चौकी हो, जहां आये दिन शराबी, कबाबी और इस प्रकार के आदमी बैठे रहते हैं, जुआ बाजारी बैठे रहते हैं, तो वहां एक चौकी का निर्माण भी कराया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, व्यवस्था तो आप जैसी चाहें वैसी करेंगे लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सदन में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। सदन में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर का नहीं होना सरकार द्वारा सदन का अपमान करना होता है और उस समय कार्यवाही स्थगित होती है, जब तक मिनिस्टर नहीं आते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी आये वैसा करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है तो व्यवस्था दीजिये इस पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): व्यवस्था पहले हो चुकी है कई बार।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सचेतक महोदय, नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है। सचेतक महोदय, नियंत्रण कमजोर है, हटाओ मंत्रियों को। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या है यह? एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। (व्यवधान) यानी ला एंड आर्डर पर डिस्कस हो रहा है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। It is surprising. बोलो तो सही आप, कुछ तो बोलो।

श्री सभापति: Things have been taken care of. Please wait for some time.

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, बोल ही नहीं रहे हो आप तो। आप व्यवस्था दो।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): थानों में जो नफरी है, नफरी को बढ़ाया जाए और हर थाने में कम से कम तीन-तीन, चार-चार लेडी पुलिस की वहां व्यवस्था करें। दूसरा, जो बीट अधिकारी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, बोलिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): थोड़ी देर बोल लेने दो, साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, इस तरह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस तरीके से सरकार नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): फिर बैठने का मतलब नहीं है, हम जाते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम लोग चले जाते हैं। हम लोग चले जाते हैं।

श्री सभापति: देखिये, राज्य मंत्री ने, राज्य मंत्री ने ही अभी आपके सामने दिया था। (व्यवधान) यह व्यवस्था दी जाती है कि राज्य मंत्री ही इसका जवाब देंगे, यह पहले भी दी जा चुकी है। (व्यवधान) राज्य मंत्री ने ही यह किया था। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई चिंता नहीं है। राज्य के मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हों, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हों, कौनसा सदन चलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): थानों में नफरी को बढ़ाया जाए। पुराने इक्विपमेंट्स की जगह नये इक्विपमेंट, हथियार, राइफल, पिस्टल वगैरह इश्यू की जाएं। जो पुरानी गाड़ियां हैं, मेरे रैनी थाने में पुरानी गाड़ी पड़ी है और आजकल अपराधियों के पास बहुत तेज रफ्तार की गाड़ियां हैं। तो हमें गाड़ियों की व्यवस्था कराएं, इक्विपमेंट दें ताकि अपराधियों से लड़ने के हौसले हमारी पुलिस के बुलंद हों।

अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जमालपुर सोराई, एक लड़की का अपहरण हो गया, गायब हो गयी। मंत्रीजी और आई.जी. से जब प्रार्थी मिले तो उन्होंने उनको बहुत चौंकाने वाली बात बतायी, वह सुनकर हम भी हैरत में हैं, कि पुलिस वाले ले गये हैं और उन्होंने कई जगह जो तालाबंदी कर रखी थी लड़कियों की, उनको दिखाया कि क्या तुम्हारी है, नहीं है; भाई, चलो, अगली चलो। तो यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है, वे भी किसी की बेटियां हैं। पुलिस का यह दायित्व नहीं है कि कहां से लाये हो। इसका मतलब उनकी शह पर काम हो रहा है। तो इसकी व्यवस्था करें, ला एंड आर्डर बनाये रखने के लिए बदमाशों पर काबू करना अति आवश्यक है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अभी थोड़ा सा, अकेला हूं।

श्री सभापति: जल्दी करें।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सुरक्षा के लिए रात्रि को गश्त की व्यवस्था करें। जब नफरी ज्यादा होगी तो गश्त भी होगी।

बीट अधिकारी अपने क्षेत्र में रहें या उनको मोटर साइकिल वगैरह की कोई व्यवस्था दें। अगर कहीं अपराध होता है, चूंकि जब बीट अधिकारी क्षेत्र में होगा तो निश्चित रूप से आस-पास के जो अपराधी होते हैं, उनके बारे में उसको जानकारी आयेगी। अगर फिर भी वह जान-बूझकर लापरवाही करता है तो वह भी उसमें सम्मिलित है, वह भी दोषी है, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए।

बाकी, सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कारागार की बात कर रहे हैं तो कारागार में आजकल मोबाइल वगैरह हैं, वहां से बैठे जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनकी जांच गहनता से हो। सत्संग,

(श्री सूरजभान धानका)

प्रवचन ऐसे दिये जाएं, मतलब अपराधी से नहीं अपराधों से नफरत करो। तो अगर अपराधी को आप अच्छे सत्संग, प्रवचन या अच्छी एजुकेशन देते हैं तो उनका वहां मन सुधरता है। कोई तकनीकी शिक्षा वहां हो, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लड़के भी आते हैं। अगर वहां कोई ऐसी व्यवस्था की जाए तो जेल से बाहर निकल कर अपनी जिंदगी को बढ़िया ढंग से गुजारें।

इसी के साथ, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

एक माननीय सदस्य: सात तो बजने वाले हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सात क्या, एक घंटे, आठ बजे तक। सारी। (व्यवधान) एट पी.एम.। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: समय फिक्स किया जाए, कितने टाइम बोलना है। एक व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। माननीय सदस्या, आपसे निवेदन है ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरा आपसे निवेदन है...

श्री सभापति: निवेदन है कि जो व्यवस्था दस मिनट की दी गयी है, उसी में आप अपनी बात कहेंगी। यह मैंने पहले कह दिया आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ठीक है। चलो यह बंद किया, इसको तो बंद किया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर विचार करने के लिए अपन यहां हैं। मैं अब आपके आदेश के अनुसार मेरे मुद्दे पर ही आकर कहूं। बाकी आज मैं काफी कुछ आंकड़े लेकर आयी हूं मगर इसके ऊपर जाऊं तो मेरे क्षेत्र की बात नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस एक ऐसा महकमा है कि हर व्यक्ति या तो हास्पिटल के अन्दर डाक्टर को भगवान मानता है या इनको मानता है कि, भई, इनका हमें सहारा मिलेगा। मगर मैं जिस क्षेत्र से आयी हूं और वहां से आपको एक-एक चीज का, आप अगर समय देते तो मैं वर्णन कर देती कि कितनी तो महिलाओं की चेनें छीनी जाती हैं, कितने घर के तो ताला लगाने तक भी काबिल नहीं हैं, ताला लगाया और पीछे से चोरी हुई। यह सूरसागर क्षेत्र का हाल है।

मैं स्वयं एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं, इसलिए मैं निंदा नहीं करना चाहूंगी मगर मैं मेरे सुझाव जरूर देना चाहूंगी। सजेशन तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी में है तो मैं सुझाव देना चाहूंगी। इस तरीके से जो पुलिस अधिकारी अगर आफिसेज के अन्दर बैठकर अपनी मानिटरिंग करते हैं तो कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। एक जमाने की बात है, बख्तावर सिंह जी जैसे लोग थे, बलदेव सिंह जी जैसे थे, जे एम बालानी जैसे थे, वे लोग स्वयं रात को गश्त करते थे मगर आज की तारीख के अन्दर ठीक गाड़ी खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं होता है। मैं इस बात को आपसे सही मायने में कह रही हूं कि सूरसागर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है। बाकी जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां से 100 तोला भी जेवर पहनकर अगर कोई महिला निकलती तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, वह जोधपुर शहर है। मगर आज तो एक चेन पहनने के भी लायक शहर नहीं रहा है। यहां एक बहुत बड़े अधिकारी बैठे हैं, वे खुद जोधपुर के अन्दर एस पी रहे हुए हैं। आज वे भले ही बड़े अधिकारी बन गये, वह तो समय के अनुसार रहेंगे मगर उनको खुद को मालूम है कि जोधपुर कैसा शहर है।

मैं आपको एक दिन, दो दिन पहले की घटना बताऊं। ये सामने लोग बैठे हैं, ये भले ही कुछ भी कह दें मगर मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूं जिससे मेरे क्षेत्र के अन्दर आग लगती हो और मैं लगती देखती रहूं। भले ही कांग्रेस का राज हो, बी जे पी का राज हो, आग लगते देखना पसंद नहीं करूंगी, आग बुझाने का काम करूंगी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदय, अभी पांच-सात दिन पहले पांच साल के एक बच्चे को एक ट्रैक्टर वाले ने मार दिया था। मैं उस समय यहां जयपुर में आई हुई थी, आपको बताऊं, रात को इतनी पत्थरबाजी हुई वहां, सर्विक कालोनी है सूरसागर के अन्दर। कई पुलिस की गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं, कुछ भी हुआ हो, मगर जैसे ही मैं सुबह पहुंची और मेरे को इत्तला हुई मेरे को इत्तला तो रात को 2 बजे हुई थी, क्योंकि वहां लेबर है, इसलिए रात को 2 बजे तो जाना मैंने पसंद नहीं किया, मैं सुबह-सुबह पहुंची। सारा पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा था और बच्चे की लाश नहीं ली थी उन्होंने। मैं जाकर के उसकी मां से मिली और कहा कि तुम क्या चाहती हो, तुम बच्चे को लेना चाहती हो? मर गया जो तो मर गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। समझा-बुझा कर 400-500 लोगों को तितर-बितर किया और उनको डैड बाडी दिलवाई। आप भले ही जोधपुर में पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं। मैं हर समय इनको सहयोग करती रहती हूं मगर ये बात को गिनें ही नहीं, तब मेरे को बोलना पड़ता है, बाकी मैं इनको सहयोग करती हूं।

सूरसागर क्षेत्र एक ऐसा है, जहां कहीं भी नजर डालेंगे, आप देख लेना, ताला देकर गये रात को, सुबह देखो तो मकान खाली। चोरियां इतनी होती हैं। एक भी चोरी ये बता दें कि हमने यह चोरी खोली है। (व्यवधान) एक मिनट, आप बीच में मत बोलो। आप लोग बोलते हों तो मैं नहीं बोलती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके दल की सदस्या बोल रही हैं, कृपया शांति बनाये रखिये। उप सचेतक महोदय, आप व्यवस्था को संभालें अपने दल की। आप बोलें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से यह पुलिस का हाल है। पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होना चाहिए। मेरा वह जमाना देखा हुआ है इसलिए मेरे को बड़ा तरस आता है कि यह क्या हो गया। पहले क्या जमाना था, अधिकारी चाहते हैं कि बहुत अच्छा कोई अधिकारी है इसको हम थाना सुपुर्द करें, मगर आजकल क्या, नेताओं का दबाव आता है। कांग्रेस वालों के दबाव आ जाते हैं, मर्जी आए जिसको सी आई लगा दें, मर्जी आए जिसको थानेदार लगा देते हैं। सारा तहस-नहस हो गया है, ऐसी स्थिति बिगड़ गयी है।

मैं ऐसी घटनाएं आपको इतनी बता दूं सूरसागर क्षेत्र की और शहर में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तो मैं स्वयं रहती हूं। अभी दो दिन पहले, साल के अन्दर दो दिन ऐसे रहते हैं जो महिला प्रधान होते हैं, महिलाओं के जुलूस होते हैं, रात भर चलते हैं। मैं सुबह चार बजे आयी हूं और पांच बजे नहा-धोकर जयपुर आयी हूं। मैं स्वयं रात को जुलूस के अन्दर थी। कल भगवान की कृपा से, कोई आप लोगों को सद्बुद्धि दी, क्या हुआ भगवान जाने, तो कल थोड़ी पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी जिससे कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। जो है, उसको भी कहने में कोई तकलीफ नहीं है। परसों शाम को, सभापति महोदय, आप सारे ही दंग रह जायेंगे सुनकर के, इतना औरतों का जुलूस निकलता है, 100-100, 50-50 का बैच निकलता है; इधर से आते हैं, उधर से आते हैं। एक रानीसर, पदमसर है, रानीसर, पदमसर पर लौटियां लेकर औरतें जाती हैं और जालोरी गेट से लेकर फतेहपोल तक सारा फंक्शन रहता है। एक भी कांस्टेबल कहीं नहीं मिला मेरे को। मैं 7 बजे से लेकर 11.30 बजे तक रही। फिर मैंने एक अधिकारी को फोन किया कि यह क्या बात हो गयी। तो दो आदमी आए वे, क्या कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल वगैरह तो कोई न्यायाधिपति की बच्ची और उनकी मिसेज आयी तो उनके साथ लगा दिया। तो, भई, उनके साथ लगाने के लिए आप हो क्या? जनता गयी भाड़ के अन्दर, जनता की कोई परवाह नहीं। वे भी महिलाएं हैं सब। इतनी, कम से कम पांच सात हजार महिलाएं निकली होंगी। मैं 7.30 बजे से 11.30 बजे तक रही हूं, तो पांच-सात हजार औरतें निकली हैं। आती हैं और जाती रहती हैं। तो यह क्या बात हो गयी। ऐसे नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब आज की स्थिति क्या है और पहले क्या था, मैं आपको बताऊं। मैं इनके थानों के ऊपर, इनकी चौकियों के ऊपर जाऊंगी। मैं 1990 से अभी तक बोल रही हूं, इसमें कोई दोराय नहीं है। अभी कोई भी कहेगा कि आप ऐसे कह रही हैं, सारे थाने और चौकियां हैं, वे गेट के अन्दर चल रहे हैं। एक जमाने में स्टेट के टाइम से गेट थे, उसके अन्दर चौकियां और थाने चल रहे हैं। मैं शहर से एम एल ए थी, मैंने इतना बढ़िया थाना बनवाया। अब वह सूरसागर में भी आता है और इधर भी आता है; आधा इधर आता है और आधा उधर आता है। इतना बढ़िया थाना, मगर एक भी वहां का अधिकारी यह बता दे कि कभी जाकर उसकी मानिटरिंग किया हो, उस थाने को देखा हो, किसी भी थाने को? इनका कानून बना हुआ है कि तीन महीने-छह महीने के अन्दर वे विजिट करें, वहां से रिपोर्ट लेवें, मगर नहीं लेते हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एक जमाने के अन्दर, आज दुनिया के अन्दर नहीं है वह अधिकारी बख्तावर सिंहजी; जे के बालानी, बालानी साहब तो विराजमान हैं अभी; बलदेव रामजी, वगैरह, ये रात को गश्त देते थे। इनके टाइम बंधे हुए थे कि ऐसे-ऐसे इस एरिये में जाना है, इस एरिये में जाना है। अब वह जमाना ही नहीं रहा। कांस्टेबल के भरोसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर ऐसे ही चोरियां होंगी, ऐसे ही लूट-खसोट होगी और ऐसे ही काम चलेगा। मैं तो पुरानी हूं, मेरे को बड़ा दर्द है, इसलिए कह रही हूं। शहर में तो फिर भी कम होती हैं, मगर सूरसागर तो चोरियों का घर हो गया है, आप यह समझ लो। मर्डर इतने हो जाते हैं, अभी एक बच्ची मरी, अभी परसों-परले दिन और एक आदमी मर गया था। वह क्यों मर गया, उसकी लड़की को एक मोहम्डन भगाकर ले गया था। वह किसी मेघवाल जात की है, उसको वापस लाए और लाने के बाद उसकी शादी करना तय कर दिया। रात को उनसे पचास हजार रुपये मांगे और बाप को हार्ट फेल हो गया। वह गवर्नमेंट सर्वेंट था, डिस्पेंसरी में काम करता था, उसका हार्ट फेल हो गया। उसकी भी डैड बाडी नहीं उठाई। फिर मैंने जाकर के उनकी व्यवस्था करके, मैंने कहा। मैं समझा-बुझाकर के काम करने वाली हूं, तो मैंने उनको भी यही कहा। मगर मुलजिम को अभी तक नहीं पकड़ा। यह क्या बात हुई? ऐसा कोई नहीं है कि पुलिस वालों को यह मालूम नहीं हो कि आदमी कहां है। सारा इन लोगों को पता रहता है। इनसे कोई भी बदमाश, हिस्ट्रीशीटर छिपा नहीं रहता है। एक जमाने में तो थानों के अन्दर फोटो लगी रहती थी, अब भी रहती है या नहीं रहती, मैंने चैक नहीं किया है।

जब कभी भी थाने में जाओ तो रजिस्टर के अन्दर यह होना चाहिए कि यह आमदगी और यह रवानगी, मगर यह भी समय पर नहीं मिलता है। मैं जाते ही पहले इनका रजिस्टर देखती हूं कि बताओ आपकी आमदगी और रवानगी कहां है, मगर यह कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है।

आज मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी मैं यहीं बैठी रही कि पुलिस की बात आयी है तो मेरे को जरूर बोलना चाहिए और इस बात को जरूर कहना चाहिए। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मेरे से एक रोज कहा था कि क्या एम एल ए बन गयी, जाकर थानों को तो देखो, क्या हालत है; सरकार थानों के लिए तो कुछ करती ही नहीं है, ड्यूटी इनसे पूरी लेती है 24 घण्टे, जाकर देखो। मैंने जाकर के सिटी पुलिस थाना देखा। माननीय सभापति महोदय, मैं नाम नहीं लूंगी, आप उसको अदरवाइज मत लेना, कुत्ता भी बैठता है तो अपनी सफाई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करके बैठता है और उनको भी जगह अच्छी चाहिए, ऐसी हालत थी। एक जमाने के अन्दर वहां पुलिस लाइन थी, फिर थाना बन गया ए और बी। अब ऐसा थाना है कि क्या पुलिस कांस्टेबल को आप रखोगे। उनको बैठने को, सोने को जगह नहीं; उनके बिस्तर फटे हुए, उनके माचे अच्छे नहीं, उनके थेपड़े के थेपड़े ऊपर से उतर रहे हैं; पानी पड़ रहा है। मैंने कम से कम साठ-सत्तर लाख रुपये लगाकर के उसका सारा जीर्णोद्धार कराया। मेरा यह मकसद नहीं, जोधपुर दरबार को लाकर दिखाया कि आपके बुजुर्गों के हैं, आप इनकी संभाल करो। मगर वे तो क्यों संभाल करेंगे, संभाल तो सरकार को करनी चाहिए, सरकार को समर्पित हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, कुछ बोली भी नहीं, आपने घण्टी बजा दी। मैंने मेरी बात तो कुछ कही भी नहीं। यह क्या बात हो गयी? मैं कितनी तकलीफ के अन्दर हूं...

(19.00 बजे)

श्री सभापति: आपकी तबीयत थोड़ा आज नासाज है, इसलिये...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी इतने घण्टे में बैठी रही हूं और फिर मैं बोल रही हूं। मुझे दर्द है इसलिये बोल रही हूं मैं और इसलिये रुकी हूं।

जनता को सहूलियत देने के लिये अपन हैं, जनता को तकलीफ देने के लिये नहीं हैं। मैं हर समय इनको सहयोग देती रहती हूं मगर इन अधिकारियों को भी चाहिये कि मुझे पूरा सहयोग करें। मैं इनको हर बात की जानकारी देती हूं। वहां पर आपकी केबिन लगी हुई है इनको परमिशन नहीं है तो क्या कहते हैं कि यह मुख्य मंत्रीजी का आदेश है। मैंने कहा, आज तो मेरे सामने ऐसी बात कही है, फिर कभी कह दिया तो ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री क्या केबिन लगाने की परमिशन देंगे? सारे अधिकारियों की सही बात पूछें, अभी पीछे कौन बोला था, सही कहा था कि सबका चौथ-वसूली का काम है और कुछ भी नहीं है। ये करते हैं सारा, इनकी सेटिंग की ओर।

अब मैं तीन-चार दिन पहले की बात बताऊं आपको। जालोरी गेट के बाहर, मैं खुद जाकर अधिकारियों को मिलकर बताती हूं कि आप ऐसे करो, इस तरीके से करो, वे सुनते तो हैं, मेरी बात तो सुनेंगे ही, मेरी उम्र के हिसाब से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सुन लेंगे, मेरे अनुभव के हिसाब से सुन लेंगे, मगर उसकी पालना नहीं हो रही है, मुझे इस बात का दुःख है। मैं कोई भी राय देती हूं तो उस बात को समझो तो सही, आप करो तो सही। वहां सिटी पुलिस और वहां लाइन से केबिन लगवा दिये। अब उसका सारा ओढ़ना, मेरी साड़ी है, तो घाघरा-ओढ़ना पहना था उसने, उसका सारा ओढ़ना वहां पर फट गया। अच्छा हुआ कि वह जली नहीं, वहां गैस वगैरह रखी थी। फिर मैंने अपने घर से ओढ़ना मंगाकर, देकर उसको रवाना किया। तो यह क्या बात हुई? जब हम हमारी बात कहते हैं, हम आपको सलाह दे रहे हैं तो बात को तो मानो।

सभापति महोदय, यहां सारे अधिकारी भी बैठे हैं और मंत्रीजी भी विराजमान हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर फ्लैग मार्च हर 3 महीने के बाद पुलिस अधिकारी कर लें, 100-50 लोग साथ निकलें कि आज इस एरिये के अन्दर गये, आज इस एरिये से पैदल निकले हैं, मैं आपको कह दूं, काया पलट जायेगी। वह टाइम देखा हुआ है, उसका हवाला दे रही हूं मैं, उस टाइम वे ऐसे घूमते थे, मगर आजकल अधिकारियों को फुर्सत नहीं। नीचे वाले आदमियों को कह देते हैं, आप जाओ। छोटी-मोटी घटनाएं तो सी आई खुद निपटा सकता है, मगर निपटायेंगे नहीं, उनको बढ़ायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया इसलिये तो मैं आपको धन्यवाद करूं, मगर मुझे मजा नहीं आया क्योंकि मेरा यह सारा पुलिन्दा रह गया। मुझे दुःख इस बात का है, सारे अधिकारी बैठे हैं, मैं अधिकारियों से भी आपके माध्यम से और मंत्रीजी से खास कहूंगी कि सूरसागर क्षेत्र ऐसा है, पिछड़ा हुआ समझ लो आप, मैं चाहूंगी कि वहां एक महिला थाना खुले और देवनगर के अन्दर जो थाना सैंक्शंड है उसको तुरन्त खुलवायें, नफरी बढ़ाएं और इनकी सारी सुविधाएं दें। मोटरसाइकिल नहीं दो तो ये लोग क्या करेंगे? किसी चौकी के अन्दर मोटरसाइकिल नहीं है तो ये कैसे काम करेंगे? तो ऐसे करेंगे। आप सुविधा नहीं दोगे तो हम इनको भी दोषी नहीं मानेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि ये करेंगे कैसे? इनके पास कोई साधन हो तो करेंगे। नफरी आप बढ़ाते नहीं हो। जो पुरानी नफरी है वही चल रही है। खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं जाती हूं तो देखती हूं, ऐसी रोटी कौन खाता है। मगर इनकी मजबूरी है, खाना पड़ता है। क्या करें? इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरी मांग है कि आप एक महिला थाना वहां खुलवायें। देवनगर में जो सैंक्शंड थाना है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड थाना है, वह बहुत लम्बे-चौड़े एरिये के अन्दर फैला हुआ है, आये दिन कुछ न कुछ चोरियां वगैरह होती रहती हैं। चैन खींचना तो मामूली बात हो गयी है। मैं चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, आप ध्यान से इस बात को नोट करें और महिला थाना खुलवाने की व्यवस्था करें। मैं 3 साल से बराबर कह रही हूं। अब तो खोल दो। अब समय आपका जाने वाला है। तो अब थाना खोल दो ताकि लोग आपको याद करेंगे कि हां, अशोक जी का क्षेत्र था, अशोकजी यहां से चीफ मिनिस्टर थे तो कम से कम महिला थाना तो खोला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरी आवाज आप वहां तक पहुंचाएं।

आपने, सभापति महोदय, मुझे जो थोड़ा सा टाइम दिया है, 5-7 मिनट का, इसलिये भी मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज गृह जो हर राज्य का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। राज्य के अन्दर हम चाहे कितना विकास कर लें लेकिन उसके साथ अगर हमारा आन्तरिक सुरक्षा तंत्र और हमारी सुरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है, तो चाहे हम कितने भी विकास के कार्य करें, कितना भी कुछ करें, उन सबका कोई मायने नहीं रह जाता। चाहे ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे शहरी क्षेत्र का रहने वाला हो, हर आदमी यह चाहता है कि मैं मेरे क्षेत्र के अन्दर सुरक्षित रहूं, सुरक्षित आऊं, सुरक्षित जाऊं, सुरक्षित जिन्दगी जीऊं। उसके लिये हर सरकार प्रयास करती है। इस बार भी जिस तरह से इस दिशा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये, उनसे निश्चित रूप से आने वाले समय के अन्दर कमियां आयेंगी अपराधों के अन्दर और सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा।

महिला उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से वे और हम सभी चिन्तित हैं, जो 11 जिले रह गये थे, उनके अन्दर भी महिला थाने खोलने की उन्होंने घोषणा की। 14 नये पुलिस थाने खोलने का निर्णय किया? जिसमें 5 नये पुलिस थाने, 4 एन सी आर क्षेत्र के अन्दर, कुछ पुलिस चौकियों को उन्होंने

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

क्रमोन्नत करके लगभग 14 पुलिस थाने खोले जिसमें मेरे चित्तौड़ की एक बस्सी पुलिस स्टेशन चौकी को क्रमोन्नत करके किया है।

इसी तरह से नफरी भी बढ़ायी गयी। पुलिस तंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिये किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाये, किस तरह से उनको हर सुविधा दी जाये, पूरे विश्व में जिस तरह से क्राइम चल रहा है और पूरे देश में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, उस क्राइम की अच्छी तरह से जानकारी दी जाए, अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाये, इसके लिये उन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोली है। इसके लिये वे बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। सरदार पटेल के नाम से जोधपुर के अन्दर यूनिवर्सिटी खोली। हमारा पुलिस तंत्र जिसके बारे में हम सब लोग चिन्तित हैं, आने वाली चुनौतियों का मुकाबला अगर करना है तो हमें वह ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमारे सुरक्षा बल को, जो आज की एक महती आवश्यकता है। आने वाले समय में यह एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे राजस्थान की पुलिस के लिये, जिसमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जायेगी।

इसी तरह से जो उन्होंने भर्तियां करने का फैसला किया, 8 हजार पहले भर्तियां हो गयीं, 10 हजार भर्तियां अभी और चल रही हैं, लगभग 30 हजार भर्तियां और करेंगे। इसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं।

मैं सबसे ज्यादा बधाई इस बात के लिये देना चाहूंगा कि पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा नाम आता है लेकिन इस बार इसके लिये अधिकारी भी बहुत बधाई के पात्र हैं। मुख्य मंत्रीजी ने पारदर्शिता से जो प्रणाली विकसित की कि इसके अन्दर जो इंटरव्यू देगा, न तो वह कोई रखा; पहले कमेटीज बना करती थीं वह उनको नम्बर दिया करती थीं, उस प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसकी योग्यता के आधार पर सारा कर दिया। वह भी एक अच्छी दिशा में काम किया।

इसी तरह से मैं मुख्म मंत्रीजी को और उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, 2008 में 59 लड़के, 2008 में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब वे पुलिस की भर्ती के योग्य घोषित हो चुके थे लेकिन मामूली सी त्रुटि रहने से उन लड़कों को नौकरी में नहीं लिया गया। न उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, न कोई बलात्कार के थे, न कोई चोरी, डकैती के थे, न 302, 307 के थे। लेकिन स्कूल, कालेज में पढ़ते हुए उनसे कोई छोटी-मोटी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

घटनाएं हो गयीं, आपस में लड़ाई-झगड़े हो गये, उसकी वे उसके अन्दर जानकारी पूरी तरह से नहीं दे सके परीक्षा काल में। उसके आधार पर सरकार ने उनको बिलकुल रिजेक्ट कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रालय जो शांतीकुमारजी धारीवाल सम्भाल रहे थे, हमारे पुलिस महानिदेशकजी, पुलिस के प्रमुख शासन सचिव जी को और पूरी प्रणाली को, उन्होंने उन 59 लड़कों की लड़ाई को लड़ते-लड़ते हाल ही 3 माह पूर्व उन 59 लड़कों को पुलिस की नौकरी दे दी जिसमें मेरे चित्तौड़ का लड़का सूरजभान सिंह सोलंकी भी था जिसके लिये मैंने लड़ाई लड़ी, उसके वाजिब हक को मुख्य मंत्रीजी और अधिकारियों तक पहुंचाकर। वे लग गये, इसके लिये भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अब मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। वैसे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से सुझाव दे दिया, उसके बारे में मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह जरूरी है कि जो हमारा पुलिस बल है, उसको कैसे सुरक्षा कवच दें, कैसे उसके परिवार को सुरक्षा कवच दें। आज पुलिस की नौकरी कोई आसान नौकरी नहीं रह गयी है और एक सिपाही के लिए तो कम से कम बहुत दुःखदायी स्थिति रहती है। वह आठ घंटे भी नौकरी करता है, वह दस घंटे भी नौकरी करता है, वह बारह घंटे भी नौकरी करता है और बीस-बीस घंटे भी नौकरी करते हमने उसको देखा है। जो उसके साथ में वेतन विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाये, जो पदोन्नति की विसंगतियां हैं वे दूर की जायें, उसके परिवार को एक सुरक्षा कवच दिया जाये।

सभापति महोदय, जो सुझाव शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया कि हमारे उन बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके, इसके लिए पुलिस लाइन के अन्दर, जिला मुख्यालय पर तो कम से कम, एक स्कूल होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस के वे लोग जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अन्दर वे रहें। उसके अन्दर सी बी एस ई बोर्ड की जो आज आवश्यकता है, उसकी तर्ज पर ही वे स्कूल खोले जायें वहां पर। ये पूरे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर हों तो निश्चित रूप से एक सुरक्षा कवच उनको मिलेगा। नौकरी के साथ-साथ जो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उनको समझकर के हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा सुरक्षा बल मानसिक रूप से मजबूत होकर के अच्छे से अच्छा काम कर सकेगा।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सभापति महोदय, एक मेरा सुझाव है कि जो परिस्थितियां राजस्थान में बन रही हैं, उन आने वाली परिस्थितियों में पुलिस को अलग-अलग भागों में विभक्त करना पड़ेगा। एक तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें सिर्फ प्रशासन तंत्र को संभालने का काम उस एस.पी. के जिम्मे हो और एक पुलिस का एस.पी. सिर्फ ला एंड आर्डर को संभालने का काम करे। लॉ एंड आर्डर एवं एडमिनिस्ट्रेशन, आज की स्थिति में जो त्योहार आ रहे हैं, जो धार्मिक उत्सव हैं, जो हमारे दूसरे आंदोलन हैं, उसके अन्दर पुलिस का एस.पी. इस तरह से उलझा रहता है कि वह लॉ एंड आर्डर संभाले कि प्रशासन संभाले। आने वाले समय में लॉ एंड आर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग-अलग विंग हो जायेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की पुलिस बेहतर काम कर सकेगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारा खुफिया तंत्र मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमारी जो गुप्तचर प्रणाली है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। जब कभी भी मेले होते हैं, जब कभी धार्मिक उत्सव होते हैं, जब कभी कोई आंदोलन होते हैं तो वह जानकारी पुलिस को समय पर मिल जाये तो जो बिगड़ने वाली स्थिति है, उसको संभालने में बहुत अधिक हमको सहायता मिल सकती है। लेकिन हमारी गुप्तचर व्यवस्था अभी भी जितनी माकूल होनी चाहिए, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से भू-माफिया बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी के काम हो रहे हैं और जिस तरह से आधुनिक संचार साधनों के साथ में जो चुनौतियां बनी हुई हैं पुलिस की सामने, उसके लिए जरूरी है कि हमारा यह तंत्र अगर मजबूत हो जायेगा तो पुलिस के उन अधिकारियों को निर्णय लेने में बहुत अधिक सुविधा मिलेगी जो लॉ एंड आर्डर को संभाले हुए हैं। इसके लिए अलग कैडर हमारा बना हुआ है लेकिन इस अलग कैडर के अन्दर प्रशिक्षण की सतत आवश्यकता है। इसके अन्दर संवाद और जनता के बीच में हमारी घुसपैठ भी बहुत जरूरी है। इसको हमें बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, तीसरा सुझाव यह है कि एफ एस एल की जो रिपोर्टस हैं, उनमें कई मामलों में छह-छह महीने, एक-एक साल लग जाता है जिससे पुलिस प्रणाली के ऊपर भी प्रश्न चिह्न लग जाता है। जितनी जल्दी से जल्दी उस एफ एस एल की रिपोर्ट आयेगी, उसके आधार पर माना जाता है, उससे मुकदमे तय होते हैं, उसके साथ धाराएं तय होती हैं, उसके साथ सजाएं

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

तय होती हैं। एफ एस एल की जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, उनके अन्दर हमको यह तय करना पड़ेगा कि एक समय सीमा के अन्दर पुलिस मुख्यालय से या जिला मुख्यालय से जो भेजा जाता है, उसका निर्णय तुरन्त करके भेजें ताकि अच्छे तरीके से उन मुकदमों का निस्तारण हो सके।

सभापति महोदय, स्पेशल आपरेशंस ग्रुप जो हमारा बना है, उसमें सफलता भी काफी मिली है। मेरे चित्तौड़ के अन्दर भी एक मामला हो गया था, विदेश के अन्दर उसका अपहरण कर लिया गया था। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय को भी और तत्कालीन जो एस ओ जी के प्रमुख थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। मुख्य मंत्रीजी का तो बहुत-बहुत साधुवाद। जिस लड़के का अपहरण हुआ, उसको पूरी तरह से सुरक्षित हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे जिले तक उन्होंने पहुंचा दिया और उस अपराधी को पकड़ भी लिया। वह अपराधी आज जेल के सीखचों के पीछे है और वह अंडरवर्ल्ड का आदमी निकला। उसको पकड़ने में पुलिस ने जो तत्परता दिखायी, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो जिला है, वह मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है। जो इंटर-स्टेट हमारी बोर्डर हैं, वहां अगर एस ओ जी का एक पुलिस स्टेशन अलग से खोल दिया जाये, जिस तरह से हरियाणा की जहां से आप आते हैं वह आपकी बोर्डर और हमारे मध्य प्रदेश की, गुजरात की है, ऐसे बोर्डर डिस्ट्रिक्ट पर एस ओ जी के पुलिस स्टेशन खोल दिये जायें, उनको सुसज्जित कर दिया जायें और उनका बेहतर समन्वयन दूसरी स्टेट की पुलिस से हो जायें तो जो क्राइम करके भागने वाले लोग हैं, आपके यहां भी क्राइम करके कोई यू.पी. चला जाता है, कोई हरियाणा चला जाता है, हमारे यहां पर भी कोई क्राइम करके मध्य प्रदेश में घुस जाता है, कोई गुजरात में घुस जाता है तो पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। एस ओ जी ग्रुप जो कि एक प्रशिक्षित दस्ता होता है, उसके अन्दर हमको सहायता मिलेगी। इसलिए जो ऐसे बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर एस ओ जी का पुलिस स्टेशन हो जायेगा तो इस कानून-व्यवस्था में सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय, जहां हमारे नेशनल हाइवेज हैं, उनके ऊपर एक पुलिस हाइवे गश्त की व्यवस्था जरूर अलग से होनी चाहिए। नेशनल हाइवेज

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

पर जिस तरह से लूट की घटनाएं होती हैं कि गाड़ियां लूट करके ले गये, जिस तरह से अपहरण हो जाते हैं, उसके अन्दर जो हमारी मोबाइल ट्रैफिक है, वह मजबूत और आधुनिक संचार व्यवस्था से लैस हो। जहां-जहां भी नेशनल हाइवेज हैं, मेरे यहां 76 और 79 दोनों गुजरते हैं, वहां पर छोटी-मोटी वारदात होना एक मामूली बात है। उसके अन्दर भी हमें काफी फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में सम अप कर रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। चित्तौड़ विधान सभा के अन्दर हमारा एक उप खण्ड कार्यालय भदेसर खोला है मुख्य मंत्रीजी ने। वहां हमारी अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गृह राज्य मंत्रीजी, आपसे कि वहां अगर डीवाई एस पी हो, वहां आर ए एस अफसर एस डी एम के रूप में है, सारे विभाग वहां हैं और वहां एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, वहां डीवाई एस पी अगर नहीं हो सके तो मेहरबानी करके सी आई की ही रैंक का अफसर तो आप भेज दें एवं कुछ नफरी वहां पर बढ़ा दें। वह उप खण्ड कार्यालय जिसमें बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र भी लगता है, जिसमें कपासन विधान सभा क्षेत्र भी लगता है, जिसमें चित्तौड़ भी लगता है और वह चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में आता है, वह अगर मेरे इलाके में हो जायेगा तो अच्छा रहेगा। मेरे यहां पिछली बार सदर थाना भी खोल दिया, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद की जो बात है, तो धन्यवाद देना ही पड़ेगा।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, समअप नाऊ। अब समअप करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अब मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर कुछ अस्थायी पुलिस चौकियों की आवश्यकता रहती है। पुलिस लाइन में जो नफरी है, उसके आधार पर हमारी एक-दो जगह हैं जो रह जाती हैं। अभयपुर एक ऐसी जगह है जो एक दुर्गम, पहाड़ी क्षेत्र है और वहां से अपराधों को रोकने में भी पुलिस को बहुत अधिक मदद मिलेगी। कई बार पुलिस के अधिकारियों को कहने पर उन्होंने वहां पर पुलिस की अस्थायी चौकी भी खोली है। अगर गृह राज्य मंत्रीजी उसको स्थायी कर दें या स्थायी व्यवस्था कर दें तो चित्तौड़ के अन्दर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, समअप नाऊ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अब मैं समअप ही कर रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बाहर की गैंग आ रही हैं जिसमें पारदी हैं, कंजर हैं, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे यहां बहुत बड़ी-बड़ी चोरियां करते हैं। चित्तौड़ शहर के अन्दर ही तीन सर्राफा व्यवसायियों के चोरी कर ली, एक नाथद्वारा में कर ली, बेगूं में कर ली। सेम पैटर्न की चोरियां वे पीछे से घुस कर करते हैं। उस गैंग का सुराग हम लोग अभी तक नहीं लगा सके हैं। उसके लिए मैं, गृह राज्य मंत्रीजी, आपसे और जो पुलिस के अधिकारी विराजे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पारदी गैंग को, क्योंकि आभूषणों के ऊपर ही...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस, समअप ही कर रहा हूं। आभूषणों की दुकानों पर ये डाका डालते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने ज्यादातर टाइम तो अधिकारियों की बड़ाई करने में ले लिया। You have made your points. That's all.

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, उसके अन्दर एक स्पेशल टीम गठित की जाये। जो आपराधिक प्रवृत्ति के समूह हैं, समाज हैं, उनके अन्दर यह लायें ताकि हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत हो सके और व्यापारियों के अन्दर खौफ भी दूर हो सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुंदरलाल।

श्री सुन्दरलाल: माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले साल भी गृह मंत्री को कहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मण्ड्रेला गांव में दो लड़के दिन में ही उठा ले गये और उनकी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी ने कहा तो कहा कि यह सी आई डी में दे दिया। काहे का दे दिया? अभी तक किसी को यही नहीं पता, उनका कोई समाचार नहीं। पिछले साल भी मैंने यही मुद्दा उठाया था। आज तक उसका कोई जिक्र नहीं हुआ कि कहां गया, क्या हुआ। कोई पता ही नहीं लगाया। अब क्या कर रहे हैं, पता नहीं।

मेरे पिलानी और सूरजगढ़ क्षेत्र में दो साल में इतनी भैंसें चोरी हुई हैं, एक भी भैंस वापस नहीं आई है। एक भैंस भी वापस नहीं आई, एक भैंस का 50 हजार रुपया लगता है। रात को खेत में कोई भी आदमी होता है और 407 लाते हैं और भैंस को, दो को डालकर पार पा जाते हैं। आज तक एक भैंस

(श्री सुन्दरलाल)

हमारे जिले की वापस नहीं आई है। एक भी भैंस वापस नहीं आई है। जब कहते हैं कि भैंस चोरी करते हैं, कितनी भैंसें चोरी हो गईं, दोनों क्षेत्रों की जितनी भैंसे चोरी करके ले गये, कोई उनको लाता ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि दो बच्चे, एक के तो एक ही बच्चा था राजपूत के, तो उनका आज तक कोई पता नहीं। किसी ने जाकर उनको यही नहीं कहा कि आपका छोरा कहां गया, क्या हुआ। कोई जिक्र ही नहीं है। मैं जाता हूं वहां तो वे कहते हैं कि हमारे लड़के का क्या हुआ। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? कहूं क्या अब यह कि राजस्थान की पुलिस काम ही नहीं करती है? क्या कहूं उनको मैं?

आपने अपना तरीका इतना गलत कर लिया कि एक तो पुलिस में जो भागते हैं, उनका नम्बर नहीं है। सबसे आगे भागकर आ जाता है, उसका नम्बर नहीं और चश्मा लगाकर पढ़ते हैं और अच्छे नम्बर ले आये उसको नम्बर दे दो। तो वह काहे को पकड़ेगा किसी को? मुझे बताओ तो सही, काहे को पकड़ेगा? आपका यह तरीका ही गलत है। मैं आपसे कहता हूं, डी जी पी यहां बैठे हैं, पुलिस में जो लड़का भाग कर सबसे आगे आता है, उसको ज्यादा नम्बर देने चाहिए। तो पांगे आदमियों को भर्ती कर लो पुलिस में। यह क्या तरीका लगा रखा है, मेरी समझ में नहीं आता है। परीक्षा में भी अच्छा तगड़ा छोरा पुलिस फोर्स में भर्ती करो। परीक्षा में तो कोई पास हो जाता है। आई ए एस बनाआगे क्या इनको, परीक्षा पास करा करा कर? क्या कराना चाहते हो? आफिस में? तगड़ा छोरा भर्ती करो, जो काम जंचे।

अब कर लिये भर्ती। मैंने कहा कि छोरा, पुलिस में भर्ती हो गया, तो उसने कहा कि हो गया। हमारे यहां डाका पड़ा रूलाणिया में, तो मैंने कहा कि क्या बात रही, तो वह बोला, ताऊजी, मेरा चश्मा पड़ गया, इसलिए मेरे से भागा ही नहीं गया। चश्मे बिना दिखा नहीं उस छोरे को। मतलब चश्मा लगाओ, पुलिस में भर्ती हो गया, दूसरे साल चश्मा लगा रखा है। मैंने कहा कि कितने नम्बर का चश्मा लगा रखा है, तो वह बोला कि साढ़े चार का है चश्मा। तो मैंने कहा कि ठीक रही।

पुलिस का हाल आप सुनो तो सही। हमारे बम्बग में डाका पड़ा तो पुलिस वालों को समाचार दिया, तो गाड़ी के धक्का मारो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चार पुलिस वाले तो धक्का मारते रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वे जाते रहे। अब आप देख लो, पुलिस की हालत क्या हो रही है।

(श्री सुन्दरलाल)

शिड्यूल्ड कास्ट वाले आदमी तो आजकल थाने में रिपोर्ट नहीं करते। एक दिन शिड्यूल्ड कास्ट की औरत को पीट दिया। मैं बोला कि रिपोर्ट करो, तो बोली अमरचंद ने रिपोर्ट की थी तो वह जेल में बंद है। वे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसने अपनी बहू के लिए रिपोर्ट की थी, बंद कर दिया, आज तक छोड़ा ही नहीं। यह आपकी सी बी आई है, देख लो, वह रोता फिरता है, जेल में पड़ा है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न कोई तरीका है, आप यह कह रहे थे कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोल दिया। पुलिस में तो ट्रेनिंग चाहिए, पुलिस में डिग्री चाहिये क्या? पुलिस में डिग्री की जरूरत पड़ती है क्या? पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। महाविद्यालय खोल दिया तो महाविद्यालय में क्या सिर फोड़ोगे? क्या करोगे? यह मेरी समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। महाविद्यालय में क्या यह तो पढ़ा लिखा है, तो क्या अनपढ़ हैं पुलिस वाले? महाविद्यालय खोल दिया और बड़े जोरों से यहां भाषण दिया कि महाविद्यालय खोल दिया। तो वहां उनको तो ट्रेनिंग चाहिये, वहां महाविद्यालय में काहे की डिग्री दोगे? वहां उनको डाक्टर बनाओगे क्या? इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रही इनकी बात।

मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, गृह मंत्रीजी, हमारे जिले में जितनी भैंसें चोरी हुई हैं, कल ही यह आदेश दे दो कि जितनी भी भैंसें सूरजगढ़ और पिलानी क्षेत्र में चोरी हुई हैं, उनकी बरामदगी होनी चाहिए।

एक आदमी तो दो भैंसें लाकर के चाय बनाया करता था। उसके खेत में से भैंस खोल कर ले गये, दो लट्ठ मारे और तीन महीने तक तो अपने पैसे खर्च करके इलाज करवाया। यह मुफ्त दवाइयां तो बाद में चली हैं, पहले तो चली नहीं थीं, पहले लट्ठ मारते तो दवाइयां तो फ्री मिल जातीं उसको। वे मुफ्त दवाइयां भी नहीं मिलीं उसको उस वक्त।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री हो, आपके पिताजी भी हमारे साथ एम एल ए रहे हैं, तो जोश दिखा कर हमारे जिले की जितने भैंसे चोरी गईं, वे वापस ला दो। और दो-दो आदमियों को उठाकर ले गये, आप उनके लिए कोई प्रयास करो। नहीं तो मैं गांव जाऊंगा तो वे कहेंगे कि मेरी भैंस ला दो। अब मेरे से भैंसें आएंगी नहीं, तो मेरे लगेंगे वहां जूत। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, राम राम।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी)।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सही कहा है, यहां यूनिवर्सिटी कहां काम आयेगी? यह तो एक्सप्लेन करवा देना, जवाब देना जवाब में। वह क्या यूनिवर्सिटी है? क्या डिग्री देगी?

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर काफी लम्बे समय से चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर यहां पर चर्चा की।

माननीय सभापति महोदय, वही राज्य उन्नति कर सकता है जहां पर शांति-व्यवस्था हो, कानून-व्यवस्था बनी रहे, अपराधों पर अंकुश लगे। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर सम्भव प्रावधान किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने स्थापित किये, नए थाने खोले और चौकियां को क्रमोन्नत किया। अपराधों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए जो शराब की दुकानें हैं, रात को खुली रहती थीं, जिससे कई सारे अपराध घटित होते थे, निश्चित ही इन शराब की दुकानों पर रात्रि आठ बजे के बाद प्रतिबन्ध लगने से कई तरह के अपराधों पर अंकुश लगा है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की पुलिस एवं कानून-व्यवस्था पर सभी ने अपने ढंग से अपने सुझाव दिये। मैं मांग संख्या 16 पर अपने विधान सभा क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन थाने हैं, थाना गढ़ी, जिसमें सी आई का एक पद है वह पद खाली है, एस आई के दो पद हैं जिनमें से एक पद खाली है, ए एस आई के 6 पद हैं जिनमें से 2 खाली हैं, हैड कांस्टेबल के 4 पद हैं जिनमें से 2 पद खाली हैं; दूसरा थाना है लोहाड़िया, जिसमें सी आई का 1 पद है जो खाली है, एस आई के 2 पद हैं जिनमें से 1 खाली है, ए एस आई के 2 पद हैं और दोनों ही खाली हैं। हैड कांस्टेबल के 4 पद हैं जिनमें से 2 खाली हैं; तीसरा सदर थाना, जिसमें एस आई के 2 पद हैं जिनमें 1 पद खाली है। ए एस आई के 7 पद हैं जिनमें से 3 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण मां त्रिपुरा सुन्दरी का मंदिर जो तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है और जहां पूरे देश से तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां पर ए एस आई के पद खाली हैं। और कांस्टेबल 6 में से 2 पद खाली हैं। इस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी

(श्रीमती कान्ता भील)

आई के 2 पद, एस आई के 4 पद, ए एस आई के 7 पद और हैड कांस्टेबल के 4 पद खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र दक्षिण राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर कई तरह के अवैध कारोबार उसी मार्ग से होते हैं। कई तरह के आपराधिक तत्व वहां से गुजरते हैं और आये दिन चोरी और नकबजनी की वारदातें होती रहती हैं। अभी हाल ही में सिलसिलेवार सभी जैन मंदिरों में चोरियां हुईं। विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोरोमंडल सीमेंट फैक्टरी है, जिस वजह से इतनी अधिक मात्रा में यातायात वहां पर रहता है और निश्चित ही आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई तरह के बाहर से अपराधी लोग वहां पर आते हैं। ऐसी स्थिति में, मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये मेरे जितने भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को शीघ्र ही भराया जाए ताकि आये दिन जो उस क्षेत्र में दिन को ताले टूट जाते हैं, रात को चोरियां होती हैं और लोगों में जिस तरह का भय व्याप्त है, वहां शांति स्थापित हो।

सभापति महोदय, आज के इस अवसर पर, दो चौकियां, तलवाड़ा और परतापुर बहुत बड़े कस्बे हैं और परतापुर चौकी जो गढ़ी से लगी हुई है, वहां का स्टाफ ए एस आई प्लस 4 हैं और रात को, क्योंकि बड़ा कस्बा है, आसपास के क्षेत्र में गश्त नहीं हो पाती है। कई चोरियां होती हैं। उस क्षेत्र के सभी लोगों की मांग है कि रात की गश्त बढ़ाई जाय लेकिन स्टाफ के अभाव में, उसकी कमी के कारण गश्त नहीं बढ़ाई जा रही है। मेरा निवेदन है कि तलवाड़ा में, जो काफी पुरानी चौकी है, वहां पर क्योंकि सीमेंट फैक्टरी से काफी सारा यातायात भी आकर के, काफी बड़े ट्रोले वहां पर खड़े रहते हैं, काफी अव्यवस्था होती है और आये दिन लड़ाई-झगड़े होते हैं। कई तरह के वहां पर शराब माफिया लोग भी गुजरते हैं, कई लोगों से लड़ाइयां होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये दोनों चौकियां, तलवाड़ा और परतापुर, ये काफी पुरानी हैं, नई चौकियों में तो आप लोगों ने स्टाफ बढ़ाया, जो नई खुलीं उनमें हैं, एक और छह का स्टाफ दिया लेकिन ये पुरानी चौकियां हैं जिसमें एक और चार का स्टाफ दिया हुआ है। मेरा निवेदन है कि इन बड़े कस्बों में स्टाफ बढ़ाया जाय ताकि रात की गश्त बढ़ सके वहां पर और वहां पर शांति-व्यवस्था स्थापित हो सके।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोलाना में चौकी एक नई खोली जाय।

(श्रीमती कान्ता भील)

मैं पूर्व में माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन कर चुकी कि गढ़ी थाना क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह जोलाना क्षेत्र जिसके आसपास लगभग 20 गांव हैं और वहां पर कितने सीनियर स्कूल और महाविद्यालय संचालित हैं, बड़ी संख्या में वहां पर छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं और आये दिन आसपास, छात्र और छात्राओं के बीच में भी कई तरह के अपराध घटित होते हैं और आसपास के क्षेत्र में क्योंकि वहां पर लैम्प्स की सुविधा है और लैम्प्स में खाद-बीज को लेकर अव्यवस्था किसी दिन हो जाती है। नरेगा का भुगतान उन लैम्प्स से किया जाता है, उसको लेकर के भी काफी सारी अशांति और अव्यवस्था फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतनी, 18 किलोमीटर की दूरी पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए वहां पर चौकी खोली जाए।

दूसरा, कोरोमंडल किंग जो सीमेंट फैक्टरी है, वहां पर इतना ज्यादा यातायात रहता है कि आने-जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है। मैंने एस पी साहब से भी निवेदन किया था इस सम्बन्ध में और उन्होंने वहां पर अस्थाई चौकी लगा रखी है लेकिन स्थाई व्यवस्था के लिए उस चौकी को स्थाई किया जाय ताकि वहां पर आने-जाने वाले, जो दूसरे आम लोगों को असुविधा होती है, उससे राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था, सभी ने कहा, विपक्ष के माननीय बंधुओं ने कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो हत्या कांड हुए थे जिसमें एक महिला का अपहरण करके और उसकी हत्या कर दी गई थी। निश्चित ही प्रशासन ने बहुत ही तत्परता बरतते हुए, बहुत ही शीघ्र उस हत्या कांड का खुलासा कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूं गृह मंत्री को, आपके निवेदन पर काफी सक्रियता से यह खुलासा हुआ। दूसरा जो हत्या कांड है, फालोदा का दीपक हत्या कांड, उसका अनुसंधान चल रहा है। मैं निवेदन करूंगी और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से मांग करूंगी, उम्मीद करूंगी कि उसका खुलासा भी शीघ्र ही किया जाय।

आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री छोटूसिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 और 17 के बारे में काफी चर्चा हुई, मैं भी उस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। प्रदेश के बारे में चर्चा हुई, मैं केवल मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। नये थाने सैंक्शन होते हैं, नई चौकियां सैंक्शन होती हैं, उसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया जाता है लेकिन मेरे यहां थोड़ा अपोजिट हुआ है। सभापति महोदय, जो हमारी 24 चौकियां इंटेलीजेंस की थी, सी आई डी की थीं, उन चौकियों में से 8 चौकियों को हटा दिया गया है। बड़ा अफसोस है। सीमावर्ती जिला है, इसके अन्दर हम जानते हैं, कई प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी, अवांछनीय घटनाएं अमूमन होती रहती हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 8 सी आई डी की चौकियां हटाई गईं, क्या यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। जैसलमेर क्षेत्र एक बहुत बड़ा भूभाग का क्षेत्र है। यदि वहां से किसी भी तरह की फोर्सेज हटाई जाती हैं तो वह बहुत बड़े दुःख की बात है।

हम चाहते हैं कि पूर्व में जब खुईयाल, सागड़, देवीकोट, बाहला कई जगह सी आई डी की चौकियां थीं, थाने भी थे, वहां व्यवस्थाओं की कमी तो हम भी जानते थे कि जैसलमेर में रहने वाला हर इंसान उस योजना में फायदा नहीं ले सकता है। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। हम जब भी फोर्स से मिलते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलते हैं तो यही आता है कि भाई जो पोस्टें हैं, वे खाली पड़ी हैं। हम व्यवस्था करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर सी आई डी विभाग के अन्दर एडिशनल एस पी एक बहुत बड़ा मुखिया का पद होता है जिसे पूरे जिले की गतिविधियों का पता होता है। वह पद दो साल से खाली पड़ा है। केवल इंस्पेक्टर के भरोसे से वह फोर्स चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर एक ऐसी जगह है जिसमें पश्चिम में बार्डर, जिसके दक्षिण में बार्डर और जिसके उत्तर में बार्डर, इस पूरे क्षेत्र को यदि कवर-अप किया जाए तो पूर्व में एस एस बी भी थी, इंटेलीजेंस की सी आई डी की पोस्टें भी थीं। उन पोस्टों को कम करना, यह जैसलमेर की सुरक्षा की दृष्टि से खराब काम हुआ है। हम चाहते हैं कि जो भी पूर्व की

(श्री छोटू सिंह भाटी)

पोस्टें हैं, उनको बढ़ाया जाय। साथ में, जो दो सौ पद रिक्त पड़े हैं पुलिस विभाग के, उनको भराया जाय। 6-6 पद सी आई पोस्टों के जैसलमेर जिले में आज भी कम हैं, केवल इंस्पेक्टर के भरोसे थाना चलता है। यदि ये आला अधिकारियों की पोस्टें रखी गई हैं और वे खाली रहती हैं तो यहां रहने वालों को न्याय नहीं मिल सकता है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो भी जैसलमेर में पोस्टें हैं, कृपया उन्हें भरा जाए ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। राहत ही नहीं, जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसके अन्दर पूरी फोर्सेज हैं। वहां आर्मी के कई बड़े-बड़े ट्रेनिंग सेंटर भी बन रहे हैं और भारत वर्ष की सुरक्षा के वहां सारे यंत्र हैं। यदि जैसलमेर में इंटेलीजेंस, सी आई डी जैसी पोस्टें वहां खाली रहती हैं तो जैसलमेर सुरक्षित नहीं है। कई बार पेपर्स में भी ऐसी घटनाएं आई, कई लोग आई एस आई के उधर से आये। इसलिए मेरा इस सदन में आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि जो भी पोस्टें हैं, जो भी चौकियां हैं, आपने जिनको कम किया है तो कृपया या तो उनको क्रमोन्नत करो, उनको बढ़ाया जाए, नहीं तो उन पोस्टों को एज-इट-इज रखा जाए। साथ में जैसलमेर जिले में जो एस एस बी की पूर्व में फोर्स थी, उस एस एस बी को आज की गतिविधियों को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए रखा जाए।

इसके साथ में कई बार पुलिस विभाग की भी यह असक्षमता आती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे को गाड़ी नहीं मिलती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसलमेर के क्षेत्र को देखते हुए वहां की सुविधा के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं सागर के अन्दर भी गया वहां पुलिस के लिए पीने का पानी नहीं, जाने के लिए गाड़ी नहीं, रहने के लिए, रोशनी के लिए बिजली नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो पुलिस को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे एक सीमावर्ती क्षेत्र के हिसाब से नहीं मिल रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सदन से यही निवेदन है कि एक फोर्स जो पूरे जिले की सुरक्षा करती है उसको सारी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि वहां की जनता को राहत मिले।

सभापति महोदय, एक और निवेदन है कि चोरियां की वारदातें इतनी हो गई हैं कि पूर्व में शहरों में जरूर होती थीं लेकिन अभी गांवों में भी चोरियां हो रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे वहां एक थाने से दूसरे थाने की दूरी 80-80 किलोमीटर है और पुलिस पहुंच नहीं पाती है। यदि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उस चोर को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने से

(श्री छोटू सिंह भाटी)

क्या घर के आदमी का सामान मिल जाएगा? नहीं मिलता है। चोर पकड़ा जाता है लेकिन आज तक पूरा सामान बरामद नहीं हुआ। मेरा एक निवेदन है कि कोई भी चोर पकड़ा जाता है, चाहे वह बिजली की चोरी करता हो, बिजली के पोल के वायर की चोरी करता हो या किसी का घर फाड़ता हो, तो उसका माल बरामद होना चाहिए। यह पुलिस की भी अमूमन असक्षमता रहती है कि माल नहीं मिलता है। हमारी पंच-पंचायती भी होती है। चोर चलकर चला जाता है कि जेल हो गई, जेल से ज्यादा कोई है नहीं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो भी चोर पकड़ा जाता है, उससे माल बरामद किया जाए। यदि माल उसके पास नहीं होता है तो उसकी प्रोपर्टी को बरामद किया जाए। उसी प्रकार से जो भी इस घटना से प्रताड़ित होता है, उसका माल बरामद करने के लिए फोर्स का पूरा इंतजाम होना चाहिए।

इन आशाओं के साथ, हम चाहते हैं कि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है और वहां नफरी बढ़ाई जाए, इन्हीं आशाओं के साथ, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संतोष सहारण।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 16 और 17 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय मांग संख्या 16 व 17 के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): सभापति महोदय, इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपका नाम लिया क्या।

माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मांग संख्या 16 व 17, पुलिस व कारागार पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं व मांग का समर्थन करता हूं।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2012-13 के बजट में पुलिस विभाग को और अधिक सक्षम व अपडेट करने का प्रावधान किया है तथा इसके लिए सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है; कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थानों में नफरी बढ़ाने की घोषणा की है; जिला मुख्यालयों पर महिला थाने खोलने की भी घोषणा की गई है; आतंकवादी एवं अन्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है, होम गार्ड के जवानों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। माननीय सभापतिजी, बजट को देखकर निश्चित तौर पर यह आभास होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं हमारी सरकार की प्रदेश में ला एण्ड आर्डर को बनाए रखने की मंशा बड़ी साफ है।

माननीय सभापतिजी, मैं हमारे जिले के पुलिस महकमे व उसके अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों एक कांस्टेबल अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अन्य प्रकार के आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठा। आरोपों की जांच के लिए इंटेलिजेंस के डी आई जी जयपुर से गंगानगर गए व जांच की औपचारिकता कर आ गए। कांस्टेबल को न्याय नहीं मिलने पर उसने जयपुर के थाने में डी आई जी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई और ऐसा सुनने में आया है कि उस थाने में ए एस आई स्तर का अधिकारी उसकी जांच कर रहा है। न्याय न मिलने के कारण वह कांस्टेबल आज भी विधान सभा के बाहर अनशन पर बैठा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कांस्टेबल का अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अनशन पर बैठना कोई मामूली बात नहीं है, आवश्यक जांच का विषय है। इस प्रकरण से जिले की पुलिस की छवि घूमिल हुई है। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि वहां की प्रेस ने इस पर खूब रोशनी डाली, मीडिया ने खूब प्रचारित किया। इसी सन्दर्भ में वातावरण को शांत करने के लिए कुछ धन्ना सेठ व कुछ विशेष लोग आगे आए व प्रचार-प्रसार कुछ कम हुआ। जिसकी एवज में एक बड़े व्यापारी ने जिसका दिल्ली की एक फर्म से व्यापारिक लेन-देन था, का मामला था, उसको सिविल नेचर का होते हुए क्रिमिनल नेचर का मुकदमा संख्या 22/2012 पुलिस थाना सदर में दर्ज किया गया। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि यह मुकदमा 21.01.2012 को दर्ज

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हुआ और उससे 15 दिन पहले पुलिस के कुछ कर्मचारी दिल्ली जाकर उस पार्टी को धमकाते हैं कि उस गंगानगर के व्यापारी का जैसा वह चाहता है वैसा हिसाब कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। साथ ही उन लोगों ने उनके गोदामों को और उनके अकाउंट्स को सीज कर दिया।

माननीय सभापतिजी, मैं इस मामले में लब्बोलबाब एक बात कहना चाहूंगा कि एस एच ओ, जो सी आई स्तर का है, उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह अपने स्तर पर जाकर यह कार्यवाही कर सके। इसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़े अधिकारी की, जो जिले का बड़ा अफसर है, उसकी मंशा के बिना, उसकी राय के बिना यह हो नहीं सकता। इसलिए यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है।

इसी प्रकार पुलिस थाना सादुलशहर में एफ आई आर नम्बर 318/11 के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक अनुसूचित जाति के आदमी को एक जमाने में जमीन एक परिवार के आधार पर अलाट हुई। समय बीतने के बाद में मौजूदा सरपंच व सरपंच के पति ने मिलकर परिवार से सम्बन्ध न रखने वाली एक औरत का नाम उस लिस्ट में डालकर उसको वारिस साबित किया और बाद में फोर्जरी करके, रिकार्ड गलत बनाकर उस जमीन को अपने नाम पर कराया, उसको हड़प लिया। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, एफ आई आर दर्ज हुई। सब- इंस्पेक्टर जो आईओ था उसने, उसके बाद तफ्तीश चेंज हुई और सी आई ने उसकी जांच की। उसके बाद फिर तफ्तीश चेंज हुई, सी ओ ने उसकी जांच की, उसमें एफ आर लगाई और रूटिन में एस पी ने उसके चालान के आदेश कर दिए। भाजपा के नेताओं को मालूम पड़ा तो उन्होंने एस पी पर दबाव बनाया तो फाइल वापस एस पी ने अपने आफिस में मंगवा ली। दूसरे डीवाई एस पी को दुबारा तफ्तीश दी, उस आई ओ उसमें एफ आर लगा दी और एस पी ने उसमें एफआर के आदेश दे दिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में हमेशा से जातीय सद्‌भावना का वातावरण रहा है, कभी भी जात-पात का भेदभाव नहीं रहा, सब लोगों का भाई-चारे के साथ रहने का व्यवहार है। हमारे एस पी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इन्सान हैं, खूब भजन-भाव करते हैं, जहां भी निशान सा देखते हैं तो थाने में नहीं जाकर के पहले वहां पहुंचते हैं। हमारे वहां भाजपा के लोग एस पी को जिस कार्य में भी चाहते हैं, दबाव में ले लेते हैं, वे लोग एस पी के स्वजातीय लोग हैं। यह भी विस्तृत जांच का विषय है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मैं उन भाजपा नेताओं की कार्य प्रणाली की चर्चा करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों उनका यह रवैया रहता है, पुलिस पर दबाव बनाकर मुलजिमों को वहां से छुड़ाया जाय, थानों से छुड़ाया जाय। इसका एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, हमारे सादुलशहर थाने के अन्दर एक खाससिलवार गांव है, वहां के सरपंच ने एक महिला से बलात्कार किया, रात को लोगों ने उसको मौके पर पकड़ा, पुलिस को बुलाया रात को 10-11 बजे और प्रेस को बुलाया। लोगों ने मौके पर पकड़ा, उसको थाने पर लाये। उसके बाद में भाजपा के नेताओं को मालूम पड़ा तो वे लोग पूरे परिवार को लेकर, लोगों को लेकर थाने में आये रात को 11-12 बजे और रात को 2.30 बजे तक दबाव देते रहे कि इसको गिरफ्तार मत करो, इसको कैसे पकड़कर ले आये आप। सुबह उन्होंने फिर थाने में आकर दबाव दिया। उच्चाधिकारियों के फोन आये कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाय जब तक इसका मेडिकल मुआयना नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल मुआयने से पहले उस मुलजिम को थाने पर नहलाया गया और नहलाने के बाद उसको कपड़े पहनाये गये और फिर मेडिकल मुआयना कराया गया। मैं चाहता हूं इसकी विस्तृत जांच करायी जाय। उसके बाद में जब धारा 164 के बयान उस औरत के कराने थे तब भी भाजपा के लोगों ने इतना दबाव बनाया कि उसके बयान भी वे नहीं करा पाये। लेकिन कैसे भी उसके बयान हो गये। मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से पुलिस की छवि खराब करने वाले जो अधिकारी और नेता लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जाय, उन पर कार्यवाही की जाय और इसकी विस्तृत जांच की जाय।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में बार्डर एरिया पार करके पाकिस्तान बार्डर से हिन्दुमल कोट साइड से हमारे हिन्दुस्तान में पिछले दिनों में दो-तीन बार नशे, कोकीनों की इस प्रकार की खेपें आयीं। हमारे जिले में पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी कि पाकिस्तान से इस तरह की चीजें आयीं। ये आयीं और कभी पकड़ी नहीं गयीं। यह छोटे अधिकारी का काम नहीं हो सकता, इसमें किसी बड़े उच्च स्तर के लोगों का हस्तक्षेप है, नशीले पदार्थों की आप जांच कराएं और मालूम करें।

सभापति महोदय, नशे के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, शुरू-शुरू में, हमारे सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में सादुलशहर कस्बा है, नशे का बहुत बड़ा अड्डा था। जब हमने चुनाव लड़ा, तब हमने यह वादा किया था कि इसको नशामुक्त करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी सरकार,

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे पुलिस प्रशासन के जो हायर लेवल के आफिसर हैं, उनके हस्तक्षेप से हमारे सादुलशहर के अन्दर जो स्मैक का नशा था उससे बहुत हद तक हमें छुटकारा मिला है। लेकिन अब जो नयी चीज सामने आयी है, पाकिस्तान से बार्डर पार करके जो हेरोइन यहां आती है, उस पर कोई अंकुश लगे। मैं यह कामना करता हूं कि पूरे जिले के अन्दर इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन कराए।

मैं एक बात पुलिस के साथ आमजन का सामंजस्य और विश्वास पर भी करना चाहूंगा। एक अख़बार गंगानगर से छपता है उसमें गंगानगर की पुलिस के बारे में उसमें कुछ हैडलाइंस लिखी हैं। ''पुलिस सरपरस्ती में अपराध नगरी बना गंगानगर''। इसके अन्दर बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ''जरायमपेशा लोग पुलिस के लिए नोट छापने की मशीन बने'', ''कई होटल, ढाबे, शराब व मौजमस्ती की सैरगाह बने'', ''कानून भंजकों की हाजरी बजाती है पुलिस'' ''अफीम, पोश्त की खुली आमद'', ''बेखौफ जरायमपेशा लोगों को पुलिस की शह''। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की पुलिस की जो कार्यवाहियां हैं जो आम हमारी सरकार की नीति है उसको तहस-नहस, नेस्तनाबूद करने की जो कार्यवाहियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, चाहे वे नेता हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इसमें सब प्रकार की आप कार्यवाही करें।

आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द भंसाली।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, 16 और 17, गृह विभाग की मांग पर जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया, बहुत -बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, भरतपुर जिले के अन्दर जब से वर्तमान एस पी साहब लगे हुए हैं उससे भरतपुर के अन्दर काफी सुधार हुआ है। भरतपुर के अन्दर जो एस पी हैं, वे ईमानदारी और अपनी मेहनत व लगन से काम करते

(श्री बहादुर सिंह)

हैं। स्वयं मोटरसाइकिल पर सिविल ड्रेस में रात को खुद गश्त देते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, वहां पर जो नीचे के स्तर के अधिकारी हैं, चाहे एस एच ओ हैं, चाहे सी आई हैं, चाहे डी एस पी हैं, वे एस पी साहब की मदद नहीं करते हैं। जब सरकार ने 6-7 महीने पहले, अख़बार में भी आया था, 5 साल जिस सी आई या एस एच ओ ने नौकरी की है वह पांच साल बाद उस जिले में नहीं रहेगा। लेकिन सी आई, एस एच ओ को 8-8 साल, 10-10 साल एक जिले के अन्दर हो गये और उन सी आई, एस एच ओ को एक-एक थाने में 4-4 साल, 3-3 साल हो गये। वहां पर जो क्राइम होता है, जो चोरियां होती हैं, उन थानेदारों का, उन सी आई का उनसे लिंक रहता है, वे सब जानते हैं। सभापति महोदय, सी आई व एस एच ओ हैं, उनको भरतपुर जिले के अन्दर या राजस्थान में 4 साल, 5 साल हो गये, उनको जिले से बाहर कर देना चाहिए, दूसरे जिले में बदलाव करना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, कस्बे या शहर के अन्दर आपकी सरकार ने टार्गेट बना दिया है कि आपको इतने चालान मोटरसाइकिल के देने हैं। शहर या कस्बे के अन्दर वह किसी अस्पताल में जा रहा है, कोई बीमार है, कोई पर्सनल काम से जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं हो तो चालान कर दिया जाता है, नम्बर नहीं होते तो चालान कर दिया जाता है। उनके पास कागज भी होते हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाती है। सभापति महोदय, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, वे हाइवे पर होते हैं और वहां पर कोई भी पुलिस वाला उन हाइवेज पर किसी मोटरसाइकिल को या किसी वाहन को चैक नहीं करते। हेलमेट लगाना हाइवे पर जरूरी है, कस्बे और जिलों में जरूरी नहीं है, शहरों में नहीं है। वहां तो शहर और कस्बों के अन्दर मोटरसाइकिल के नीचे कुत्ता आ जाएगा या सुअर आ जाएगा तो गिर जाएगा। सभापति महोदय, यह मेरा सुझाव है कि वहां शहर और कस्बों के अन्दर जो टार्गेट दे रखा है उस टार्गेट को खतम करें और लोगों को जो परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करें।

सभापति महोदय, अभी सुंदर काकाजी ने भी उठाया था, भरतपुर जिले के अन्दर सबसे ज्यादा चोरी भैंसों की होती है या बिजली के ट्रांसफार्मर्स की होती है। अभी फसल का सीजन गया, इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम तीन हजार ट्रांसफार्मर चोरी गये। एक सरसेड़ा गांव में गुर्जर था उसके ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए चोर गये। दो ट्रांसफार्मर्स को पहले खोलकर गाड़ी में ले आये थे, तीसरे ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए गये तो उसने चोरों

(श्री बहादुर सिंह)

का मुकाबला किया और चोरों का मुकाबला किया, वे चार-पांच थे और वह अकेला था। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां पर कम से कम 20-25 गांवों के लोग इकट्ठे हुए। हाइवे पास ही था, गांव हाइवे के किनारे पर ही था, वहां पर जो किसान थे, उसकी डैड बाडी किनारे पर रखी हुई थी।

(20.00 बजे)

वहां काफी, 10,000 लोग इकट्ठे हो गये थे। सभापति महोदय, वहां पर लोगों पर, किसानों पर मुकदमे लगाये गये चक्का जाम के। सभापति महोदय, वे मुकदमे वापस लिये जायें। लेकिन उन चोरों को आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका।

ऐसी कई घटनाएं हैं, सभापति महोदय, वहां सरसेना के पास देवनारायणजी का मंदिर है, दिन के 12 बजे एक आदमी बैंक से पैसे लेकर जा रहा था, 90,000 रुपये थे, दिन-दहाड़े, 12 बजे दो बदमाशों ने उससे पैसे छीन लिये और मोटरसाइकिल पर भग गये। उसके चार दिन बाद ही, सभापति महोदय, हलैना बैंक से पैसे निकालकर झालोटी जा रहा था और हाइवे पर उन बदमाशों ने उससे भी 1.20 लाख रुपये लूट लिये। इस प्रकार से, सभापति महोदय, आये दिन घटनाएं होती हैं। जब तक थानों पर जो सी.आई. और एस.एच.ओ. लगे हुए हैं, जिनको चार-चार साल, पांच-पांच साल हो गये हैं, उनको अगर नहीं बदलेंगे, तब तक ये चोरी और डकैती नहीं रुकेंगी।

भैंसों की चोरी होती है, सभापति महोदय, वहां के थानेदार और एस.एच.ओ. यह कह देते हैं कि आप खूंटेला से बात करो, खूंटेला से बात करो। वहां खूंटेला के पास जाते हैं तो वह 50,000 रुपये की भैंस के 25,000 और 30,000 रुपये मांगता है और पुलिस तैयार नहीं होती है वहां पर उस खूंटेला को पकड़ने के लिए। वहां के हर एस.एच.ओ. को, हर सी.आई. को मालूम है कि कौन खूंटेला है और कौन से गांव में खूंटेले रहते हैं। कम से कम डेली 100 भैंस चोरी होती हैं भरतपुर जिले के अन्दर। जब तक पुलिस व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक ये चोरियां नहीं रुकेंगी। एस.पी. साहब काफी मेहनत करते हैं मगर वहां के सी.ओ. और एस.एच.ओ. मदद नहीं करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, और बोलने दो मुझे। सभापति महोदय, मेरे वैर

(श्री बहादुर सिंह)

विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खेडली मोड़ हाइवे पर एक पुलिस चौकी है और वह पुलिस चौकी काफी दिन से चल रही है। वह एक तम्बू में चलती है। उस पुलिस चौकी के लिए एक भवन बनाया जाये, उसके लिए बजट से पैसा दिया जाये। सभापति महोदय...

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ...भुसावर के अन्दर सी.ओ. पोस्ट बहुत पुरानी है, 30 साल से सी.ओ. की पोस्ट है मगर सी.ओ. के लिए एक सरकारी क्वार्टर नहीं है। वह निजी मकान में रहता है। निजी मकान में रहने पर उस सी.ओ. पर, बेचारे पर दबाव भी आता है, तो उस दबाव में गलत काम भी करना पड़ता है सभापति महोदय,...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ...वल्लभगढ़ भुसावर से 30 किलोमीटर दूर है। वल्लभगढ़ के अन्दर एक पुलिस चौकी बनाई जाये, यह मेरी मांग है।

श्री सभापतिः चर्चा समाप्त। कृपया बैठिये, विराजिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): नहीं, सभापति महोदय, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र में झील का बाड़ा कैला देवी का मंदिर है और वहां पर पुलिस चौकी है। वहां पर एक ए.एस.आई. 10 साल से लगातार रहता है। सभापति महोदय, उसका ट्रांसफर भी हो जाता है। 10 दिन में, 15 दिन में जुगाड़ और तिगाड़ लगाकर फिर वहीं पहुंच जाता है।

श्री सभापतिः चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। कृपया विराजिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, वहां पर लक्खी मेला लगता है। उस कैला देवी पर लक्खी मेला लगता है। उसमें वह ए.एस.आई. जेबकतरों से सौदा कर लेता है, चोरों से सौदा कर लेता है सभापति महोदय।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): उस ए.एस.आई. को बदला जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्य मंत्री एवं श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

(श्री सभापति)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद का उत्तर काबिना मंत्री द्वारा दिया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैंने आज दोपहर में यह प्रश्न उठाया था कि हमें माननीय श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल जवाब दें और माननीय श्री रामकिशोरजी सैनी जवाब दें, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। इस सदन में एक ऐसी व्यवस्था है, "Ministers includes ministers, state ministers and deputy ministers." लेकिन पिछली बार जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, मैं एक बात का जवाब दे रहा था तो सी.पी. जोशी साहब ने एक प्रश्न उठाया था। उस समय बेनीवाल साहब भी यहां विराज रहे थे, कि राज्य मंत्री डिमांड पर जवाब नहीं देगा। फिर उसका जवाब मुझे ही देना पड़ा था। यह माननीय अध्यक्ष सुमित्रा सिंहजी का फैसला था।

हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वह दें, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष महोदय को यह फैसला बदलना पड़ेगा। बदलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आसन से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अध्यक्ष महोदय की जो व्यवस्था है, वह आज कायम है और आपसे आग्रह है कि उस व्यवस्था के बारे में आप क्या निर्णय देते हैं, यह हमको बता दें।

श्री सभापति: मैं, माननीय सदस्य, आपका ध्यान द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान की तरफ ले जाना चाहूंगा। उस समय "श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।" आप यहां पर उपस्थित थे और उस समय इस बात का समर्थन आपका था। जहां तक आपकी अध्यक्ष महोदय की बात है, अध्यक्षजी से बात करके और उन्हीं की अनुमति से ही आज वाद-विवाद का जवाब देंगे। यह व्यवस्था एब्सोल्यूट है, जो दे दी गई है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवालजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, पुलिस विभाग की अनुदान मांग संख्या-16 पर चर्चा के दौरान 20 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, 43 सदस्यों ने 181 अलग-अलग कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिनके जवाब माननीय सदस्यों को भिजवाये जा रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को सरकार की गत वर्षों की उपलब्धियों के विवरण से अवगत कराना चाहूंगा।

विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा पुलिस विभाग में कई नवाचार कार्यक्रम एवं अनेक गतिविधियां प्रारम्भ की गईं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दूरसंचार एवं आवागमन के साधनों के विस्तार तथा तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है और आर्थिक सम्पन्नता के साथ-साथ लोगों की जीवन शैली में भी कई बदलाव आये हैं। आर्थिक सुधारों एवं विकास की इस गति के कारण पुलिस के सामने भी विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न हुईं, जिसके कारण पुलिस विभाग के कार्य क्षेत्र और गतिविधियों में विस्तार हुआ। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस विभाग की गतिविधियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बेनीवालजी, आपसे यह उम्मीद नहीं करते कि आप यह लिखा हुआ पढ़ो, क्योंकि इतने सालों का अनुभव है आपका। कम से कम मजा आ रहा हो उसमें। आप मदद लो, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन आप रीडिंग करो, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं। जो आप फरमा रहे हैं, मैं इसकी जो प्रस्तावना है, वह मैं निवेदन कर रहा हूं। जैसा आपने आपकी तरफ से इस बात को बार-बार रखा कि पुलिस प्रशासन लचर है और पुलिस प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है या पुलिस आधुनिकीकरण के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसकी मैं प्रस्तावना आपको पेश कर रहा हूं।

वर्तमान समय में इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, विभिन्न मांगों की पूर्ति करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जो प्रावधान किये गये, वर्ष

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

2007-2008 में जहां पुलिस विभाग का बजट 1,063 करोड़ रुपये था, उसे वर्ष 2011-2012 में 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाकर 2,230.20 करोड़ रुपया कर दिया गया था। यह मैं आंकड़े तो रख सकता हूं, माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जी। पुलिस विभाग में विभिन्न संसाधनों की आवश्यकताओं को सुगमता से पूर्ण करने तथा विभाग को आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय स्वायत्तता देने के उद्देश्य से पुलिस विकास कोष की स्थापना करने की सिद्धान्ततः सहमति वित्त विभाग द्वारा दे दी गई है, जिसकी स्थापना शीघ्र की जायेगी।

पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराये जाने वाले वेतन-भत्तों एवं अन्य संसाधनों के फलस्वरूप प्रति पुलिसकर्मी खर्च जो वर्ष 2007-2008 में 1.45 लाख रुपये प्रति वर्ष था, वह 2011-2012 में बढ़कर 2.74 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गया है। इस प्रकार पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2010-11 में प्रथम बार अनुसंधान फंड का सृजन किया गया है एवं इसके तहत गत दो वर्षों में 1.4 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से भर्ती करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है तथा पहली बार साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त किया गया है जिसके सार्थक परिणाम दृष्टिगत हुए हैं। वर्ष 2011-12 में लगभग आठ हजार कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। आगामी दो वर्षों में 22 हजार कांस्टेबलों की और भर्ती की जायेगी, जिनमें से तीन हजार पुलिस कर्मी यातायात पुलिस के, एक हजार पुलिस कर्मी जेल सुरक्षा हेतु और एक हजार पुलिस कर्मी खनिज सुरक्षा दल एवं एक हजार पुलिस कर्मी राज्य आपदा प्रबंधन बल हेतु लिये जायेंगे। इसमें भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता के दौरान दौड़ के अंकों का समयावधि के आधार पर विभाजन किया गया है। इससे दौड़ में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप अंक प्रदान करने के अवसर मिलेंगे। इस भर्ती से पुलिस की नफरी में बढ़ोतरी होगी और कानून-व्यवस्था एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।

इसी के साथ-साथ बारां जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले सहरिया जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(20.11)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रखते हुए भी इसमें कांस्टेबल भर्ती हेतु नियम मापदण्डों में संशोधन किया जा रहा है।

महिलाओं को पुलिस सेवा में भर्ती में प्रोत्साहन हेतु स्थानांतरण नीति में परिवर्तन कर स्थानांतरण के लिए योग्यता अवधि सात से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है।

पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाये जाने के उद्देश्य से पदोन्नति में कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर तक साक्षात्कार की अनिवार्यता को हटाया जा रहा है तथा परीक्षा पद्धति में बदलाव कर कम्प्यूटर एवं ओ एम आर शीट के माध्यम से परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित है। आउटडोर टैस्ट का भी सरलीकरण किया जा रहा है। (व्यवधान) मान लिया जाय।

पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर राज्य पुलिसकर्मियों हेतु विशेष पैकेज बनाया गया है जिसके आधार पर मृतक के आश्रित को राजकीय सेवा में नौकरी, बीस लाख रुपये तक के अनुग्रह अनुदान की आर्थिक मदद, मृतक की पत्नी को अंतिम वेतन के अनुरूप सेवानिवृत्ति के आधार पर पेंशन एवं उसके पश्चात् सामान्य पारिवारिक पेंशन, स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के लिए 1,800 रुपये प्रति वर्ष एवं कालेज में....

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसकी कापी दिलवा दीजिये, बढ़िया रहेगा। आंकड़े नहीं देते हैं, ये पूरी किताब पढ़ रहे हैं। हमें एक-एक किताब, कापी दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह जब किताब छपेगी, तब अपने आप मिलेगी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आंकड़े पढ़ने की छूट है, जवाब देने की छूट नहीं है इनको।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आप सुनिये। डिस्टर्ब क्यों करते हैं इनको?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): केवल आंकड़े नहीं पढ़ रहे, पूरी किताब पढ़ कर बता रहे हैं ये तो। यह नियमों के विरुद्ध है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): कालेज जाने वाले बच्चों के लिए 3,600 रुपये प्रति वर्ष की स्कालरशिप, मध्यम आय श्रेणी का आवासन मण्डल का मकान, राजस्थान रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में पत्नी एवं आश्रितों को मुफ्त यात्रा पास, कृषि हेतु बिजली का मुफ्त कनेक्शन। राज्य सरकार द्वारा पीडित मुआवजा निधि की स्थापना भी की गई है जिसमें पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को यदि किसी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संस्था के माध्यम से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे पीड़ित पक्षकारों को इस योजना से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

शहरी एवं ग्रामीण थानों में नफरी, जो बार-बार विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाया जा रहा है और रिक्त पदों की बात की जा रही है, यह प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के चलते शहरी थानों में जो नफरी है, वह 60 की संख्या तक और ग्रामीण थानों में 45 तक की तय की गई है, इसके प्रावधान किये गये हैं जिसको आने वाले समय में इसके अनुरूप क्रियान्वित कर दिया जायेगा। (व्यवधान) राज्य में। इसी के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण में एक थाने का गठन किया गया है जिसके आधार पर त्वरित न्याय और भू-माफियाओं पर नियंत्रण पाये जाने के क्रम में इस थाने के द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का भी गठन किया गया है।

राज्य के सभी जिलों में महिला थाने एवं एस सी, एस टी सैल का गठन किया गया है जिसके तहत सम्पूर्ण राज्य में नये थाने खोले जाने से, 11 महिला थाने जिसकी अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण की प्रस्तुति के समय घोषणा की गई है, इसके तहत शत-प्रतिशत जिलों में महिला थाने और एस सी, एस टी सेल स्थापित हो जायेंगे। यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सौ करोड़ रुपये विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं के सुधार, विस्तार एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाने हेतु खर्च किये जायेंगे। भारत सरकार से गत तीन वर्षों में पुलिस आधुनिकीकरण योजना में अलग से 131.37 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस थानों, उप अधीक्षक कार्यालयों एवं नवीन पुलिस प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान और किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

राज्य में नये मानव-तस्की-विरोधी थाने खोले गये हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किये जाने के साथ राज्य में जयपुर एवं जोधपुर कमिश्नरेट की स्थापना की गई है और कमिश्नरेट के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में दो वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं। सभी रेंज मुख्यालयों, कमिश्नरेट मुख्यालयों एवं राज्य विशेष शाखा पर बम खोजी एवं निस्तारण दस्तों का भी गठन किया जायेगा।

पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन का गठन किया गया है जिसके माध्यम से पुलिस विभाग में सभी आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा। (व्यवधान) वह भी आयेगी, कहीं न कहीं से कोई समाधान आयेगा।

पुलिस एवं सुरक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय जिसके लिए हमारे माननीय सदस्य चिंतित हुए कि यह क्या होगा, इसके भी शिक्षण एवं शोध हेतु सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक तौर पर 20 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जाकर इसकी घोषणा की गई है। नव नियुक्त अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण के आधार पर घोषित बेस्ट आल-राउंडर प्रोबेशनर को एक गोल्ड मेडल और दस हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा। ऐसी भी व्यवस्था लागू की गई है। सीयूजी मोबाइल फोन प्लान, यह इसका मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के फील्ड में तैनात पैंतीस हजार, कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षकगण तक के कार्मिकों को राज्य कार्य प्रयोजनार्थ मोबाइल उपयोग पर प्रति मोबाइल सिम हेतु 550 रुपये प्रति वर्ष भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है जो भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इसके अन्तर्गत टाक टाइम फ्री है एवं छह सौ एस एम एस और पांच सौ रुपये तक का अन्य नेटवर्क पर टाक टाइम भी फ्री है। इस व्यवस्था में बीट कांस्टेबल का मोबाइल नम्बर स्थायी रहेगा। कांस्टेबल से निरीक्षक तक सीयूजी मोबाइल योजना लागू करने में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि राजस्थान देश में प्रथम राज्य है। (व्यवधान) बी एस एन एल। नवीन पुलिस मुख्यालय के लालकोठी क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु 7,093 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

है। निर्माणाधीन पुलिस मुख्यालय भवन में दो अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है जिस हेतु लगभग 22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जायेगा।

पुलिस कार्य योजना के अन्तर्गत अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को चिह्नित एवं वर्गीकृत कर उनका डाटा बेस तैयार करके उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु यह योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत गैर कानूनी कार्यों में लिप्त अपराधियों को 19 प्रकार के तत्वों जैसे शराब माफिया, अवैध खनन माफिया, भू-माफिया, रिकवरी माफिया, इत्यादि में वर्गीकृत कर इस अभियान के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 78 हजार 466 अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इस अभियान के दौरान स्थाई वारंटी, भगोड़े घोषित अपराधी व गिरफ्तारी वारंटों में कार्यवाही करते हुए 86 हजार 955 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिससे राज्य में आमजन को राहत मिली एवं अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। इससे राज्य में फरार अपराधियों की संख्या में 16 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। साथ ही राज्य में लम्बित अभियोगों की संख्या का प्रतिशत भी 5.59 प्रतिशत कम हुआ है। (व्यवधान) आपको वैसे तो पता तो लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके विचार हैं।

वर्ष 2006 से 2008 के दौरान पुलिस हिरासत से फ़रारी की 365 घटनाएं हुई हैं जिसकी तुलना में वर्ष 2009 से 2011 में 329 घटनाएं हुईं। इस प्रकार लगभग 9.86 प्रतिशत की इसमें कम रही, जो आपने तुलनात्मक रूप से बात पेश की थी कि अपराधों का ग्राफ़ बढ़ा है। वर्ग विशेष के लिए जातिगत शत्रुता पैदा करने की घटनाओं में 2006 से 2008 में जहां 39 प्रकरण दर्ज हुए, वहीं वर्ष 2009 से 2011 में 25 घटनाएं घटित हुईं। इसमें में भी लगभग 35.90 प्रतिशत की कमी हुई है। विविध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वर्ष 2009 से 2011 के दौरान स्थानीय विशेष अधिनियम के अन्तर्गत 1 लाख 52 हजार 572 कार्यवाहियां की गयीं, जबकि वर्ष 2006 से 2008 के तीन वर्षों में 1 लाख 13 हजार 932 कार्यवाहियां की गईं। इस प्रकार 12 हजार 880 कार्यवाहियों का इजाफा होकर 33.91 प्रतिशत कार्यवाही में वृद्धि हुई जो अपराध नियंत्रण हेतु एक बड़ा कदम है।

इसके साथ-साथ राज्य में मल्टीलेवल फाइनेंस कम्पनियों के विरुद्ध

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

वर्ष 2011 में 270 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें लगभग 426 करोड़ 66 लाख 55 हजार की राशि की ठगी अनुमानित है। इन कम्पनियों से 46 लाख 12 हजार रुपए नकद एवं 18 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया गया। इन प्रकरणों में 188 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई एवं 270 प्रकरणों में से 45 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किए गए हैं। इसमें इन्टरपोल की मदद से चार अभियुक्त विदेश में वियतनाम से हैं एवं तीन अभियुक्तों को दिल्ली एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार किया जाना शामिल है।

इसके साथ-साथ ए टी एस ने जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मुक़दमों का अनुसंधान करते हुए इन मुकदमों में पूर्व में गिरफ्तार तीन अभियुक्तगण के पश्चात अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। ए टी एस द्वारा दरगाह अजमेर बम विस्फोट में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता, चन्द्रशेखर पाटीदार तथा लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय अजमेर में चालान पेश किया गया है।

आर ई सी एल धौलपुर से करोड़ों रुपयों का विस्फोटक अवैध रूप से खरीदा जाकर 107 ट्रकों के माध्यम से अन्यत्र ले जाकर माह अप्रैल, 2010 में गायब कर दिया गया था। यह प्रकरण भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा। अपराध शाखा द्वारा मामले में त्वरित एवं सावधानी से तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया गया और अन्तरराज्यीय अपराध के प्रमुख अपराधी शिवचरण हेड़ा सहित समस्त मुलजिमान गिरफ्तार किए गए।

थाना सूरजगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बलोदा में बैंक लूट पर लुटेरों में से एक लुटेरे को मार गिराने व अन्य को पकड़ कर लूटी गई रकम बरामद करने में कांस्टेबल चन्द्रभान अदम्य साहस व कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके आश्रित को राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिया गया है।

जिला जयपुर शहर (दक्षिण) थाना वैशाली नगर पुलिस ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, चित्रकूट शाखा में कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग कर बैंक लूटने की सूचना पर दौराने नाकाबंदी कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्टल, रिवाल्वर इत्यादि हथियार भी बरामद किए गए।

राज्य में वर्ष 2006 से 2008 की तुलना में वर्ष 2009 से 2011 तक भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज अपराधों में हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, नकबजनी इत्यादि में उल्लेखनीय कमी हुई है। इसके तहत हत्या के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रयास में 6.24 प्रतिशत, डकैती में 31.40 प्रतिशत, नकबजनी में 3.12 प्रतिशत और बलवा में 39.74 प्रतिशत की कमी हुई है।

मैं इसके साथ-साथ जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एफ एस एल के आधुनिकीकरण और इसकी व्यय राशि के ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया था और आपने यह फरमाया था कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों के तहत जो राशि खर्च की जानी थी वह नहीं की गई और वर्षवार आपने इसमें अपना विवरण प्रस्तुत किया था, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह बजट जो आपने वर्ष 2007-08 से लेकर 2011-12 तक का आपने फरमाया था और इसमें इंगित किया था कि यह बजट खर्च नहीं होने का कौन जिम्मेदार है, मैं आपके ध्यान में एक बात तो यह लाना चाहता हूं कि यह बजट कैरी फारवर्ड होता रहा। इसलिए इस बजट को हम यह नहीं मान सकते कि प्रावधान के अनुरूप जो खर्च को हम बदला रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने तो आपकी किताब को ही कोट किया है, अपनी तरफ से तो नहीं किया है

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जो आपने कोट किया, वह कैरी फारवर्ड हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कैरी फारवर्ड हो रहा है, तो हम लोगों ने गलती की थी, कैरी फारवर्ड नहीं करके काम में ले लिया। दूसरी गलती हो गई, हमने कैरी फारवर्ड नहीं किया और काम में ले लिया। आपने कैरी फारवर्ड करके बुद्धिमता का परिचय दे दिया, यही मानें न?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं इसी में आगे आते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बजट कैरी फारवर्ड हुआ। लैप्स होने या नहीं होने के विषय पर मैं आ रहा हूं। इसमें जो विविध उपकरण क्रय किए जाने थे, टेंडर प्रक्रिया के साथ में कार्य किए जाने के साथ-साथ 64 लाख और 69 लाख रुपए की राशि का समर्पण इसमें इस आधार पर किया गया, क्योंकि जो उपकरण क्रय किए जाने थे, उन उपकरणों को क्रय करने के क्रम में वह आब्सीलीट टेक्निक हो जाने के कारण उस राशि को समर्पित किया गया। बाकी राशि का इसमें उपयोग किया गया है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जहां तक आपने विषय फरमाया रिक्त पदों का, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है, इसके क्रम में जो नए पदों का सृजन किया गया है, इन पदों के भरे जाने के साथ में ये रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है और शीघ्र ही इसके अनुरूप जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था राज्य में आने वाले समय में कायम होगी।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके द्वारा जो यह विषय उठाया गया था कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में भी राज्य की पुलिस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, तो पूर्व के आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो यह जाना जाएगा और यह पाया जाएगा कि पुलिस का कार्य पहले से बेहतर रहा है।

एक आपने विषय और उठाया था, जिस विषय के तहत आपने अभियोजन के डायरेक्टर की बात फरमायी थी। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में भारत सरकार ने संशोधन किया था कि वकील को भी हाई कोर्ट की सहमति से डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। इस बाबत 2006 से अब तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। राज्य सरकार ने धारा 25ए में संशोधन प्रस्तावित किया और उस धारा को राजस्थान में लागू नहीं किया जावे, यह समवर्ती सूची का विषय होने से संशोधन के प्रारूप को अप्रूवल हेतु भारत सरकार को भिजवाया हुआ है जो कि वहां लम्बित है। वर्तमान समय में डायरेक्टर का प्रभार एस एस (होम) के पास है जो कि जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चार साल से लम्बित है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जी। आपने एक विषय और उठाया था और आपने इस बात को फरमाया था कि आपराधिक दृष्टि से जयपुर का स्थान जो आपके कार्यकाल में देश में तीसरे नम्बर पर था, वह अब तीसरे से चौथे नम्बर पर आ गया है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि वर्ष 2006 से वर्ष 2009 तक की देश भर की क्राइम इंडिया पुस्तिका में जयपुर का स्थान तीसरे नम्बर पर रहा है। बेहतर पुलिसिंग के आधार पर वर्ष 2010 में इसका स्थान चौथे नम्बर पर आ गया है।

ए सी डी के प्रकरण की भी आपने एक बात फरमायी थी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूर्व के वर्षों की तुलना में यदि हम 5 अप्रैल,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

2012 तक की स्थिति को देखें तो वर्तमान में जो सज़ा का प्रतिशत है, वह 32.43 आता है।

मैं इसके साथ-साथ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने जो कांस्टेबल भर्ती में जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध थे, एक विषय आपने उठाया था, जिन्हें न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी नहीं किया गया तथा ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने तथ्यों को छिपाया था, उन 186 उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई है। उक्त उम्मीदवारों को पुलिस विभाग के परिपत्र अप्रैल 29, 1995 जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 782/2004 में विधिसम्मत माना है, के अनुसार नियुक्ति से वंचित किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बेनीवाल साहब, यह तो कोई अपील में गया था। सरकार ने कार्यवाही की थी, वह अपील में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात वेलिड मान ली। वह बात ठीक है। लेकिन माननीय गुलाबजी का यह कहना था कि सामान्य अपराधों में 323 में, 324 में जो लड़के सलेक्शन होने के बाद रह गये हैं, उसके बारे में आप अपनी नीति बदलने को तैयार हैं कि नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं आड़े नहीं आता है। बस यह बात है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उसमें सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्षों के लिए उसमें सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल यह सरलीकरण नहीं है, हमारे अधिकारियों का ईगो है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आपका और मेरा बच्चा भी किसी मोटरसाइकिल से टकरा गया और 323 का केस बन गया, तो जिन्दगी भर तक वह सर्विस के अयोग्य हो गया। इसका रास्ता निकालना तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है न। कैसे निकलेगा, इस पर अब सोचना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): एक विषय आपने प्रमोशन पर भी उठाया था, माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी साहब ने जिसमें उन्होंने एक आयु के बन्धन की बात रखी थी। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आर पी एस से आई पी एस में पदोन्नति हेतु जो उम्र के मापदंड हैं, जब सेवानिवृत्ति की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आयु 55 वर्ष थी तब योग्यता उम्र इसकी 52 वर्ष मानी गयी थी, जब सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी तब इसको 54 वर्ष माना गया और 60 वर्ष की आज चूंकि सेवानिवृत्ति आयु है तो इसको 54 वर्ष माना गया है। जहां तक इसमें संशोधन की बात फरमायी, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका निर्धारण केन्द्र सरकार करती है तथा उक्त नियम राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति हेतु लागू हैं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने में सक्षम नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप अगर माफ करें मुझे। कुछ राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु 55 साल आज भी है, कुछ राज्यों में 58 है, कुछ राज्यों में 60 है। हमें अपना केस बना करके देना चाहिए कि हमारे यहां रिटायरमेंट की आयु 60 है, इसलिए 54 साल पर उनको प्रमोशन से रोकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। माने, न माने, यह अलग बात है लेकिन हमें अपना केस बना करके देना चाहिए कि आखिर 6 साल वह हमारे यहां रहेगा और एडिशनल एस.पी. रह करके रिटायर होगा। तो उसकी उस समय जो मानसिक स्थिति होती है, वह उसके लिए ठीक नहीं है। दो साल का अगर उसको अवसर मिलता है, हम अपना केस बना करके तो भेजें, हमारा स्वीकार होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): एक विषय आपने और उठाया था। सी बी आई के प्रकरण के बारे में भी आपने एक विषय उठाया था और आपने जानकारी चाही थी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1990 से 2012 तक राजस्थान राज्य में 56 प्रकरण स्थानीय पुलिस से सी बी आई को स्थानांतरित हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट से 24 प्रकरण व राज्य सरकार के आदेश से 32 प्रकरण, जिनमें गोपालगढ़ से सम्बन्धत प्रकरण की एक घटना से सम्बन्धत 23 प्रकरण भी सम्मिलित हैं, सी बी आई को दिये गये। उक्त 56 प्रकरणों में से सी बी आई द्वारा 12 में चालान और 9 में एफ.आर. दी गई तथा 35 प्रकरण पेंडिंग अनुसंधान हैं। सी बी आई द्वारा चालान किये गये 12 प्रकरणों में ट्रायल के बाद 3 में सज़ा हुई, 1 में बरी व आठ प्रकरण अभी पेंडिंग ट्रायल, अभी कोर्ट में चल रहे हैं।

मल्टी-लेवल फाइनेंस कम्पनी का जो विषय आपने उठाया था, यह मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया कि इसके तहत राज्य पुलिस द्वारा कार्य किया

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्वयं पहल कर ऐसे प्रकरण भविष्य में न हो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक कार्य योजना बनाई गई। ऐसी विभिन्न कम्पनियों को चिह्नित किया गया है और इस पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नरेट प्रणाली के ऊपर जो एक आब्जेक्शन था, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य में आपराधिक घटनाओं को जो तुलनात्मक रूप से यहां पेश किया जा रहा है, हम इस बात को भी जानें और मानें कि हमारे इस बड़े भू-भाग के साथ-साथ बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, निकट के राज्यों से यहां पर जो लोगों को भारी आवागमन है उसको देखते हुए कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं आयी हैं, उन सबसे निपटने के लिए पुलिस महकमा चुस्त-दुरुस्त है। गृह विभाग पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रहा है। आने वाले समय के लिए जो विभागीय स्तर पर अधिकारियों और कार्मिकों की कमी को महसूस किया जा रहा था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाएं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किये गये बजट के प्रावधानों के अनुरूप आने वाले समय में पुलिस और सजगता के साथ कार्य करेगी और इसके साथ-साथ आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण पाये जाने के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विभिन्न विषय उठाये गये, इन विषयों का निराकरण करने के क्रम में पुलिस विभाग सजग होकर के कार्य कर रहा है।

इसी के क्रम में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज के समय में गृह विभाग की यह जो अनुदान की मांग संख्या-16 आज के दिन यहां पर पारित होने के लिए प्रस्तुत है, उसमें निम्नानुसार कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं:-

मैस भत्ता – कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल जो 925 रुपया पूर्व में था, इसको बढ़ाकर 1,050 रुपये प्रति माह।

स्पोर्टस फंड में अनुदान – 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये।

उत्सव फंड में अनुदान – 20 लाख रुपये।

राजस्थान पुलिस हितकारी निधि में अनुदान – 40 लाख से बढ़ाकर 185 लाख रुपये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में अनुदान – 30 लाख रुपये।

जयपुर एवं जोधपुर कमिश्नरेट में शिशु पालना गृह के निर्माण हेतु 25-25 लाख रुपये।

इस प्रकार उपरोक्त घोषणाओं से कुल वार्षिक वित्तीय भार 1,400.32 लाख रुपये आएगा।

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग में मैस भत्ता में आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी तथा चालक, इनमें 925 रुपये से बढ़ाकर 1,050 रुपये प्रति माह। वेलफेयर फंड में 5 लाख रुपये, उत्सव फंड में 2 लाख रुपये। इस प्रकार उपरोक्त घोषणाओं से कुल वार्षिक वित्तीय भार 14.08 लाख रुपये आएगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय मंत्रीजी, घड़साना गोली कांड के लिए हमने आपसे निवेदन किया था, उम्मीद की थी कि राज्य सरकार गोयल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। पूरे गंगानगर की जनता देख रही है, इन्होंने, पूर्ववर्ती सरकार ने गोलियां चलायीं, आप मुलजिम को बचा रहे हो। जो भी रिपोर्ट आयोग की आये, आप उसको सार्वजनिक करो।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल तो लिये न। हां, माननीय मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जहां तक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, आपने अपने जिक्र में कुछ और बातें भी रखी थीं जिनमें आपने चक राजासर कांड का भी जिक्र किया था। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उस कांड में अभियुक्तों तक पहुंचने के क्रम में समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर जांच की गई। इसमें और उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता को महसूस करते हुए पिछले ही दिनों सी आई डी से इसकी जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं और मैं आशा करता हूं कि इसकी तह तक शीघ्र पहुंचा जायेगा।

अन्य भी आपने जो जिक्र फरमाये, मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी अपराध जो घटित हुआ है, उसमें अपराधी तक पहुंचने के क्रम में पूर्ण संजीदगी के साथ में कार्य किया जायेगा। आपके साथ मैं अन्य सदस्यगण को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो भी विषय उठाये गये हैं, उन विषयों में त्वरित कार्यवाही की जायेगी। यदि पूर्व के भी लम्बित कोई प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में भी रात-दिन एक करके निस्तारण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 16 को पारित कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्य मंत्री।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार विभाग पर चर्चा हो रही है, इसमें 41 माननीय सदस्यों ने 98 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनका कि शीघ्र जवाब उनको भेज दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब तो भेज देंगे लेकिन आपने उनको स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है? अस्वीकार करके जवाब भेजोगे या स्वीकार करके भेजोगे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): जैसे कटौती प्रस्ताव है, उसका वैसा ही जवाब दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, कटौती प्रस्ताव के बारे में आपको यह तो कहना ही पड़ेगा कि आप इसको स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): जैसी भी उसमें मांग की गई है, उसके हिसाब से उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है। ठीक है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कटारिया साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जब अपना भाषण ओपन किया तो सबसे पहले मांग संख्या 17 के बारे में आपने चर्चा की...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपसी प्रेम होने के कारण।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): और काफी अच्छे सुझाव भी आपने दिये। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों ने केवल एक-एक लाइन, लगभग 6 माननीय सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने केवल एक लाइन में इस मांग संख्या 17 के बारे में चर्चा की है। यदि आज आप इस सदन में मांग संख्या 17 के बारे में नहीं बोलते तो आज मेरा यहां से बोलना भी सार्थक नहीं होता।

(श्री रामकिशोर सैनी)

आपने जो सुझाव दिये हैं, उनमें आपने तीन-चार बिन्दु यहां पर प्रस्तुत किये कि कारागृह में बंदियों के पास मोबाइल और आपत्तिजनक निषेध वस्तुएं पहुंच जाती हैं। उसके बारे में आपने चर्चा की है। कारागृह में संगठित गिरोह के बारे में भी आपने चर्चा की है, सुरक्षा कर्मियों के रिक्त पदों के बारे में आपने बताया है और बंदियों के भोजन के बारे में आपने यहां चर्चा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों ने जो भी यहां सुझाव दिये हैं, उन सभी सुझावों का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप जो भी विभाग द्वारा आवश्यक होगा, उनकी कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सदन में चर्चा हुई कि मोबाइल और निषेध सामग्री जेलों तक पहुंचती है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, हम सब जानते हैं लेकिन इसमें भी राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था जिसने सुझाव दिये हैं और उन सभी सुझावों की चरणबद्ध तरीके से क्रियान्विति की जा रही है ताकि जेल में रहने वाले बंदियों के लिये और उनके कल्याण के लिये कुछ किया जा सके।

श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वर्तमान दौर में बंदियों की संख्या बढ़ रही है और हमारे कार्मिकों की संख्या कम होती जा रही है, इससे अपराधों की प्रवृतियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे कर्मियों की संख्या में जो कमी है, उसकी वजह से तलाशी प्रभावी रूप से नहीं हो पाती है। जब बहुत सारे बंदी एक साथ आते हैं तो जो हमारी गेट की तलाशी होती है, वह प्रभावी रूप से नहीं हो पाती। उसकी वजह से जो शातिर बंदी होते हैं, वे अपने प्रभाव से या अपने विशेष जोर से अवांछित चीजों को जेल के अन्दर ले जाते हैं। लेकिन उसके लिये भी जेल प्रशासन ने बहुत प्रयास किये हैं और उसमें उन्होंने कोशिश की है जिसमें जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक संयुक्त कमेटी का गठन किया है जो सभी जिलों में एक महीने में दो बार जेलों की तलाशी लेती है। सभी सेंट्रल जेलों में प्रत्येक हफ्ते उनकी तलाशी लेते हैं जिससे वहां हमें कोई भी निषेध सामग्री मिलती है, उसको हम वहां के सम्बन्धित एस पी को जमा कराते हैं और उनके बारे में उनकी जांच कराते हैं।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): जेलों में अगर जैमर लगा दिये जायें तो जेलों में मोबाइल तलाशी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अवांछित सामग्री जेलों में पहुंच जाती है उसके कई तरीके हो सकते हैं। हमारा कैदी जब जे सी में जाता है या पेशियों पर जाता है चालानी गार्ड के साथ और जब लौटकर आता है तो वह किसी भी चीज में, अपने सामान में छिपाकर कोई भी चीज ला सकता है। यह सिम एक ऐसी छोटी चीज है, उसको हमने भी देखा और जेल प्रशासन ने भी देखा कि उस सिम को वह कहां छिपाकर ला सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके लिये भी हमारे प्रयास रहे हैं। आजकल जेलों के आवासीय क्षेत्र में आ जाने के कारण भी असामाजिक तत्व मेन वाल से भी कोई सामग्री फेंक देते हैं जो हमारे बंदियों तक पहुंच जाती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रहरियों की और मुख्य प्रहरियों की कमी लगातार रही है। उसके लिये राज्य सरकार द्वारा 550 प्रहरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की हुई है और 304 नवसृजित पदों की स्वीकृति भी हमने पहले से दी हुई है। अभी हमारे पास जो नफरी कम है, उसके लिये हमने 375 होम गार्ड लिये हुए हैं और 700 बोर्डर होम गार्ड से हम तलाशी का काम ले रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि और प्रभावी रूप से इन जेलों को ठीक करने के लिये सी सी टी वी कैमरे लगाने का प्रयास किया है। तीन जेलों में हमने लगाये भी हैं, कोटा, जोधपुर और जयपुर में। 7 सेंट्रल जेलों में हमने डोर मेटल डिटेक्टर लगाये हैं। सभी 40 डिस्ट्रिक्ट जेलों में हमने हैंड मेटल डिटेक्टर लगाये हुए हैं।

बंदियों को उनके निकट के मित्रों और परिवार से मिलने के लिये, चूंकि बंदी हमारी जेल में रहता है, हमारी कोशिश यह रहती है कि सज़ा काटने के बाद बंदी अपने परिवार में जाकर एडजस्ट हो जाये। उसके परिवार में क्या गतिविधि हो रही है उसकी जानकारी उसे रहे, इसके लिए हमने कोशिश की है कि हमारी सेंट्रल जेल में एसटीडी/पीसीओ की स्थापना की जाये ताकि बंदी अपने परिवारजन से वार्ता कर सके और उनको सारी जानकारी मिल सके ताकि जब उसकी सज़ा समाप्त हो जाये तो वह अपने परिवार में जाकर वह अपने आपको एडजस्ट कर ले। श्रीमान, इसलिए हमने यह प्रयास किया है, जयपुर में इसकी शुरुआत करके, देख कर उसके पश्चात् अन्य सेंट्रल जेलों में भी इसकी स्थापना की जाये।

श्रीमान्, मैंने निवेदन किया कि बंदी किसी भी प्रकार से जेल में अवांछित सामग्री ले जाने का प्रयास करता है। हमारी तलाशी के बाद भी या

(श्री रामकिशोर सैनी)

कई दफा यह कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से या उनकी मिलीभगत की वजह से भी बंदी जेल के अन्दर सामग्री ले जाते हैं। उसके लिये हमने बैगेज स्कैनर लगाने के प्रयास भी शुरू किये हैं। बैगेज स्कैनर लग जायेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी, तो वह सामान अन्दर नहीं ले जा पायेगा।

श्रीमान्, आज एक बिन्दु यहां यह भी उठाया गया कि जेलों में आज ओवर-क्राउडिंग की स्थिति है, जेलों में बंदियों की संख्या ज्यादा हो गई है, हमारी जेलें कम पड़ती जा रही हैं, बहुत पुरानी जेलें हैं। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले सत्र में जयपुर में 500 बंदियों के लिये अलग से जेल बनाने की बात कही है। बीकानेर में 400 बंदियों के लिये और कोटा में एक-एक हजार बंदियों के लिये, सज़ा याफ़्ता और अंडर-ट्रायल के लिये और दौसा में एक हजार बंदियों के लिये जेल बनाने का प्रावधान रखा है।

श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोशिश है, आपने अभी एक बिन्दु उठाया है कि जेलों में यदि जैमर लगा दिये जायें तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव होगा और इससे मोबाइल गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं उन पर अंकुश लग सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पहले जोधपुर में 2-जी के जैमर लगाये थे लेकिन बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए और 3-जी के जो मोबाइल हैं, वे इससे चैक नहीं हो पाये। इसलिए हमने वापस उनको कंपनियों को दिये हैं कि आप इनको 3-जी में अपग्रेड करके 3-जी के जैमर लगायें ताकि उससे 3-जी के भी सारे मोबाइल जाम हो जायें। जैसे ही हमें कंपनी 3-जी के जैमर सब्मिट कर देगी उसको हम एक जेल में लगाकर, 6 महीने तक उसकी वाच करके बाद में सभी सेंट्रल जेलों में लगाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिये हमने 62.66 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की हुई है।

श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेल प्रशासन की कोशिश यह रहती है कि जो हमारा बंदी है, वह जेल की सज़ा काटने के बाद एक अच्छा नागरिक बनकर अपने परिवार में जाकर एडजस्ट हो जाये और इसके लिये सारी सुविधाएं जो जेल प्रशासन दे सकता है, वे देते हैं।

यही निवेदन करना चाहूंगा, जेल की, जो कारागार की मांग संख्या 17 है, उसके संदर्भ में मैं और भी घोषणाएं करना चाहता हूं। कारागार विभाग की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में निम्नांकित घोषणाएं करता हूं:- मैस भत्ते में बढ़ोतरी, प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी, 925 से बढ़ाकर 1,050 रुपए प्रति माह; स्पोर्टस फंड में अनुदान 5 लाख रुपए; उत्सव फण्ड में अनुदान 5 लाख रुपए; कर्मचारी

श्री रामकिशोर सैनी)

कल्याण एवं हितकारी निधि में 10 लाख रुपए; बंदी कल्याण कोष में 10 लाख रुपए। इस प्रकार उपरोक्त घोषणाओं से कुल वार्षिक वित्तीय भार 52.18 लाख रुपए आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 17 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 25,69,35,28,000/- (पच्चीस अरब उनहत्तर करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें जो घोषणाएं की गई हैं, वह राशि शामिल है या नहीं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सदन में घोषणा तो लागू होती है। इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तिवाड़ी साहब, आप हमेशा ही परीक्षा लेने में क्यों मशगूल रहते हो? नम्बर भी दे दिया करो। देखो बोल गए।

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 84,82,05,000/- (चौरासी करोड़ बियासी लाख पांच हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 11 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.52 बजे 11 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाल कुपोषण के सम्बन्ध में जारी रिपोर्ट पर कार्यवाही

243. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2012 में प्रधान मंत्री द्वारा बाल कुपोषण के सम्बन्ध में कोई हंगामा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के कुपोषण सहित विभिन्न आंकडों को उजागर किया गया था? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2011 में सरकार द्वारा कुपोषण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट जारी की गई थी? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या-क्या कदम उठाये गये? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

माही परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु आबंटित राशि

245. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वागड अंचल की माही परियोजना की नहरें सरकार और जन प्रतिनिधियों के उपेक्षित रवैये के कारण जर्जर हो रही हैं? यदि हां, तो वर्ष 2007 से फरवरी, 2012 तक नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं सफाई के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में आबंटित की गई और उक्त के बदले माही परियोजना की नहरों पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहरों की मरम्मत नहीं होने से हर वर्ष करोड़ों रुपयों का पानी सीपेज में चला जाता है और सीपेज से खेतों को नुकसान हो रहा है तथा टेल तक स्थित खेतों तक पानी ही नहीं पहुंच पाता है

(श्री नन्दलाल मीणा)

और विभागीय विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपयों का पानी व्यर्थ बह जाता है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय कर रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सीपेज का पानी एकत्र होने से सैकडों बीघा जमीन बंजर हो गई है? यदि हां, तो सीपेज के पानी के एकत्र होने से बंजर हुई जमीन का दाईं व बाईं मुख्य नहर के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नहरों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आबंटित बजट एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नही।

प्रपत्र 'अ'

नहरों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण

1. एम. एण्ड आर. में आबंटित एवं व्यय राशि

राशि लाखों में

क्र.सं.	वर्ष	बांध खण्ड प्रथम		भवन एवं दामुन खण्ड		वितरण खण्ड बामुन		योग	
		आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय
1	2007-08	11.67	11.67	-	-	15.00	15.00	26.67	26.67
2	2008-09	110.92	110.92	-	-	82.00	82.00	192.92	192.92
3	2009-10	7.98	7.98	18.50	18.50	23.00	23.00	49.18	49.48
4	2010-11	16.94	16.94	13.00	13.00	22.00	22.00	51.94	51.94
5	2011-12	190.00	108.00	363.00	253.00	447.00	199.00	1000.00	560.00
							योग :-	1321.01	881.01

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आबंटित एवं व्यय राशि

क्र. सं.	वर्ष	बांध खण्ड प्रथम		भवन एवं दामुन खण्ड		वितरण खण्ड बामुन		योग	
		आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय	आबंटित	व्यय
1	2007-08	33.45	33.45	56.12	47.67	218.42	218.42	307.99	299.54

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	2008-09	247.12	247.12	155.00	155.00	165.84	123.95	567.96	526.07
3	2009-10	72.42	72.42	90.00	79.71	66.88	55.42	229.30	207.65
4	2010-11	330.35	330.35	285.00	285.00	281.36	262.52	896.71	877.87
5	2011-12	57.23	57.23	257.00	257.00	59.22	51.67	373.45	365.90
							योग	**2375.41**	**2277.03**

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति की बैठकें

250. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक कब-कब हुई?

(2) क्या उक्त समिति की बैठक में जयपुर के झालाना पार्क को भी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पार्क को कब तक कंजर्वेशन रिजर्व पार्क घोषित कर दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार चंदलाई बांध पर शिकार को रोकने के लिये वन चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति की बैठकें निम्नानुसार तिथियों पर हुई :-

क्र.सं.	दिनांक
1	03.02.2011
2	22.03.2011
3	13.06.2011
4	14.08.2011
5	08.02.2012

(2) जी हां। दिनांक 08.02.2012 की बैठक में जयपुर शहर के समीप स्थित झालाना पार्क को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने का सुझाव प्राप्त हुआ था। इसकी पालना में उप वन संरक्षक, जयपुर (मध्य) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

(3) चंदलाई बांध पर अवैध शिकार की रोकथाम हेतु एक टेंट में चौकी स्थापित कर राज्य कर्मचारी को तैनात किया हुआ है। ग्राम चंदलाई में पक्की चौकी स्थापित करने के आदेश मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के आदेश

(वन मंत्री)

दिनांक 29.03.2012 से प्रसारित कर पक्की चौकी निर्माण करने के आदेश सम्बन्धित उप वन संरक्षक को प्रदान कर दिये गये हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

251. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश में कितने बेरोजगारों का नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है? गत 3 वर्षों में उनमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में 31.12.2011 को 713432 बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं । उनमें से गत तीन वर्षों में 9556 बेरोजगारों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया ।

ब्यावर (अजमेर) उप खण्ड मुख्यालय का जिले में क्रमोन्नयन

252. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ब्यावर उप खण्ड मुख्यालय को जिला घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

मा. मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 अनुसार प्रदेश में नये जिले स्थापित करने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करना प्रस्तावित किया है, जो इस विषय में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 6 माह की अवधि में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नये जिले स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में निःशुल्क हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण अभियान

253. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008 से फरवरी, 2012

(श्री रमेश चन्द मीणा)

तक नि:शुल्क हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण अभियान चलाया गया है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि में करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में भी नि:शुल्क हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण अभियान चलाया गया है? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अवधि में उक्त जिलों की किन-किन ग्राम पंचायतों में कब-कब टीकाकरण अभियान चलाया गया?

(4) उक्त अवधि में टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत उक्त जिलों की किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने टीके लगाये गये?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 11 अप्रैल, 2003 से राज्य के जयपुर जिले की शहरी कच्ची बस्तियों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी के टीके नि:शुल्क लगाए गये।

वित्तीय वर्ष 2004-05 से हेपेटाइटिस-बी का टीका कच्ची बस्तियों के बच्चों के साथ-साथ पूरे जयपुर शहर के 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क लगाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा इस टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर यह टीका राज्य में दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क लगाया जा रहा है।

(2) करौली व सवाई माधोपुर जिलों में भी दिनांक 15 दिसम्बर 2011 से हेपेटाइटिस-बी का टीका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नि:शुल्क लगाया जा रहा है। नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत जब-जब हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया गया है उसका विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर प्रस्तुत है।

(3) करौली व सवाई माधोपुर जिलें में दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत जिन-जिन पंचायतों में जब-जब हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर प्रस्तुत है।

(4) दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से 22 मार्च, 2012 तक करौली एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सवाई माधोपुर जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों में कितने-कितने टीके लगाये गये टीकों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर शहर का निर्माणाधीन सिटी पार्क

254. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जैसलमेर शहर के सिटी पार्क का कार्य कब तक पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित किया जायेगा? उक्त पार्क हेतु समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जैसलमेर शहर के सिटी पार्क का कार्य एक वर्ष छह माह पूर्व ही पूर्ण किया जाकर जनता को समर्पित किया जा चुका है। समय-समय पर सिटी पार्क में विकास कार्य किये जाते रहे हैं।

दांतारामगढ़ (सीकर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

255. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या भवन किसी दानदाता द्वारा निर्माण करवाने पर सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है?

(2) क्या सरकार दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी डिग्री कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने तथा निजी महाविद्यालयों की फीस अत्यधिक होने के कारण गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चों एवं छात्राओं को स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जी हां। दानदाता स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

खोलना चाहे तो उसे महाविद्यालय का भवन बनाने तथा 3 वर्षों तक आवर्ती एवं अनावर्ती राजस्व व्यय राजकीय कोष में जमा कराने एवं महिला महाविद्यालय के लिए एक वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय राजकीय कोष में जमा कराने पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। उप खण्ड मुख्यालय दातारामगढ़ में निजी क्षेत्र के 5 महाविद्यालय संचालित हैं।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उप खण्ड मुख्यालय दातारामगढ़ में वर्तमान में सरकारी डिग्री कालेज खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(3) राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उप खण्ड मुख्यालय दांतारामगढ़ में वर्तमान में सरकारी डिग्री कालेज खोलना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए समस्त उप खण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रेवदर में शीतलहर से प्रभावित फसलों का मुआवजा

256. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में वर्ष 2011-12 के दौरान तेज सर्दी/पाला पड़ने से अरंडी, सरसों, जीरा व अन्य फसलों तथा सभी प्रकार की सब्जियों का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रेवदर में हुए नुकसान का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रेवदर क्षेत्र के उक्त फसलों के नुकसान से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितना?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में पाला एवं शीतलहर से वर्ष 2011-12 के दौरान हुए नुकसान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्राम पंचायतवार हुए नुकसान का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

(2) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रतकुडिया (भोपालगढ़) के देवरी धाम का पर्यटकीय विकास

257. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम रतकुडिया में देवरी धाम पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त स्थान है? क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम रतकुडिया में देवरी धाम कबीर पंथी संप्रदाय का समाधि स्थल है, वर्तमान में स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित है।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त या अनुपयुक्त एवं पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है, अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर स्थल स्वतः पर्यटन स्थल बन जाता है।

अलवर जिले के बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित योजनाएं

258. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाल श्रम पर बने कानून से गत तीन वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को लाभ पहुंचाया गया तथा जिला अलवर में कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बाल अपराध को रोकने के लिये तथा बाल अपराधियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व तहसीलवार

(श्री रामहेत सिंह)

आबंटित राशि, व्यय राशि व लाभान्वित बालक व बालिकाओं की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाल श्रम पर बने कानून से अब तक 49297 बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान कर लाभ पहुंचाया गया। गत तीन वर्षों में जिला अलवर में शिक्षा प्रदान कर पुनर्वास किये गये बालकों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:-

तहसील	**बाल श्रमिक**
अलवर शहर	496
राजगढ	158
थानागाजी	301
बहरोड़	84
बानसूर	90
किशनगढ़	39
योग	**1168**

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृहों में विधि से संघर्षरत किशोर एवं किशोरियों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों से रखा जाता है। ऐसे बच्चों का ठहराव अल्पकालिक होता है। गृह में रहने की अवधि के दौरान गृह में नियुक्त परामर्शदाता/अधीक्षक इस प्रकार के बच्चों की काउन्सलिंग करते हैं एवं भविष्य में अपराध न करने की प्रेरणा दी जाती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं पर आबंटित एवं व्यय राशि तथा लाभान्वितों का विगत तीन वर्षों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली (पाली) उप खण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना

259. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला मुख्यालय पाली स्थित एडीएम कार्यालय तक अपने राजस्व

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

व अन्य कार्य सम्पादन के लिये उप खण्ड बाली, देसूरी व सुमेरपुर तथा पंचायत समिति बाली, रानी, सुमेरपुर व देसूरी एवं नगरपालिका सादडी, फालना, तखतगढ़, सुमेरपुर व रानी क्षेत्र के नागरिक/सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को कितने--कितने किलोमीटर की यात्रा करके जिला मुख्यालय पाली तक पहुंचना पड़ रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एडीएम कार्यालय तक उक्त क्षेत्र के नागरिक एवं सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आने-जाने में समय एवं धन का अपव्यय/परेशानी हो रही है?क्या पाली मुख्यालय तक पहुंचने में शाम हो जाने की स्थिति में पीडित या सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी को पाली मुख्यालय पर ही रात्रि विश्राम करने को बाध्य होना पड़ता है जिससे सरकार पर अनावश्यक व्ययभार बढ़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त बिन्दु संख्या एक व दो में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर बाली मुख्यालय पर ही ए.डी.एम. कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप खण्ड, पंचायत समिति व नगरपालिका मुख्यालयों से जिला मुख्यालय की दूरी निम्न प्रकार है:-

उप खण्ड मुख्यालय का नाम	पंचायत समिति मुख्यालय का नाम	नगरपालिका मुख्यालय का नाम	पाली जिला मुख्यालय पर आने हेतु तय की गई दूरी
बाली	बाली	बाली	75
सुमेरपुर	सुमेरपुर	सुमेरपुर	75
देसूरी	देसूरी	-	72
-	-	रानी	54
-	-	तखतगढ	87
-	-	सादडी	90
-	-	फालना	68

(2) नागरिकों को जिला मुख्यालय पर आने-जाने पर धन का व्यय होता है। सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को राजकीय यात्रा किये जाने पर

(राजस्व मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार यात्रा भत्ते के परिलाभ दिये जाते हैं। आवागमन के संसाधन उपलब्ध होने के कारण रात्री विश्राम करना आवश्यक नहीं है।

(3) जिला पाली के बाली मुख्यालय पर एडीएम कार्यालय खोले जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

बाड़मेर जिले के क्रमोन्नति योग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

260. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में जिलेवार क्रमोन्नत चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर के पाटोदी एवं गिडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं परेउ एवं नोसर के स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नत किया जा रहा है।

विभाग द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ डिस्पेन्सरियों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिडा पंचायत समिति बायतू एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटोदी पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति बायतू एवं बालोतरा के क्रमशः 1 एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम परेउ पंचायत समिति बायतू एवं ग्राम नोसर पंचायत समिति सिणधरी के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति बायतू एवं सिणधरी के क्रमश: 4 एवं 8 ग्रामों में चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट–अ

विभाग द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरियों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति वर्ष
1	मण्डावरी	लालसोट	दौसा	2009-10
2	बदरेल	तलवाडा	बांसवाड़ा	2010-11
3	पुराना हास्पिटल, डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	2010-11
4	ओबरी	सांगवाड़ा	डूंगरपुर	2010-11
5	गैंजी	बिच्छीवाड़ा	डूंगरपुर	2010-11
6	बेकरिया	कोटड़ा	उदयपुर	2010-11
7	नाई	गिर्वा	उदयपुर	2010-11
8	गिगंला	सलूम्बर	उदयपुर	2010-11
9	थडा	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	2010-11
10	टपूकड़ा	तिजारा	अलवर	2011-12
11	मुकुन्दगढ़	नवलगढ़	झुन्झुनूं	2011-12
12	चामू	बालेसर	जोधपुर	2011-12
13	कोसेलाव	सुमेरपुर	पाली	2011-12

क्र.सं.	नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति वर्ष
14	दरीबा माईन्स	रेलमगरा	राजसमंद	2011-12
15	बासनी	नागौर	नागौर	2011-12
16	जोलाना	गढी (टीएडी)	बांसवाड़ा	2011-12
17	गढी	गढी (टीएडी)	बांसवाड़ा	2011-12
18	चिखली	सीमलवाडा (टीएडी)	बांसवाड़ा	2011-12
19	लवाण	दौसा	दौसा	2011-12

पाली नगर परिषद के राजीव पथ से हटाये गये ठेले/थड़ी वालों का पुनर्वास

261. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद पाली द्वारा राजीव पथ के निर्माण हेतु हाउसिंग बोर्ड से नये बस स्टैण्ड तक कितनी कच्ची दुकानें, थडियों एवं केबिनों को हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कच्ची दुकानें, थड़ियां एवं केबिनें वर्षों से लगी हुई थीं एवं इनसे सैकड़ों परिवारों का रोजगार चलता था?

(3) उक्त कच्ची दुकानें, थड़ियां एवं केबिनों को हटाये हुए कितनी अवधि हो चुकी है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त को हटाते समय सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें तत्काल समुचित स्थान रोजगार हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त दुकान, थड़ी एवं केबिन मालिकों को जिनका राजीव पथ निर्माण के कारण रोजगार छिन गया है उन्हें अन्यत्र मार्केट बनाकर स्थान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस--किस स्थान पर, किस--किस को, कितनी अवधि में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली द्वारा राजीव पथ के निर्माण हेतु हाउसिंग बोर्ड से लेकर नये बस स्टैण्ड तक 09 अस्थाई थड़ियां व केबिन हटाये गये। शेष समझाइश पर स्वेच्छा से अपने केबिन हटाकर ले गये।

(2) जी नहीं। हाउसिंग बोर्ड से लेकर नये बस स्टैण्ड तक अतिक्रमण कर कुल 140 अस्थाई दुकान, केबिन व थड़ियां लगी हुई थीं जिसमें से 79 में ही व्यवसाय हो रहा था, शेष 61 बंद पड़ी थी।

(3) उक्त कच्ची दुकानें, थड़ियां एवं केबिनों को हटाये हुए लगभग 14 माह हो चुके हैं।

(4) जी हाॅं, मौके पर जो व्यापार कर रहे थे उनको निम्नानुसार वैकल्पिक स्थान चिन्हित किये गये जहां वे स्वयं उनकी स्वेच्छा से स्थापित हुएः-

1. 45 महिला छात्रावास के पास

2. 34 मस्तान बाबा, बांगड़ अस्पताल के उत्तर एवं दक्षिण में व हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के सामने।

(5) जी नहीं। जो अतिक्रमी मौके पर व्यवसाय करते थे उनको स्वयं की इच्छा से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाया गया।

डीम्ड विश्वविद्यालयों/निजी महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

262. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालयों में मेडिकल शिक्षा के लिये पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो किन--किन महाविद्यालयों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निजी मेडिकल महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त कार्मिकों का भुगतान A/C Payee चैक से किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के विरुद्ध सरकार के पास शिकायतें लम्बित हैं? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रणवीर पहलवान)

(4) क्या सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् से पत्र व्यवहार किया गया था? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध कब--कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्तमान में चार निजी विश्वविद्यालयों में कार्मिकों का भुगतान A/C Payee चैक से एवं एक डीम्ड विश्वविद्यालय में कार्मिकों का भुगतान बैंक के मार्फत किया जाता है।

(3) जी हां। निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर (निजी) के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई जो परीक्षणाधीन है।

(4) जी नहीं।

फसल बीमा योजनान्तर्गत खराबे के आंकलन हेतु स्थापित मौसम केन्द्र

263. **श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में इस वर्ष रबी की फसल में सरसों, चना, गेहूं, अरहर, ईसबगोल, जीरा आदि फसलों में पाला, शीतलहर व ओलावृष्टि से नुकसान होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है? क्या सरकार ने नष्ट हुई फसलों के सर्वे के निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि से नष्ट होने वाली फसलों पर उचित मुआवजा दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो घोषणानुसार विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरसों, चना, गेहूं, अरहर, ईसबगोल, जीरा आदि की फसलों में कितना न्यूनतम तापमान कितने-कितने दिन तक लगातार रहने पर मौसम फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा देय होता है तथा तापमान आंकलन के लिये

(श्री रोहिताश कुमार)

बीमा कम्पनी द्वारा बनाये गये मौसम केन्द्र राज्य के कितने शहरों में कहां-कहां स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रबी फसल सम्वत 2068 की गिरदावरी करवा ली गई है जिसकी रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत देने हेतु जारी किये गये राहत पैकेजों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। पाला एवं शीतलहर को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) न्यूनतम तापमान की जोखिम गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा एवं धनिया आदि फसलों के लिए निर्धारित की हुई है। न्यूनतम तापमान का जिलेवार/फसलवार विवरण का परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। नेशनल कोलेटरल मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 504 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(प्रतियां, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

नमाना-गंवार (बूंदी) सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण

264. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत नमाना से गंवार तक स्वीकृत सड़क के क्षेत्र में वन विभाग की करीब 4.73 हैक्टेयर भूमि आ जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य वन विभाग की अनापत्ति के अभाव में बन्द है, जबकि वन विभाग को जमीन के बदले जमीन व करीब 48.70 लाख रु. की मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक 08 जून, 2009 को किया जा चुका है? क्या सरकार उक्त कार्य की अनापत्ति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बूंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से लक्ष्मीपुरा तक स्वीकृत सड़क के क्षेत्र में वन विभाग की

(श्री अशोक डोगरा)

करीब 1.94 हैक्टेयर जमीन आ जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य वन विभाग की अनापत्ति के अभाव में बन्द पड़ा है, जबकि वन विभाग को जमीन के बदले जमीन व करीब 22.04 लाख रु. की मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 को किया जा चुका है? क्या सरकार उक्त कार्य की अनापत्ति जारी करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत नमाना से गंवार तक संपर्क सड़क हेतु 4.73 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र एफ-स 8 बी/राज./06/56/2008/एफ.सी./1476 दिनांक 17.11.2008 से सशर्त प्राप्त हुई थी। सड़क परियोजना में 4.73 है. भूमि में से 4.65 है. वन भूमि सम्मिलित है। 0.08 है. राजस्व भूमि होने से जिसकी आबंटन की आवश्यकता नहीं है। उक्त 4.65 है. वनभूमि की एवज में जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश पृष्ठांकन एफ.8( ) 5(43)राजस्व/08/1158-64 दिनांक 11.05.2010 से 4.62 है. गैर वन भूमि ही आवंटित हुई थी। शेष 0.03 हैक्टेयर गैर वन भूमि का आबंटन आदेश क्रमांक 980-990 दिनांक 16.03.2012 से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार परियोजना में सम्मिलित वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि का आबंटन पूर्ण हो गया है। शेष शर्तों की पालना में अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 48.70 लाख रु. केम्पा फण्ड भारत सरकार के बैंक में जमा किये जा चुके हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अन्य वृक्षारोपण हेतु बढ़ी हुई श्रमिक दर से भुगतान राशि का मांग पत्र सार्वजनिक विभाग को भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रकियाधीन है। स्वीकृति उपरांत राशि वन विभाग को जमा कराई जाकर पालना प्रतिवेदन अंतिम स्वीकृति हेतु शीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा।

(2) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से लक्ष्मीपुरा तक 1.92 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र एफ-स 8 बी/राज./08/15/2009/एफ.सी./529 दिनांक 03.08.2009 से सशर्त प्राप्त हुई थी। उक्त वन भूमि की एवज में जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश एफ.8-5(44)राजस्व/08/964-70 दिनांक 13.3.12 से 1.92 है. गैर वन भूमि आबंटित की गई है। शेष शर्तों की पालना में भारत सरकार की शर्त अनुसार 22.04 लाख रुपये जमा हो चुके हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अन्य

(वन मंत्री)

वृक्षारोपण हेतु बढी हुई श्रमिक दर से भुगतान राशि का मांग पत्र सार्वजनिक विभाग को भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रकियाधीन है। स्वीकृति उपरांत राशि वन विभाग को जमा कराई जाकर पालना प्रतिवेदन अंतिम स्वीकृति हेतु शीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत लाभान्वित श्रमिक परिवार

265. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक कुल कितने श्रमिकों के मामले दर्ज किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने श्रमिकों को मृत्यु होने के उपरान्त तथा कितने श्रमिकों को स्थायी व अस्थायी रूप से अपंग होने पर राशि उपलब्ध करवाई गई? जिलेवार व वर्षवार मुआवजा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में अब तक कितनी मुआवजा राशि नियोजकों से वसूल कर श्रमिकों को वितरित की गई? वर्षवार व जिलेवार वसूली गई राशि व वितरित की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिये कितने आयुक्तों की नियुक्ति की गई तथा उनके द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में उक्त आयुक्त के पास कितने प्रकरण विचाराधीन है? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत वर्ष 2005 से अब तक कुल 13949 श्रमिकों के मामले दर्ज किए गए। जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु होने के उपरान्त तथा स्थाई व अस्थाई रूप से अपंग होने के पश्चात् राशि प्राप्त करने वाले श्रमिकों का

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

विवरण परिशिष्ट-ब पर तथा उन्हें उपलब्ध करवाई गई राशि का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण में नियोजकों से वसूली गई व श्रमिकों को वितरण की गई राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिए नियुक्त आयुक्तों तथा उनके द्वारा निस्तारण किये गये प्रकरणों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) आयुक्तों के पास विचाराधीन मामलों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

भीमगुड़ा (बाड़मेर) कैनाल के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र

266. **श्री पदमाराम** (चौहटन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा नहर की माइनर भीमगुड़ा कैनाल की 350 हैक्टेयर भूमि को ऊबड़-खाबड़ एवं लवणीय होने के कारण कमाण्ड से अनकमाण्ड घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार उक्त भूमि स्थान पर लिफ्ट कैनाल के वंचित क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त अनकमाण्ड 350 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पनोरिया लिफ्ट कैनाल के उत्तर पश्चिम बेसिन के वंचित रह गये गांवों की भूमि को शामिल कर अवशेष 350 हैक्टेयर भूमि को उक्त विधान सभा क्षेत्र के 50 गांवों को कमाण्ड घोषित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त भूमि के स्थान पर लिफ्ट कैनाल के वंचित क्षेत्र को कमाण्ड में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नही है। क्योंकि अतिरिक्त क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य को 0.50 मिलीयन एकड़ फीट (एम.ए.एफ) जल सिंचाई एवं पेयजल हेतु आबंटित

(जल संसाधन मंत्री)

है। जल की मात्रा एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना क्षेत्र में सिंचाई हेतु कुल 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। निर्धारित कमाण्ड में उक्त 50 गांवों में से 16 गांव वर्तमान कमाण्ड में सम्मिलित है। उपलब्ध जल की मात्रा अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र को कमाण्ड में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही है।

जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतें

267. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही एवं अव्यवस्थाओं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लापरवाही एवं अव्यवस्थाओं हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही एवं अव्यवस्थाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है ।

(2) योजना में लापरवाही एवं अव्यवस्थाओं हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिलों में भ्रमण के दौरान मानिटरिंग की जा रही हैं तथा राज्य स्तर पर समय-समय पर विडियों कान्फ्रेंसिंग के द्वारा भी मानिटरिंग की जा रही हैं। जिलों से शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर नगर सुधार न्यास का प्रस्तावित विकसित आवासों का आबंटन

268. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि यूआईटी अलवर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निजी कालोनाइजरों से मिलीभगत के कारण जिले में यूआईटी की आवासीय योजनाएं नहीं निकाली जा रही हैं? जिला अलवर में विगत 10 वर्षों से यूआईटी अलवर द्वारा कौन-'कौनसी आवासीय योजनाओं का संचालन किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर में अरावली विहार फेज प्रथम एवं द्वितीय व बुद्व बिहार क्षेत्र में क्वार्टरों का निर्माण होकर तैयार है ? यदि हां, तो इन्हें आबंटित करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

(3) उक्त में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या इनके आबंटन में विलम्ब होने से लोगों को आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तथा तैयार क्वार्टरों के खण्डरों में तब्दील हो जाने का भी अंदेशा है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) उक्त जिले में आवासन मण्डल की कौन-कौनसी आवासीय योजनाएं वर्तमान में संचालित/प्रस्तावित है? उक्त योजनाओं में कितने आवासों का निर्माण किया गया/किया जा रहा है? क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों या न्यून आय वर्ग वाले लोगों के लिए सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यूआईटी अलवर द्वारा विगत 10 वर्षों में निम्न योजनाएं बनाई गई हैं :-

1. अरावली विहार फेज-प्रथम, वर्ष 2010
2. अरावली विहार फेज-द्वितीय, वर्ष 2011
3. अम्बेडकर नगर फेज-द्वितीय, वर्ष 2011-12
4. वैशाली नगर विस्तार, वर्ष 2007
5. मूर्तिकार योजना, वर्ष 2005

इसके अतिरिक्त न्यास की एम.आई.ए. रोहिणी नगर, साकेत नगर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजनाओं के लिए भूमि वर्ष 1998 में अवाप्त की गई है, जिसका काश्तकारों/हितधारियों द्वारा विरोध के कारण आदिनांक तक कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। काश्तकार/हितधारी 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि लेना चाहते हैं, जबकि अवार्ड नगद में जारी किया गया है, जो काश्तकार/हितधारी लेना नहीं चाहते हैं। समझौते की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास, अलवर की योजना अरावली विहार फेज-प्रथम में LIG के 165, EWS के 160 मकान एवं बुद्ध विहार योजना में EWS के 208 मकानों का निर्माण होकर तैयार है। इन मकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं। इनके आबंटन हेतु लाटरी शीघ्र निकाली जा रही है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अरावली विहार (एस.डब्ल्यू.बी.), फेज-प्रथम व द्वितीय में वर्ष 1978 से 1983 तक आवासों का निर्माण कर लिया गया था तथा निर्माण किये गये सभी आवासों का आबंटन कर, भौतिक कब्जे सम्बन्धित आबंटियों को सुपुर्द किये जा चुके हैं।

(3) उक्त आवासों को आबंटित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है तथा कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। इन आवासों के आबंटन से आमजन को लाभ मिलेगा तथा कोई मकान खण्डरों में तब्दील नहीं होगा।

(4) अलवर शहर एवं भिवाड़ी शहर में राजस्थान आवासन मण्डल की निम्न योजनाएं विकसित/प्रस्तावित हैं :-

विकसित योजना **प्रस्तावित योजना**

अ. अलवर शहर :-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**निर्मित आवासों की संख्या**	**क्र.सं.**	**प्रस्तावित योजना**
1.	प्रताप नगर CEB	423	1.	खेड़ली
2.	अरावली विहार SWB	3047	2.	शाहजहांपुर
3.	10-बी योजना	275	3.	पीपली, मोलडिया, नीमराणा
4.	शान्ता कुन्ज योजना	109	4.	तर्फ लराम बहरोड़
5.	एन.ई.बी. कम्पी, पुरानी	1421	5.	खोरीकलां, भिवाड़ी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

6.	एन.ई.बी. विस्तार पुरानी	1565	6. बंदापुर, फलसा,
7.	एन.ई.बी. विस्तार नई	365	भुडली, हुसैपुर, भिवाड़ी

ब. भिवाड़ी शहर :-

1.	पुरानी योजना	985
2.	सेक्टर 4 व 7 (फ्लेट्स)	1492
3.	मिलकपुर गुर्जर (फ्लेटस्)	1325

नगर विकास न्यास, अलवर के स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों व न्यून आय वर्ग वाले लोगों के लिये अरावली विहार फेज-प्रथम में LIG के 155, EWS के 180 मकान एवं बुद्ध विहार योजना में EWS के 208 मकानों का निर्माण हो चुका है, जिनके आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

आवासन मण्डल की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के आवेदकों के लिये 70 प्रतिशत आवास बनाये जाते हैं तथा मण्डल द्वारा निर्धारित मध्यम आय वर्ग की भूमि दर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रेणी के आवासों को 20 प्रतिशत व अल्प आय वर्ग के आवासों को 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

470. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार धौलपुर शहर की जर्जर व जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है?यदि हां, तो किस-किस सड़क की व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां । धौलपुर शहर में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कराई जा रही सडकों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

1. पैलसे तिराहे से फव्वारा चौराहा (वाया गुरुद्वारा रोड)
2. हरदेव नगर तिराहे से वाटर वर्क्स चौराहा
3. वाटर वर्क्स चौराहे से मंगल भारती हनुमान मंदिर (मचकुण्ड रोड)
4. हरदेव नगर तिराहे से फूटा दरवाजा (वाया राजकीय चिकित्सालय)
5. फव्वारा चौराहा से पटपरा रोड (वाया वीना गोयल नर्सिंग होम)
6. जुबली हाल से पटपरा मौहल्ला
7. गुलाब बाग चौराहे से हाउसिंग बोर्ड
8. जगदीश टाकीज तिराहे से पुलिस लाइन तक
9. राजकीय चिकित्सालय से जिला कारागृह (जेल) तक
10. औडेला रोड स्थित रीको आफिस से नेशलन हाइवे तक
11. बाडी रोड से मचकुण्ड रोड तक (आईटीआई रोड)
12. जगन चौराहे से स्टेशन रोड वाया भामतीपुरा
13. रोडवेज बस स्टैण्ड से तोफ तिराहा (सन्तर रोड)
14. राजाखेडा बाइपास (ओवरब्रिज के पास) से बघेल कालोनी वाया गोविन्द वाटिका
15. कालीमाई रोड रेलवे क्रोसिंग से बजरिया तिराहा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

16. चौपड़ा मंदिर नर्सरी के पास हुण्डावाल नगर, गुरूमेल रोड होते हुए सैपऊ रोड तक
17. मंगल भारती हनुमान मंदिर से मचकुण्ड तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य
18. नेशनल हाइवे से राजाखेड़ा बाईपास रेलवे क्रोसिंग एवं कालीमाई रोड नैरोगेज रेलवे क्रोसिंग से राजाखेड़ा बाइपास तक।
19. जगदीश टाकीज तिराहा पुलिया से नर्सरी रोड वाया शिव नगर, मानसरोवर आदि।

क्रम संख्या-1 से 3 के कार्य प्रगति पर हैं एवं पूर्ण करने की नियत तिथि 17.02.2013 है। क्रम संख्या-4 से 9 तक के कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाकर मूल्यांकन प्रक्रिया मे हैं एवं क्रम संख्या 10 से 19 तक के कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उक्त सभी कार्य (क्रम संख्या-4 से 19 तक) परियोजना अवधि जून 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जोधपुर नगर निगम की कचरा संग्रहण व्यवस्था का पुनर्संचालन

471 श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जोधपुर ने शहर में "घर-घर कचरा संग्रहण" व्यवस्था प्रारम्भ की थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में "घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था" पूर्णतया बंद है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि शहर की नियमित सफाई व्यवस्था पूर्णतया चरमरा गई है? क्या सरकार पूर्व व्यवस्था पुनः शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम जोधपुर में घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य संविदा के आधार पर फरवरी 2008 में प्रारम्भ की गई थी ।

(2) जी हां। संवदेक द्वारा निविदा के प्रावधानों के अनुसार संतोषप्रद रूप से कार्य नही करने के कारण दिनांक 11.12.2009 से कार्यादेश निरस्त किया गया ।

(3) जी नहीं। नगर निगम जोधपुर में सफाई व्यवस्था पूर्ण एवं संतोषप्रद है । घर-घर से कचरा संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण व निस्तारण कार्य हेतु एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना विचाराधीन है ।

बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र की पैराफेरी में सम्मिलित आबादी क्षेत्र

472. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बाडमेर के चारों ओर घनी आबादी बसी हुई है?

(2) क्या सरकार नगरपालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार कर उक्त बनी बस्तियों को नगरपालिका क्षेत्र में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाड़मेर शहर के इर्द-गिर्द बसी इन घनी बस्तियों को नगर पालिका सीमा में शामिल करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

नाथद्वारा नगरपालिका की गुमशुदा पत्रावलियां

473. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नाथद्वारा नगरपालिका कार्यालय में पट्टे व अन्य प्रकरणों की कितनी पत्रावलियां गुम अथवा चोरी हो गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि पालिका कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर कार्यभार बदलने के समय सम्बन्धित पत्रावलियों आदि का चार्ज नहीं दिया/लिया गया था? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका नाथद्वारा में एक पत्रावली गुम होने का प्रकरण है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नाथद्वारा में दर्ज कराई गई थी ।

(2) जी नहीं। परन्तु श्री वासुदेव वरिष्ठ लिपिक की जांच के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण रिकार्ड नहीं सम्भलवाया गया था ।

उदयपुर शहर की बी-2 श्रेणी के दर्जे में क्रमोन्नति

474. **श्रीमती बसन्ती देवी मीणा** (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

(1) प्रदेश में जिले को बी-2 श्रेणी शहर घोषित करने हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर बी-2 श्रेणी के सभी मानदण्ड पूरे करता है? यदि हां, तो सरकार उदयपुर शहर को कब तक बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहरों के श्रेणी विभाजन का कार्य राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाकर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है ।

कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियम विरुद्ध भर्ती

475. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद भरे गये हैं? यदि हां, तो कब तथा कितने पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जारी विज्ञप्ति के अतिरिक्त भी कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी गई है? क्या इनकी वित्त विभाग से स्वीकृति पूर्व में ली गई थी? यदि नहीं, तो भर्ती किस नियम के तहत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती में अनियमितता के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और नहीं, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ अभियन्ताओं के 167 पदों की भर्ती हेतु जारी की गयी विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के अधीन विभिन्न निगमों जैसे आर.यू.आई.डी.पी., ए.वी.एल., डी.एम.आर.सी., आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ. के अन्तर्गत चल रहे महत्वपूर्ण कार्यों/परियोजनाओं को गति प्रदान करने हेतु

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कनिष्ठ अभियन्ताओं की समय-समय पर प्राप्त मांग के अनुरूप वरीयता सूची में से कनिष्ठ अभियन्ता परिविक्षा पर नियुक्त किये गये हैं। नियुक्त किये गये कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के सृजन हेतु कार्योत्तर स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। जब कोई अनियमितता हुई ही नहीं है तो जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर शहर के हिरण मगरी सेक्टर 3 की सुविधा क्षेत्र भूमि पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य

476. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हिरन मगरी सेक्टर-3 उदयपुर की सरकारी आराजी संख्या 1401 पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने की सूचना कालोनीवासियों द्वारा प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप से की गई थी? यदि हां, तो शिकायत कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस अवैध कब्जे के प्रकरण को स्थानीय समाचार पत्रों में भी दिनांक 3 मई, 2009 तथा 1 व 2 जून, 2009 को स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ने आराजी संख्या 1401 भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये अधिनियम, 1959 की धारा 92 ए के तहत प्रकरण दर्ज कराया? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है एवं किन-किन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया?

(4) क्या गांव मानवा खेडा आराजी संख्या 1401 में भू-खण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 5698 वर्गफीट का पट्टा दिनांक 31 मार्च, 2005 को किसी व्यक्ति को दिया गया? यदि हां, तो उस समय आरक्षित दर क्या थी तथा आरक्षित दर से कम राशि की मांग किसने कायम की और आरक्षित दर का 25 प्रतिशत लेकर पट्टा किस अधिकारी ने जारी किया?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(5) क्या यह सही है कि उक्त पार्क के लिये छोड़ी गई भूमि आराजी स्ंख्या 1417 से 1425, 1427 से 1429 अनुमोदित प्लान रिजर्व भूमि में किसी व्यक्ति को सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24 अप्रैल, 2006 एवं भू आबंटन समिति की बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2007 के आदेश की पालना में जारी किया गया था? क्या सम्भागीय आयुक्त इस प्रकार की आरक्षित भूमि में पट्टा देने के लिए अधिकृत है? यदि नहीं, तो आबंटन किस आधार पर दिया गया?

(6) क्या सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3 जून, 2009 में इस विवादित स्थल की भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हुये थे उसके बाद भी नगर विकास प्रन्यास की मिलीभगत से आरोपी ने इसमें एक रेस्टोरेन्ट तथा एक बीयरबार खोला, जिस पर आबकारी विभाग ने बाकायदा लाइसेंस जारी किया? यदि हां, तो किस आधार पर?

(7) क्या उक्त भू-खण्ड पर चल रहे बीयरबार के लाइसेंस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो रोक कब लगाई गई और इसकी पालना कब से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आराजी नम्बर 1401 पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे की सूचना कालोनीवासियों ने प्रशासन को दी। दिनांक 20.05.2009, 26.05.2009, 31.07.2009 को श्री कुन्दन सिंह नेगी एवं समस्त एकलिंग कालोनी पार्ट ए के निवासीगण द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

(2) जी हां। स्थानीय समाचार पत्र एवं प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच कर अतिक्रमण पाये जाने पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया एवं कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

(3) जी हां। आराजी नम्बर 1401 में अतिक्रमण पाये जाने पर श्री भीम सिंह चुण्डावत के विरुद्ध नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 92-ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड में प्रकरण विचाराधीन होने एवं यथास्थिति आदेश पारित होने से वर्तमान में कार्यवाही पेन्डिंग है। अन्य प्रकरण में वर्तमान में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा वादग्रस्त स्थल को सीज किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) राजस्व ग्राम मानवा खेडा के आराजी संख्या 1401 में स्थित भू-खण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 5698 वर्गफीट का पट्टा विलेख क्रमांक 599 दिनांक 31.03.05 से श्री हरिसिंह भाटी पिता श्री रघुनाथ सिंह भाटी, निवासी 27, पाठो की मगरी, उदयपुर के नाम न्यास द्वारा जारी किया गया। तत्समय आरक्षित दर 100/- रुपये वर्गफीट थी। न्यास की भू-आबंटन समिति की बैठक दिनांक 04.01.05 के अनुसार वर्तमान आरक्षित दर जो तुलनात्मक रूप से अधिक है, के 25 प्रतिशत पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् नियमन करने का निर्णय लिया गया। उक्त भू-खण्ड का आबंटन पत्र दिनांक 25.02.05 से तत्कालीन सचिव, न्यास उदयपुर श्री पी.डी. चारण द्वारा जारी किया गया है।

(5) राजस्व ग्राम मानवा खेडा के आराजी संख्या 1417 से 1425, 1428, 1429 के भूखण्ड संख्या 65 का आबंटन पत्र दिनांक 27.02.08 से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.06 के क्रम में न्यास की भू-आबंटन एवं भू-पट्टी आबंटन समिति की बैठक दिनांक 27.11.2007 के अनुसरण में जारी किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एक न्यायिक आदेश है। उक्त आबंटन पत्र न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2006 के क्रम में न्यास की भू-आबंटन एवं भू-पट्टी आबंटन समिति की बैठक दिनांक 27.11.2007 के अनुसरण में जारी किया गया।

(6) न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, उदयपुर शहर (दक्षिण) उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2000 मु.दी. में दिनांक 03.06.2009 से विवादित स्थल की भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में यथास्थिति आदेश प्रदान किये गये, उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने पर श्री भीम सिंह चुण्डावत के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक श्री भीम सिंह ने बीयरबार हेतु दिनांक 20.07.2010 को जिला कार्यालय, उदयपुर में आवेदन किया था। आवेदन के साथ भू-खण्ड आवेदक द्वारा क्रय करने सम्बन्धित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति, रेस्टोरेन्ट के वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2009-10 के प्रस्तुत किये गये वास्तविक रिटर्न की प्रति, रेस्टोरेन्ट का वैट जमा कराने के चालानों की प्रतियां वर्ष 2009-10 का रेस्टोरेन्ट का टैक्सेबल टर्नओवर बाबत जारी वाणिज्यिक कर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विभाग के प्रमाण-पत्र की प्रति, आवेदक का राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ रेस्टोरेन्ट बार रूल्स) नियम 2004 के अन्तर्गत शपथ पत्र, नगर परिषद उदयपुर द्वारा जारी खाद्य अनुज्ञापत्र स्वीकृति आदि दस्तावेज जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर को प्रस्तुत किये गये एवं जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर का आवेदक के पक्ष में रेस्टोरेन्ट बार लाइसेन्स स्वीकृति बाबत प्रस्ताव एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन-उदयपुर का प्रस्ताव दिनांक 26.08.2010 प्राप्त होने पर आवेदक को रेस्टोरेन्ट बीयरबार का लाइसेन्स दिनांक 30.08.2010 को जारी किया गया था। आवेदन करते हुए भू-खण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में चल रहे वाद की जानकारी आबकारी विभाग में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और न ही इस विवाद के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त कार्यालय को जानकारी थी। भू-खण्ड के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने बाबत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के आदेश की प्रति एकलिंग कालोनी के निवासियों द्वारा परिवाद दिनांक 25.09.2010 के संलग्न प्रस्तुत की गई थी, जबकि बीयरबार लाइसेन्स इससे पूर्व दिनांक 30.08.2010 को जारी किया गया था। इस परिवाद में केवल नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को ही प्रतिवादी बनाया गया था। इस परिवाद में आबकारी विभाग को पार्टी नहीं बनाया गया था।

(7) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल कन्टेम्प्ट पीटीशन नम्बर 5/2011 में अनुज्ञापत्र संख्या 129/2010-11 को आस्थगित (Kept in Abeyance) रखे जाने हेतु दिनांक 27.07.2011 को पारित आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण में आस्थगित (Kept in Abeyance) रखे जाने की पालना की गई है।

कोटा नगर विकास न्यास की इंस्ट्रूमेंटेशन लि. आवासीय योजना भूमि का बकाया भुगतान

477. **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, कोटा को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा से आवासीय योजना विकसित करने हेतु जमीन प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब, कितनी व किन-किन शर्तों पर? दोनों के मध्य हुई करार की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त करार के अनुसार इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को कोई राशि दी जानी थी? यदि हां, तो कितनी? क्या उक्त राशि का भुगतान इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को कर दिया गया? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो वर्तमान में कितनी राशि दी जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर विकास न्यास कोटा को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से बकाया राशि का भुगतान करने के सन्दर्भ में कोई पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, कोटा को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा समर्पित भूमि आवासीय योजना विकसित करने हेतु राज्य सरकार के माध्यम से लगभग 90 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(88) नविवि/3/2000 जयपुर दिनांक 06.11.04 के अनुसार उक्त भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि में से 1/3 राशि विकास कार्यों एवं न्यास के प्रशासनिक खर्चे हेतु ग्रान्ट का उल्लेख है तथा शेष 2/3 राशि उद्योग विभाग को जमा कराई जानी है। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को जरिये उद्योग विभाग राशि दी जानी थी, जो कि भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का 2/3 भाग है। उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 12.12.04 को रू0 10,00,00,000/-, दिनांक 17.12.04 को 15,00,00,000/-, दिनांक 06.06.05 को रु. 45,20,100/-, दिनांक 08.02.06 को रु. 1,12,67,233/-, दिनांक 30.03.07 को रु. 1,02,91,447/-, दिनांक 29.11.07 को रु. 36,94,20,312/-, दिनांक 15.02.11 को रु. 2,45,77,040/- (समायोजन) एवं रु. 2,22,04,164/- एवं दिनांक 02.03.12 को रु. 9,47,14,373/- का भुगतान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक की कोई राशि दिया जाना शेष नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। नगर विकास न्यास, कोटा को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से बकाया राशि भुगतान के संदर्भ में दिनांक 05.11.11, 25.11.11, 16.01.12 को लिखे पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(4) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 तक देय समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर की दिल्ली रोड स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

478. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली रोड पर लबलबीजी की कोठी के सामने, अमरेश्वर महादेव (जयपुर) मंदिर के पास (वार्ड 55) में लगभग 5 बीघा सरकारी भूमि रिक्त है? यदि हां, तो भूमि किसके क्षेत्राधिकार में है?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि की चारदीवारी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण है? यदि हां, तो किसका?

उत्तर

(1) दिल्ली रोड पर लबलबी की कोठी के सामने अमरेश्वर महादेव मन्दिर के पास 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि अवस्थित है, जो कि राजस्व रिकार्ड अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के स्वामित्व की है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर अवैध अतिक्रमण है। शेष भूमि रिक्त है।

(2) उक्त भूमि का सीमांकन एवं जांच में पाया गया कि उक्त आराजीयात के स्वामित्व के सम्बन्ध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) में प्रकरण संख्या 17/1996 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में यथास्थिति के आदेश हैं। इस आदेश को निरस्त कराने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है। तद्उपरान्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण कब्जा लेगी। न्यायालय निर्णय के पश्चात् नियमानुसार चारदीवारी बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। उक्त भूमि में अशोक कुमार उर्फ चेलाराम खटीक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

द्वारा 3.20X3.20 मीटर का कमरा बनाकर तथा करीब डेढ़ बीघा भूमि पर जमीन लेवल से आधा फीट ऊंची मूडिया बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। करीब 5 बिस्वा भूमि पर अमरेश्वर महादेव का मन्दिर बना हुआ है। न्यायालय प्रकरण में अशोक कुमार उर्फ चेलाराम खटीक पक्षकार नहीं है।

जोधपुर में विवेक विहार योजना के असफल आवेदकों का बकाया भुगतान

479. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर में विवेक विहार योजना के तहत कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए उक्त आवेदकों से जोधपुर विकास प्राधिकरण को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से किन-किन आवेदकों को भू-खण्ड आबंटित हुए? व्यक्ति का नाम, मय पूर्ण पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष रहे आवेदकों की राशि का सम्बन्धित को पुनर्भुगतान कब तक किया जाना था तथा अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष आवेदकों की राशि मय ब्याज पुनर्भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवेक विहार आवासीय योजना के तहत आवेदन के निर्धारित तिथि 20.08.2011 तक कुल 55,364 आवेदन पत्र प्राप्त हुये एवं आवेदकों के पंजीकरण राशि के रूप में रुपये 63,22,66600/- राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई।

(2) उक्त आवेदकों में से निकाली गई लाटरी में भू-खण्ड आबंटित किये जाने वाले सफल आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

(3) शेष रहे आवेदकों की राशि का पुनर्भुगतान किये जाने की अंतिम तिथि आवेदन पुस्तिका के अनुसार निर्धारित नहीं थी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

10.02.2012 को असफल आवेदकों की पंजीयन राशि रिफण्ड करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और विभिन्न बैंकों के साथ हुये MOU के अनुसार बैंकों द्वारा रिफण्ड राशि बैंक खातों में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से भिजवाई जा रही है।

(4) आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों को आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि से छह माह तक कोई ब्याज देय नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात् विलम्बित अवधि के लिये राशि वापसी दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज देय होने का प्रावधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2012 को असफल आवेदकों को भुगतान के लिये रिफण्ड आदेश जारी कर दिया है एवं सम्बन्धित बैंकों द्वारा रिफण्ड राशि आवेदकों को बैंक खाते में अन्तरण/बैंक ड्राफ्ट/चैक, डाक/कोरियर के माध्यम से भिजवाये जा रहे हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर की विजयबाड़ी पथ नं. 7 के सड़क मार्ग पर अतिक्रमण

480. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नम्बर 7 की मुख्य सड़क का पीटी सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पीटी सर्वे में मुख्य सड़क की सीमा में अतिक्रमण किया हुआ पाया गया था? यदि हां, तो किन-किन का और कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मुख्य सड़क पर से अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर रोड स्थित विजयाबाड़ी पथ नम्बर 7 की मुख्य सड़क का पीटी सर्वे दिनांक 12.08.2011 को कराया गया था। पीटी सर्वे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण को सीकर रोड विजयाबाड़ी पथ नम्बर 7 की सड़क सीमा में पीटी सर्वे के मानचित्र में डोट-डोट काले रंग से दर्शाये गये अतिक्रमणों की रिपोर्ट जोन-6, जविप्रा के कनिष्ठ अभियन्ता एवं उप नगर नियोजक एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन-6 द्वारा अतिक्रमी के नाम, पिता/पति का नाम, निवासी, अतिक्रमण स्थल, अतिक्रमण के पूर्ण विवरण तथा नजरी नक्शों सहित रिपोर्ट तैयार करवाकर अतिक्रमियों को सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में विधि सम्मत धारा 72 जविप्रा अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाकर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। उपरोक्तानुसार वर्णित सड़क सीमा में से अतिक्रमण हटाने की अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) उपरोक्त वर्णित सड़क सीमा में से अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही खण्ड-2 के अनुसार प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जगतपुरा (जयपुर) में सेन्ट्रल स्पाइन योजना के मास्टर प्लान में अवाप्त भूमि

481. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेंट्रल स्पाइन योजना के लिये गेटोर रोड, जगतपुरा, जयपुर के आस-पास की भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कब कौन-कौन से खसरा नम्बर की आराजी भूमि? अवाप्ति आदेश की प्रति मय सेंट्रल स्पाइन योजना के मास्टर प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के मास्टर प्लान के आधार पर अवाप्त की गई भूमि में से कुछ भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दी गई थी, जिससे मास्टर प्लान ही बिगड़ गया? यदि हां, तो शेष भूमि को अवाप्त मुक्त नहीं करने के क्या कारण है? विवरण मय अवाप्त भूमि को मुक्त करने के आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवाप्ति से मुक्त की गई भूमि पर बसी कालोनियों के भूखण्डधारियों के भू-खण्डों का नियमन कर दिया गया?

(श्रीमती सज्जन कटारा)

यदि हां, तो किन-किन कालोनियों के भूखण्डधारियों के कब-कब नियमन किये गये? भूखण्डधारियों के नाम पते मय नियमन करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि में से आधी भूमि को अवाप्त मुक्त करने एवं शेष भूमि को अवाप्त मुक्त नहीं करने को उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं क्यों ?

(5) क्या सरकार इसमें हुई अनियमितता की जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार शेष रही भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर उन पर बसी कालोनियों का नियमन कर भूखण्डधारियों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सेंट्रल स्पाइन योजना (अपेरेल पार्क) हेतु विशेषाधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको लि. द्वारा सेंट्रल स्पाइन योजना जगतपुरा के ग्राम महल, श्रीकिशनपुरा एवं जीरोता में कुल 197.70 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि हेतु उद्योग (ग्रुप-प्रथम) विभाग द्वारा अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4, क्रमांक : प.4(96)उ.1/97 दिनांक 02.06.1997 को भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 16.09.1997 व राष्ट्रदूत के अंक दिनांक 17.09.1997 में कराया गया था। सेंट्रल स्पाइन योजना में 190.31 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको द्वारा तथा ग्राम महल की खसरा नं. 268, 269, 270 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि, जो योजना की अवाप्त भूमि के मध्य थी तथा रीको से अवाप्ति में छूट हुई थी, को भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगरीय विकास योजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त किया गया। इस प्रकार कुल 191.27 हैक्टयेर अवाप्त भूमि तथा 4.31 हैक्टेयर जयपुर विकास प्राधिकरण की राजकीय भूमि को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल 195.58 हैक्टेयर भूमि पर सेंट्रल स्पाइन योजना सृजित की गई है। अवाप्त भूमि में से रीको एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य हुए एम.ओ.यू. से जयपुर विकास प्राधिकरण को 129.62 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रीको द्वारा वर्ष 2000 में 200 फीट महल रोड पर ग्राम जीरोता की 40.76 हैक्टेयर भूमि ग्राम श्रीकिशनपुरा की 57.12 हैक्टेयर भूमि तथा ग्राम महल की 92.43 हैक्टेयर भूमि, 190.31 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जाकर दिनांक 06.12.2000 को अवार्ड पारित किया गया। अवार्ड की प्रति परिशिष्ट "अ" पर तथा सेंट्रल स्पाइन योजना के प्लान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत अधिसूचना दिनांक 19.09.1998 से 6.75 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति से मुक्त की गई। शेष भूमि योजना के लिए आवश्यक होने के कारण अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई। धारा 4 की अधिसूचना, धारा 6 की उदघोषणा एवं धारा 48 के तहत जारी की गई अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। अवाप्ति से मुक्त की गई भूमि में से निजी खातेदारी की योजना गुरूकुल का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2003 को नियमन किया जा चुका है। सदस्यों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) जी हां। उघोग विभाग द्वारा 6.75 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति से मुक्त की गई है, उससे योजना प्रभावित नहीं होती है। शेष भूमि योजना के लिए आवश्यक होने के कारण मुक्त नहीं की गई है।

(5) जी नहीं। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(6) जी नहीं। अवाप्त भूमि पर सृजित आवासीय योजनाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना (बाड़मेर) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल केन्द्र की स्थापना

482. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं उप खण्ड स्तर पर खेल मैदानों के विकास एवं खेल केन्द्रों की स्थापना कर रही है?

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाना के खेल मैदान को विकसित करने एवं खेल केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 चलाया गया है, जिसके तहत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत चयनित ब्लाक एवं ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से खेल मैदानों को विकसित कर इनमें पायका केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" (PYKKA) योजनान्तर्गत प्रथम चरण में सिवाना ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 01 में पायका केन्द्र खोला गया है। योजना के आगामी चरणों में सिवाना को ब्लाक के रूप में चयनित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाना में पायका खेल केन्द्र खोले जाने की योजना है।

जयपुर जिला क्रीड़ा परिषद को सरकार से प्राप्त राशि

483. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने जिलों में कब से जिला क्रीड़ा परिषदें कार्यरत हैं? क्या इनमें से कोई संस्था सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिलों में स्थित क्रीड़ा परिषदें राज्य क्रीड़ा परिषद के नियंत्रणाधीन हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो क्या जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते अपनी संस्था के सम्बन्ध में निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) क्या कोई पंजीकृत संस्था अन्य पंजीकृत संस्था के नियंत्रणाधीन हो सकती हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर की जनवरी, 2001 से जनवरी, 2012 तक कितनी स्वअर्जित आय हुई एवं उक्त अवधि में राज्य सरकार से कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई और जनवरी, 2012 में इस संस्था के खाते में कितनी राशि जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिला क्रीड़ा परिषदों का अस्तित्व सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 1959-60 में होना अभिलेख में है। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। राज्य के सभी जिलों में जिला क्रीड़ा परिषद कार्यरत है। जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर दिनांक 20.08.1991, कोटा दिनांक 04.06.1977 एवं हनुमानगढ़ दिनांक 19.02.1997 से सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(2) राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2(छह) में जिला क्रीड़ा परिषदों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। धारा की अंश प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर अपने संविधान के दायरे तक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

(4) राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2(छह) में जिला क्रीड़ा परिषदों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। धारा की अंश प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(5) जनवरी, 2001 से जनवरी, 2012 तक जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर की स्वअर्जित आय 2,71,03,189/- रुपये हुई है। वर्ष 2001-02 में 40,000/- रुपये राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं।

जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर के खाते में दिनांक 31.01.2012 को 16,38,664/- रुपये जमा थे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण

484. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में अवरोध के कारण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण हटाने में पक्षपात किया गया है?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के कौन-कौन से राजस्व गांवो में कौन-कौन से अतिक्रमण हटाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध क्षेत्र में कितने पक्के निर्माण हटाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बांध क्षेत्र में कितने कच्चे मकान व कितनी झोपड़ियां हटाई गईं? क्या हटाये गये परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है?

(5) उक्त बांध क्षेत्र से कितनी रकबा भूमि पर से फसल नष्ट की गयी? जिन्सवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि बेरवी गांव में अतिक्रमण को छोड़ दिया गया? यदि हां, तो उसे कब हटाया जायेगा और उक्त क्षेत्र में वन भूमि पर कितना अतिक्रमण है?

उत्तर

(1) जी हां। जमवारामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में अवरोध के कारण तथा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नदी नालों के बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर अतिक्रमणों को हटाया गया है। अतिक्रमणों को हटाने में कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के ग्राम दोलाज, तेवडी, मेढ, सताना, भोजेरा, कुरावताला, मालीवाडा, आमलोदा, कल्याणपुरा, सुन्दरपुरा, भिण्डोर तालवा, बेरकी, बादशापुर, बूढाबैजनाथपुरा से अतिक्रमण हटाये गये हैं हटाये गये अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) जमवारामगढ़ बांध क्षेत्र की तहसील जमवारामगढ़ में 3 शाहपुरा में 5, विराट नगर में 6 कुल 14 पक्के निर्माण हटाये गये हैं। आमेर क्षेत्र में 6 पक्के मकान एक बाउंड्रीवाल, एक बास्केटबाल ग्राउण्ड, टेनिस कोर्ट, पक्की बाउंड्रीवाल लोहे का केबिन एवं एक पुलिया व तीन एनिकट तथा ग्रेवल/कंकरीट सड़क जिनकी सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जमवारामगढ़ बांध क्षेत्र की तहसील जमवारामगढ़, शाहपुरा व विराट नगर में कुल 9 कच्चे मकान व 18 झोंपड़ियां एवं आमेर क्षेत्र में 7 झोंपड़ियां हटाई गई हैं। हटाये गये परिवारों के पास आबादी भूमि में एवं अन्यत्र आवास उपलब्ध होने के कारण पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

(5) उक्त बांध के कैचमेन्ट क्षेत्र में तहसील जमवारामगढ़, शाहपुरा एवं विराट नगर में कुल 127.91 है. में फसल नष्ट की गई जिसका जिन्सवार विवरण हैक्टेयर में निम्नानुसार है :--

गेहूं	जौ	तारामीरा	रंजका	चना
61.36	28.35	3.66	0.44	5.34
मैथी	लहसुन	मटर	नौरंगा फूल	सरसों
0.11	0.26	21.93	0.51	6.15

आमेर क्षेत्र में 49.50 हैक्टेयर भूमि से ज्वार एवं बाजरे की फसल हटाई गई ।

(6) जी नहीं। बेरकी गांव में वन क्षेत्र में 3.55 है. में अतिक्रमण था, जिसको हटा दिया गया है अब कोई अतिक्रमण शेष नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रायसिंहनगर के राजस्व कार्मिकों के रिक्त पद

485. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद किस श्रेणी के रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों के कारण विभाग का कार्य प्रभावित होता है? यदि हां, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों एवं 163 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1 अधिकारी (उप तहसीलदार) एवं 55 कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की श्रेणीवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। रिक्त पदों से कार्य प्रभावित होता है। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अधिकांशत: पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिया जावेगा। तत्पश्चात सफल अभ्यर्थियों को पटवारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों की विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा परिणाम आने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा सकेंगी। शेष संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही भी जैरकार है।

परिशिष्ट-अ

स्वीकृत पद अधिकारी		**रिक्त पद अधिकारी**		**स्वीकृत पद कर्मचारी**		**रिक्त पद कर्मचारी**	
पदनाम	**संख्या**	**पदनाम**	**संख्या**	**पदनाम**	**संख्या**	**पदनाम**	**संख्या**
1. उप खण्ड अधिकारी	01	उपतहसीलदार	01	1. स्टेनो	01	1. स्टेनो	01
2. तहसीलदार	01			2. तहसील राजस्व लेखाकार	01	2. कनिष्ठ लेखाकार	01
3. उप तहसीलदार	02			3. कनिष्ठ लेखाकार	01	3. वरिष्ठ लिपिक	02
				4. वरिष्ठ लिपिक	05	4. भू-अभिलेख निरीक्षक	03
				5. भू-अभिलेख निरीक्षक	16	5. पटवारी	40
				6. पटवारी	109	6. कनिष्ठ लिपिक	05
				7. कनिष्ठ लिपिक	13	7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03
				8. जमादार	01		
				9. चतुर्थ श्रेणी	16		
				योग स्वीकृत पद	**163**	**योग रिक्त पद**	**55**

जिला कलक्टर,

श्रीगंगानगर

डेगाना के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

486. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किसी ढाणी/मजरे को राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड एवं प्रक्रिया क्या है? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित मानदण्डों के होते हुये भी विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सामटियों की ढाणी (जालसू खुर्द), चौखा की ढाणी (खुडी कलां), रातडियों की ढाणी, हनुमान नगर (खिंवताणा), किलको की ढाणी (बरना), खारचियों की ढाणी (निम्बोला बिस्वा), कायमखानियों की ढाणी (मोडी), बावरियों चौपड़ा नयागांव की ढाणी (लाडपुरा) को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प. 9(16)राज./ग्रुप-1/07 दिनांक 20/8/2009 के अनुसार राज्य में सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर एवं रेगिस्तानी व अनु. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 की आबादी पर ग्राम/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि सम्बन्धित मजरा या ढाणी मूल राजस्व ग्राम से 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित हो तथा नया राजस्व ग्राम बनाने के बाद मूल राजस्व ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनु. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 से कम नहीं रह जावे। नियम/मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के होते हुए भी विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सामटियों की ढाणी (जालसू खुर्द), चौखा की ढाणी (खुडी कलां), रातडियों की ढाणी, हनुमान नगर (खिंवताणा), किलको की ढाणी (बरना), खारचियों की ढाणी (निम्बोला बिस्वा), कायम खानियों की ढाणी (मोडी), बावरियों चौपड़ा नयागांव की ढाणी (लाडपुरा) को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) राजस्व ग्राम घोषित करना एक सतत प्रक्रिया है। जो ढाणी/ग्राम मापदण्डों को पूर्ण करते हैं, उन्हें नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़मेर जिले में राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड माइन्स लि. हेतु अवाप्त भूमि प्रकरण

487. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों राज्य में भूमि अवाप्ति के कितने प्रस्तावों को अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्त करने का फैसला लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाड़मेर जिले में आरएसएमएमएल हेतु अवाप्ति के लिए प्रस्तावित भूमि को अवाप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करने सम्बन्धी फैसला लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-4 व 6 की अधिसूचना के बाद कितने मामलों में भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का फैसला लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा विचाराधीन नए भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार अवाप्ताधीन मामलों में मुआवजा देने पर रोक लगा दी थी और बाद में हटा लिया गया? यदि हां, तो रोक लगाने व रोक हटाने के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में भूमि अवाप्ति के कुल 11 प्रस्तावों को अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्त करने का फैसला लिया गया। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिला में आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा शिवकर लिग्नाइट परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि में से समूह महा प्रबन्धक राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल (लिग्नाइट) जयपुर द्वारा ग्राम महाबार की 253.07 बीघा भूमि को धारा 4 की अधिसूचना से जनसुरक्षा की दृष्टि से मुक्त रखा गया है, विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-4 व 6 की अधिसूचना के बाद कुल 11 मामलों में भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का फैसला लिया गया। विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा विचाराधीन नये भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम के मद्देनजर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प.1(3)राज-6/11 जयपुर दिनांक 08.11.2011 (परिशिष्ट "द") के द्वारा अवाप्ताधीन मामलों में मुआवजा देने पर रोक लगा दी थी, तत्पश्चात समसख्यंक पत्र दिनांक 29.12.2011 (परिशिष्ट "य") के द्वारा अवाप्ताधीन मामलों में मुआवजा देने सम्बन्धी रोक को हटा लिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धनावड़ ग्राम (दौसा) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

488. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धनावड़ तहसील बसवा जिला दौसा में जेहड़ा से गणीची की ढाणी तक स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 3537/3483 कुल रकबा 22.29 हैक्टेयर गैर मुमकिन पर काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा तथा सरकार द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि नायब तहसीलदार बसवा द्वारा खसरा नं. 3537/3483 रकबा 2.53 हैक्टेयर व खसरा नं. 265 रकबा 0.20 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 258 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल अतिक्रमण रकबा 2.93 हैक्टेयर से दिनांक 15 फरवरी, 2011 को बेदखली का आदेश पारित कर दिनांक 20 फरवरी, 2011 को मौके पर फसल नीलामी की गयी थी? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति तथा नीलामी की राशि व नीलामी कर्ताओं के हस्ताक्षर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चरागाह भूमि पर वर्तमान में भी उक्त अतिक्रमियों का अतिक्रमण बरकरार है? क्या अतिक्रमण के लिए ग्राम हल्का पटवारी ने इस बाबत कोई रिपोर्ट तहसीलदार को दी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? क्या उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण न हो इस हेतु सरकार सम्बन्धितों को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री गोपाल मीणा)

(5) क्या सरकार उक्त चरागाह भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाकर महानरेगा के अन्तर्गत चारदीवारी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम धनावड़ तहसील बसवा जिला दौसा में जेहड़ा से गणीची की ढाणी स्थित चरागाह भूमि ख.नं. 3537/3483 कुल रकबा 22.59 है. चरागाह रिकार्ड दर्ज था। जिसमें 1.25 है. खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय नाथ की बगीची धनावड़ को आबंटित की जा चुकी है। इसके उपरान्त उक्त चरागाह भूमि ख.नं. 3537/3483 का ख.नं परिवर्तित होकर नवीन ख.नं. 3543/971 कुल रकबा 21.34 है. दर्ज रिकार्ड हुई है। उक्त ख.नं. की चरागाह भूमि में फसल रबी संवत 2068 में 12 व्यक्तियों द्वारा 1.83 है. भूमि पर गेहूं, सरसों, जौं की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध पटवारी हल्का धनावड़ द्वारा दिनांक 30.1.12 को अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों को विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 8.2.12 को उक्त अतिक्रमियों को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने, शास्ती वसूल करने एवं फसल नीलामी के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त गुढलिया व पटवारी हल्का धनावड़ द्वारा दिनांक 15.2.12 को खड़ी फसल को नीलामी करते हुए अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। अतिक्रमण का विस्तृत विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) जी हां। नायब तहसीलदार बसवा द्वारा ग्राम धनावड़ तहसील बसवा स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 3537/3483 रकबा 2.53 है. में से 1.78 है. व ख.नं. 265 रकबा 0.20 है., ख.नं. 258 रकबा 0.20 है. कुल किता 3 रकबा 2.93 है. में से 2.18 है. भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 15.2.11 को बेदखली आदेश पारित किया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 20.2.11 को मौके पर फसल नीलामी की गई थी। बेदखली व फसल नीलामी करने के पारित आदेश परिशिष्ट "ब-1" व नीलामी कर्ताओं के हस्ताक्षर युक्त प्रति परिशिष्ट "ब--2" संलग्न है।

(3) यह है कि उक्त अतिक्रमियों द्वारा फसल रबी संवत 2068 में

(राजस्व मंत्री)

उक्त चरागाह भूमि खसरा नं. 3537/3483 के नवीन खसरा नं. 3543/971 कुल रकबा 21.34 है. में से 1.83 है. भूमि पर उक्त 12 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 30.1.12 को प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गई है।

(4) जी हां। उक्त चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमियों को वर्तमान में फसल नीलामी कर भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है। भविष्य में अतिक्रमण न हो इसके लिए सम्बन्धित पटवारी हल्का, गिरदावर को पाबंद किया जा चुका है। इसके उपरांत भी यदि अतिक्रमण होता है तो संबंधित पटवारी हल्का गिरदावरी व अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के अन्तर्गत दंडित कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(5) उक्त चरागाह भूमि में वर्तमान में अतिक्रमण को हटवाया जा चुका है। जहां तक महानरेगा के अन्तर्गत चारदीवारी बनाने का प्रश्न है इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव प्रेषित करने पर महानरेगा के अन्तर्गत चारदीवारी बनाने की कार्यवाही हेतु पंचायत राज विभाग ही सक्षम है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खटवाड़ा ग्राम (जयपुर) की भूमि का नामांतरण प्रकरण

489. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में संवत् 2015 से 2034 में खसरा नम्बर 20, 22, 23, 25, 26, 198, 253, 409 व 410, 247, 625 एवं 635 किसके नाम दर्ज रहे हैं? वर्तमान में इन खसरों के क्या नम्बर है एवं किसके नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बरों के नामान्तरण अन्य के नाम खोले गये हैं? यदि हां, तो जिन दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण खोले गये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खोले गये नामान्तरणों की जमाबन्दी पर

(श्री कालीचरण सराफ)

यह नोट डाला गया है कि विक्रय पत्र अपठित है? यदि हां, तो फिर भी नामान्तरण खोले जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई नामान्तरण सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय के आधार पर खोले गये हैं? यदि हां, तो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की मिसल बन्दोबस्त संवत 2015-2034 में प्रश्नगत खसरा नम्बर निम्न व्यक्तियों के नाम दर्ज है -

खाता संख्या	नाम भोगता	नाम उपभोक्ता	नाम कृषक	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा
137	पटटी नं. 22 सुन्दरलालजी वल्द गंगाबक्शजी कौम पुरोहित सा. देह	-	खुदकाश्त पट्टीदार	247	2-4
146	उपरोक्त	-	सीतारामजी वल्द नानगरामजी कौम ब्राह्मण पुरोहित सा. देह	247/ 625/ 635	3-1
152	उपरोक्त	माफीदेन ठिकाना गौरीलाल वल्द भेरूबक्स ग्यारसा वल्द गोपीराम कौम ब्राह्मण सा. देह	खुदकाश्त माफीदार	247/ 625	1-9
172	पटटी नं. 28 सुन्दरलालजी हि. सीतारामजी वल्द नानगरामजी कौम पुरोहित सा. देह	-	खुदकाश्त हिस्सेदार	20 22 23 25 26 198 253 409 410	5-2 1-14 4-16 3-9 2-17 9-16 2-1 2-16 0-3

(राजस्व मंत्री)

प्रश्न में अंकित गत खसरा नं. 625 व 635 मिसल बन्दोबस्त संवत 2015-2034 में अंकित नहीं है। इनके स्थान पर खसरा नम्बर 247/625 व 247/625/635 अंकित है।

हाल बन्दोबस्त के दौरान उक्त गत खसरा नम्बरान की वर्तमान खातेदारी का विवरण निम्नानुसार है:-

साबिक ख.नं. व रकबा बीघा में	हाल ख.नं. रकबा हैक्टर में	वर्तमान खातेदारी विवरण
20-5 बीघा 2 बिस्वा	87- 0.74 88- 0.36 89- 0.21	छीतर पुत्र लादू कौम जाट सा. चतरपुरा उर्फ लाल्याका बास राहिन बैंक आफ इण्डिया शाखा नेवटा मुर्तहीन
22- 1 बीघा 14 बिस्वा	82- 0.36 83/1166-0.03	उपरोक्त
23- 4 बीघा 16 बिस्वा	81- 1.00	नवकार बिल्डमार प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय बी-27, श्याम नगर, जयपुर
	80/1167-0.13	श्रीमति करमजीत कौर पत्नी गुरूदेव सिंह बराड हि. 11/13 जाति सिख नि. विद्युत नगर, अजमेर रोड जयपुर विला रह्न छीतर पुत्र लादू हि. 2/13 राहिन बैंक आफ इण्डिया शाखा नेवटा मुर्तहीन
25- 3 बीघा 2 बिस्वा 26- 2 बीघा 17 बिस्वा	119 मि.- 0.05 119 मि.- 1.00 (1-78) 119 मि.- 0.73 वर्तमान में तीनों ख.नं. का एकीकरण कर 119 कर दिया गया है।	टेकचन्द पूनिया पुत्र हरि नारायण जाति जाट नि. जसवंतपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू
198- 9 बीघा 16 बिस्वा	512- 0.10 522- 1.11 539/1115- 0.10 519/1121- 0.36 521/1122- 0.02 514/1124- 0.29 523/1125- 0.48	गजानंद पुत्र रामचन्द्र हि. 1/2 कैलाश चंद पुत्र पोरवर हि. 1/2 जाति जाट निवासी खूसर तहसील सांगानेर

(राजस्व मंत्री)

साबिक ख.नं. व रकबा बीघा में	हाल ख.नं. रकबा हैक्टर में	वर्तमान खातेदारी विवरण
253- 2 बीघा 1 बिस्वा 247/625/635- 3 बीघा 1 बिस्वा	626- 0.02 627 मि.- 0.45 634/1182- 0.05 627- 0.77 634/1200- 0.04	छगन लाल पुत्र रामनाथ हि. 1/3 राह्नि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भांकरोटा मूलचंद, नानगराम पि. रामनाथ हि. 2/3 कौम माली सा. देह
409- 2 बीघा 16 बिस्वा 410- 03 बिस्वा	837- 0.64 838- 0.03	श्रीमती मनफूली देवी धर्मपत्नी चौथूराम जाति जाट सा. नेवटा
247- 2 बीघा 4 बिस्वा	622- 0.56	मै. खटवाडा एग्रो फार्मस प्रा.लि. पंजी. कार्यालय सांघी फार्म, टौंक रोड, जयपुर
247/625- 1 बीघा 9 बिस्वा	628- 0.34	नानगराम मूलचन्द पि. रामनाथ जाति माली निवासी खटवाडा

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त खसरा नम्बरों के नामान्तरकरण विभिन्न समय पर विभिन्न दस्तावेज के आधार पर खोले गये हैं। सम्बन्धित नामान्तरकरण काफी पुराने हैं। उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उपलब्ध जमाबन्दियों पर ऐसा कोई नोट अंकित नहीं किया गया है कि विक्रय पत्र अपठित है।

(4) जी हां। नामान्तरकरण संख्या 44 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर की मिसल संख्या 966/89 फैसल दिनांक 2/9/89 के आधार पर खोला गया है तथा मिसल संख्या 564/85 फैसल दिनांक 12/3/86 के आधार पर ही रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। मिसलों एवं नामान्तरकरण की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

थडोनल ग्राम (झालावाड़) के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का अवैध पंजीकरण

490. श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि सवर्ण (सामान्य) जाति के व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं हो सकती है? क्या ग्राम थडोनल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ में खसरा नम्बर 615/616/622/623 रकबा दिनांक 18 अक्टूबर, 1977 को श्री प्रताप पुत्र श्री चौथमल ने फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का व्यक्ति बनकर उक्त भूमि का अपने नाम आबंटन करवाया है? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का आबंटन अवैध माना गया है? यदि हां, तो आबंटन पत्र को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि को सवर्ण (सामान्य) जाति के व्यक्ति के नाम स्थान्तरण करने में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों द्वारा उक्त भूमि को एक मुख्तयारनामें के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचान करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में विधि विरुद्ध मुख्त्यारनामा निष्पादित करवाकर उक्त मुख्त्यारनामे द्वारा राजनैतिक, प्रभावशाली सवर्ण जातियों के पक्ष में उक्त भूमि की बेचान रजिस्ट्री करवाये जाने पर एक जांच पी. जी. सैल में भी विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त जांच में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त भूमि की फर्जी रजिस्ट्री में कौन-कौन व्यक्ति लिप्त है? क्या सरकार उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त भूमि का आबंटन पत्र रद्द कर उक्त भूमि पर से उक्त प्रभावशाली व्यक्तियों को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि सवर्ण (सामान्य) जाति के व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। ग्राम थरोल (थडोल) तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में ख.नं. 615, 616, 622, 623 को दिनांक 18.10.77 को प्रताप आ0 चौथमल जाति बारेठ के नाम आबंटन हुई है। आबंटन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की जाति बारेठ दर्ज है, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है।

(2) उक्त आबंटन किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा अवैध नहीं माना गया है। फिर भी जहां तक आबंटन निरस्तीकरण का प्रश्न है के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। बाद निष्कर्ष नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) उक्त जमीन के आबंटन आवेदन पत्र में आबंटी की जाति बारेठ (सवर्ण) दर्ज है। जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। चूंकि यह जमीन सवर्ण जाति के नाम ट्रांसफर हुई है। अतः आदिनांक तक किसी भी जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(4) जी हां। उक्त आबंटित भूमि को आबंटी के पुत्र/पुत्रियों द्वारा एक मुख्तारनामा के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को बेचान की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त बेचान किसी न्यायालय अथवा जांच में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में बेचान होना नहीं पाया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) यह सही है कि उक्त भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में मुख्तयारनामा निष्पादित हुआ था। उक्त मुख्तयारनामा विधि-विरुद्ध होने बाबत किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में एक जांच पी.जी. सेल में विचाराधीन थी । चूंकि विधान सभा प्रश्न के पूछे गये तथ्य एवं पी.जी. सेल में जैरकार जांच के तथ्यों की प्रकृति एक होने के कारण विधान सभा प्रश्न की मूल पत्रावली में समाहित कर लिया गया है। अब पी.जी. सेल में पृथक से कोई कार्यवाही जेरकार नहीं है ।

(6) उक्त जमीन से सम्बन्धित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा फर्जी घोषित किया गया हो ऐसी कोई जानकारी अब तक

(राजस्व मंत्री)

संज्ञान में नहीं है। ऐसी स्थिति में एफ.आई.आर. या अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(7) उक्त आबंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध मानकर रद्द नहीं हुआ है। जिला कलक्टर स्तर पर इसका विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। विधि परीक्षण उपरान्त उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

भानपुर कलां ग्राम (जयपुर) में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण

491. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) व **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिरण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम भानपुर कलां में खसरा नंबर 886/296 के गैर मुमकिन रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत शिकायतें तहसीलदार, जमवारामगढ एवं जिला कलक्टर, जयपुर को की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किसके द्वारा? सम्बन्धित शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों पर तहसीलदार द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जयपुर ने उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो कब व किसे? सम्बन्धित निदेशों/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अतिक्रमण को अब तक नहीं हटाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(6) क्या सरकार भानपुर कलां में खसरा नम्बर 886/296 के गैर मुमकिन रास्ते की जमीन से अतिक्रमण हटा कर पत्थरगढ़ी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम भानपुर कलां का मूल खसरा नम्बर 296 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा खातेदारी में दर्ज था । इस खसरे को बटवारा होने पर इसमें से खसरा नम्बर 886/296 रकबा 10 बिस्वा बनाया गया जो वर्तमान में प्रेमनारायण पुत्र रामपाल व आनन्दी लाल, अमृतलाल, प्रेमकुमार, कुंजबिहारी, रमेश कुमार पि. रामपाल जाति बागडा ब्रा. के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के विभाजन के समय उक्त 10 बिस्वा भूमि की किस्म जमीन चाही प्रथम गै.मु. रास्ता दर्ज की गई। खसरा नम्बर 296 के शेष भाग का खसरा नम्बर 885/296 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान में श्रीमती पांची देवी धर्म पत्नी बिरदीचन्द हिस्सा 1/2, बिरदीचन्द पुत्र किशन लाल जाति बागडा ब्रा. हिस्सा 1/2 साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्तानुसार प्रश्नागत भूमि गै.मु. रास्ते की सरकारी भूमि नहीं है। खातेदारी में दर्ज है। गै.मु. रास्ते की भूमि पर पड़ौसी खातेदार द्वारा अतिक्रमण करने के कारण खातेदारों में आपसी विवाद है ।

(2) उक्त खसरा नम्बर 886/296 रकबा 10 बिस्वा के एक खातेदार अमृतलाल के पुत्र श्री दीपक शर्मा ने जिला कलक्टर जयपुर को दिनांक 05.01.2012 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर की सीमाबन्दी (पत्थरगढी) पुलिस की मौजूदगी में कराने का निवेदन किया था। इस प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ को अतिक्रमण हटाने व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये थे । शिकायत की प्रति संलग्न है । (संलग्नक-1)

(3) उक्त निर्देशों के पश्चात उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 110 दिनांक 16.01.2012 से प्रकरण में तथ्यों की जांच कर तत्काल प्रभाव से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 20.01.2012 को रिपोर्ट लेने पर पटवारी हल्का ने खातेदारों का आपस में अतिक्रमण बताया । इस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.01.2012 को सीमाज्ञान की कार्यवाही करने हेतु टीम गठित की गई तथा मौके पर शांति व्यवस्था हेतु थानाधिकारी जमवारामगढ़ को लिखा गया। दिनांक 02.02.2012 को सीमाज्ञान कार्यवाही में खसरा नम्बर 885/296 की खातेदारों की फसल मौके पर खड़ी होने के कारण उनके द्वारा विरोध करने पर जरीब नहीं चला पाने के कारण सीमाज्ञान

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही नहीं की जा सकी। जिससे सीमाज्ञान नहीं होने के कारण खातेदारों के आपसी अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

(4) जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.01.12 को अतिक्रमण हटाने व पत्थरगढ़ी कराने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में जिला कार्यालय से पत्र संख्या सतर्कता/कप/(7)12/265 दिनांक 09.01.12 उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित किया गया। निर्देश/आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

(5) मूलत: प्रकरण सरकारी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित नहीं है। खातेदारी भूमि में दर्ज रास्ते की भूमि पर पड़ोसी खातेदार द्वारा अवरोध/हस्तक्षेप करने सम्बन्धी है। शिकायतकर्ता द्वारा इसकी पत्थरगढ़ी चाही जा रही है जो पड़ौस के खसरे में फसल खड़ी होने के कारण पड़ोसी खातेदार द्वारा विरोध करने के कारण नहीं हो सकी है। फसल कटते ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(6) पड़ोस के खसरे में फसल खड़ी होने के कारण पड़ोसी खातेदार द्वारा विरोध करने के कारण पत्थरगढ़ी नहीं हो सकी है। फसल कटते ही पत्थरगढ़ी कर दी जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

492. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर में विभिन्न न्यायालयों में कितने राजस्व सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक प्रकरण दस वर्षों से भी अधिक अवधि से लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर में विभिन्न न्यायालयों में कुल 1547 राजस्व प्रकरण लम्बित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दस वर्ष से अधिक अवधि का कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

(3) राज्य में जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाये जाने एवं प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से सभी तहसील स्तर पर उप खण्ड अधिकारी कार्यालय खोले जा चुके हैं। साथ ही जहां राजस्व वादों की संख्या ज्यादा है, वहां सहायक जिला कलक्टर कार्यालय भी खोले गये हैं। वर्तमान में मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से राज्य में 50 सहायक कलक्टरों के फास्ट ट्रेक न्यायालय स्थापित किये जाने की घोषणा की है। जिससे विभिन्न जिलों से बकाया प्रकरण स्थानान्तरित कर और सहायक कलक्टरों द्वारा जिलों में कैंप आयोजित कर निश्चित समय सीमा में इन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाई जाकर त्वरित निस्तारण बाबत राज्य स्तर से पत्र दिनांक 24/1/2011 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा राजस्व मण्डल के पत्रांक 789-821 दिनांक 7/2/2011 द्वारा भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाकर लम्बित वादों के सम्बन्ध में मासिक समीक्षा की जा रही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा में बायोलोजिकल पार्क की स्वीकृति

493. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा अभेड़ा महल के पास सरकार द्वारा बायोलोजिकल पार्क स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इस पर कितनी लागत आयेगी और इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

(2) क्या उक्त बायोलोजिकल पार्क की स्वीकृति के लिए सेंट्रल जू आथोरिटी को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(3) उक्त बायोलोजिकल पार्क का कुल क्षेत्र कितना होगा और क्या दर्शकों को खुले में वन्य जीवों को देखने की सुविधा के लिए लायन व टाइगर सफारी की व्यवस्था होगी तथा कितनी प्रजाति के वन्य जीव इसमें होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क के अनुमोदित कन्सैप्ट प्लान के आधार पर नगर विकास न्यास, कोटा की सहायता से विस्तृत डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। डी.पी.आर. तैयार होने पर लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा। मास्टर प्लान एवं विस्तृत डी.पी.आर. का अनुमोदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त होने के उपरान्त विकास कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क के कन्सैप्ट प्लान का अनुमोदन दिनांक 17.02.2009 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त हो गया है एवं मास्टर प्लान अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई है जिस पर विचार किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क का प्रस्तावित क्षेत्रफल 126 हैक्टेयर है। दर्शकों को वन्य जीवों को खुले क्षेत्र में देखने की सुविधा प्रस्ताव में शामिल है। लायन व टाइगर सफारी वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। पार्क में 56 प्रजाति के देशी-विदेशी वन्य जीवों का प्रदर्शन प्रस्तावित है।

अलवर के सामान्य चिकित्सालय में आई.सी.यू. यूनिट की स्थापना

494. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एक आई.सी.यू. यूनिट खोले जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त यूनिट के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति की घोषणा की गई और उक्त राशि में से भवन एवं उपकरणों पर कितनी-कितनी राशि का विनियोजन किया जाना निर्धारित किया गया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3 क्या उक्त यूनिट का निर्माण किया जा चुका है? यदि हां, तो कहां व कितने बैड की यूनिट का और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त यूनिट में सभी आवश्यक उपकरण स्थापित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में दिनांक 9 मार्च, 2010 को जिला चिकित्सालय अलवर में आई सी यू स्थापित करने की घोषणा की गई।

(2) जिला चिकित्सालय अलवर में आई सी यू के निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.7.2010 के द्वारा राशि रुपये 23 लाख 45 हजार की स्वीकृत जारी की गई। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया गया। जिला चिकित्सालय अलवर में आई सी यू के लिए राशि रुपये 53 लाख 58 हजार (आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के माध्यम से) एवं एयरकन्डीशनर, अटेन्डेन्ट स्टूल एवं चेयर्स हेतु राशि रुपये 1 लाख 75 हजार (चिकित्सा विभाग के माध्यम से) की स्वीकृति जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जिला चिकित्सालय अलवर में 10 शैयाओं के आई सी यू का निर्माण जिला चिकित्सालय के परिसर में हो गया है जिसका दिनांक 21.9.2011 को अधिग्रहण कर लिया गया है।

(4) जिला चिकित्सालय अलवर की आई सी यू यूनिट में आई सी यू से सम्बन्धित आवश्यक उपकरण स्थापित कर दिये गये हैं। परन्तु आई सी यू में आक्सीजन प्लान्ट के कारण अभी नये भवन में आई सी यू यूनिट का संचालन नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला चिकित्सालय अलवर में आई सी यू के भवन में सेण्ट्रल मेडिकल गैस सिस्टम लगाने हेतु राशि रुपये 20 लाख की स्वीकृति जारी की गई, परन्तु विभागीय दर संविदा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चिकित्सालय के आई सी यू के भवन में सेण्ट्रल मेडिकल गैस सिस्टम नहीं लगाया जा सका।

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

8.12.2011 के द्वारा जिला चिकित्सालय अलवर में सेन्ट्रल मेडिकल गैस सिस्टम लगाने हेतु राशि रुपये 20 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी के चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

495. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कितने-कितने सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्रों में से कुछ केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य (ए.एन.एम.) आदि के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के रिक्त पदों का संख्या विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथा संभव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लेब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं वार्डबाय के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलौदी
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोर्डिया
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खारा
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवरीज
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोजासर
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारू
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानसिंह की सिड
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाम्बा
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलनसर
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाम्पासर
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानासर

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के रिक्त पदों का संख्या विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	फलौदी स्वास्थ्य केन्द्र फलौदी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सीएमओ)	1
		चिकित्सा अधिकारी (अस्थि रोग)	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		वरिष्ठ लिपिक	1
2	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र बाप	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1
		चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोर्डिया	चिकित्सा अधिकारी	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खारा	चिकित्सा अधिकारी	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांवरीज	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोजासर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		वार्डबाय	1
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारू	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		वार्डबाय	1
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानसिंह की सिड	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाम्बा	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टेक्निशियन	1
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलनसर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाम्पासर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टेक्निशियन	1
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानासर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टेक्निशियन	1

बायतू के चिकित्सालयों में स्टाफ हेतु आवासीय सुविधाएं

496. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं स्टाफ के ठहराव हेतु आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बायतू में किन-किन चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्टाफ हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या उक्त सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पाटोदी, नोसर, झाक, परेड एवं हीरा की ढाणी चिकित्सालयों पर मानदण्डों के अनुसार पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के आवास गृह उपलब्ध हैं अथवा नहीं की चिकित्सा संस्थानवार सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में चिकित्सक एवं स्टाफ के आवास गृह मांग/आवश्यकता के आधार पर निर्मित करवाये जाते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदी में चिकित्सक का 1 एवं नर्सिंग स्टाफ के 2 आवास गृह निर्मित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाक एवं हीरे की ढाणी तथा ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, परेउ एवं नोसर में आवास गृह निर्मित नहीं हैं।

आगामी वित्तीय वर्षों में उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के आवास गृह आवश्यकता के आधार पर निर्मित करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के आवास गृह की चिकित्सा संस्थानवार सूचना निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	उपलब्ध आवास गृहों की संख्या	
		चिकित्सक	अन्य स्टॉफ
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतू	2	6
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवाउ पदमसिंह	-	-
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाटाडू	1	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	उपलब्ध आवास गृहों की संख्या	
		चिकित्सक	अन्य स्टाफ
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमडा	-	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिडा	1	3
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड	1	3
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झांक	-	-
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवातला	-	-
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटौदी	1	2
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हीरा की ढाणी (नवसृजित पीएचसी)	-	-
11	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, परेउ	-	-
12	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, नौसर	-	-

हनुमानगढ़ जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद

497. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए कोई मानक निर्धारित है? क्या उक्त निर्धारित मानकों के आधार पर वर्तमान में जिला हनुमानगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के चिकित्सा संस्थानों में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्तमान में स्टाफ के पद स्वीकृत कराये जाने का प्रावधान है। मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जिला हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में कनिष्ठ

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विशेषज्ञ का 1 पद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया में चिकित्सा अधिकारी का 1 पद निर्धारित मापदण्ड से कम स्वीकृत है। जिला हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड से नर्स श्रेणी द्वितीय के 25 पद कम स्वीकृत हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार उक्त पदों को स्वीकृत करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सिंग स्टाफ के पद निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत है।

जिला हनुमानगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक पद तथा स्वीकृत एवं रिक्त पदों का केन्द्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(2) जिला हनुमानगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, उप नियंत्रक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) तथा नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत/पदस्थापित का पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बयाना एवं रूपवास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद

498. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बयाना एवं रूपवास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों की कमी से जनता के इलाज में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में चिकित्सकों के 12 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 पदों पर चिकित्सक कार्यरत/ पदस्थापित हैं 1 पद रिक्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास में चिकित्सकों के 7 पद स्वीकृत है, जिनमें से 5 पदों पर चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित हैं 2 पद रिक्त है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद विभागीय पदौन्नती समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

जहाजपुर में चिकित्सकों के रिक्त पद

499. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाडा में 1 जनवरी, 2012 को चिकित्सकों यथा वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, चिकित्साधिकारी के किस-किस चिकित्सालय में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने-कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयवार एवं पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर में 1 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं 2 चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पद दिनांक 8 जनवरी, 2012 से ही रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में 1 जनवरी, 2012 को चिकित्सकों के स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यरत/

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित चिकित्सा संस्थावार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर में 1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा 1 चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर में डा. कैलाश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी दिनांक 22.02.2012 से कार्यरत है तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु डा. हरीकिशन शर्मा चिकित्सा अधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर से कार्य सम्पादन हेतु लगा रखा है।

(3) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथा सम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीनगर (अजमेर) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

500. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर (अजमेर) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु बार-बार प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा इसे क्रमोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अन्तर्गत पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन का आंशिक क्षेत्र आता है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति पीसांगन एवं श्रीनगर के क्रमश: 1 एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति पीसांगन में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल 11 चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं। इसलिए उक्त पंचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति श्रीनगर के 3 ग्रामों में चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर पंचायत समिति श्रीनगर के अन्तर्गत आती है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति श्रीनगर के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

झुन्झुनूं जिले के निजी मेडिकल कालेजों में कार्यरत स्टाफ

501. **श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् नई दिल्ली व राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त कितने सरकारी व निजी 'बी' फार्मेसी व 'डी' फार्मेसी कालेज हैं? नामों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निजी 'बी' फार्मेसी व 'डी' फार्मेसी कालेजों में योग्यतानुसार पर्याप्त स्टाफ है? यदि हां, तो निजी कालेजों की सम्पूर्ण स्टाफ की सूची मय पद, योग्यता एवं ये कब से कार्यरत हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फार्मेसी कौन्सिल आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला झुन्झुनू में 3 निजी फार्मेसी कालेज संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला झुन्झुनूं में बिडला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइन्स, पिलानी जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, में भी निजी फार्मेसी कालेज संचालित है।

जिला झुन्झुनूं में सरकारी फार्मेसी कालेज संचालित नहीं है।

(2) फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया के द्वारा फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत मान्यता प्रदान तभी की जाती है जब उस कालेज में योग्यतानुसार पर्याप्त स्टाफ, सुसज्जित लैब इत्यादि होती है। उक्त कालेजों में कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशि ष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइन्स, पिलानी में कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद

502. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक चिकित्सा

(श्री ओटाराम देवासी)

विभाग में कितनी भर्तियां कौन-कौन से पदों पर की गईं और उक्त भर्तियों में से सिरोही जिले में कितनी नियुक्ति हुईं और उनमें से कितनों ने कार्य ग्रहण किया? जिलेवार व विधान सभा क्षेत्र वार एवं पदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला सिरोही में कितने और किस स्तर के राजकीय अस्पताल संचालित हैं तथा उक्त अस्पतालों में कौन-कौन से पद स्वीकृत एवं उनमें से कितने पद भरे व कितने पद कब से रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार व अस्पताल वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त जिले से जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक कितने डाक्टरों का स्थानान्तरण कहां-कहां किया गया? वर्षवार व नामवार सूचना सूची की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक कितने डाक्टरों का स्थानान्तरण अन्य जिलों से सिरोही जिले में किया गया एवं उनमें से कितनों ने कार्य ग्रहण किया व कितनों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये तथा निरस्त होने पर उक्त डाक्टरों को कहां पर लगाया एवं वर्तमान में कहां कार्यरत हैं? वर्षवार व नाम वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त जिले में स्थानान्तरित डॉक्टरों द्वारा आदेशों की पालना नहीं कर कार्य ग्रहण नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त जिले में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियों का जिलेवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

जिला सिरोही में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियों का एवं उनमें से कार्य ग्रहण करने वाले चिकित्सकों/कर्मचारियों का विधान सभा क्षेत्रवार एवं पदवार संख्या परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जिला सिरोही में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ति की तिथि सहित विधा सभा क्षेत्रवार एवं चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'स' पर प्रस्तुत है।

(3) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक सिरोही जिले से अन्यत्र स्थानान्तरण किये गये चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट 'द' पर प्रस्तुत है।

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक अन्य जिलों से सिरोही जिले में स्थानान्तरण किये गये चिकित्सकों के नाम तथा उनके कार्य ग्रहण करने अथवा नहीं करने का विवरण परिशिष्ट 'य' पर प्रस्तुत है। उक्त अवधि में किसी भी चिकित्सक का स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किया गया है। मार्च, 2010 में डा. शीलप्रभा नाहर, चिकित्सा अधिकारी, पी.जी. पैथोलोजी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सगतड़ा, उदयपुर को सामान्य चिकित्सालय, सिरोही में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत लगाया गया था, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से कार्य ग्रहण नहीं किया तथा मई, 2010 में डा. नाहर का स्थानान्तरण सगतड़ा से उदयपुर मे किये जाने के फलस्वरूप मेडिकल कालेज, उदयपुर में कार्यरत है।

(5) जी हां, स्थानान्तरण आदेशों की पालना नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कुछ चिकित्सकों ने माननीय न्यायालय से स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है, सूची परिशिष्ट 'र' पर प्रस्तुत है।

(6) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथा सम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-503

(स्थगित)

खाजूवाला के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

504. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कुल कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं व प्रत्येक में कुल कितने पद डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार स्वीकृत पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त हैं? स्वीकृत पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार पदस्थापन व रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 राजकीय मोबाइल डिस्पेन्सरी संचालित है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल/नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों का संख्या विवरण चिकित्सा संस्थानवार परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय मोबाइल डिस्पेन्सरी में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल/नर्सिंग स्टाफ के कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पद विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथा सम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं दन्त टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लेब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय मोबाइल डिस्पेन्सरी में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल/नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्यावार विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	-	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	-	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	-	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	-	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	-	1	-
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बी.सी.एम.ओ.)	1	-	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	4	4	-	-
		चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7
		नर्स श्रेणी प्रथम	3	-	3	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	9	2	7	-
		सहायक रेडियोग्राफर	1	1	-	-
		लेब टेक्नीशियन	2	1	1	-
		दन्त टेक्नीशियन	1	-	1	-
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयमलसर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-	-
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	-
		लेब टेक्नीशियन	1	1		-
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतरगढ़	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3	3	-	-
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-	-
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	-
		लेब टेक्नीशियन	1	1	-	-
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानेर दामोलाई	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	-
		लेब टेक्नीशियन	1	1	-	-
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजासर भाटियान	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	1	-
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	-
		लेब टेक्नीशियन	1	1	-	-
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूगल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	1	-
		लेब टेक्नीशियन	1	1	-	-
7	राजकीय मोबाईल डिस्पेन्सरी, पूगल	चिकित्सा अधिकारी	1	-	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-	-
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	-

भीलवाड़ा जिले के नियोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता

505. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जिला भीलवाड़ा में कितने बेरोजगार छात्रों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन है?

(2) क्या सरकार द्वारा इनको कोई भत्ता या अनुदान राशि दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा में दिनांक 29.02.2012 को 8616 बेरोजगार आशार्थी सजीव पंजिका पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में रोजगार विभाग द्वारा इनको कोई भत्ता या अनुदान राशि नहीं दी जा रही है ।

भरतपुर सम्भाग के श्रम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें

506. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर सम्भाग में कौन-कौन से श्रम कार्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं व इनमें किस-किस श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थापित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त में से कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थल एवं पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी एवं किस आदेश से, कब से तथा किन कारणों से? संबंधित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सम्भाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापन स्थल पर कार्य करने हेतु पाबंद करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भरतपुर सम्भाग में स्थित कार्यालयों, स्वीकृत पदों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) सवाई माधोपुर कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक श्री श्यामसुन्दर को कार्य व्यवस्था में करौली कार्यालय में आदेश क्रमांक एफ 1(1) करौली/स्था/01/10891/ 96 दिनांक 7.8.09 के द्वारा लगाया हुआ है, तथा मूल पदस्थापन स्थल पर कार्यरत नहीं है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यरत हैं। मूल पदस्थापन के साथ-साथ भरतपुर सम्भाग में अन्य स्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने का विवरण निम्न प्रकार है

1.	श्री रामसिंह भण्डारी श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर।	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर व करौली का अतिरिक्त चार्ज
2.	श्री प्रमोद गुप्ता, श्रम निरीक्षक, धौलपुर	श्रम निरीक्षक, भरतपुर व करौली का अतिरिक्त चार्ज
3.	श्री अनिल अग्रवाल, श्रम निरीक्षक, कोटा	श्रम निरीक्षक, सवाई माधोपुर का अतिरिक्त चार्ज

(3) अधिकारी/कर्मचारियों की कमी के कारण मूल स्थान के स्थान पर अन्य स्थान पर अधिकारी/कर्मचारी लगाये जाते हैं ताकि राजकीय कार्य बाधित न हो। स्टाफ की पर्याप्त भर्ती के पश्चात् इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

परिशिष्ट-अ

भरतपुर सम्भाग में 4 जिलों में निम्नलिखित श्रम कार्यालय कार्यरत हैं :-

1. सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर।
2. सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर।
3. श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर।
4. श्रम कल्याण अधिकारी, करौली।

उक्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण मय स्वीकृत पदों के निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जिला कार्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	नाम अधिकारी/कर्मचारी	कब से कार्यरत है
1.	भरतपुर	संयुक्त श्रम आयुक्त	1	श्री एल.एन. जोशी	7.3.11
		श्रम कल्याण अधिकारी	1	श्री आर.एस. भण्डारी	23.7.10
		श्रम निरीक्षक	2	-	रिक्त
		कनिष्ठ लेखाकार	1	श्री आदेश कुमार	7.1.11
		वरिष्ठ लिपिक	2	श्री शिवलहरी शर्मा	3.8.06 1 पद रिक्त
		कनिष्ठ लिपिक	3	श्री डालचंद श्री शेरसिंह श्री धारासिंह	5.1.87 30.9.96 11.7.05
		च.श्रे. कर्मचारी	4	श्री पदमसिंह श्री हरीसिंह श्री शशिपाल श्री रामसहाय	4.4.83 7.4.88 20.8.02 25.8.06
2	सवाई माधोपुर	सहायक श्रम आयुक्त	1	श्री रघुवीर पूनिया	31.1.11
		श्रम निरीक्षक	2	2 पद रिक्त	-

क्र. सं.	जिला कार्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	नाम अधिकारी/कर्मचारी	कब से कार्यरत है
		वरिष्ठ लिपिक	1	पद रिक्त	-
		कनिष्ठ लिपिक	3	श्री गोकुल सिंह श्री रमेश चन्द श्री श्यामसुन्दर	3/09 7/96 14.8.09 से श्र.क. अधिकारी, करौली के यहां कार्यरत हैं।
		च.श्रे. कर्मचारी	3	श्री कन्हैया प्रसाद श्री रणजीता मीणा श्री सम्पत लाल	23.7.10 16.5.11 16.8.02
3	धौलपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1	रिक्त पद	14.2.08
		श्रम निरीक्षक	1	श्री प्रमोद गुप्ता	16.7.01
		कनिष्ठ लिपिक	1	श्री सुनील शर्मा	27.7.2000
		च.श्रे. कर्मचारी	2	श्री वीरेन्द्र शर्मा श्री वीरेश्वर	30.5.96 29.8.06
4.	करौली	श्रम कल्याण अधिकारी	1	रिक्त पद	-
		श्रम निरीक्षक	1	रिक्त पद	-

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक/एफ.1(1)()करौली/स्था./01/ जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री श्यामसुन्दर क.लि. कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर को कार्यालय श्रम निरीक्षक, करौली में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करने हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

श्रम आयुक्त,

राजस्थान, जयपुर

सीकर राजकीय संग्रहालय की प्राचीन मूर्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

507. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय संग्रहालय सीकर की मूर्तियां सीकर राज परिवार को दी गई थीं? यदि हां, तो कब व कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर के भूतपूर्व राव राजा की प्राचीन मूर्तियों का पंजीकरण हो चुका है?

(3) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रेशन शुदा सामग्री में से कुछ को खुर्दबुर्द किया जा चुका है?

(4) क्या उक्त मूर्तियों के चोरी होने की कोई शिकायत जिला कलक्टर को प्राप्त हुई है?

(5) क्या सरकार पुरातात्विक सम्पदाओं को किसी व्यक्ति या राज परिवार के पास छोड़ सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार इन मूर्तियों को राज परिवार से लेकर पुनः राजकीय संग्रहालय, सीकर में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । सीकर के भूतपूर्व राव राजा द्वारा 211 मूर्तियों का पंजीकरण करवाया गया हैं।

(3) विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां । पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या राज परिवार के पास उसकी निजी पुरासम्पादाएं रह सकती हैं। नियम की प्रति संलग्न हैं।

(6) सरकार द्वारा राज परिवार को कोई भी मूर्तियां नहीं दी गई हैं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति

508. **श्रीमती रोहिणी कुमारी** (करौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो कब एवं कुल कितनी राशि की?

(2) क्या यह भी सही है कि चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है? क्या सरकार उक्त परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना एक अन्तर्राज्यीय नदी पर स्थित होने के कारण इसमें मध्य प्रदेश सरकार की सहमति आवश्यक है? क्या मध्य प्रदेश सरकार से इस हेतु सहमति ली जा चुकी है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है? क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है?

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक रूप से चम्बल-पांचना लिफ्ट परियोजना का 2 चरणों में मात्र प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था। प्रथम चरण राशि रुपये 128 करोड़ व द्वितीय चरण राशि रुपये 23 करोड़, जिसकी प्रति प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त परियोजना एक अन्तर्राज्यीय नदी पर स्थित होने के कारण इसमें मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लम्बित है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार का विवरण प्रपत्र-'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। लेकिन अभी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की सहमति एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी जिसके लिए राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियां प्रपत्र-'स' के अनुसार संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पीपल्दा के उपखण्ड इटावा हेतु प्रस्तावित लिफ्ट परियोजना

509. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उपखण्ड इटावा के चम्बल कमाण्ड एरिया में नई लिफ्ट परियोजना से सिंचाई के लिए प्रस्ताव बनवाये गये हैं? यदि हां, तो कब?प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुख्य अभियंता जल संसाधन जोन कोटा के पत्र क्रमांक सी.ई./डब्ल्यू आर/कोटा/टेक्निकल/एफ-32(आर)/9021 दिनांक 16 जुलाई, 2010 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता झालावाड़ को प्रस्ताव बनाने के लिए लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रेमचन्द)

(3) क्या सरकार उक्त लिफ्ट परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मुख्य अभियंता जल संसाधन जोन कोटा के पत्र क्रमांक सी.ई./डब्ल्यूआर/कोटा/टेक्निकल/एफ-32(आर)/9021 दिनांक 6.7.2009 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सर्वे एवं अनुसंधान (जल संसाधन) वृत झालावाड़ को लिफ्ट परियोजनाओ के लिए उपादेयता प्रतिवेदन (फिजीबिलिटी रिपोर्ट) बनाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिंध परियोजना वृत, झालावाड़ ने पत्रांक 342 दि. 11.8.2010 द्वारा चार परियोजनाओं क्रमशः इटावा ब्रांच आरडी 1765 पर, गेता डिस्ट्रीब्यूटरी आरडी 345 पर, खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी आरडी 300 पर, लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी आरडी 600 पर लिफ्ट परियोजनाओं के उपादेयता प्रतिवेदन (फिजीबिलिटी रिपोर्ट) प्रस्तुत किया गया था लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल (NBWL) की स्थायी समिति की आयोजित 22वीं बैठक दिनांक 25.04.2011 में यह निर्णय किया कि चम्बल नदी में पानी के वर्तमान अपर्याप्त एवं गिरते हुए बहाव के कारण भविष्य में किसी भी नई परियोजना पर विचार नही किया जावे। इस परिपेक्ष में उक्त लिफ्ट परियोजनाएं वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल (NBWL) की स्थायी समिति की आयोजित 22वीं बैठक दिनांक 25.04.2011 में यह निर्णय किया कि चम्बल नदी में पानी के वर्तमान अपर्याप्त एवं गिरते हुए बहाव के कारण भविष्य में किसी भी नई परियोजना पर विचार नहीं किया जावे। इस परिपेक्ष में उक्त लिफ्ट परियोजनाएं वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बिलाड़ा के बोरूंदा-घोडावाड बांध की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण

510. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा स्थित (बोरूंदा-घोडावड) बांध क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से एवं इसमें क्या-क्या कार्य करवाने हैं एवं कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा इस बांध को मरम्मत हेतु मनरेगा या अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस योजना में एवं कब-कब प्रस्तावित किया गया? और नहीं, तो क्यों? कार्य योजना में लिये गये प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त बांध के टूटने के तकनीकी कारणों की जांच कराई गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त बांध एवं तालाब के टूटने के कारण जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह बांध दिनांक 05.07.2007 से क्षतिग्रस्त है। इस बांध के कार्य के अन्तर्गत बांध के नदी भाग में टूटे भाग का पुनर्निर्माण, ओवर फ्लो क्षमता बढ़ाने एवं ओवर फ्लो डाउन स्ट्रीम में प्रोटेक्शन कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों (वर्ष 2009 की बी.एस.आर.) की अनुमानित लागत रुपये 135.95 लाख है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत हेतु प्रस्ताव रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन (आर.आर. एण्ड आर.) के अन्तर्गत जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 20.01.2011 को प्रेषित किये गये हैं जिनकी स्वीकृति उपरान्त एवं बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। इस बांध की मरम्मत हेतु प्रस्ताव रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन (आर.आर. एण्ड.आर.) योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। पत्र की प्रति प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(4) जी नहीं। क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षा होने से बांध में अत्यधिक पानी की आवक से बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण जांच नहीं करवायी गयी थी।

(5) जी नहीं। क्योंकि बांध के प्राकृतिक आपदा से टूटने के कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं थे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ के किसानों को मुआवजा

511. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अत्यधिक सर्दी एवं पाला पड़ने के कारण जिला चूरू एवं विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में किसानों की फसल 80 प्रतिशत तक खराब हो चुकी है? क्या सरकार द्वारा इसका सर्वे करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सर्वे के परिणाम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के किसानों को फसलें खराब होने के कारण मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना मुआवजा निर्धारित किया गया है और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले की रबी फसल संवत 2068 की गिरदावरी रिपोर्ट की प्रति जिसमें फसल खराबे की स्थिति दर्शायी गई है, परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पर्यटन विकास नीति

512. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) क्या गत 3 वर्षों में राज्य में पर्यटकों के आने में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति-2001, पर्यटन इकाई नीति-2007 एवं ग्रामीण पर्यटन विकास योजना बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010 में इको-ट्यूरिज्म नीति-2010 बनी हुई है।

(2) गत 3 वर्षों में राज्य में भ्रमण हेतु आए देशी एवं विदेशी पर्यटकों की वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	पर्यटकों की संख्या			गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन प्रतिशत में		
		देशी	विदेशी	योग	देशी	विदेशी	योग
1	2009	25558691	1073414	26632105	-9.87	-27.36	-10.74
2	2010	25543877	1278523	26822400	-0.06	19.11	0.71
3	2011	27137323	1351974	28489297	6.24	5.74	6.21

सूरसागर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

513. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितनों के पास राजकीय भवन नहीं है तथा उन्हें कब तक राजकीय भवन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवन उपलब्ध करवाये जाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये और इनके क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(4) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं और उक्त प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान में कुल 79 आंगनबाड़ी केन्द संचालित है। विवरण सहित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 78 आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों में संचालित नहीं है। परियोजना शहरी क्षेत्र में स्थित है, जहां राजकीय विधालयों में स्थान उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। आंगनबाडी भवन निर्माण के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं है। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में यदि आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध हो जाते हैं तो राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के आंगनबाडी केन्द्रों को राजकीय भवन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये किन्तु केवल एक विद्यालय में स्थान उपलब्ध हो पाया, जहां केन्द्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

(4) विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में नया आंगनबाडी केन्द्र खोलने के 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन्हें परीक्षण के उपरान्त भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृत हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकेगा तथा भारत सरकार की स्वीकृत उपरान्त राज्य सरकार स्तर से स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार की गुणवत्ता

514. **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में गरम पूरक पोषाहार की निरन्तर आपूर्ति गुणवत्ता के संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(2) उक्त अवधि में केन्द्रीकृत पूरक पोषाहार आपूर्ति के सम्बन्ध में गुणवत्ता की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) भविष्य में पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बनध में सरकार की क्या कार्य योजना है? कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विभाग को गरम पूरक पोषाहार की निरन्तरता एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में यद्यपि लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई किन्तु कतिपय प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान तथा मौखिक रूप से स्थानीय लोगों से गरम पूरक पोषाहार समय पर प्रदान नहीं करने अथवा उसके गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को गरम पूरक पोषाहार की निरन्तर आपूर्ति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।

(2) उक्त अवधि में केन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं

1. जोधपुर एवं पाली में आपूर्तित की गई पंजीरी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में

2. बस्सी जिला जयपुर एवं दिवराला परियोजना श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आपूर्ति की गई पंजीरी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में

उक्त शिकायतों के आधार पर सैम्पल प्राप्त कर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गये, जिस पर जोधपुर एवं पाली में आपूर्तिकर्ता फर्म के तीन सैम्पल तथा बस्सी जिला जयपुर एवं श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आपूर्तिकर्ता फर्म का एक सैम्पल निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर इनके विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की गई।

(3) विभाग द्वारा जिस उप निदेशक के क्षेत्राधिकार में पोषाहार निर्माण इकाई स्थापित है उसे निर्माण के दौरान स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के उपस्थित रहकर गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं। साथ ही पोषाहार की फील्ड में आपूर्ति के उपरान्त परियोजनाओं से नमूने लिये जाने

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

की प्रक्रिया निर्धारित है एवं विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा रेण्डम आधार पर प्रत्येक आपूर्ति आदेश में से एक नमूना लेकर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच करवाई जाती है।

आपूर्ति आदेश के साथ यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि सामग्री के प्राप्तकर्ता अधिकारी माल की आपूर्ति तभी स्वीकार करें जब पूरक पोषाहार सही एवं खाने योग्य स्थिति में प्राप्त हो। प्रथम दृष्टया अनुपयुक्त पाये जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति नहीं लेने और यदि इस प्रकार का पोषाहार प्राप्त हो भी जाता है तो उसे तत्काल निविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म के खर्चों पर बदलवायें। पोषाहार गुणवत्ता हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गुणवत्ता नियत्रंण के लिए तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में सम्पूर्ण आरटीई पूरक पोषाहार के प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियत्रंण के लिए कमेटियां गठित की हुई हैं।

कठूमर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बकाया मानदेय प्रकरण

515. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती मंजू देवी शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कानेटी (कठूमर) जिला अलवर दिनांक 10 जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक कार्यरत थी? यदि हां, तो उसे किस आधार पर हटाया गया तथा बिरमा देवी सैनी को किस आधार पर लगाया गया? कारण सहित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती मंजू देवी शर्मा का मई, 1997 से दिसम्बर, 1998 तक का मानदेय बकाया है? यदि हां, तो अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं।

(3) क्या सरकार श्रीमती मंजू देवी शर्मा को पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रीमती मंजू देवी शर्मा 10.07.91 से 06.06.97 तक आंगनबाड़ी केन्द्र कानेटी परियोजना कठूमर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थी। श्रीमती मंजू देवी शर्मा अपने उक्त कार्यकाल के दौरान अक्सर बिना पूर्व सूचना के केन्द्र से अनुपस्थित रहती थी, इस बाबत् जब इनसे तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, कठूमर के द्वारा मौखिक रूप से स्पष्टीकरण चाहा गया तो इसके प्रतिउत्तर के रूप में श्रीमती मंजू देवी ने दिनांक 17.04.96 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह भविष्य में नियमित रूप से केन्द्र का संचालन करेगी और बिना छुट्टी के केन्द्र से अनुपस्थित नहीं होगी एवं भविष्य में केन्द्र बन्द मिलता है, तो सेवाएं बिना सूचना के समाप्त कर दी जाएं। (परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है) इसके बावजूद श्रीमती मंजू देवी द्वारा केन्द्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया तथा ये केन्द्र से लगातार अनुपस्थित रही। इनको दिए गए स्पष्टीकरण संख्या 345 दिनांक 15.05.97 एवं निरीक्षण दिनांक 14.05.96, 07.06.97 एवं 11.07.97 (परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है) के क्रम में पूर्व में दिनांक 17.04.96 को इनके द्वारा लिखित आश्वासन के असफल होने के आधार पर इनको मानदेय सेवा से पृथक मान लिया गया। श्रीमती बिरमा देवी सैनी को कार्यकर्ता के नियुक्ति आदेश में अतिरिक्त निदेशक (शिशु) महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 68903 दिनांक 30.12.98 के आधार पर लगाया गया है। (परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।)

(2) श्रीमती मंजू देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र कानेटी से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहती थी तथा आंगनबाड़ी केन्द्र का कार्य नियमित रूप से संचालन नहीं करने के कारण इनका भुगतान नहीं किया गया। प्रकरण श्रम न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) प्रकरण श्रम न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) प्रकरण श्रम न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ (अलवर) के राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

516. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय बहरोड़ में स्व वित्त पोषित व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार छात्रों की बढ़ती संख्या एवं मांग को देखते हुये राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय बहरोड़ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ में स्ववित्त पोषी योजना वर्ष 2002-03 से संचालित है। उक्त योजना में कला एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं।

विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**शैक्षणिक सत्र**	**पाठ्यक्रम**	**स्नातक**	**फीस**
1	2002-03	विज्ञान संकाय बीएससी तृतीय वर्ष	स्नातक	4000/-
2	2002-03	हिन्दी	स्नातकोत्तर	2350/-
3	2003-04	राजनीति विज्ञान	स्नातकोत्तर	2350/-
4	2008-09	भूगोल, राजनीति विज्ञान व इतिहास	स्नातक	2500/-

(2) जी नहीं। बहरोड़ में 19 निजी महाविद्यालय चल रहे हैं, जिनमें से 3 महाविद्यालय स्नातकतोत्तर स्तर के हैं।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ में वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बी.आर. मिर्धा, श्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागौर में नवीन प्रस्तावित पाठ्यक्रम

517. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागौर में स्नातक स्तर पर भूगोल, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, कम्प्यूटर विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो सत्र 2012-13 में कौन-कौन से नये विषय शुरू होंगे?

(2) क्या सरकार वर्ष 2012-13 में उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.ए.) हिन्दी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, भूगोल, भौतिक विज्ञान, प्राणीशास्त्र विज्ञान आदि नये विषय शुरू करने का विचार रखती है? यदि नहीं,तो कौन-कौन से विषय शुरू किये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागौर में स्नातक स्तर पर कला संकाय में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन व समाज शास्त्र का अध्यापन करवाया जाता हैं।

इसके अलावा उक्त महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान संकाय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय, नागौर में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में इतिहास, अर्थशास्त्र व हिन्दी साहित्य, वाणिज्य संकाय में व्यवसायिक प्रशासन तथा विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र (स्ववित्तपोषी) संचालित है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागौर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, भूगोल, भौतिक विज्ञान, प्राणीशास्त्र विज्ञान नये विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बारां जिले में स्वीकृत व क्रमोन्नत नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र

518. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(1) जिला बारां में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 की अवधि में किस-किस स्थान पर नये आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र खोले गये? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि में किस-किस आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र को किस-किस दिनांक को क्रमोन्नत किया गया? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त नये स्वीकृत व क्रमोन्नत आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हो चुके हैं एवं इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 की अवधि में कोई भी नवीन आयुर्वेद औषधालय नहीं खोला गया है।

(2) जिले में उक्त अवधि में किसी भी आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(3) उपरोक्तानुसार।

जोधपुर शहर के राजकीय मथुरादास माथुर चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताएं

519. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के राजकीय मथुरादास माथुर चिकित्सालय में माह सितम्बर, 2011 में आक्सीजन की कमी के अभाव में कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो कितने मरीजों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रकरण दुबारा नहीं होने देने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर से सम्बद्ध मथुरादास माथुर चिकित्सालय में माह सितम्बर, 2011 में आक्सीजन की कमी के अभाव में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-244 के विवरण)

परिशिष्ट-क

Stadium Development Programme
Sanction given in Year 2007-08 & 2008-09

S. No.	Particulars of Grant	Letter No. & Date	Amount (Rs. in Lacs)
1	Nagaur Stadium II instalment	F.10(18)Sports/2005 Dt. 17.06.2007	10.00
2	Old Stadium Jodhpur	F.10(14)Sports/2005 Dt. 18.06.2007	50.00
3	Udaipur Stadium	F.10(1)Sports/2006 Dt. 09.07.2007	11.00
4	Baran Stadium II instalment	F.10(15)Sports/2005 Dt. 28.12.2007	20.00
5	Sports Complex Jhalawar II instalment	F.10(2)Sports/2004-Part-II Dt. 23.11.2007	65.00
6	Stadiums Development	F.11(4)Sports/2007 (45) Dt. 27.03.2008	456.00
7	Stadiums Development	F.11(5)Sports/2008 Dt. 28.06.2008	250.00
8	Cycle Vellodrome, Bikaner	F.10(48)Sports/95 Dt. 01.07.2008	100.00
9	Hockey Astroturf, Ajmer	F.11(2)Sports/2008 Dt. 30.07.2008	53.50
10	Hocky Academy, Ajmer	F.11(2)Sports/2008 Dt. 30.07.2008	25.00
11	Dr. Karni Singh Stadium, Bikaner	F.10(15)Sports/2008 Dt. 05.08.2008	88.00
12	Baran Stadium	F.10(15)Sports/2005 Dt. 30.07.2008	94.00
13	Stadiums Development	F.11(4)Sports/2007 (45) Dt. 30.03.2009	160.95
		Total	**1383.45**

परिशिष्ट-ख

Stadium Development Programme
Statement of Amount release by RSSC against sanction in Year 2007-08 & 2008-09

S. No.	Place	Payment Given to	Amount Rs. (in Lacs)
1	Nagaur Stadium II instalment	Distt. Collector	10.00
2	Old Stadium Jodhpur	Distt. Collector	50.00
3	Baran Stadium II instalment	Distt. Collector	20.00
4	Sports Complex Jhalawar II instalment	Distt. Collector	65.00
5	Cycle Vellodrome, Jaipur	AVL	15.00
6	All Weather S. Pool jaipur	AVL	10.00
7	Indoor Stadium Jaipur	RSRDC	55.00
8	Sports Hostel, Jaipur	AVL	50.00
9	Topdara (Ajmer)	Distt. Collector	20.00
10	Deedwana (Nagaur)	Distt. Collector	25.00
11	Kaman (Bharatpur)	Distt. Collector	10.00
12	Athletic Track, Jaipur	PWD	280.00
13	Stadiums Development	AVL	200.00
14	Ganganagar	Distt. Collector	10.00
15	Barmer	Distt. Collector	9.00
16	Stadiums Development	AVL	200.00
17	Shahpura (Bhilwara)	Distt. Collector	11.70
18	All Weather S. Pool jaipur	AVL	12.50
19	Hockey Astroturf, Ajmer	Distt. Collector	53.50
20	Dr. Karni Singh Stadium, Bikaner	Distt. Collector	88.00
21	Athletic Track, Jaipur	PWD	25.00
22	Cycle Vellodrone, Jaipur	AVL	10.00
23	Sojat (Pali)	AVL	7.50
24	Baran Stadium	AVL	86.00
25	Stadiums Development	AVL	50.00
		Total	**1373.20**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-247 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कस्बा चौमूं, तहसील-चौमूं के वार्ड नम्बर 3 के खसरा नम्बर 4258, 4260, 4261, 4218/7787 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर में मौका अनुसार अतिक्रमणों का विवरण

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम	अतिक्रमण का प्रकार
1	सोहन बागड़ा पुत्र श्री सेड्डूराम बागड़ा	एक टीन शैड 10.50X4.50 Mtr.
2	सुआलाल पुत्र श्री लादूराम यादव	1. दो पक्के कमरे 11.24X4.77 Mtr. निर्मित 2. एक टीन शैड 4.00X7.20 Mtr. 3. एक पानी का टैंक 7.00 sq. Mtr.
3	भीवराम पुत्र श्री लादूराम यादव	1. एक टीन शैड 15.00X5.00 Mtr. 2. गाय भैंस रखने हेतु खुला वाडा। 3. एक पानी का टैंक 7.00 Sq. Mtr.
4	बाबूलाल पुत्र श्री लादूराम यादव	गाय-भैंस रखने हेतु खुला वाडा।
5	भूराराम पुत्र श्री लादूराम	1. एक पक्का मकान 10.00X10.50 Mtr.निर्मित 2. एक टीन शैड 4.00X5.00 Mtr. 3. गाय-भैंस रखने हेतु खुला वाडा। 4. एक पानी का टैंक 4.00 Sq. Mtr.
6	सांवरमल, बाबूलाल पुत्र श्री लादूराम यादव	1. एक पक्का मकान 12.00X13.00 Mtr. निर्मित 2. एक टीन शैड 2.00X2.00 Mtr. निर्मित।
7	ग्यारसी लाल माली	लगभग 1365.00 वर्गमीटर में गेहूं व लहसुन की खेती।

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना

जिसे पढ़ा हुआ माना गया

मण्डावर को तहसील एवं बैजूपाड़ा को उप तहसील का दर्जा दिया जाना

नियम 295 के अन्तर्गत कस्बा मण्डावर को तहसील एवं कस्बा बैजूपाडा को उप-तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा के अन्तर्गत कस्बा मण्डावर 25 हजार की आबादी वाला बडा कस्बा है, जहां पर कृषि उपज मण्डी एवं प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हैं। यहां पर जयपुर-आगरा रेलवे लाइन के साथ भिवाड़ी-करौली राज्य मार्ग भी है। भौगोलिक दृष्टि से कस्बा मण्डावर से तहसील मुख्यालय महुवा की दूरी 20 किलोमीटर है तथा तहसील महुवा के दूरस्थ गांवों से मुख्यालय की दूरी 28-30 किलोमीटर है, जिससे मण्डावर क्षेत्र की आम जनता को राजस्व कार्य एवं अन्य कार्यों के निस्तारण हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कस्बा मण्डावर को तहसील बनाये जाने के लिए दिनांक 25.03.2012 से आज दिनांक तक भूख-हड़ताल, बाजार बंद, धरना-प्रदर्शन जारी हैं।

इसी प्रकार कस्बा बैजूपाड़ा को उप-तहसील बनाये जाने के लिए भी धरने-प्रदर्शन जारी हैं। बैजूपाड़ा के आसपास के लोगों को राजस्व एवं अन्य कार्यों के निस्तारण हेतु करीब 40 किलोमीटर दूर मुख्यालय बसवा जाना पड़ता है। बैजूपाड़ा क्षेत्र का एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है।

कस्बा मण्डावर को तहसील एवं बैजूपाडा को उप-तहसील बनाये जाने के मामले को लेकर क्षेत्र के आम जन में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसके कारण कभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड सकती है।

अतः जन हित में मण्डावर को तहसील तथा बैजूपाड़ा को उप-तहसील बनाये जाने हेतु जनता की आवाज से सदन को अवगत कराने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

गोलमा देवी

(महुवा)

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

1. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाटोदी पुलिस चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड के ग्राम नागलिया व बर्डोद, तहसील बहरोड़ में पुलिस चौकी स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ व भाढणा में कान्स्टेबलों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ व भाढण पुलिस थानों में खराब हालत की गाडियों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बढ़ते अपराधों के देखते हुए पुलिस की रात्रि गश्त बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम गोटडा, तहसील तिजारा अलवर में पुलिस चौकी स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

7. विधान सभा क्षेत्र भीम के उपखण्ड देवगढ़ में पुलिस स्टेशन को सहायक निरीक्षक से निरीक्षक, पुलिस चौकी बार एवं बल्ली जस्साखेड़ा को पुलिस उपनिरीक्षक में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

8. जवाहर नगर पुलिस चौकी श्रीगंगानगर को अशोक नगर से वापिस जवाहर नगर में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. श्रीगंगानगर जिले व शहर में घरों से मोटर साइकिलों व गाड़ियों की चोरी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
10. श्रीगंगानगर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुचारू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रही स्मैक, अफीम, डोडा पोस्ट से नशेड़ियों व युवा पीढ़ी में नशे की लत को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. श्रीगंगानगर जिले में आत्महत्याएं, डकैती, दहेज हत्याओं में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत चामू व 54 मील जवाहरनगर में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के सम्बन्ध में तस्करों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

16. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आने वाले थानों को एक ही उप अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाने, उप अधीक्षक कार्यालय शाहपुरा में विराटनगर थाने को न लाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. जयपुर ग्रामीण के जिला अधीक्षक का एक अतिरिक्त पद उत्तर/दक्षिण में विभाजित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान में पुलिस नफरी कम होने से दिल्ली-जयपुर मार्ग पर स्थित थानों पर वी.आई.पी. एवं अन्य विशेष लोगों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में बढ़ते आर्थिक अपराधों के लिए विशेष जांच दल गठित न होने से आर्थिक अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में विशेष अधिनियमों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा न होने से बढ़ते मुकदमों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

21. उदयपुर जिले में बढ़ते अपराध, डकैती, चोरी, लूटपाट, दहेज के बढ़ते प्रकरणों पर प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. उदयपुर जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिये

उदयपुर शहर में पुलिस आयुक्त प्रणाली एवं शेष क्षेत्र को उदयपुर ग्रामीण जिला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के थानों में स्टाफ एवं वाहन की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कलड़वास, खारदा-चासदा पंचायत मुख्यालय पर नये थाने स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गोवर्धन विलास गांव, सैक्टर नम्बर 14 हीरण मगरी, बारपाल, सरू, धार, बछार भुवाणा में नई पुलिस चोकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर) :

26. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से बढ़ते अपराध से शराब माफिया, जुआ माफिया से आमजन में उत्पन्न भय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

27. तहसील बस्सी, जिला जयपुर में बस्सी बस स्टैण्ड से अवैध वाहनों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

28. बयाना थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बदले रुपये 200/- रिश्वत लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

29. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में महिला थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. धौलपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अद्तीय डकैत के समर्पण व दमन की अहम भूमिका के लिये पुरस्कृत व पदोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. धौलपुर के पुलिस अधिकारी व जवानों को इनामी दस्यु राजेन्द्र सहरोन को मारने पर पदोन्नती व पुरस्कृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधन सभा क्षेत्र बसेड़ी के बसेड़ी थाना व सरमथुरा थाना के जवानों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में ए.डी.एफ. का मुख्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत चवा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत दूद्राबेरी, नौद, सुरा को पुलिस थाना रामसर से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में रखने एवं ग्राम पंचायत सांजटा, सरणू को पुलिस थाना सिणधरी से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर, ग्राम पंचायत चवा, आदर्शचवा को पुलिस थाना बायतू से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर तथा ग्राम पंचायत, कपूरड़ी का राजस्व गांव रोहिली को पुलिस थाना नागाणा से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

36. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में खण्डेला शहर के पुराने थाने के भवन में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

37. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चौहटन एवं सेड़वा में यातायात पुलिस चौकियों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

38. विधान सभा क्षेत्र नावां में बढ़ते यातायात के साधनों को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस कर्मियों के पद सृजित करने एवं बड़े कस्बों में यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में पुलिस थानों में आधुनिक यंत्र लगाने एवं पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राज्य में धार्मिक आस्था केन्द्रों पर पुलिस गश्त बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. नावां जिला नागौर के बड़े कस्बे भीण्डा में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. राज्य में 108 की तर्ज पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर मोबाइल वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं) :

43. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम डोलाकावास व ग्राम कालाडेरा के नजदीकी ग्रामों को थाना कालाडेरा में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में चौमूं तहसील के ग्राम जाटावाली व खेजरोली में स्थाई पुलिस चौकी स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में चौमूं कस्बों में नया कोतवाली पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में उप पुलिस अधीक्षक, गोविन्दगढ़ के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु दो करोड़ रुपया स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

47. विधान सभा क्षेत्र धोद में सीकर थाना सदर की एफ.आई.आर. नम्बर 44/2012 दिनांक 22.01.2012 के सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

48. जैसलमेर सीमा पर सी.आई.डी. पुलिस थाने को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. जैसलमेर जिले में पुलिस के सिपाही व अधिकारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

50. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के मंडेला में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा व पिलानी पुलिस थानों को नए वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. झुंझुनूं जिले के थाने में नफरी कम होने से अपराधों की संख्या बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में बढ़ते अपराधों के मध्यनजर चूरू जिले की सीमा पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. झुंझुनूं जिले में महिलाओं पर अपराध बढ़ने से पिलानी क्षेत्र में महिला थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

55. बिलाड़ा पुलिस थानान्तर्गत गत तीन वर्षों में हुई सैकड़ों चोरियों में से एक भी चोरी की वारदात नहीं खुलने से जनता में व्याप्त आक्रोष पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु कापरड़ा, बिसलपुर, भटिन्डा, खारिया मीठापुर में पुलिस चौकियां स्थापित करने एवं ग्रामीण पुलिस में नार्म्स अनुसार 45 के हिसाब से थानों में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

57. अजमेर में आदर्श नगर थाना अन्तर्गत आदर्श नगर पुलिस चौकी के नवीन भवन का शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अजमेर के अलवर गेट थाना अन्तर्गत नगरा क्षेत्र एवं रामगंज थाना अन्तर्गत ब्यावर रोड पर एच.एम.टी. से सोमलपुर गांव जाने वाले मार्ग पर नई पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने तथा एक थाना नगर निगम अजमेर में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. अजमेर के अव्यवस्थित यातायात को व्यवस्थित करने हेतु यातायात उप अधीक्षक का एवं नवीन पद व कार्यालय अजमेर दक्षिण के नाम से सृजित करने एवं यातायात सिपाहियों के लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों को भरने और नवीन पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. अजमेर उप अधीक्षक दक्षिण का कार्यालय अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु नये भवन निर्माण की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पुलिस विभाग के स्वामित्व वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालुपुरा पुलिस लाइन अजमेर के भवन को शिक्षा विभाग के स्वामित्व में दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

62. क्रीमनोलोजी केसेज में मोके बारदात पर जो अधिकारी मौजूद होता है वही रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. जोधपुर कमिश्नर प्रणाली के कांस्टेबल्स से ऊपर के सभी अधिकारिचों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. जोधपुर मेट्रो सिटी में अतिरिक्त नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जोधपुर मेट्रो सिटी में नागोरी गेट, बोरानाड़ा, राजीव गांधी कालोनी झालामण्ड में नये थाने स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. जोधपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली के सभी थानों में कम से कम दो नये स्वराज माजदा वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

67. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के थाना खेडली में अच्छे एस.एच.ओ. एवं स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. थाना खेरली जिला अलवर में रात्रि गश्त बढ़ाने एवं शराब की दुकानें रात 12.00 बजे तक खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. थाना खेड़ली जिला अलवर के एस.एच.ओ. द्वारा चोरी की वारदात बढ़ाने एवं दलाल पालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

70. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने एवं स्पेशल के नाम पर गठित पुलिस टीमों द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

71. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर हरियाणा सीमा से लगे होने के कारण बढ़ती शराब तस्करी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सादुलपुर बस स्टैण्ड पर फैली अव्यवस्था को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के थाना हमीरवास-सिधमुख में महिला डेस्क की व्यवस्था करने व कम से कम ए.एस.आई. पद पर महिला अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

75. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थाना नेधवा (लक्ष्मणगढ़-सीकर) को सी.आई. स्तर का थाना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) बेलारा एवं मंगामूणा पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बेलारा पुलिस चौकी का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के लिए उप अधीक्षक कार्यालय (पुलिस) खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. जिला सीकर के ग्राम रैवासा में स्थित दिगम्बर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र में हुई चोरी तथा सीकर जिले में बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

80. विधान सभा क्षेत्र करौली में नये पुलिस थाने एवं चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. जिला मुख्यालय करौली पुलिस लाइन को नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

82. जैसलमेर में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. जैसलमेर जिले के लोगों पर जिले के अन्दर एक थाने से दूसरे थाना क्षेत्र में जाने के लिए लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. जैसलमेर में सब इन्स्पेक्टर व इन्स्पेक्टर के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. जैसलमेर में सिपाहियों की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

86. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 318/2011 पुलिस थाना सादुलशहर (श्रीगंगानगर) के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 22/2012 थाना सदर श्रीगंगानगर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में श्रीगंगानगर में एक पुलिस कांस्टेबल का पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर धरने पर बैठने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पाकिस्तान बार्डर के क्षेत्रों से बार्डर पार से नशीले पदार्थों के आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पुलिस का आमजन में विश्वास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

91. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में महिला प्रताड़ना के परिवादों पर अनुसंधान में शिथिलता एवं राजसमंद जिला मुख्यालय पर महिला थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पुलिस द्वारा जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध राजकार्यों में बाधा डालने के झूठे प्रकरण बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पुलिस थाने में हो रहे अपराध एवं अत्याचार के विरुद्ध की गयी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पुलिस द्वारा जनहित में किये गये शान्ति पूर्ण प्रदर्शनों में लाठी चार्ज कर बर्बरता पूर्ण दमन करने एवं जनता के लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों का हनन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

95. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पुलिस की नफरी के रिक्त पद भरने एवं संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत गोमवाली में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम तथा पुलिस द्वारा किये जा रहे असहयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में पुलिस को संसाधनों द्वारा सुसज्जित करने, सुख सुविधा, मेस, वर्दी एवं अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. प्रदेश में दागी पुलिस कर्मियों को फिल्ड पोस्टिंग से हटाकर उनको दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

100. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ का पुलिस सी.ओ. आफिस रामगढ़ में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रामगढ़, गो. गढ़, बड़ोदा मेव एवं एम.आई.ए. थाने में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

102. जोधपुर में महिलाओं की चैन स्नेचिंग एवं बैग लिफ्टिरों की बढ़ रही घटनाओं के लिए विशेष अभियान चलाने और इन घटनाओं से निपटने के लिए महिलाओं और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में पुलिस सुधार मानकों को प्राथमिकता पूर्वक लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. जोधपुर में गम्भीर रूप से बढ रहे खतरनाक मादक पदार्थों के व्यापार एवं चलन को रोकने के लिए विशेष कार्य पद्धति विकसित करने एवं विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस कर्मियों के सभी रिक्त पदों को भरने और केन्द्र सरकार के नवीन प्रस्तावों के अनुरूप नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत

प्रस्तावित नये पुलिस थाने, महिला पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

107. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत कोठाज, कांटी एवं छापडेल के गांवों को पुलिस थाना क्षेत्र कोटड़ी में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जहाजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में एस.सी. व एस.टी. के आरक्षित पुलिस पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

110. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सी.ओ. आफिस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के थाना बामनवास में पेयजल सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

112. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर उप अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के साजू एवं भैरूंदा कस्बों में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. राज्य भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

115. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के गांव छीच थाना कोलिंजरा में दो मासूमों की निर्मम हत्या के शेष हत्यारों को बचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. पिछले तीन वर्षों में राजस्थान की पुलिस सैकडों बार अभियुक्तों के द्वारा पिटी गई, हत्या की गई, थाने में बलात्कार हुआ, सी.आई. को जिन्दा जलाया, यादगार पर कटा हुआ सिर डालकर शर्मिंदा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पिछले आठ वर्षों में आय से अधिक सम्पत्ति के कई प्रकरणों को तथ्यों सहित उजागर करने के बाद भी प्रभावी कार्यवाही करने में असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. गोपालगढ़ जैसी शर्मनाक घटना पुलिस विभाग पर एक दाग है। घटना की पूर्व रात्रि को मस्जिद से निरन्तर जैहादी भाषण एवं मस्जिद पर हथियारों सहित हजारों लोगों का एकत्रित होना और पुलिस का खुफिया विभाग इसकी जानकारी देने में असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. राज्य में पुलिस कान्स्टेबल भर्ती की घोषणा के बावजूद भर्ती नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

120. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में दांतारामगढ़ थाना का भवन एवं स्टाफ क्वाटर्स निर्माण एवं दांतारामगढ़ उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. सीकर जिले में कानून-व्यवस्था की जर्जर स्थिति होने से सीकर में दिनदहाड़े 42 लाख की लूट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र दातारामगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांता के छात्रावास पर पुलिस की अवैध चौकी को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

123. जिला हनुमानगढ़ तहसील नोहर में 2 वर्ष पूर्व हुए चक राजासर हत्याकाण्ड की जांच सी.बी.आई. को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

124. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पुलिस स्टाफ के लिए रिहायशी मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

125. विधान सभा क्षेत्र वैर में पुलिस चौकी खेडली मोड़ तहसील वैर, जिला भरतपुर के लिए सरकारी भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र वैर के बल्लभगढ़ में नई पुलिस चौकी खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र वैर में पुलिस उप अधीक्षक वैर के लिए सरकारी आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

128. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बढ़ रही विद्युत सामान चोरियां, लूट व हत्याएं नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बीबीरानी, मोठूका व जौडियां में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पुलिस चौकी हरसौली पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. अलवर जिले में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए रिक्त पडे समस्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं नये पद सृजित करके पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

133. अजमेर में शहर व जिले हेतु अलग-अलग पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. अजमेर में नागफणी में नयी पुलिस चौकी स्थापित करने एवं 3 नये थाने बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के राजगढ़ भैंरोधाम में स्थायी रूप से पुलिस व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के मेस व अन्य भत्ते बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. पुलिस लाइन अजमेर में चल रहे विद्यालय की सुविधाएं एवं भवन निर्माण हेतु राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

138. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त थानों में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पुलिस थाना सांभर, नरायना एवं फुलेरा में नये वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल एवं सांभर में पुलिस थाने की अधूरी चारदीवारी को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के मण्डा भीमसिंह में नई पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के बधाल में स्थित पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

143. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पुलिस की नफरी बढ़ाने एवं थाना चौकी एवं थानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

144. सभी पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकियां खोलकर आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

145. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय फलौदी में मूल भूत सुविधाएं व स्टाफ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र लोहावट के ग्राम सेतरावा में मेघसिंह हत्याकाण्ड एवं गोटन काण्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

147. पुलिस थाना डीडवाना मुकदमा नम्बरान 21/92, 126/92, 7/01, 140/04, 193/05, 194/05, 114/06, पुलिस थाना लाडनूं मुकदमा नम्बराना 104/95, 55/99, 237/2000, 239/2000, 1/2001, 11/2006 पुलिस थाना जसवन्तगढ़ के मुकदमा नम्बरान 100/99, 19/2001, 19/03, 10/04, 34/04, 13/05 एवं पुलिस थाना मौलासर मुकदमा नम्बरान 81/06, 3/01 के नामजद फरार इनामी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. शराब तस्करों, चोर डकैतों को नागौर व सीकर जिले के बार्डर पर पकड़ने के लिए दाउदसर खानडी में पुनः पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. पुलिस थाना डीडवाना मुकदमा नम्बर 114/2006 धारा 147, 148, 149, 452, 307 एवं 302 के नामजद इनामी अपराधी को आज तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में बढ़ते अपराधों पर रोकथाम हेतु हाल पुलिस चौकी छोटी खाटू को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

151. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा अमरसर में कार्यरत पुलिस चौकी को पुलिस थाना घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अपराधों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. राज्य में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में गायब होने वाले व्यक्तियों की तलाश करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

154. राज्य के नवीन पुलिस एक्ट वर्ष 2007 के सम्पूर्ण प्रावधानों को लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

155. राज्य में भूमाफियों/प्रोपर्टी डीलर्स को पुलिस द्वारा संरक्षण देने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. एमिटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली रोड जयपुर में गत दिनों हुई छात्र की हत्या की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. जयपुर शहर के घाटगेट, सूरजपोल गलता गेट एवं चार दरवाजा क्षेत्र में ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

160. जयपुर शहर के पुलिस थानों में नये वाहन उपलब्ध करवाने, पेट्रोल की सीमा बढ़ाने एवं आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. जयपुर शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात पुलिस कमियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. जयपुर शहर में बढ़ रही चोरियों की घटनाएं एवं अपराधियों को पकड़े जाने के बावजूद चोरी का माल बरामद की प्रतिशतता कम होने एवं जयपुर शहर के थानों में नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. राज्य में अपराधों में हो रही बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण के लिये गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु रात्रि में पुलिस गश्त व्यवस्था में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

165. बाड़मेर के पचपदरा में थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

166. प्रदेश में पुलिस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कसार वाडी व पछाड़ भेरू (बगायचा) में पुलिस चौकी खोलने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पुलिस चौकी दुगरा छोटा में पुलिस कर्मचारियों को वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती करने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

170. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम पंचायत सुकार में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में थाना बामनवास का नया भवन एवं स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

172. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में पुलिस के वेतन भत्ते बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. बिलाड़ा में पुलिस द्वारा दिनांक 15.01.2012 को एक हिवाके के तीन मुकदमें सी.आर. नम्बर 19, 20 एवं 21 में दर्ज मुकदमों की सी.बी.आई. से जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

175. मेवात क्षेत्र में बढ़ती साम्प्रदायिकता में पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

176. जयपुर में निजी चौपहियों वाहनों पर ''मानवाधिकार विभाग'' की प्लेट लगाकर अवांछित जनविरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार को नामजद, मय वाहन नम्बर फोटो ग्राफ्स की शिकायतें मिलने के उपरान्त कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

177. राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संसाधन जुटाने व पुलिस विभाग में आई.टी. विशेषज्ञों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. कोटा सहित राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में चल रहे 15,000 से अधिक लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यकता स्टाफ व अन्य सुविधाएं अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. राज्य में जयपुर व कोटा सहित विभिन्न शहरों में महिलाओं व बच्चों से संगठित रूप से करवाई जा रही भिक्षावृत्ति को रोकने व उसके पीछे कार्य कर रहे गिरोहों की पहचान कर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. राज्य में लापता लोगों की तलाश करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने व उनकी तलाशी हेतु पर्याप्त संसाधनों व कुशल पुलिस बल के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. राज्य व जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

1. अलवर जिले की केन्द्रीय जेल व उपखण्ड जेल में खाने की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. अलवर जिले की केन्द्रीय जेल एवं उपखण्ड जेलों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. अलवर जिले की जेलों में परिवार के लोगों को उनके कैदियों से मिलाने में हो रही अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. अलवर जिले की जेलों में कैदियों को कम्प्यूटर शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

5. भीम कारागार को आबंटित भूमि पर नवीन भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवंत सिंह यादव (बहरोड़) :

6. बहरोड़ कारागार की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

7. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की जेलों में किसी भी मुकदमों में दो चार दिन तक हिरासत में रखने वाले मुजरिमों के साथ जेल प्रशासन व कैदियों द्वारा परेशान करने तथा रुपये ऐंठने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में कैदियों से मुलाकात करवाने के नाम पर रिश्वत लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ जिले की जैलों में बरोक-टोक मोबाइल व नशीली वस्तुएं कैदियों तक पहुंचाने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की जेलों में रिक्त पड़े प्रहरियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. श्रीगंगानगर जिले व हनुमानगढ़ जिले की जेलों में कैदियों को गुणवत्ता पूर्ण खाना उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

12. प्रदेश की जेलों में जेल प्रशासन व सुरक्षा कर्मचारियों की मिली भगत से कैदियों के पास मोबाइल फोन, मोबाइल सिमें, जिन्दा कारतूस, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

13. राजस्थान में पुराने कारागृहों की समय पर मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. जेलों में अवैध रूप से पाये जाने वाली प्रतिबन्धित वस्तुओं मोबाइल आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विशेष किस्म के अपराधियों/आतंककारी गतिविधियों में लिप्त या गम्भीर आरोप में बन्द अपराधियों को विशेष व्यक्ति का दर्जा देने से जनभावना पर पड़ने वाले प्रभावों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. छोटी उम्र में अपराधी बने अपराधियों को शिक्षा एवं विशेष प्रशिक्षण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. राजनैतिक/शैक्षिक/सामाजिक आन्दोलन में गिरफ्तार लोगों को कारागार में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

18. राज्य के कारागारों में बढ़ती अपराधिक एवं मादक पदार्थों की अवैधानिक सप्लाई पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राज्य के कारागारों के भवनों की खराब स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. राज्य के कारागारों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

21. बयाना कारागार में बंद कैदियों की जमानत हो जाने पर भी 500-500 रु. लेकर छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

22. राज्य की जेलों में मोबाइल के उपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. धौलपुर जेल को आधुनिक सुरक्षा यंत्रों से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश के कारागार कर्मियों को केन्द्र व अन्य राज्यों के समान वेतनमान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश के कारागार कर्मियों की पांचवें वेतन आयोग से चली आ रही वेतन विसंगतियां दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश के कारागार कर्मियों को पांचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

27. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित कारागृह में लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

28. प्रदेश की जेलों में मोबाइल के उपयोग को पूर्ण रूप से बंद करने हेतु प्रत्येक जेल में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

29. राज्य की जेलों में बंद कैदियों द्वारा नशा व मोबाइल फोन का इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. राज्य की जेलों को आधुनिकीकरण करने एवं सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. राज्य के जेलों में मोबाइल के उपयोग पर रोक लगाने के लिए जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राज्य की जेलों में कैदियों को सन्तों, महापुरुषों के प्रवचनों से चिन्तन मार्ग दर्शन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

33. राज्य की जेलों में सुरक्षा प्रहरियों की अपराधों के अनुपात में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैललमेर) :

34. जैसलमेर जेल की अव्यवस्था एवं गार्ड पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

35. झुंझुनूं, खेतड़ी की कारागार में कैदियों को उपलब्ध करवाये जा रहे मोबाइल की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

36. बिलाड़ा स्थित उप कारागृह पिचियाक को पुनः शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

37. अजमेर कारागार में नियुक्त प्रहरियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. अजमेर में एक नये उच्च सुरक्षा कारागार भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. अजमेर केन्द्रीय कारागार में बढ़ रही फरारी को रोकने हेतु क्लोज सर्किट टी.वी., बैगेज स्केनर एवं वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. अजमेर कारागार में से अपराधियों द्वारा दी जा रही धमकियों एवं अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. अजमेर जेल में कैदियों के पास से मोबाइल बरामद होने के बावजूद इनकी रोकथाम के लिये कोई कारगर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

42. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में पुराने खराब वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जोधपुर की जेल में जांच हेतु बड़ी स्केनर मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में एन.एस.जे.डी. एवं डी.एस.एम.डी. सुरक्षा उपकरणों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में कैदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिये एक शौरूम का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. जोधपुर सेन्ट्रल जेल की सीवर लाइन बदलवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

47. प्रदेश की जेलों का आधुनिकीकरण करने, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने एवं कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. प्रदेश की जेलों से हो रहे अपराध को रोकने, मोबाइल, नशाखोरी तथा अवसाद ग्रस्त कैदियों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जेल कर्मियों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. रायसिंहनगर जेल को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

51. करौली जिला मुख्यालय पर स्थित बाल सुधार कारागृह में से बाल अपचारियों के भागने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

52. राजसमंद मुख्यालय कारागार में पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

53. अलवर जेल को सेन्ट्रल जेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

54. प्रदेश के कारागारों में जेलर भारत भूषण हत्याकाण्ड प्रकरण के बाद उपजे हालातों के मद्देनजर जेलों में नवीन पद सृजन करने एवं जेल कर्मियों के आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश के कारागृहों से अपराध संचालन एवं कारागारों में मोबाइल हथियार आदि की सहज उपलब्धता से निपटने के लिए विशेष कार्यबल, विजिलेंस टीम गठित करने एवं राज्य व्यापी छापामारी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. जोधपुर केन्द्रीय कारागार के आधुनिकीकरण, मरम्मत एवं कम्प्यूटरीकृत सी.सी.टी.वी. तथा सुरक्षा बन्दोबस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित जेल सुधार कार्यक्रमों को आदर्श रूप से प्रदेश के कारागृहों में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. कैदियों में अपराध प्रवृत्तियों को स्थाई रूप से हटाने के लिये योग, प्राणायाम, साहित्य पठन, शास्त्रीय संगीत के लय ताल के प्रयोगों और अन्य रचनात्मक कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

59. जेलों में बन्द कैदियों द्वारा संचालित आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश के कारागारों में सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

61. राजस्थान की विभिन्न जेलों में दस वर्षों से अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण जेलों की गिरती कार्यक्षमता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. जेलों के अन्दर रहकर अपराधी द्वारा अपराधिक कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबिल का वेतनमान समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में जेल से पैरोल पर जाने के बाद पैरोल समाप्त होने के बाद भी बन्दी के पुनः जेलों में उपस्थित नहीं होने की बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. सजायाफ्ता कैदी एवं विचाराधीन कैदियों के लिये अलग-अलग जेलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

66. अनूपगढ़ कारागार में जनरेटर पानी व आगुन्तकों के बैठने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

67. राज्य के केन्द्रीय कारागार जिला जेलों एवं सब जेलों में अपराधियों की संख्या के अनुरूप क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. राज्य के कारागारों में सुरक्षा प्रहरियों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. राज्य के कारागारों में बन्द अपराधी पैरोल पर छूटने के बाद वापिस नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में खुले कारागारों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राज्य के कारागारों में बन्द अपराधियों द्वारा मोबाइल के माध्यम से गिरोह का संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

72. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर की जेल में कैदियों की सुविधाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर की जेल में जेलर व अन्य कर्मचारियों के पद बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

75. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा (सांभर) जेल में स्टाफ क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा (सांभर) जेल में पेयजल की स्थायी व्यवस्था एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा (सांभर) जेल की अधूरी चार दीवारी पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा (सांभर) जेल में वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

79. प्रदेश की जेलों में बढ़ रहे कैदियों के अनुपात में जेल स्टाफ की बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

80. अलवर जिले के कारागार में सुधार व सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

81. कोटा कारागार का बन्दियों की संख्या के हिसाब से विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

82. डीडवाना कारागार को बाहरी क्षेत्र में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

83. प्रदेश की जेलों में जेमर से भी उन्नत किस्म के यंत्र का प्रयोग कर मोबाइलों के प्रयोग करने की समस्या का स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों हेतु मेडिटेशन योग आदि के नियमित कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश की जेलों में सजायाफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे कैदियों को पृथक-पृथक रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

86. राज्य के कारागारों में बंदियों को मादक पदार्थ, मोबाइल एवं अन्य सामग्री पहुंचाने में प्रहरियों एवं जेल अधिकारियों की भूमिका सामने आने की घटनाओं पर चर्चा के लिये।

87. राज्य की जेलों में अपराधियों पर नियंत्रण किये जाने हेतु आधुनिक उपकरण स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. जयपुर की केन्द्रीय कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. राज्य के कारागारों में बंद बंदियों द्वारा जेल से अपराध गिरोहों का संचालन करने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. राज्य के कारागारों में बंदियों के पास मोबाइल बरामद होने की घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

91. राज्य के कारागारों के भवन निर्माण एवं रिपेयर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

92. प्रदेश में कैदियों को सुरक्षित रखने में असफल रहने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. प्रदेश में जेल कर्मियों की भर्ती करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. कुशलगढ़ में नये जेल भवन निर्माण करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

95. एस.डी.एम. हैटक्वार्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय होने से मारवाड़ जंक्शन पर कारागार स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. कारागार के सिपाहियों को पुलिस के बराबर वेतन भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

97. जेलों में मिलने वाले घटिया खाने की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

98. राज्य की जेलों में वृद्ध कैदियों की रिहाई के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।